सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

हरियाणा सरकार

प्रतिवेदन संख्या 3 वर्ष 2022

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

हरियाणा सरकार

प्रतिवेदन संख्या 3 वर्ष 2022

विषय सूची

	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		vii
कार्यकारी सार		ix-xiv
अध्याय-1		
विहंगावलोकन		
राज्य का प्रोफाइल	**1.1**	1
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	1-2
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण	**1.2**	2-3
प्रतिवेदन की संरचना	**1.3**	3-4
सरकारी लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	**1.4**	4-8
वित्तों के स्नैपशॉट	1.4.1	7
सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का स्नैपशॉट	1.4.2	8
राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	**1.5**	8-12
लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण	**1.6**	12-14
राजस्व और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	1.6.1	12-13
लेखापरीक्षा पश्चात - कुल लोक ऋण	1.6.2	13-14
अध्याय-2		
राज्य के वित्त		
प्रमुख राजकोषीय संचय में मुख्य परिवर्तन	**2.1**	15
निधियों के स्रोत एवं उपयोग	**2.2**	15-16
राज्य के संसाधन	**2.3**	16-29
राज्य की प्राप्तियां	2.3.1	17-19
राजस्व प्राप्तियां	2.3.2	19-28
पूंजीगत प्राप्तियां	2.3.3	28-29
संसाधन जुटाने में राज्य का निष्पादन	2.3.4	29
संसाधनों का अनुप्रयोग	**2.4**	30-44
व्यय की वृद्धि एवं सरंचना	2.4.1	30-31
राजस्व व्यय	2.4.2	32-37
पूंजीगत व्यय	2.4.3	37-43
व्यय प्राथमिकताएं	2.4.4	43-44
प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय	2.4.5	44
लोक लेखा	**2.5**	44-50
निवल लोक लेखा शेष	2.5.1	44-45
आरक्षित निधियां	2.5.2	46-50

	अनुच्छेद	पृष्ठ
ऋण प्रबंधन	**2.6**	50-56
ऋण प्रोफ़ाइल: घटक	2.6.1	50-54
ऋण प्रोफ़ाइल: परिपक्वता और पुनर्भुगतान	2.6.2	54-56
ऋण स्थिरता विश्लेषण	**2.7**	56-62
उधार ली गई निधियों का उपयोग	2.7.1	57-59
गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं	2.7.2	59-60
रोकड़ शेष का प्रबंधन	2.7.3	60-62
निष्कर्ष	**2.8**	62-64
सिफारिश	**2.9**	64
अध्याय-3		
बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	**3.1**	65-66
विनियोजन लेखे	**3.2**	66-67
बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर टिप्पणियां	**3.3**	67-73
कानूनी प्राधिकार के बिना किया गया व्यय	3.3.1	67
अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान	3.3.2	68
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन	3.3.3	68-69
निधियां अभ्यर्पित न करना तथा अधिक अभ्यर्पित करना	3.3.4	69
बचत	3.3.5	69-73
अत्यधिक व्यय और इसका नियमितीकरण	3.3.6	73
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां	**3.4**	74-84
बजट प्रक्षेपण तथा अपेक्षा एवं वास्तविकता के मध्य अंतर	3.4.1	74-75
बजट और वास्तविक व्यय में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं	3.4.2	75-76
व्यय की अधिकता	3.4.3	76-77
चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.4.4	77-84
निष्कर्ष	**3.5**	84
सिफारिशें	**3.6**	84
अध्याय-4		
लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार		
राज्य की समेकित निधि या सार्वजनिक लेखा से बाहर की निधियां	**4.1**	85-88
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर	4.1.1	85
हरियाणा ग्रामीण विकास निधि	4.1.2	86
हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड	4.1.3	86-87
हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड	4.1.4	87-88

	अनुच्छेद	पृष्ठ
ब्याज वहन करने वाले जमाओं के प्रति ब्याज के संबंध में देयता का निर्वहन न करना	**4.2**	88
बजट से बाहर उधार	**4.3**	88-89
राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां	**4.4**	89-90
स्थानीय निधियों की जमा राशि	**4.5**	90
उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलंब	**4.6**	91-93
अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान को "अन्य" के रूप में दर्ज करना	4.6.1	93
सार आकस्मिक बिल	**4.7**	93-94
व्यक्तिगत जमा खाते	**4.8**	94-95
लघु शीर्ष-800 का अंधाधुंध उपयोग	**4.9**	95
उचंत एवं प्रेषण के अंतर्गत बकाया शेष	**4.10**	96
विभागीय आंकड़ों का मिलान	**4.11**	96
नकद शेष का मिलान	**4.12**	97
जमा कार्यों के लिए अग्रिमों पर ब्याज का लेखांकन न करना	4.12.1	97
लेखांकन मानकों की अनुपालना	**4.13**	98
प्रमाणीकरण के लिए स्वायत्त निकायों के लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब	**4.14**	98-99
लेखों को प्रस्तुत न करना/प्रस्तुत करने में विलंब	**4.15**	99
विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम	**4.16**	99-100
लेखों की समयबद्धता और गुणवत्ता	**4.17**	100
दुर्विनियोजन, हानियां, चोरी, इत्यादि	**4.18**	100-102
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	**4.19**	102
निष्कर्ष	**4.20**	102-103
सिफारिशें	**4.21**	103-104
अध्याय-5		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम		
सरकारी कंपनी की परिभाषा	**5.1**	105
लेखापरीक्षा अधिदेश	**5.2**	105-106
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम तथा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका योगदान	**5.3**	106-107
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश एवं बजटीय सहायता	**5.4**	107-108
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी होल्डिंग और ऋण	5.4.1	107-108
बजटीय सहायता	5.4.2	108
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण	5.4.3	108
विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण	5.4.4	108

	अनुच्छेद	पृष्ठ
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से रिटर्न	**5.5**	109-111
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ	5.5.1	109
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लाभांश का भुगतान	5.5.2	109-110
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	5.5.3	110
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा इक्विटी पर रिटर्न	5.5.4	110-111
ऋण सेवा	**5.6**	111-112
ब्याज कवरेज अनुपात	5.6.1	111-112
हानि उठाने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	**5.7**	112-113
उठाई गई हानियां	5.7.1	112
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में पूंजी का क्षरण	5.7.2	113
निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर रिटर्न	**5.8**	113-116
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा	**5.9**	116
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	**5.10**	116
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	**5.11**	116-118
समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता	5.11.1	116-117
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखों को तैयार करने में समयबद्धता	5.11.2	117-118
सांविधिक निगमों द्वारा लेखों को तैयार करने में समयबद्धता	5.11.3	118
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पर्यवेक्षण - लेखों की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा	**5.12**	118-119
वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क	5.12.1	118
सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा	5.12.2	119
सरकारी कंपनियों के लेखों की पूरक लेखापरीक्षा	5.12.3	119
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका का परिणाम	**5.13**	120-121
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा	5.13.1	120
सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के पूरक के रूप में जारी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियां	5.13.2	120-121
सांविधिक निगमों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के पूरक के रूप में जारी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियां	5.13.3	121
प्रबंधन पत्र	**5.14**	122
निष्कर्ष	**5.15**	122
सिफारिशें	**5.16**	123

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	राज्य प्रोफाइल	1.1	125
1.2	31 मार्च 2021 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति	1.4.2	126
2.1	वर्ष 2020-21 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	2.2	127-128
2.2	राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम डाटा	2.3.2.1	129-130
2.3	राजस्व प्राप्तियों के कुछ प्रमुख शीर्षों में 31 मार्च 2021 तक राजस्व के बकाया	2.3.2.2 (iv)	131
2.4	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखे के अनुसार सरकारी निवेश	2.4.3.2 (ii)	132
2.5	कार्यान्वयनाधीन सार्वजनिक निजी साझेदारी मूलभूत संरचना परियोजनाओं का विवरण	2.4.3.2 (iii)	133-135
3.1	मामलों के विवरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	3.3.2	136
3.2	प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन का विवरण	3.3.3	137-146
3.3	मार्च 2021 के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण	3.3.4	147-148
3.4	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी	3.3.5 (i)	149-150
3.5	₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाली योजनाओं का विवरण	3.3.5 (i)	151-154
3.6	उन योजनाओं का विवरण जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रावधान ₹ पांच करोड़ तथा बचत कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक थी	3.3.5 (ii)	155-158
3.7	उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए बजट अनुमान में ₹ 10 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया	3.3.5 (iii)	159-160
3.8	वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता को दर्शाने वाले विवरण	3.4.3	161-162
3.9	उन योजनाओं का विवरण जिनमें बचत की गई	3.4.4.1 (ii)	163-165
3.10	पिछले तीन वर्षों से लगातार बचत के संबंध में शीर्ष-वार विवरण	3.4.4.1 (iii)	166-168

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
3.11	उन योजनाओं का विवरण जिनमें 2020-21 के दौरान बचत की गई	3.4.4.2 (ii)	169-170
3.12	पिछले तीन वर्षों से लगातार बचत के संबंध में शीर्ष-वार विवरण	3.4.4.2 (iii)	171-172
4.1	31 अगस्त 2021 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के विवरण	4.6	173-175
4.2	स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतीकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	4.14	176-178
4.3	निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शाने वाली विवरणी	4.15	179-183
4.4	विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखों के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी	4.16	184
5.1	हरियाणा में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची	5.3	185

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 से 3 में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखों तथा विनियोजन लेखों की जांच से उठने वाले मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं। जहां आवश्यक थी, वहां हरियाणा सरकार से सूचना प्राप्त की गई है।

अध्याय 4 "लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग" चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति को दर्शाता है।

अध्याय 5 में 'राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों' पर राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन और इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी टिप्पणियों के प्रभाव पर चर्चा की गई है।

विभिन्न विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा (स्टैंडअलोन) तथा अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों, सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से समायुक्त प्रतिवेदन तथा राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

हरियाणा सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 में राज्य के बजट अनुमानों की तुलना में वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों तथा सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरण की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा संरचनात्मक प्रोफाइल का विश्लेषण प्रकट करता है।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के लेखापरीक्षित लेखों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त अतिरिक्त आंकड़ों जैसे कि आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित, यह प्रतिवेदन पांच अध्यायों में राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है।

अध्याय 1 प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है और अंतर्निहित डेटा सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के मैक्रो-राजकोषीय विश्लेषण तथा घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

अध्याय 2 राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय, 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य के ऋण प्रोफ़ाइल और राज्य के वित्त लेखों के आधार पर प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों के महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

अध्याय 3 राज्य के विनियोजन लेखों पर आधारित है तथा राज्य सरकार की विनियोजन और आबंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर रिपोर्ट करता है।

अध्याय 4 राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुपालन न करने के मामलों पर टिप्पणी करता है।

अध्याय 5 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादनन और इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी टिप्पणियों के प्रभाव पर चर्चा करता है।

लेखापरीक्षा परिणाम

अध्याय 1: विहंगावलोकन

राजस्व घाटे के उत्तरोतर उन्मूलन द्वारा राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता में बुद्धिमता सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 पारित किया गया था। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए

सितंबर 2020 में अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन किया क्योंकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत (राज्य सकल घरेलू उत्पाद के पांच प्रतिशत तक) के अतिरिक्त दो प्रतिशत का अतिरिक्त राजकोषीय घाटा अनुमेय था।

[अनुच्छेद 1.5]

राजस्व घाटा जो 2019-20 के दौरान ₹ 16,990 करोड़ था बढ़कर 2020-21 के दौरान ₹ 22,385 करोड़ हो गया, जो कि ₹ 15,374 करोड़ के बजट प्रक्षेपणों से अधिक था।

[अनुच्छेद 1.5]

राजकोषीय घाटा जो 2019-20 में ₹ 30,518 करोड़ था, 2020-21 के दौरान मामूली रूप से घटकर ₹ 29,486 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा, मध्य अवधि राजकोषीय नीति में चार प्रतिशत और बजट प्रक्षेपणों में 2.73 प्रतिशत के नियत लक्ष्य के विरूद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.86 प्रतिशत था।

[अनुच्छेद 1.5]

पेंशन स्कीम में कम योगदान, समेकित ऋण शोधन निधि में योगदान न होना, खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि और राजकीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि में ब्याज का समायोजन न होने के कारण राजस्व एवं राजकोषीय घाटा ₹ 1,166.89 करोड़ कम दर्शाया गया।

[अनुच्छेद 1.6.1]

हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा आवास एवं शहरी विकास निगम से राज्य लेखों में लिए गए बकाया ऋणों का विवरण न होने के कारण राजकोषीय देयताओं को ₹ 406 करोड़ से कम बताया गया।

[अनुच्छेद 1.6.2]

अध्याय 2: राज्य के वित्त

राजस्व प्राप्तियों की वार्षिक वृद्धि दर 2016-17 में 10.39 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 2.99 प्रतिशत हो गई और 2020-21 में 0.44 प्रतिशत ऋणात्मक हो गई। राज्य के स्वयं के राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 2.69 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

[अनुच्छेद 2.3.2.1]

राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में छः प्रतिशत बढ़कर ₹ 89,946 करोड़ हो गया और कुल व्यय का 93 प्रतिशत था। वेतन एवं मजदूरी, पेंशन तथा ब्याज भुगतानों से समायुक्त प्रतिबद्ध व्यय ने कुल राजस्व व्यय का 55 प्रतिशत संघटित किया। 2020-21 में सब्सिडी पर व्यय ₹ 7,650 करोड़ था, जो ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ₹ 5,565 करोड़ (72.75 प्रतिशत) की सब्सिडी सहित राजस्व प्राप्तियों का 11.32 प्रतिशत था।

[अनुच्छेद 2.4.2]

पूंजीगत व्यय ₹ 5,870 करोड़ था, जो गत वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान कुल व्यय के 17 प्रतिशत से घटकर छः प्रतिशत हो गया, जिसका मुख्य कारण आर्थिक सेवाओं में कम व्यय था।

[अनुच्छेद 2.4.3]

31 मार्च 2021 तक सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारिताओं में ₹ 37,566.55 करोड़ निवेशित थे। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.188 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2016-21 के दौरान अपने उधारों पर 7.94 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, पूंजी अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध रह गई और वांछित लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके।

[अनुच्छेद 2.4.3.2]

वर्ष के दौरान सहकारी चीनी मिलों और हरियाणा राज्य कृषि एवं विपणन बोर्ड तथा बिजली कंपनियों को अधिक ऋण देने के कारण 31 मार्च 2021 तक बकाया ऋण एवं अग्रिमों में 6.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2020-21 के आरंभ में सहकारी चीनी मिलों के विरूद्ध ₹ 3,418.72 करोड़ का ऋण बकाया था। आगे, इन चीनी मिलों को कुल ₹ 467.40 करोड़ के ऋण दिए गए थे। 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 92 करोड़ (बकाया ऋणों एवं अग्रिमों का 1.20 प्रतिशत) का ब्याज प्राप्त किया।

[अनुच्छेद 2.4.3.2(v)]

राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि और राज्य पूरक वनीकरण निधि के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 5,230.50 करोड़ की निधियों का निवेश नहीं किया।

[अनुच्छेद 2.5.2.2, 2.5.2.4 एवं 2.5.2.5]

लोक ऋण और लोक लेखा देयताओं सहित समग्र राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 31.21 प्रतिशत थीं (वस्तु एवं सेवाकर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है)। पिछले वर्ष की तुलना में ऋण में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य सरकार ने ₹ 49,340 करोड़ का आंतरिक ऋण लिया और ₹ 29,167 करोड़ का चुकाया। 2020-21 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 15,444 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय देयताओं के अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी जो कि 2016-17 में 26.07 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 31.21 प्रतिशत हो गई। 2020-21 के अंत में ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 3.53 गुणा और राज्य के स्वयं के संसाधनों का 4.88 गुणा थीं। राज्य सरकार को वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले में भारत सरकार से बैक टू बैक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ प्राप्त हुए।

[अनुच्छेद 2.6.1]

अध्याय 3: बजटीय प्रबंधन

2020-21 के दौरान, ₹ 1,80,004.84 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरूद्ध ₹ 1,42,409.10 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 37,595.74 करोड़ की समग्र बचत थीं। इसमें से 44 मामलों में, प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत दर्ज करते हुए, ₹ 36,450.08 करोड़ की बचत की गई। वर्ष 2018-19 से संबंधित ₹ 41.54 करोड़ और 2019-20 से संबंधित ₹ 153.39 करोड़ के अधिक व्यय के साथ-साथ एक अनुदान के अंतर्गत ₹ 21.93 करोड़ के अधिक व्यय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित करवाए जाने की आवश्यकता है।

[अनुच्छेद 3.3.2(i), 3.3.3 एवं 3.4.1]

2016-21 के दौरान 24 अनुदानों और एक विनियोजन में निरंतर बचत दर्ज की गई। 22 मामलों में, अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान से कम रहा। 22 अनुदानों के अंतर्गत 31 प्रमुख शीर्षों में 37 प्रतिशत व्यय मार्च 2021 में किया गया जो वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अधिकता को दर्शाता है जो कि सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56 के प्रावधानों के विपरीत था।

[अनुच्छेद 3.3.1, 3.3.2(ii) एवं 3.4.3]

अध्याय 4: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार

सरकारी विभागों ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986, हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड और हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत एकत्रित उपकर को राज्य की समेकित निधि के माध्यम से लिए बिना हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड/हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रबंधन बोर्ड/हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड/हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के मामले में अधिनियम में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान है और निधि की लेखापरीक्षा की जा रही है। परन्तु, अन्य निधियों में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान नहीं है।

[अनुच्छेद 4.1]

31 अगस्त 2021 को विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किए गए ₹ 14,550.78 करोड़ के अनुदानों से संबंधित 2,442 उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे। 97 स्वायत निकायों/प्राधिकरणों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, के 199 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2021 तक बकाया थे।

[अनुच्छेद 4.6 एवं 4.15]

2020-21 के दौरान, ₹ 7,964.58 करोड़ के व्यय (कुल व्यय का 8.31 प्रतिशत) वित्त लेखों में स्पष्ट रूप से लेखाकृत करने के बजाय बहुप्रयोजन लघु शीर्ष - 800 के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे जो वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

[अनुच्छेद 4.9]

राज्य ने भारत सरकार के लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.)-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि अतिदेय मूलधन और ब्याज की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी और प्रत्येक ऋणी की शेष राशि की पुष्टि प्रस्तुत नहीं की गई थी।

[अनुच्छेद 4.13]

राज्य सरकार ने ₹ 1.32 करोड़ की राशि के सरकारी धन से आवेष्टित दुर्विनियोजन, दुरुपयोग, इत्यादि के 63 मामले सूचित किए जिन पर जून 2021 तक अंतिम कार्यवाही लंबित थी। इनमें से 30 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे।

[अनुच्छेद 4.18]

अध्याय 5: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (रा.सा.क्षे.उ.) के नवीनतम निवेश का जोर मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र पर था। इस क्षेत्र को ₹ 53,999.42 करोड़ के कुल निवेश का 87.13 प्रतिशत (₹ 47,051.41 करोड़) प्राप्त हुआ था।

[अनुच्छेद 5.4.1]

2019-20 में अपने नवीनतम वित्तीय विवरणों में लाभ दर्ज करने वाले 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के विरूद्ध 2020-21 के दौरान 19 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे। 2019-20 में दर्ज किया गया लाभ ₹ 975.78 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 1,698.89 करोड़ हो गया। 2019-20 में लाभ अर्जित करने वाले 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में 9.18 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 में लाभ अर्जित करने वाले 19 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की इक्विटी पर रिटर्न (आर.ओ.ई.) बढ़कर 36.97 प्रतिशत हो गया। उनके नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार 2020-21 में सभी 30 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए इक्विटी पर रिटर्न 10.20 प्रतिशत था।

[अनुच्छेद 5.5.1]

अपने नवीनतम वित्तीय परिणामों के अनुसार 2020-21 के दौरान 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा उठाई गई ₹ 425.71 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 357.50 करोड़ की हानि (83.98 प्रतिशत) के लिए दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जो ऊर्जा और बिजली विभाग में कार्यशील हैं। दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 195.83 करोड़) और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 161.67 करोड़) वित्तीय वर्ष 2020-21 के अपने नवीनतम अंतिम परिणामों के अनुसार घाटे की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

[अनुच्छेद 5.7.1]

31 मार्च 2021 तक, 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे जिनमें कुल संचित हानि ₹ 28,668.85 करोड़ थी। इनमें से दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड) को ₹ 28,341.22 करोड़ की संचित हानि हुई थी।

[अनुच्छेद 5.7.2]

केवल नौ सरकारी कंपनियों ने 30 नवंबर 2021 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा हेतु अपने लेखे प्रस्तुत किए थे। 24 सरकारी कंपनियों के लेखे एक से चार वर्ष की अवधि से बकाया थे।

[अनुच्छेद 5.11.2]

अध्याय-1

विहंगावलोकन

अध्याय 1: विहंगावलोकन

1.1 राज्य का प्रोफाइल

हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी के पास स्थित है। इसके 22 जिलों में से 14 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। भौगोलिक क्षेत्र (44,212 वर्ग किलोमीटर) की दृष्टि से यह 21वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से 18वां बड़ा राज्य है (2011 की जनगणना के अनुसार)। राज्य की जनसंख्या 2001 में 2.11 करोड़ से 20.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2011 में 2.54 करोड़ हो गई। राज्य की 11.16 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी जोकि अखिल भारतीय औसत 21.92 प्रतिशत से कम है। वर्तमान मूल्यों पर 2020-21 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 7,64,872 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 67.91 प्रतिशत (2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 75.60 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गई ***(परिशिष्ट 1.1)***। वर्ष 2020-21 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 2,39,535[1] थी।

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.), एक निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का बढ़ना राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है जैसा कि ***तालिका 1.1*** में दिखाया गया है।

तालिका 1.1: राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) की तुलना में स.रा.घ.उ. में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19 (पी.ई.)	2019-20 (क्यू.ई.)	2020-21 (ए.ई.)
वर्तमान मूल्य पर राष्ट्रीय स.घ.उ.	1,53,91,669	1,70,90,042	1,88,86,957	2,03,51,013	1,97,45,670
गत वर्ष की तुलना में स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.76	11.03	10.51	7.75	(-)2.97
वर्तमान मूल्यों पर राज्य का स.रा.घ.उ.	5,61,424	6,44,963	7,04,957	7,80,612	7,64,872
गत वर्ष की तुलना में स.रा.घ.उ.की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.30	14.88	9.30	10.73	(-)2.02

स्रोत: भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण (2020-21) तथा आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, हरियाणा

पी.ई. - अनंतिम अनुमान, क्यू.ई. - त्वरित अनुमान, ए.ई. - अग्रिम अनुमान

अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि सामान्यत: प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित की जाती है जिनका संबंध कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों से है।

[1] स्रोत: हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण, 2020-21

2016-17 से 2020-21 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय विकास को ***चार्ट 1.1 और 1.2*** में चित्रित किया गया है।

चार्ट 1.1: सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन (2016-17 से 2020-21)

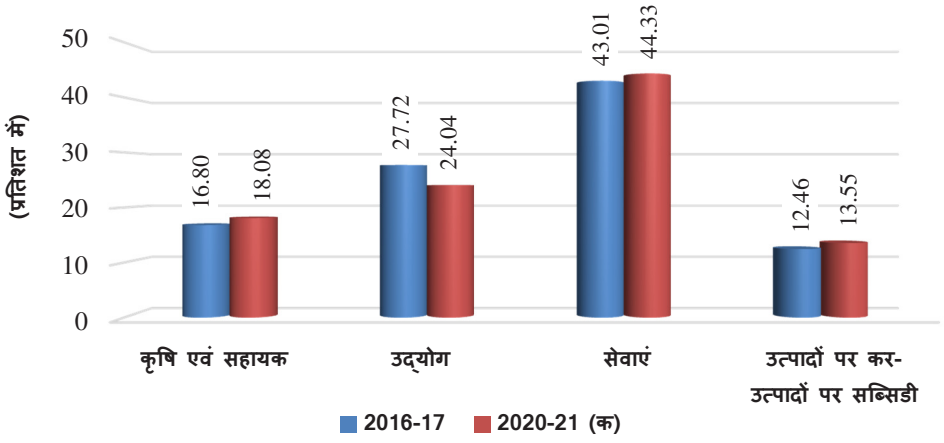

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, हरियाणा

चार्ट 1.2: सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय वृद्धि

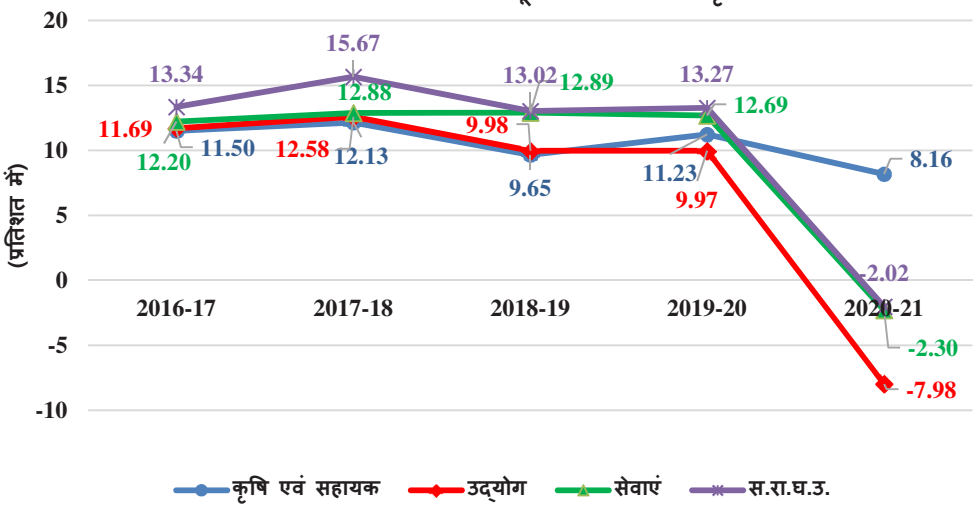

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, हरियाणा

1.2 राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार एक राज्य के लेखों से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं, जो उन्हें राज्य की विधानसभा के सामने प्रस्तुत करवाएंगे। राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत तैयार तथा प्रस्तुत किया जाता है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) वार्षिक तौर पर राज्य के वित्त लेखों एवं विनियोग लेखों को राजकोषों, कार्यालयों और राज्य सरकार के अधीन कार्य करने वाले विभागों, जो इन लेखों को रखने के उत्तरदायी हैं द्वारा प्रदान किए गए वाऊचरों, चालानों और प्रारंभिक एवं संबंधित लेखों एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणियों से तैयार करता है। इन लेखों की लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की जाती है, और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित की जाती है।

इस प्रतिवेदन के लिए मूल सामग्री राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य का बजट: राजकोषीय मानदंडों और आबंटन वरीयताओं अर्थात् परिपेक्ष्यों के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभाविकता और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के मूल्यांकन के लिए;
- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और राजकोषों का अन्य डाटा;
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद का डाटा और राज्य से संबंधित अन्य आंकड़े; और
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (रा.उ.ब.प्र.), भारत सरकार (भा.स.) के श्रेष्ठतम प्रचलनों और मार्गनिर्देशों के संदर्भ में भी विश्लेषण किया जाता है। राज्य के वित्त विभाग के साथ बैठक आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा दृष्टिकोण का वर्णन किया गया है और मसौदा प्रतिवेदन राज्य सरकार को टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किया गया (1 दिसंबर 2021)।

1.3 प्रतिवेदन की संरचना

राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संरचना निम्नलिखित पांच अध्यायों में की गई है:

अध्याय-1	**विहंगावलोकन** यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार एवं दृष्टिकोण का वर्णन करता है और अन्तर्निहित डाटा सरकारी लेखों की संरचना, बजट प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों का व्यापक वित्तीय विश्लेषण और घाटा/आधिक्य सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन करवाता है।
अध्याय-2	**राज्य के वित्त** यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिपेक्ष्य प्रदान करता है, गत वर्ष से संबंधित प्रमुख राजकोषीय सकल में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान कुल प्रवृतियां, राज्य के ऋण की रूपरेखा और मुख्य लोक लेखा लेनदेनों की राज्य के वित्त लेखों के आधार पर समीक्षा करता है।

अध्याय-3	**बजटीय प्रबंधन** यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है और राज्य सरकार के विनियोग आबंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदन करता है।
अध्याय-4	**लेखों और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रचलनों की गुणवत्ता** यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों एवं विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।
अध्याय-5	**राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम** यह अध्याय सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय निष्पादन पर चर्चा करता है जैसा कि उनके नवीनतम लेखों से पता चलता है।

1.4 सरकारी लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

भाग I: राज्य की समेकित निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार से प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, ऋण-पत्र, केंद्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि, इत्यादि को जारी विशेष प्रतिभूतियां), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋणों की अदायगी में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं। इस निधि से भारतीय संविधान में निहित कानून के अनुसार और उद्देश्य के अतिरिक्त किसी भी तरह से धन का विनियोग नहीं किया जा सकता। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण अदायगियां, इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर भारित (भारित व्यय) होते हैं और विधानसभा द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधानसभा द्वारा मतदान के अधीन है।

भाग II: राज्य की आकस्मिक निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जो कि राज्य विधानसभा द्वारा कानूनी रूप से स्थापित की जाती है और राज्यपाल के नियंत्रण में, विधानसभा के अनुमोदन के लंबित रहते आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यशील मुख्य शीर्ष के व्यय को डेबिट करके की जाती है।

भाग III: राज्य के लोक लेखे (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपर्युक्त के अलावा, प्राप्त सभी लोक धन जो कि सरकार द्वारा अथवा सरकार के पक्ष में प्राप्त होता है जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा को जमा किए जाते हैं। लोक लेखा में लघु बचतें और भविष्य निधियां, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित) अग्रिम, आरक्षित निधियां (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित) प्रेषण और उचंत शीर्ष (जो कि दोनों, अंतिम निपटान के लंबित रहते हस्तांतरण शीर्ष हैं) जैसे वापसी योग्य सम्मिलित हैं। सरकार के पास

उपलब्ध शुद्ध रोकड़ शेष भी लोक लेखा के अधीन शामिल है। लोक लेखा विधानसभा के मतदान का विषय नहीं है।

बजट दस्तावेज

भारत में एक संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202) कि राज्य के सदन के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय की एक विवरणी प्रस्तुत की जाती है। 'वार्षिक वित्तीय विवरणी' में मुख्य बजट दस्तावेज हैं। आगे, बजट में राजस्व लेखा पर व्यय को अन्य व्ययों से अलग होना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, केंद्रीय करों/शुल्कों का हिस्सा और भारत सरकार से अनुदान शामिल होते हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। इसका संबंध सरकारी और अन्य सेवाओं के सामान्य कार्यचालन हेतु सरकार द्वारा ऋण पर किए गए ब्याज भुगतानों, विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदानों (यद्यपि कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के सृजन हेतु हो सकते हैं) हेतु किए गए व्यय से है।

पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं:

- **ऋण प्राप्तियां:** बाजार ऋण, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेनदेन और केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम, इत्यादि।

- **गैर-ऋण प्राप्तियां:** विनिवेश से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां।

पूंजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश और भारत सरकार द्वारा सा.क्षे.उ. और अन्य दलों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर किए गए व्यय शामिल हैं।

वर्तमान में, हमारे पास सरकार में एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	लेन-देन की विशेषता	**वर्गीकरण**
लेखा महानियंत्रक द्वारा प्रमुख और लघु शीर्षों की सूची में मानकीकृत	कार्य - शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि/विभाग	अनुदानों के अंतर्गत प्रमुख शीर्ष (4-अंक)
	उप-कार्य	उप-प्रमुख शीर्ष (2-अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंक)
राज्यों के लिए छोड़ा गया लचीलापन	योजना	उप-शीर्ष (2-अंक)
	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	उद्देश्य शीर्ष - वेतन, लघु निर्माण कार्य, इत्यादि (2-अंक)

सरकारी लेखे की संरचना

चार्ट 1.3: सरकारी लेखे की संरचना

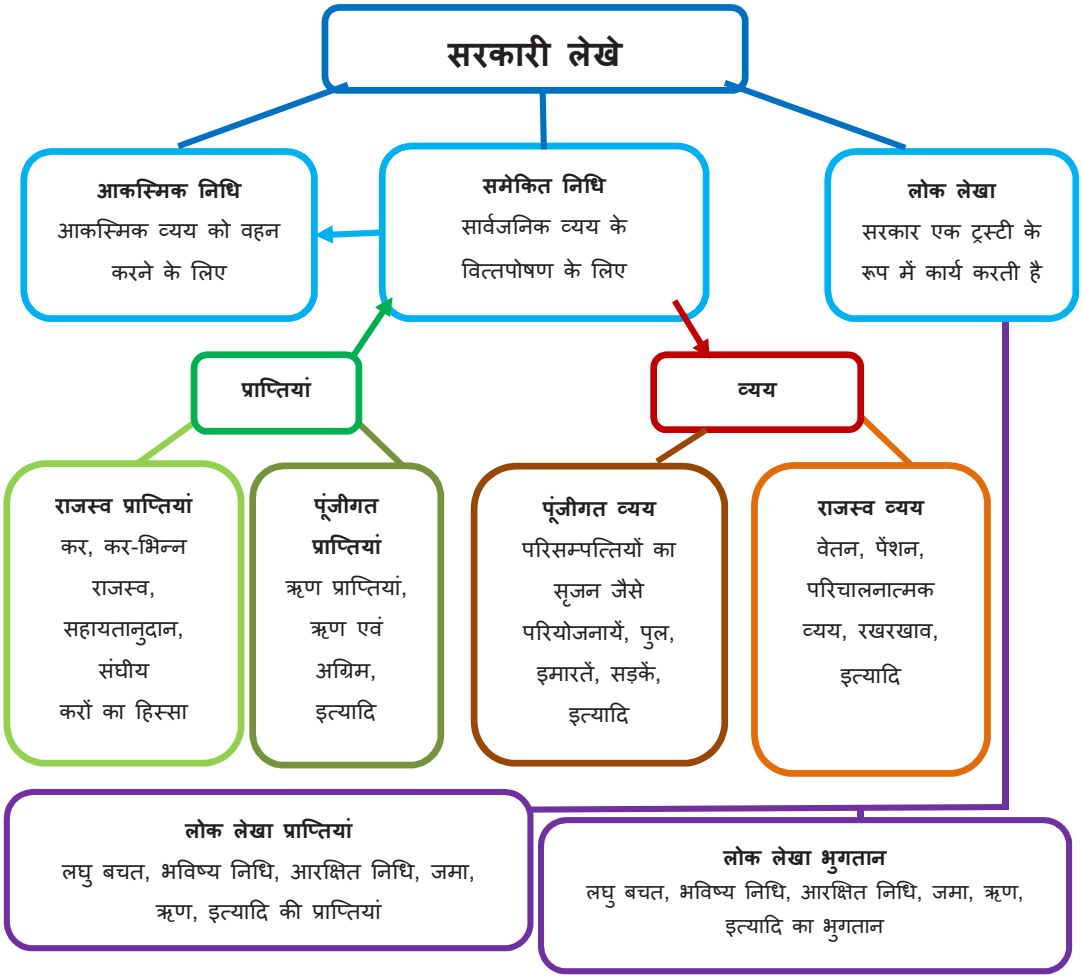

स्रोत: बजट मैनुअल पर आधारित

बजटीय प्रक्रियाएं

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय की विवरणी को **वार्षिक वित्तीय विवरणी** के रूप में राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करवाना है। अनुच्छेद 203 के अनुसार, विवरणी राज्य विधानसभा को अनुदानों/विनियोगों के लिए मांग के रूप में प्रस्तुत की जाती है और इनके अनुमोदन के बाद समेकित निधि में से अपेक्षित धन के विनियोग प्रदान करने हेतु अनुच्छेद 204 के अंतर्गत विधानसभा द्वारा विनियोग बिल पारित किया जाता है।

हरियाणा में लागू पंजाब बजट मैनुअल बजट तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को बजटीय अनुमान तैयार करने और इसके व्यय की गतिविधियों की निगरानी करने में मार्गनिर्देश देता है। बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहलों के क्रियान्वयन का विवरण इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में दिया गया है।

1.4.1 वित्तों के स्नैपशॉट

तालिका 1.2 में वर्ष 2020-21 के वास्तविक वित्तीय परिणामों से बजट अनुमानों की तुलना के साथ 2019-20 के वास्तविक की तुलना का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.2: बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणामों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2019-20 (वास्तविक)	2020-21 (बजट अनुमान)	2020-21 (वास्तविक)	वास्तविक से बजट अनुमान की प्रतिशतता	वास्तविक से स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता
1	कर राजस्व	42,824.95	52,095.65	41,913.80	80.46	5.48
2	कर-भिन्न राजस्व	7,399.74	15,428.22	6,961.49	45.12	0.91
3	संघीय करों/शुल्कों का अंश	7,111.53	8,484.82	6,437.59	75.87	0.84
4	सहायता अनुदान एवं अंशदान	10,521.91	13,955.45	12,248.13	87.77	1.60
5	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)**	**67,858.13**	**89,964.14**	**67,561.01**	**75.10**	**8.83**
6	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	5,392.63	356.23	431.95	121.26	0.06
7	अन्य प्राप्तियां	54.01	3,750.00	62.96	1.68	0.01
8	उधार एवं अन्य देयताएं (क)	30,518.62	25,681.60	29,486.08	114.81	3.86
9	**पूंजीगत प्राप्तियां (6+7+8)**	**35,965.26**	**29,787.83**	**29,980.99***	**100.65**	**3.92**
10	**कुल प्राप्तियां (5+9)**	**1,03,823.39**	**1,19,751.97**	**97,542.00**	**81.45**	**12.75**
11	**राजस्व व्यय (ख)**	**84,848.21**	**1,05,338.09**	**89,946.60**	**85.39**	**11.76**
12	ब्याज भुगतान	15,588.01	18,137.58	17,114.67	94.36	2.24
13	**पूंजीगत व्यय (ग)**	**18,975.18**	**14,413.88**	**6,795.40**	**47.14**	**0.89**
14	पूंजीगत परिव्यय	17,665.93	13,201.37	5,869.70	44.46	0.77
15	ऋण एवं अग्रिम	1,309.25	1,212.51	925.70	76.35	0.12
16	**आकस्मिक निधि का विनियोजन**	**-**	**-**	**800.00**	**-**	**0.10**
17	**कुल व्यय (11+13+16)**	**1,03,823.39**	**1,19,751.97**	**97,542.00**	**81.45**	**12.75**
18	**राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+) (5-11)**	**(-) 16,990.08**	**(-) 15,373.95**	**(-) 22,385.59**	**145.61**	**(-) 2.93**
19	**राजकोषीय घाटा (-)/ आधिक्य (+) {(5+6+7)-17}**	**(-) 30,518.62**	**(-) 25,681.60**	**(-) 29,486.08**	**114.81**	**(-) 3.86**
20	**प्राथमिक घाटा(-)/ आधिक्य (+) (19-12)**	**(-) 14,930.61**	**(-) 7,544.02**	**(-) 12,371.41**	**163.99**	**(-) 1.62**

स्रोत: **संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और बजट एक नजर में।**

(क) ***उधार एवं अन्य देयताएं: लोक ऋण के निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + आकस्मिक निधि का निवल + लोक लेखे के निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारंभिक एवं अंतिम नकद शेष के निवल।***

(ख) ***राजस्व खाते पर व्यय में ब्याज भुगतान शामिल हैं।***

(ग) ***पूंजीगत लेखों पर व्यय में पूंजीगत व्यय और वितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।***

***** **इसमें वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल हैं।**

वस्तु एवं सेवा कर मुआवजा, वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत राज्य सरकार का राजस्व है। हालांकि, वर्ष 2020-21 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे में अपर्याप्त शेष के कारण राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 5,065.81 करोड़ का वस्तु एवं सेवा कर मुआवजा प्राप्त करने के अतिरिक्त हरियाणा राज्य को राज्य सरकार की ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत ₹ 4,352 करोड़ का बैक-टू-बैक ऋण भी प्राप्त हुआ, जिसमें राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं थी।

1.4.2 सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का स्नैपशॉट

सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हैं। 31 मार्च 2021 तक ऐसी देयताओं और परिसंपत्तियों का सार गत वर्ष की तत्कालीन स्थिति से तुलना को ***परिशिष्ट 1.2*** में दर्शाया गया है। देयताओं में मुख्यत: आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखों और आरक्षित निधियों से प्राप्तियां शामिल होती हैं और परिसंपत्तियों में मुख्यत: पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम और नकद शेष शामिल होते हैं जैसा कि ***तालिका 1.3*** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं					परिसंपत्तियां				
		31 मार्च 2020 को	**31 मार्च 2021 को**	**प्रतिशत वृद्धि**			**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2021 को**	**प्रतिशत वृद्धि**
समेकित निधि									
क	आंतरिक कर्ज	1,83,785.60	2,03,958.21	10.98	क	सकल पूंजीगत परिव्यय	1,12,228.40	1,18,035.14	5.17
ख	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,705.45	5,851.97*	243.13	ख	ऋण एवं अग्रिम	7,390.30	7,884.05	6.68
आकस्मिक निधि		**200.00**	**1,000.00**	**400.00**					
लोक लेखा									
क	लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	16,962.46	17,996.91	6.10	क	अग्रिम	0.74	0.74	0.00
ख	जमा	7,921.80	9,471.56	19.56	ख	प्रेषण	-	-	-
ग	आरक्षित निधियां	8,494.35	7,823.91	(-)7.89	ग	उचंत एवं विविध	70.49	24.24	(-)65.61
घ	प्रेषण	273.74	312.85	14.29	**नकद शेष (चिह्नित निधि में निवेश सहित)**		**3,999.47**	**3,147.94**	**(-)21.29**
					कुल		**1,23,689.40**	**1,29,092.11**	**4.37**
					राजस्व लेखा में घाटा		**95,654.00**	**1,17,323.30**	**22.65**
कुल		**2,19,343.40**	**2,46,415.41**	**12.34**	**कुल**		**2,19,343.40**	**2,46,415.41**	**12.34**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* **इसमें वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल हैं।**

1.5 राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

जब सरकार एकत्र राजस्व से अधिक व्यय करती है तो यह घाटा होता है। ऐसे कई उपाय हैं जो सरकारी घाटे को अधिकृत करते हैं।

घाटे का वित्तपोषण उधार द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए जिससे सरकारी ऋण में वृद्धि होगी। घाटे और ऋण की धारणाओं में निकट का संबंध है। घाटे को एक प्रवाह के रूप में माना जा सकता है जो ऋण स्टॉक में वृद्धि करता है। यदि सरकार साल-दर-साल उधार लेना जारी रखती

है तो इसके परिणामस्वरूप ऋण का संचय होगा और सरकार को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक भुगतान करना पड़ेगा। ये ब्याज भुगतान स्वयं ऋण में योगदान करेंगे।

उधार लेकर सरकार कम हुए उपभोग का भार भावी पीढ़ियों पर स्थानांतरित कर देती है। यह इसलिए है क्योंकि यह वर्तमान में रहने वाले लोगों को बॉण्ड जारी करके उधार लेती है परंतु कुछ बीस वर्ष बाद कर बढ़ाकर या व्यय कम करके बॉण्डस चुकाने का निर्णय ले सकती है। साथ ही सरकार द्वारा लोगों से उधार लेने के कारण निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध बचतों को भी कम करता है। इस हद तक कि यह पूंजी निर्माण और विकास को कम करता है, ऋण भावी पीढ़ियों पर 'भार' के रूप में कार्य करता है।

हालांकि, यदि सरकारी घाटे उनके उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य में सफल हों तो और अधिक आय होगी और इसलिए अधिक बचत होगी। इस मामले में सरकार और उद्योग दोनों अधिक उधार ले सकते हैं। इसके अलावा, यदि सरकार मूलभूत संरचना में निवेश करती है, भावी पीढ़ी बेहतर हो सकती है, बशर्ते ऐसे निवेश पर रिटर्न ब्याज दर से अधिक हो। उत्पादन में वृद्धि से वास्तवित ऋण का भुगतान किया जा सकता है। तब ऋण को भार नहीं समझा जाएगा। ऋण में वृद्धि को समग्र रूप से अर्थव्यवस्था (राज्य सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि से आंकना होगा।

सरकारी घाटे को करों में वृद्धि या व्यय में कमी द्वारा कम किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शेयरों की बिक्री के माध्यम से भी प्राप्तियां बढ़ाने का प्रयास किया गया है। हालांकि, अधिक बल सरकारी व्यय में कमी की तरफ ही रहा है। सरकारी गतिविधियों को कार्यक्रमों की बेहतर योजना और बेहतर प्रशासन के माध्यम से अधिक कुशल बनाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है।

हरियाणा में राजस्व घाटा दूर करने और राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा में रखने के उद्देश्य से 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 06 जुलाई 2005 को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम करके राज्य सरकार ने राजकोषीय सुधार एवं समेकन को प्राथमिकता दी। 14वें वित्त आयोग ने हरियाणा को राजस्व आधिक्य वाला राज्य मान लिया है और तदनुसार राजकोषीय घाटे और निवल उधारों के लक्ष्यों की सिफारिश की है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत 2015-16 से 2020-21 की अवधि के लिए कोई अनुमान नहीं लगाया गया था। हालांकि, एक राजस्व घाटे का राज्य होते हुए हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में आगामी आवश्यक संशोधन अभी तक नहीं किए गए क्योंकि इस संबंध में राज्य सरकार ने भारत सरकार से मार्गदर्शन मांगा था।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन और विशिष्ट राज्य स्तरीय सुधारों के कार्यान्वयन की शर्त के अधीन 2020-21 के दौरान राज्य सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत (राज्य सकल घरेलू उत्पाद के पांच प्रतिशत तक) के अतिरिक्त दो प्रतिशत उधार लेने की अनुमति दी है। तदनुसार, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सितंबर 2020 में अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन किया था क्योंकि राज्य सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत के अतिरिक्त दो प्रतिशत (राज्य सकल घरेलू उत्पाद के पांच प्रतिशत तक) राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में अतिरिक्त एक प्रतिशत की अनुमति राज्य के

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन और निम्नलिखित विशिष्ट राज्य स्तरीय सुधारों के कार्यान्वयन की शर्त के अधीन है:

(i) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन;

(ii) व्यापार करने में आसानी में सुधार;

(iii) शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुधार; तथा

(iv) विद्युत क्षेत्र में सुधार।

प्रत्येक सुधार का भार राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 0.25 प्रतिशत कुल मिलाकर एक प्रतिशत था। तदनुसार, वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे के लिए वैधानिक लचीली सीमा ₹ 38,244 करोड़ (राज्य सकल घरेलू उत्पाद का पांच प्रतिशत) है। तथापि, यह सीमा ₹ 30,595 करोड़ (राज्य सकल घरेलू उत्पाद का चार प्रतिशत) के रूप में ली गई है क्योंकि एक प्रतिशत लचीली सीमा (₹ 7,649 करोड़) हेतु पात्र होने के लिए सुधारों के कार्यान्वयन की जानकारी राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की गई थी, जिसके विरूद्ध ₹ 29,486 करोड़ का राजकोषीय घाटा वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत मानक निर्धारण के भीतर था।

14वें वित्त आयोग ने 2015-16 से 2019-20 की अवधि हेतु राज्य के लिए वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 15.73 प्रतिशत की दर पर औसत वार्षिक वृद्धि दर प्रक्षेपित की है और 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 की अवधि के लिए 11.50 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर प्रक्षेपित की है। मुख्य राजकोषीय घटकों के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, बजट प्रावधानों तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) के लक्ष्यों का तुलनात्मक अध्ययन ***तालिका 1.4*** तथा ***तालिका 1.5*** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: प्रक्षेपणों से प्रमुख तथा राजकोषीय संकेतकों में भिन्नताएं (स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता)

राजकोषीय संकेतक	2020-21						
	15वें वित्त आयोग द्वारा यथा निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पांच वर्षीय राजकोषीय योजना/ म.अ.रा.नी. में किए गए प्रक्षेपण	वास्तविक	प्रक्षेपणों से वास्तविकों की भिन्नता		
					15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	पांच वर्षीय राजकोषीय योजना/ म.अ.रा.नी. के प्रक्षेपण
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(+) 0.78	(-) 1.64	(-) 1.51	(-) 2.93	(-) 3.71	(-) 1.29	(-) 1.42
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-) 2.70	(-) 2.73	(-) 4.00	(-) 3.86	(-) 1.16	(-) 1.13	(-) 0.14
कुल बकाया ऋण का स.रा.घ.उ. से अनुपात*	31.90	21.14	21.14	31.21	(-) 0.69	(+) 10.07	(+) 10.07

* **वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।**

वित्त लेखों के अनुसार कुल बकाया ऋण अनुपात से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 31.78 प्रतिशत है। हालांकि, कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,352 करोड़ के वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे को छोड़कर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (31.21 प्रतिशत) के लिए ऋण की गणना की गई है, क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इसे किसी भी मानदंड के लिए राज्य सरकार के ऋण के

रूप में नहीं माना जाएगा जो वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

तालिका 1.5: 2020-21 के लिए वास्तविकों की तुलना में मध्य अवधि राजकोषीय नीति में प्रक्षेपण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय संकेतक	म.अ.रा.नी. के अनुसार प्रक्षेपण	वास्तविक (2020-21)	भिन्नता (प्रतिशत में)
1	स्व कर राजस्व	52,095.65	41,913.80	(-) 19.54
2	कर-भिन्न राजस्व	15,428.22	6,961.49	(-) 54.88
3	केंद्रीय करों का हिस्सा	8,484.82	6,437.59	(-) 24.13
4	भारत सरकार से सहायता अनुदान	13,955.45	12,248.13	(-) 12.23
5	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)	89,964.14	67,561.01	(-) 24.90
6	राजस्व व्यय	1,05,338.09	89,946.60	(-) 14.61
7	राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+) (5-6)	(-)15,373.95	22,385.59	(-) 45.61
8	राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-)25,681.60	29,486.08	(-) 14.81
9	ऋण - स.रा.घ.उ. अनुपात (प्रतिशत)	21.14	31.21*	(+) 10.07
10	वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 2.02	(-) 2.02	-

* **वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।**

चार्ट 1.4 तथा चार्ट 1.5 2016-21 की अवधि में घाटे के संकेतकों में रूझान प्रस्तुत करते हैं।

चार्ट 1.4: घाटे की प्रवृतियां (₹ करोड़ में)

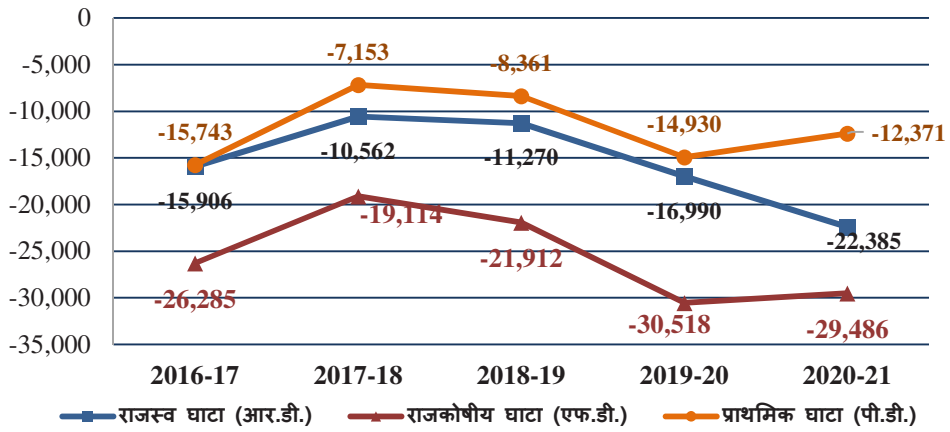

चार्ट 1.5: घाटे की प्रवृतियां (स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता में)

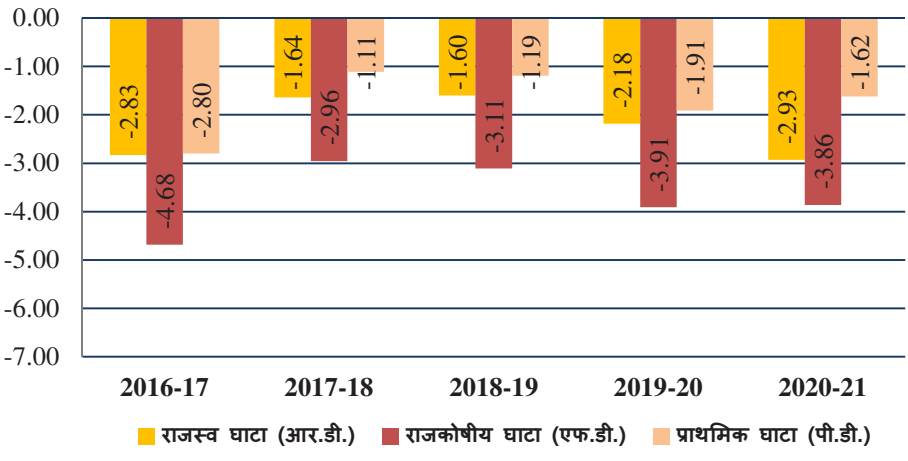

- **राजस्व घाटा,** जो राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता को इंगित करता है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार 2011-12 तक शून्य तक लाया जाना था और 2014-15 तक शून्य पर स्थिर रखना था। राजस्व घाटा जो 2019-20 के दौरान ₹ 16,990 करोड़ था बढ़कर ₹ 22,385 करोड़ हो गया और ₹ 15,374 करोड़ के बजट प्रक्षेपणों से अधिक था।

  ₹ 22,385 करोड़ का राजस्व घाटा इंगित करता है कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी और उधार ली गई धनराशि का उपयोग पूंजीगत सृजन की जगह वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था।

- **राजकोषीय घाटा** जो 2019-20 में ₹ 30,518 करोड़ था, 2020-21 के दौरान मामूली रूप से घटकर ₹ 29,486 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा, मध्य अवधि राजकोषीय नीति में चार प्रतिशत और बजट प्रक्षेपणों में 2.73 प्रतिशत के नियत लक्ष्य के विरूद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.86 प्रतिशत था।

- **प्राथमिक घाटा** 2019-20 में ₹ 14,930 करोड़ से घटकर 2020-21 में ₹ 12,371 करोड़ हो गया। प्राथमिक घाटे की विद्यमानता इंगित करती है कि राज्य को अपनी उधार ली गई निधियों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए भी धन उधार लेने की आवश्यकता होगी।

- **प्राथमिक राजस्व शेष** राज्य की राजस्व प्राप्तियों और ब्याज भुगतानों रहित राजस्व व्यय के अंतर को दर्शाता है। यह आकलन करता है कि राज्य की राजस्व प्राप्तियां किस हद तक ब्याज का भुगतान करने में सक्षम थी। 2020-21 में, राज्य में ₹ 5,270 करोड़ का प्राथमिक राजस्व घाटा दर्ज किया गया।

1.6 लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण

1.6.1 राजस्व और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

वास्तविक घाटे के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा न करने, नई पेंशन स्कीम में कम योगदान, ऋण शोधन और मोचन निधियों आदि के प्रभाव की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि पेंशन स्कीम में कम योगदान, समेकित ऋण शोधन निधि में योगदान न होना, खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि और राजकीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि में ब्याज का समायोजन न होने के कारण राजस्व एवं राजकोषीय घाटा ₹ 1,166.89 करोड़ कम दर्शाया गया था, जैसा कि ***तालिका 1.6*** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: राजस्व एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव (अवकथित) (₹ करोड़ में)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (अवकथित) (₹ करोड़ में)	निवल प्रभाव लेने से पहले अनुपात (प्रतिशत में)		निवल प्रभाव लेने के बाद अनुपात (प्रतिशत में)	
			राजस्व घाटा/ स.रा.घ.उ.	राजकोषीय घाटा/ स.रा.घ.उ.	राजस्व घाटा/ स.रा.घ.उ.	राजकोषीय घाटा/ स.रा.घ.उ.
परिभाषित अंशदाई पेंशन योजना में राज्य सरकार द्वारा कम योगदान	11.70	11.70	2.93	3.86	3.08	4.01
समेकित ऋण शोधन निधि में योगदान न देना	1,077.81	1,077.81				
खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि को कम अंशदान तथा शेषों पर ब्याज समायोजित न करना	33.77	33.77				
राजकीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि शेषों पर ब्याज समायोजित न करना	43.61	43.61				
कुल	**1,166.89**	**1,166.89**				

स्रोत: वित्त लेखे

उपर्युक्त से राज्य सरकार के राजस्व एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव पड़ा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में राजस्व घाटा 0.15 प्रतिशत अंक से कम जबकि राजकोषीय घाटा भी 0.15 प्रतिशत अंक कम बताया गया।

1.6.2 लेखापरीक्षा पश्चात - कुल लोक ऋण

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, कुल देयताओं का अर्थ है राज्य की समेकित निधि और राज्य के लोक लेखा के तहत देयताएं इसमें सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा उधार, विशेष प्रयोजन वाहनों और गारंटी सहित अन्य समकक्ष उपकरणों जहां मूल और/या ब्याज राज्य बजट में से निकाले जाने हैं। लंबित ऋणों/देयताओं को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है जैसा कि ***तालिका 1.7*** में दिया गया है।

तालिका 1.7: बकाया ऋण/देयताओं के घटक

(₹ करोड़ में)

समेकित निधि पर देयताएं (लोक ऋण)	राशि
आंतरिक ऋण (क)	**2,03,958.21**
ब्याज वाले बाजार ऋण	1,61,214.18
बिना ब्याज वाले बाजार ऋण	2.26
प्रतिकर और अन्य बांड	25,950.00
अन्य संस्थानों इत्यादि से ऋण	7,857.40
केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	8,360.73
अन्य	573.64
केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम (ख)	**5,851.97***
गैर-योजना ऋण	37.04
राज्य योजना स्कीमों के लिए ऋण	970.02
अन्य	4,844.91
लोक लेखों पर देयताएं (ग)	**33,538.31**
लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	17,996.91
जमा	9,471.56
आरक्षित निधियां	5,781.23
उचंत एवं विविध शेष	(-) 24.24
प्रेषण शेष	312.85
कुल (क+ख+ग)	**2,43,348.49**

स्रोत: वित्त लेखे

* **इसमें वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल हैं।**

राज्य के कुल लंबित ऋणों/देयताओं को उचंत, विविध एवं प्रेषण शेष के लेखों में सम्मिलित न करके ₹ 288.61 करोड़ कम दर्शाया गया है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता 0.04 प्रतिशत कम दर्शाई गई है। बकाया ऋण का अनुपात सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 31.21[2] प्रतिशत है जिसमें उचंत तथा प्रेषण शेष सम्मिलित नहीं है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा कुल देयताओं का अनुपात मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी और बजट के अंतर्गत 21.14 प्रतिशत के मानक निर्धारण की तुलना में 31.25 प्रतिशत की दर अधिक था।

इसके अतिरिक्त हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.एच.सी.एल.) ने राज्य सरकार की गारंटी के विरूद्ध हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) से ₹ 550 करोड़ (अक्तूबर 2015) और ₹ 300 करोड़ (जनवरी 2011) की राशि के दो ऋण जुटाए। गृह विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा जारी संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार मूलधन एवं ब्याज का पुनर्भुगतान ऋण अनुबंध के अनुसार किया जाएगा तथा राज्य सरकार हुडको को पुनर्भुगतान करने के लिए ब्याज सहित ऋण अनुबंध में निर्धारित राशि के अनुसार बजट में वार्षिक आवंटन करेगी। इसके अलावा, वित्त विभाग मूलधन और ब्याज दोनों के पुनर्भुगतान के लिए हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड को अपेक्षित निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियों में ऋण के मूलधन एवं ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए राशि जारी करना बजट एवं लेखों में सहायता अनुदान के रूप में दिखाया गया है जो कि हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 का उल्लंघन है और इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2021 को हुडको के प्रति हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड की लेखा बहियों में ₹ 405.75 करोड़ के इन बकाया ऋणों के कारण राज्य के लेखों में सरकारी देयताओं को कम बताया गया।

वर्ष 2020-21 के दौरान हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने वर्ष के आरंभ अर्थात् 01 अप्रैल 2020 में ₹ 419.50 करोड़ के बकाया ऋणों के विरूद्ध हुडको को इन ऋणों के लिए ₹ 63.75 करोड़ (₹ 22.50 करोड़ + ₹ 41.25 करोड़) की राशि का पुनर्भुगतान किया। वर्ष के अंत अर्थात् 31 मार्च 2021 को ₹ 405.75 करोड़ का बकाया ऋण शेष छोड़ते हुए वर्ष के दौरान ₹ 50 करोड़ के ऋण जुटाए गए।

[2] वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।

अध्याय-2

राज्य के वित्त

अध्याय 2: राज्य के वित्त

2.1 प्रमुख राजकोषीय संचय में मुख्य परिवर्तन

2019-20 की तुलना में 2020-21 में प्रमुख राजकोषीय संचय में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 0.44 प्रतिशत की कमी आई ✓ राज्य की स्व कर प्राप्तियों में 2.13 प्रतिशत की कमी आई ✓ स्व कर-भिन्न प्राप्तियों में 5.93 प्रतिशत की कमी आई ✓ केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा 9.46 प्रतिशत घट गया ✓ भारत सरकार से सहायता अनुदान में 16.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई
राजस्व व्यय	✓ राजस्व व्यय में 6.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 8.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 0.99 प्रतिशत की कमी आई ✓ 2020-21 के दौरान सहायता अनुदान पर कोई व्यय नहीं हुआ
पूंजीगत व्यय	✓ पूंजीगत व्यय में 66.77 प्रतिशत की कमी आई ✓ सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 33.79 प्रतिशत की कमी आई ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 7.67 प्रतिशत की कमी आई ✓ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 81.97 प्रतिशत की कमी आई
ऋण एवं अग्रिम	✓ ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 29.26 प्रतिशत की कमी आई ✓ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 91.99 प्रतिशत की कमी आई
लोक ऋण	✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 11.33 प्रतिशत* की वृद्धि हुई ✓ लोक ऋण की अदायगी में 86.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक लेखा	✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 22.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ लोक लेखा संवितरण में 19.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई
नकद शेष	✓ पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान नकद शेष में ₹ 851.53 करोड़ (21.29 प्रतिशत) की कमी आई

* **वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।**

2.2 निधियों के स्रोत एवं उपयोग

पिछले वर्ष (2019-20) की तुलना में चालू वर्ष (2020-21) के दौरान निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का सार ***तालिका 2.1*** में दिया गया है।

तालिका 2.1: 2019-20 और 2020-21 के दौरान निधियों के स्रोतों एवं उपयोग के विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2019-20	2020-21	वृद्धि/कमी (प्रतिशतता)
स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रारंभिक नकद शेष	2,985.55	3,999.47	1,013.92 (34)
	राजस्व प्राप्तियां	67,858.13	67,561.01	(-)297.12 (0.44)
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	5,392.63	431.95	(-)4,960.68 (92)
	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	54.01	62.96	8.95 (17)
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)	28,656.31	24,319.13*	(-)4,337.18 (15)
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)	2,876.23	3,515.42	639.19 (22)
	कुल	**1,07,822.86**	**99,889.94**	**(-)7,932.92 (7)**
उपयोग	राजस्व व्यय	84,848.21	89,946.60	5,098.39 (6)
	पूंजीगत व्यय	17,665.93	5,869.70	(-)11,796.23 (67)
	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	1,309.25	925.70	(-)383.55 (29)
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास अंतिम नकद शेष	3,999.47	3,147.94	(-)851.53 (21)
	कुल	**1,07,822.86**	**99,889.94**	**(-)7,932.92 (7)**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* **इसमें वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल हैं।**

परिशिष्ट 2.1 में गत वर्ष के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों और समग्र राजकोषीय स्थिति के विवरण दिए गए हैं।

2020-21 के दौरान राज्य की समेकित निधि में निधियों की प्राप्ति एवं उपयोग का विवरण ***चार्ट 2.1 और चार्ट 2.2*** में दिया गया है।

चार्ट 2.1: संसाधनों की संरचना

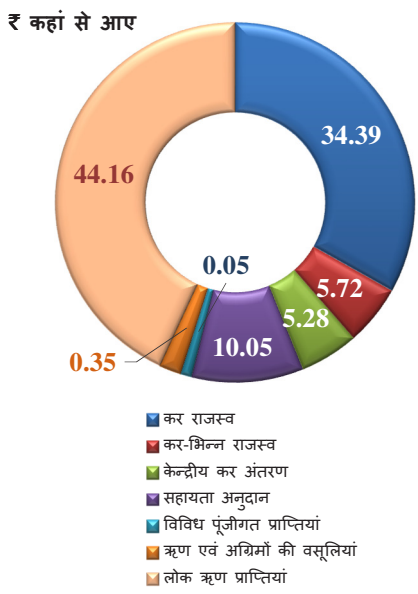

चार्ट 2.2: संसाधनों का उपयोग

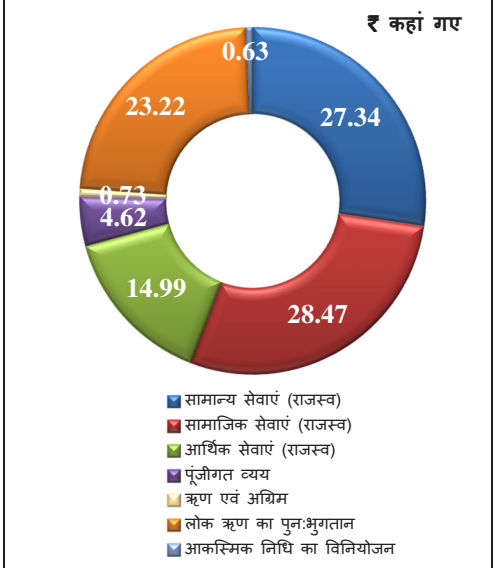

स्रोत: वित्त लेखे

* **इसमें वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल हैं।**

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का वर्णन नीचे दिया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायतानुदान शामिल होते हैं।

2. **पूंजीगत प्राप्तियों** में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

   राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की समेकित निधि का हिस्सा हैं।

3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियां:** कुछ लेनदेन जैसे लघु बचतें, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, जमा, उचंत, प्रेषण आदि के संबंध में प्राप्तियां एवं संवितरण हैं, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं हैं।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और ये राज्य विधानसभा द्वारा मतदान के अधीन नहीं होते। यहां, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के पास उपयोग के लिए उपलब्ध निधि है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियां

2016-21 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियां ***चार्ट 2.3*** में दी गई हैं जबकि 2020-21 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना को ***चार्ट 2.4*** में दर्शाया गया है। राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के अलावा, राज्य के घाटे को पूरा करने के लिए निवल लोक लेखा प्राप्तियों का भी उपयोग किया जाता है।

चार्ट 2.3: राज्य के संसाधनों में प्रवृत्तियां (₹ करोड़ में)

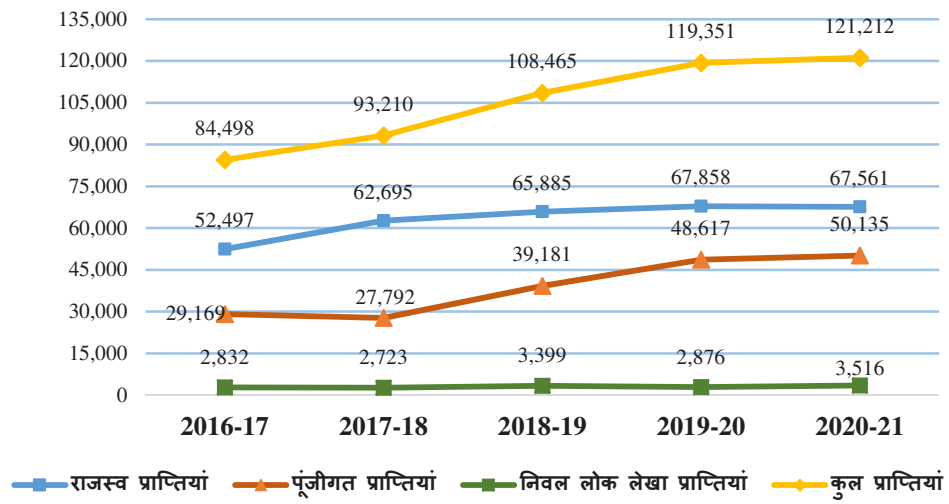

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.4: 2020-21 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना

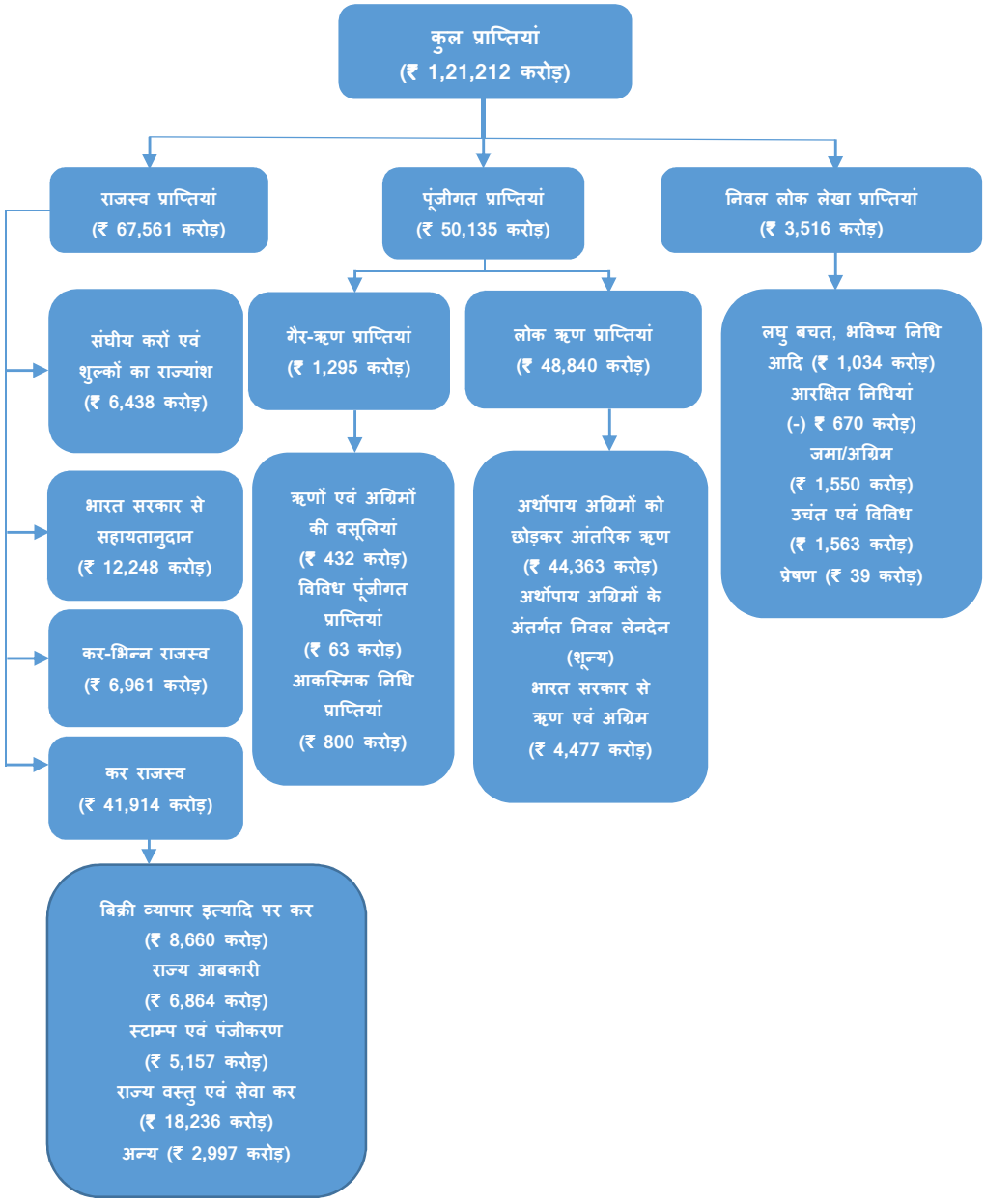

स्रोत: वित्त लेखे

* **इसमें वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल हैं।**

- **निवल लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 3,516 करोड़) = लोक लेखा प्राप्तियों (₹ 53,761 करोड़) में से लोक लेखा संवितरण (₹ 50,245 करोड़) के बाद।**
- **वर्ष 2020-21 में ₹ 800 करोड़ की प्राप्तियों को आकस्मिक निधि प्राप्तियों के रूप में शामिल किया गया ताकि हरियाणा की आकस्मिक निधि की वर्तमान सीमा ₹ 200 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 1,000 करोड़ की जा सके।**

सरकार की कुल प्राप्तियां 2016-17 की तुलना में 2020-21 में ₹ 36,714[1] करोड़ (43.45 प्रतिशत) बढ़ गईं। राजस्व प्राप्तियों ₹ 15,064 करोड़ (28.69 प्रतिशत) बढ़ गईं, पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 20,966

[1] इसमें 2020-21 में आकस्मिक निधि कोष के रूप में ₹ 800 करोड़ शामिल हैं।

करोड़ (71.88 प्रतिशत) बढ़ गईं, जिनमें ऋणों एवं अग्रिमों तथा लोक ऋण की वसूली शामिल हैं, और इसी अवधि के दौरान निवल लोक लेखा प्राप्तियां ₹ 684 करोड़ (24.15 प्रतिशत) बढ़ गईं।

2.3.2 राजस्व प्राप्तियां

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां एवं वृद्धि

2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजस्व उत्पलावकता के साथ-साथ राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां एवं वृद्धि ***तालिका 2.2*** में दी गई हैं और ***चार्ट 2.5*** एवं ***चार्ट 2.6*** में भी दर्शाई गई हैं। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संरचना को ***परिशिष्ट 2.2*** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.2: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

मानक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व प्राप्तियां (रा.प्रा.) (₹ करोड़ में)	52,497	62,695	65,885	67,858	67,561
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	10.39	19.43	5.09	2.99	(-)0.44
स्व कर राजस्व	34,026	41,099	42,581	42,825	41,914
कर-भिन्न राजस्व	6,196	9,113	7,976	7,400	6,961
स्व राजस्व (स्व कर एवं कर-भिन्न राजस्व) की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.72	24.84	0.69	(-)0.66	(-)2.69
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	5,61,424	6,44,963	7,04,957	7,80,612	7,64,872
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.30	14.88	9.30	10.73	(-)2.02
रा.प्रा./सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	9.35	9.72	9.35	8.69	8.83

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

यह देखा जा सकता है कि राज्य की राजस्व प्राप्तियों की वार्षिक वृद्धि दर 2016-17 में 10.39 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 2.99 प्रतिशत हो गई और 2020-21 में (-) 0.44 प्रतिशत ऋणात्मक हो गई क्योंकि राज्य सरकार के स्वयं के कर और कर-भिन्न राजस्व ने 2020-21 में 2.69 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई। 2016-21 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 2016-17 में 9.35 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 8.83 प्रतिशत हो गया।

चार्ट 2.5: 2016-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

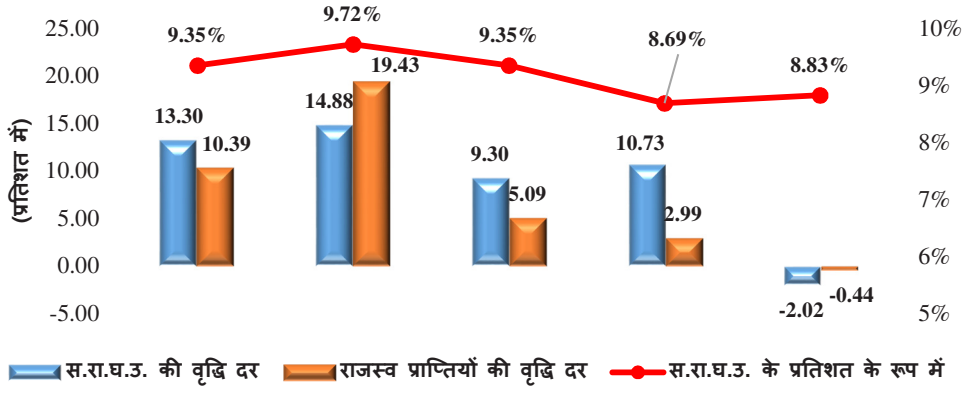

चार्ट 2.6: 2016-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति

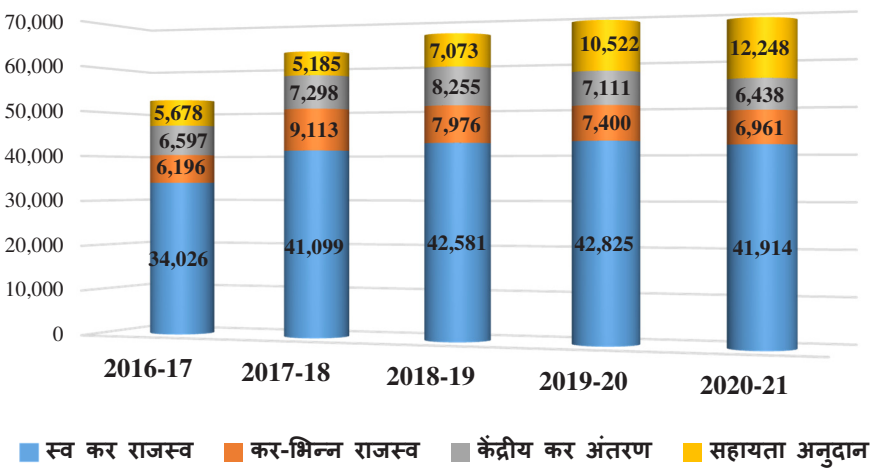

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान 28.69 प्रतिशत बढ़ गईं। इसी अवधि के दौरान राज्य का स्व कर राजस्व 23.18 प्रतिशत बढ़ गया, भारत सरकार से सहायता अनुदान 115.71 प्रतिशत बढ़ गया तथा केन्द्रीय कर अंतरण 2.41 प्रतिशत कम हो गया। राजस्व प्राप्ति में राज्य के स्व राजस्व (कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व) का अंश 2016-17 में 76.62 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 72.34 प्रतिशत रह गया। भारत सरकार से सहायता अनुदान का अंश 2016-17 में 10.82 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 18.13 प्रतिशत हो गया। केन्द्रीय कर अंतरण का अंश 2016-17 से 2020-21 के दौरान 12.57 प्रतिशत से घटकर 9.53 प्रतिशत हो गया।

चालू वर्ष के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में (-) 0.44 प्रतिशत की कमी हुई। राज्य का स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व ₹ 1,350 करोड़ (2.69 प्रतिशत) घट गया।

2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्यांश वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन अपने स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है जिसमें स्वयं के कर और कर-भिन्न स्रोत शामिल होते हैं।

(i) स्व कर राजस्व

राज्य के स्व कर राजस्व में राज्य वस्तु एवं सेवा कर (रा.व.से.क.), राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस, भू-राजस्व, माल एवं यात्रियों पर कर, इत्यादि शामिल हैं। प्रमुख करों एवं शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण ***तालिका 2.3*** में दिए गए हैं।

तालिका 2.3: राज्य के स्व कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	स्पार्कलाइन
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	23,488	15,609	8,998	8,398	8,660	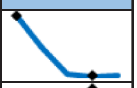
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0	10,833	18,613	18,873	18,236	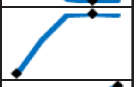
राज्य उत्पाद शुल्क	4,613	4,966	6,042	6,323	6,864	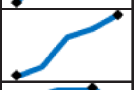
वाहनों पर कर	1,583	2,778	2,908	2,916	2,495	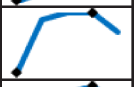
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	3,283	4,193	5,636	6,013	5,157	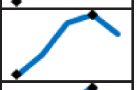
भू-राजस्व	16	18	19	20	17	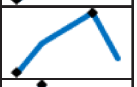
माल एवं यात्रियों पर कर	595	2,317	21	16	4	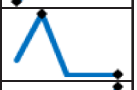
अन्य कर	448	385	344	266	481	
कुल	**34,026**	**41,099**	**42,581**	**42,825**	**41,914**	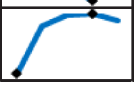

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

कर राजस्व में 2016-17 की तुलना में 2020-21 में ₹ 7,888 करोड़ (23.18 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। बिक्री, व्यापार आदि पर कर और राज्य उत्पाद शुल्क में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की गई। हालांकि, वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.), वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस पर कर 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कम हो गया।

राज्य का स्व कर राजस्व ₹ 41,914 करोड़ था जो बजट और मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) के अंतर्गत अनुमानों की तुलना में ₹ 10,182 करोड़ और 15वें वित्त आयोग द्वारा ₹ 65,285 करोड़ के मानक निर्धारण की तुलना में ₹ 23,371 करोड़ कम था।

(ii) राज्य वस्तु एवं सेवा कर (रा.व.से.क.)

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार राज्यों को पांच वर्ष के लिए आधार वर्ष से 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि पर विचार करते हुए वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न राजस्व में कमी के लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी। हरियाणा के मामले में, 2015-16 के आधार वर्ष के दौरान अंतिमकृत राजस्व आंकड़ा ₹ 15,230.59 करोड़ था।

2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान आधार वर्ष के आंकड़ों के अनुसार अनुमानित राजस्व, वास्तव में एकत्रित राजस्व और भारत सरकार से देय क्षतिपूर्ति तथा प्राप्त क्षतिपूर्ति ***तालिका 2.4*** में दी गई है।

तालिका 2.4: वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण तथा भारत सरकार से क्षतिपूर्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुमानित राजस्व राशि	एकत्रित राजस्व राशि	क्षतिपूर्ति की देय राशि	क्षतिपूर्ति की प्राप्त राशि	कमी
	1	2	3 = 1-2	4	5 = 3-4
2017-18[2]	14,845.26	13,225.69	1,619.57	1,199.00	420.57
2018-19	22,564.79	18,597.93	3,966.86	2,820.00	1,146.86
2019-20	25,723.86	18,944.61	6,779.25	5,453.43	1,325.82
2020-21	29,325.20	18,240.48[3]	11,084.72	9,417.81*	1,666.91
कुल	**92,459.11**	**69,008.71**	**23,450.40**	**18,890.24**	**4,560.16**

स्रोत: **संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) और आबकारी एवं कराधान विभाग से प्राप्त की गई सूचना**

* **इसमें वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल हैं।**

राज्य में वस्तु एवं सेवा कर के संग्रहण में वृद्धि, अनुमानित वृद्धि की तुलना में कम थी और 2017-21 के दौरान ₹ 92,459.11 करोड़ की अनुमानित वस्तु एवं सेवा कर की प्राप्ति के विरुद्ध ₹ 23,450.40 करोड़ की कुल कमी थी। भारत सरकार ने मार्च 2021 तक बैक-टु-बैक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ सहित मुआवजे के रूप में ₹ 18,890.24 करोड़ जारी किए हैं।

(iii) वस्तु एवं सेवा कर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क परिसरों में पैन-इंडिया डाटा तक पहुंच प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय को 22 जून 2020 को सूचित किया गया था। बैक-एंड सिस्टम को ऑनलाइन एक्सेस (पैन-स्टेट डेटा) के लिए दो आई.डी. आधारित पासवर्ड राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान किए गए थे (मार्च 2021)। राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग ने यह भी आश्वासन दिया कि जिला स्तर पर लेखापरीक्षा के दौरान शेष यूजर आई.डी. पासवर्ड लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा मार्च 2021 में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय को जी.एस.टी.एन. डाटा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। इसलिए, वर्ष 2020-21 के लिए लेखाओं को नमूना-लेखापरीक्षा के आधार पर प्रमाणित किया गया है, जैसा कि तब किया जा रहा था जब अभिलेखों को मैन्युअल रूप से बनाया जा रहा था।

(iv) राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2021 तक राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों में राजस्व के बकाया की राशि ₹ 35,166.11 करोड़ थी जिसमें से ₹ 5,848.55 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया

[2] वर्ष 2017-18 की राशि जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक नौ माह की अवधि से संबंधित है।

[3] इसमें मुख्य शीर्ष 0040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर के अंतर्गत प्री-जी.एस.टी. की ₹ 4.22 करोड़ की राशि सम्मिलित है|

थे जैसाकि ***तालिका 2.5*** में दर्शाया गया है। विभिन्न चरणों में वसूली की स्थिति का विवरण ***परिशिष्ट 2.3*** में दिया गया है।

तालिका 2.5: 31 मार्च 2021 तक राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	कुल बकाया राशि	पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि
1	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	32,716.78	4,907.54
2	राज्य उत्पाद शुल्क	436.39	190.42
3	बिजली पर कर एवं शुल्क	364.60	184.75
4	स्थानीय क्षेत्र में आगमन पर वस्तुओं पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	206.44	197.17
5	पुलिस	128.86	40.91
6	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां	11.77	11.77
7	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	1,301.27	315.99
कुल		**35,166.11**	**5,848.55**

स्रोत: विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना

(v) निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, निर्धारण हेतु देय मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष के अंत में अंतिमकरण के लिए लंबित मामलों की संख्या के विवरण, जैसा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर के संबंध में प्रस्तुत किए गए हैं, ***तालिका 2.6*** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.6: निर्धारणों में बकाया

राजस्व शीर्ष	वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय निर्धारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 6 से 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2018-19	3,12,411	2,19,396	5,31,807	2,35,122	2,96,685	44
	2019-20	2,96,685	31,594	3,28,279	2,92,709	35,570	89
	2020-21	35,570	3,606	39,176	34,140	5,036	87

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

(vi) विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन का विवरण

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामलों, अंतिमकृत मामलों और अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया था, ***तालिका 2.7*** में दिए गए हैं।

तालिका 2.7: वर्ष 2020-21 के दौरान पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामलों के विवरण

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2020 तक लंबित मामले	2020-21 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूरी हुई तथा पेनल्टी आदि के साथ अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2021 तक अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग राशि (₹ करोड़ में)	
1	0039- राज्य उत्पाद शुल्क	290	1,662	1,952	1,820	20.87	132
2	0040- बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	1	114	115	115	0.84	शून्य

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

(vii) रिफंड मामले

वर्ष 2020-21 के आरंभ में लंबित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंडों तथा वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर लंबित मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, ***तालिका 2.8*** में दी गई है।

तालिका 2.8: वर्ष 2020-21 के दौरान रिफंड मामलों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	बकाया दावों का आरंभिक शेष	521	187.08	51	1.98
2	प्राप्त दावे	1,074	192.99	99	10.63
3	किए गए/समायोजित/अस्वीकृत रिफंड	1,115	260.72	111	10.38
4	बकाया दावों का अंतिम शेष	480	119.35	39	2.23

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

(viii) कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियां, विभागीय प्राप्तियां आदि शामिल होती हैं। 2016-17 से 2020-21 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियां ***तालिका 2.9*** में दी गई हैं।

तालिका 2.9: राज्य के कर-भिन्न राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	स्पार्कलाइन
ब्याज प्राप्तियां	2,310	2,228	1,954	1,975	1,562	
लाभांश एवं लाभ	6	8	57	87	163	
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	3,880	6,877	5,965	5,338	5,236	
क) प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई	113	132	164	172	210	
ख) सड़क परिवहन	1,265	1,280	1,197	1,115	585	
ग) शहरी विकास	599	2,861	2,316	1,855	1,954	
घ) शिक्षा	640	674	272	458	595	
ङ) अलौह खनन	497	713	583	702	1,021	
च) अन्य	766	1,217	1,433	1,036	871	
कुल	**6,196**	**9,113**	**7,976**	**7,400**	**6,961**	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2016-21 के दौरान कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां ₹ 765 करोड़ (12.35 प्रतिशत) बढ़ीं। कर-भिन्न राजस्व (₹ 6,961 करोड़) ने मुख्यत: शहरी विकास तथा अलौह खनन के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि द्वारा ऑफ सेट सड़क परिवहन (₹ 530 करोड़) के अंतर्गत कमी के कारण गत वर्ष से ₹ 439 करोड़ (5.93 प्रतिशत) की कमी दर्ज करते हुए 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्ति का 10.30 प्रतिशत संघटित किया। ₹ 1,562 करोड़ की ब्याज प्राप्तियों में सिंचाई परियोजना, अनाज आपूर्ति योजना तथा सड़क परिवहन पर ₹ 1,337 करोड़ का बही समायोजन शामिल है। बजट और मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में किए गए अनुमानों की तुलना में ₹ 8,467 करोड़ और 15वें वित्त आयोग द्वारा ₹ 9,897 करोड़ के मानक निर्धारण के प्रति ₹ 2,936 करोड़ की कमी है।

2.3.2.3 केंद्र से अंतरण

2011-12 से 2020-21 के दौरान केंद्र से अंतरण की प्रवृत्तियां ***चार्ट 2.7*** में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 2.7: केंद्र से अंतरण की प्रवृत्तियां

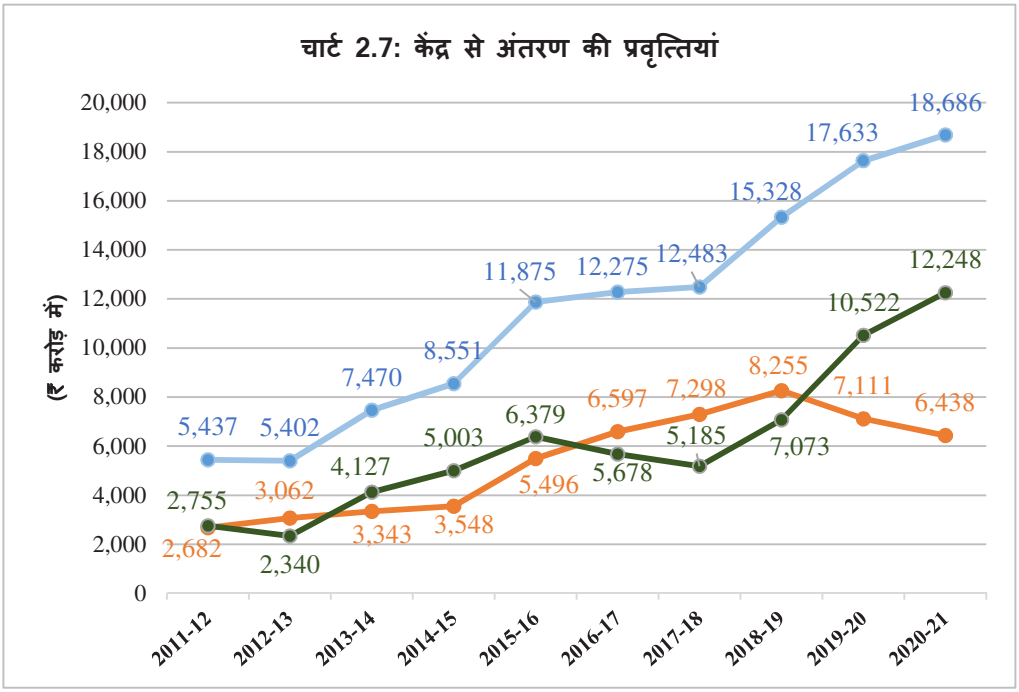

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

(i) केंद्रीय कर अंतरण

तेरहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से को 30.50 से 32 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्यांश क्रमशः 1.048 तथा 1.064 प्रतिशत तय किया गया था। चौदहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से को 32 से 42 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्यांश क्रमशः 1.084 तथा 1.091 प्रतिशत तय किया गया था। 15वें वित्त आयोग

ने राज्यों को केंद्रीय करों की बांटने योग्य राशि 42 से घटाकर 41 प्रतिशत करने की सिफारिश की।

केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश 2011-12 में ₹ 2,682 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 8,255 करोड़ हो गया और उसके बाद 2019-20 में ₹ 7,111 करोड़ से घटकर 2020-21 में ₹ 6,438 करोड़ हो गया जैसा कि ***तालिका 2.10*** में विवरण दिए गए हैं।

तालिका 2.10: केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश: बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक अंतरण

वर्ष	वित्त आयोग प्रक्षेपण	बजट अनुमान	वास्तविक कर हस्तांतरण	अंतर
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
2010-11	13वें वित्त आयोग के अनुसार, राज्य को केंद्रीय करों की साझा करने योग्य राशि का 32 प्रतिशत	2,194	2,302	108
2011-12		2,765	2,682	(-)83
2012-13		3,180	3,062	(-)118
2013-14		3,484	3,343	(-)141
2014-15		4,010	3,548	(-)462
2015-16	14वें वित्त आयोग के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय करों की साझा करने योग्य राशि का 42 प्रतिशत	5,680	5,496	(-)184
2016-17		6,189	6,597	408
2017-18		8,372	7,298	(-)1,074
2018-19		9,300	8,255	(-)1,045
2019-20		11,216	7,111	(-)4,105
2020-21	15वें वित्त आयोग के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय करों की साझा करने योग्य राशि का 41 प्रतिशत	8,485	6,438	(-)2,047

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2016-17 से 2020-21 तक केंद्रीय कर अंतरण का विवरण ***तालिका 2.11*** में दिया गया है।

तालिका 2.11: केंद्रीय कर अंतरण के विवरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)	--	104.36	2,037.54	2,018.07	1,907.46
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.)	--	737.08	162.60	--	--[4]
निगम कर	2,118.57	2,235.92	2,870.86	2,424.73	1,946.54
निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	1,472.41	1,888.08	2,114.27	1,899.93	1,996.13
सीमा शुल्क	911.33	736.90	585.17	450.77	338.27
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	1,040.65	770.20	388.87	313.42	215.83
सेवा कर	1,049.64	825.05	75.03	--	28.52
अन्य कर[5]	4.87	(-)0.07	20.26	4.61	4.84
केंद्रीय कर अंतरण	**6,597.47**	**7,297.52**	**8,254.60**	**7,111.53**	**6,437.59**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	20	11	13	(-)14	(-)9.48
राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय कर अंतरण की प्रतिशतता	13	12	13	10	9.53

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

[4] 2020-21 के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू आपूर्ति पर एकीकृत माल और सेवा कर के मामले में भारत सरकार द्वारा एकीकृत माल और सेवा कर (आई.जी.एस.टी.) की निवल प्राप्तियों के हिस्से का बंटवारा न करना।

[5] संपत्ति कर, आय तथा व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क कर सहित।

2019-20 के दौरान प्राप्त केंद्रीय करों का हिस्सा (₹ 6,437.59 करोड़) 2019-20 की तुलना में ₹ 673.94 करोड़ (9.48 प्रतिशत) कम था। यह बजट अनुमान 2020-21 (₹ 8,484.82 करोड़) में किए गए अनुमानों से ₹ 2,047.23 करोड़ कम है।

(ii) भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से सहायतानुदानों में पिछले वर्ष से 2020-21 में ₹ 1,726.22 करोड़ की बढ़ोतरी हुई जैसा कि ***तालिका 2.12*** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.12: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
गैर-योजनागत अनुदान	3,078.49	--	--	--	--
राज्य योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	2,327.52	--	--	--	--
केंद्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	34.50	--	--	--	--
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	237.07	2,326.62	2,843.09	2,851.99	3,135.18
वित्त आयोग अनुदान	--	1,316.68	1,274.26	2,005.74	2,364.00
वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए क्षतिपूर्ति	--	1,199.00	2,820.00	5,453.43	5,065.81
राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	--	342.82	136.19	210.75	1,683.14
कुल	**5,677.58**	**5,185.12**	**7,073.54**	**10,521.91**	**12,248.13**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	**(-)11**	**(-)9**	**36**	**49**	**16**
राजस्व प्राप्तियों से सहायतानुदान की प्रतिशतता	**11**	**8**	**11**	**16**	**18**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* **इसमें वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल नहीं हैं।**

2020-21 के दौरान सहायतानुदान का 41.36 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति के बदले क्षतिपूर्ति के कारण था।

(iii) चौदहवें वित्त आयोzग और 15वें वित्त आयोग के अनुदान

चौदहवें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग के अनुदान राज्यों को स्थानीय निकायों और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) के लिए प्रदान किए गए थे। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों के विवरण ***तालिका 2.13*** में दिए गए हैं।

तालिका 2.13: सहायतानुदान की अनुशंसित राशि, वास्तविक विमोचन तथा अंतरण

(₹ करोड़ में)

	14वें वित्त आयोग (2015-20) और 15वें वित्त आयोग (2020-21) की सिफारिश			भारत सरकार द्वारा वास्तविक विमोचन			राज्य सरकार द्वारा किए गए अंतरण		
अंतरण	**2016-17 से 2019-20**	**2020-21**	**कुल**	**2016-17 से 2019-20**	**2020-21**	**कुल**	**2016-17 से 2019-20**	**2020-21**	**कुल**
स्थानीय निकाय									
(i) पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) को अनुदान	**3,883.52**	**1,264.00**	**5,147.52**	**3,657.50**	**1,264.00**	**4,921.50**	**3,657.50**	**1,264.00**	**4,921.50**
(क) सामान्य मूल अनुदान	3,495.17	632.00	4,127.17	3,495.17	632.00	4,127.17	3,495.17	632.00	4,127.17
(ख) सामान्य निष्पादन अनुदान	388.35	632.00	1,020.35	162.33	632.00	794.33	162.33	632.00	794.33
(ii) शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) को अनुदान	**2,079.94**	**609.00**	**2,688.94**	**1,729.18**	**609.00**	**2,338.18**	**1,729.18**	**609.00**	**2,338.18**
(क) सामान्य मूल अनुदान	1,663.95	304.50	1,968.45	1,561.42	304.50	1,865.92	1,561.42	304.50	1,865.92
(ख) सामान्य निष्पादन अनुदान	415.99	304.50	720.49	167.76	304.50	472.26	167.76	304.50	472.26
स्थानीय निकायों का योग	**5,963.46**	**1,873.00**	**7,836.46**	**5,386.68**	**1,873.00**	**7,259.68**	**5,386.68**	**1,873.00**	**7,259.68**
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	**1,384.50**	**491.00**	**1,875.50**	**1,275.00**	**491.00**	**1,766.00**	**1,275.00**	**491.00**	**1,766.00**
कुल योग	**7,347.96**	**2,364.00**	**9,711.96**	**6,661.68**	**2,364.00**	**9,025.68**	**6,661.68**	**2,364.00**	**9,025.68**

स्रोत: वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। 2016-17 से 2020-21 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों का विवरण ***तालिका 2.14*** में दिया गया है।

तालिका 2.14: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संरचना में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
पूंजीगत प्राप्तियां	**29,169.02**	**27,870.56**	**39,685.88**	**49,878.46**	**49,959.64**
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	26.27	39.87	49.01	54.01	62.96
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	973.23	6,340.93	5,371.90	5,392.63	431.95
लोक ऋण प्राप्तियां	**28,169.52**	**21,489.76**	**34,264.97**	**44,431.82**	**49,464.73**
आंतरिक ऋण[6]	28,046.26	21,348.75	34,140.14	44,329.43	49,340.05[7]
वृद्धि दर	*(-)26.00*	*(-)23.88*	*59.92*	*29.85*	*11.30*
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	123.26	141.01	124.83	102.39	124.68*
वृद्धि दर	*26.77*	*14.40*	*(-)11.47*	*(-)17.98*	*21.77*
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-)25.87	(-)23.71	59.45	29.67	11.33
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	178.99	538.40	(-)15.04	0.47	(-) 90.91
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	13.30	14.88	9.30	10.73	(-) 2.02
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)23.95	(-)4.45	42.39	25.68	0.16

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* **वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।**

6 अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत सकल आंकड़ों सहित।

7 ₹ 4,977.33 करोड़ के अर्थोपाय अग्रिम सहित।

2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान आंतरिक ऋण प्राप्तियों में ₹ 5,010.62 करोड़ की वृद्धि हुई। 2017-18 से 2019-20 के दौरान राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनियों द्वारा लिए गए सभी ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करने के कारण ऋण और अग्रिम की वसूली में ₹ 4,960.68 करोड़ की कमी आई। राज्य सरकार ने ₹ 25,950 करोड़ (उदय स्कीम के अंतर्गत 30 सितंबर 2015 को राज्य बिजली कंपनियों की कुल देयताओं का 75 प्रतिशत) के ऋणों को अधिगृहीत करने के लिए 2015-16 में ₹ 17,300 करोड़ तथा 2016-17 में ₹ 8,650 करोड़ के विद्युत बॉण्ड जारी किए थे और वित्तीय पैकेज को सहायतानुदान (₹ 7,785 करोड़), इक्विटी पूंजी (₹ 2,595 करोड़) तथा डिस्कॉम को ऋण (₹ 15,570 करोड़) के रूप में माना गया। 2017-20 के दौरान ₹ 15,570 करोड़ के कुल ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित किया गया है।

2.3.4 संसाधन जुटाने में राज्य का निष्पादन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्यांश वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधन जुटाने में राज्य के निष्पादन का आकलन अपने स्वयं के संसाधनों, जिसमें स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोत शामिल हैं, के संदर्भ में किया जाता है।

15वें वि.आ. तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2020-21 के लिए राज्य की वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां ***तालिका 2.15*** में दी गई हैं।

तालिका 2.15: 15वें वित्त आयोग तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में वास्तविक कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

	15वें वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण	वास्तविक	पर वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता		
					15वें वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण
कर राजस्व	65,285	52,096	52,096	41,914	(-)35.80	(-)19.54	(-)19.54
कर-भिन्न राजस्व	9,897	15,428	15,428	6,961	(-)29.67	(-)54.88	(-)54.88

राज्य के स्व कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण 15वें वित्त आयोग द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 35.80 प्रतिशत तथा बजट अनुमानों तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में किए गए प्रक्षेपणों से 19.54 प्रतिशत कम रहा। कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां 15वें वित्त आयोग द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 29.67 प्रतिशत और बजट अनुमानों एवं मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में किए गए प्रक्षेपणों से 54.88 प्रतिशत कम रही। इस प्रकार राज्य सरकार बजट और मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में अनुमानित अपने स्वयं के लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सकी।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार के पास राजकोषीय उत्तरदायित्व विधियों के ढांचे के भीतर व्यय करने का उत्तरदायित्व निहित है और उसी समय यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की चालू राजकोषीय सुधार तथा समेकन प्रक्रिया, पूंजीगत बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र के विकास की ओर निर्देशित व्यय की लागत पर नहीं है। संसाधनों के अनुप्रयोग का विश्लेषण, विभिन्न शीर्षकों जैसे व्यय की वृद्धि एवं सरंचना, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय तथा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता के रूप में अनुवर्ती अनुच्छेदों में किया गया है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि एवं सरंचना

राज्य सरकार के व्यय को दो श्रेणियों अर्थात् राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। **राजस्व व्यय** में रखरखाव, मरम्मत, सुव्यवस्था तथा कार्यशील व्ययों पर प्रभारों, जो परिसंपत्तियों को चालू अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, के साथ-साथ स्थापना एवं प्रशासनिक व्ययों सहित संगठन के दिन-प्रतिदिन के व्यय के लिए अन्य सभी व्यय भी शामिल हैं।

पूंजीगत व्यय में परियोजना के पहले निर्माण के सभी प्रभारों के साथ-साथ कार्य के मध्यवर्ती रखरखाव, जबकि सेवा के लिए नहीं खोला गया, के प्रभार और ऐसे अतिरिक्त परिवर्धनों और सुधारों के प्रभार भी शामिल हैं जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत स्वीकृत किए जा सकते हैं।

गत पांच वर्षों (2016-21) में कुल व्यय की प्रवृत्ति और संरचना ***तालिका 2.16*** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.16: कुल व्यय और इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल व्यय (कु.व्य.)	**79,781**	**88,190**	**93,218**	**1,03,823**	**96,742**[8]
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	68,403	73,257	77,155	84,848	89,946
पूंजीगत व्यय (पूं.व्य.)	6,863	13,538	15,307	17,666	5,870
ऋण एवं अग्रिम	4,515	1,395	756	1,309	926
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	5,61,424	6,44,963	7,04,957	7,80,612	7,64,872
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में					
कु.व्य./सकल राज्य घरेलू उत्पाद	14.21	13.67	13.22	13.30	12.65
रा.व्य./सकल राज्य घरेलू उत्पाद	12.18	11.36	10.94	10.87	11.76
पूं.व्य./सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.22	2.10	2.17	2.26	0.77
ऋण एवं अग्रिम/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.80	0.22	0.11	0.17	0.12

पांच वर्षों (2016-21) की अवधि में कुल व्यय में 21.26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय में 31.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पूंजीगत व्यय में 14.47 प्रतिशत की कमी आई।

[8] ₹ 800 करोड़ की आकस्मिक निधि के विनियोजन को छोड़कर।

चार्ट 2.8: कुल व्यय: इसके घटकों के अंश में प्रवृत्तियां (प्रतिशत में)

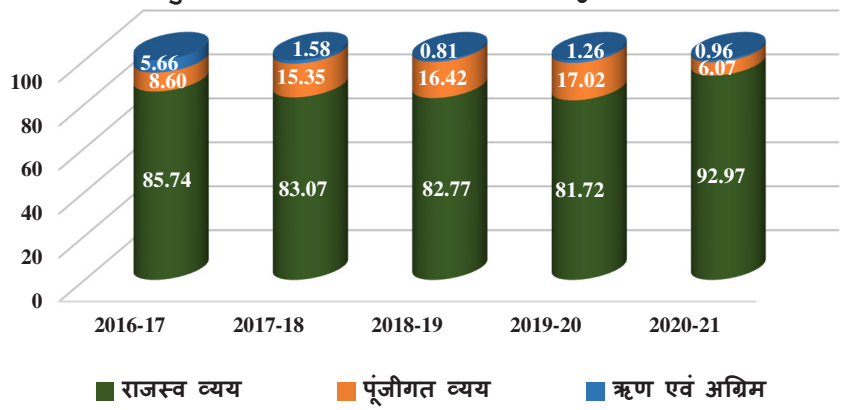

जैसा कि ***चार्ट 2.8*** में दर्शाया गया है, कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश 2016-17 में 85.74 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 92.97 प्रतिशत हो गया, जबकि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 2016-17 में 8.60 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 17.02 प्रतिशत हो गया लेकिन 2020-21 में घटकर 6.07 प्रतिशत रह गया। उदय योजना के अंतर्गत ऋण संवितरण के कारण 2016-17 में ऋण एवं अग्रिम का अंश 5.66 प्रतिशत था जो 2020-21 में घटकर 0.96 प्रतिशत रह गया।

चार्ट 2.9: कुल व्यय: गतिविधियां वार प्रवृत्तियां (प्रतिशत में)

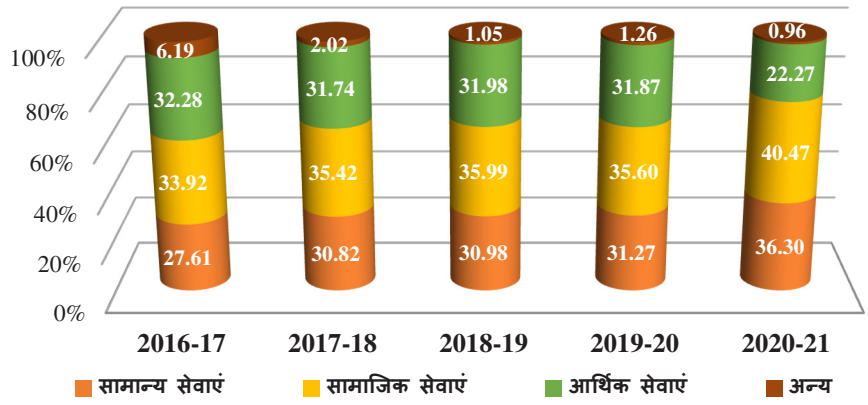

जैसा कि ***चार्ट 2.9*** में दर्शाया गया है**,** सामान्य सेवाओं का अंश, जिसमें ब्याज भुगतान शामिल हैं, 2016-17 से बढ़ती प्रवृत्ति दिखा रहा है और 2020-21 में 36.30 प्रतिशत था। सामाजिक सेवाओं का अंश भी 2020-21 में 40.47 प्रतिशत तक बढ़ा और आर्थिक सेवाओं पर व्यय 2016-17 में 32.28 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 22.27 प्रतिशत रह गया। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर संयुक्त व्यय, जो विकास व्यय का प्रतिनिधित्व करता है, 2016-17 में 66.20 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 62.74 प्रतिशत रह गया। अन्य, जिसमें स्थानीय निकायों के लिए अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं, में उदय योजना के अंतर्गत राज्य की विद्युत उपयोगिताओं को ऋणों के संवितरण के कारण 2016-17 के दौरान कुल व्यय का 6.19 प्रतिशत था जो 2020-21 के दौरान 0.96 प्रतिशत तक कम हो गया।

2.4.2 राजस्व व्यय

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य के बुनियादी ढांचे और सेवा नेटवर्क में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं करता है। ***तालिका 2.17*** पांच वर्षों (2016-21) में राजस्व व्यय की वृद्धि को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.17: 2016-21 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल व्यय (कु.व्य.)	**79,781**	**88,190**	**93,218**	**1,03,823**	**96,742[9]**
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	68,403	73,257	77,155	84,848	89,946
रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.48	7.10	5.32	9.97	6.01
कु.व्य. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	85.74	83.07	82.77	81.72	92.98
रा.व्य./सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	12.18	11.36	10.94	10.87	11.76
रा.प्रा. की प्रतिशतता के रूप में रा.व्य.	130.30	116.85	117.11	125.04	133.13
राजस्व प्राप्तियां (रा.प्रा.)	52,497	62,695	65,885	67,858	67,561
रा.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.39	19.43	5.09	2.99	(-)0.44
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	5,61,424	6,44,963	7,04,957	7,80,612	7,64,872
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.30	14.88	9.30	10.73	(-)2.02

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2016-21 के दौरान राजस्व व्यय में ₹ 21,543 करोड़ (31 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसकी प्रतिशतता 2016-17 में 12.18 से घटकर 2019-20 में 10.87 हो गई और 2020-21 में बढ़कर 11.76 प्रतिशत हो गई। राजस्व व्यय 2019-20 में ₹ 84,848 करोड़ से छः प्रतिशत बढ़कर 2020-21 में ₹ 89,946 करोड़ हो गया।

2020-21 में ₹ 89,946 करोड़ का राजस्व व्यय बजट और मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (₹ 1,05,338 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से कम था। राज्य राजस्व व्यय को 15वें वित्त आयोग के निर्धारित मानक (₹ 78,482 करोड़) के भीतर नहीं रख सका। राजस्व व्यय का क्षेत्रवार संवितरण ***चार्ट 2.10*** में प्रस्तुत किया गया है।

[9] ₹ 800 करोड़ की आकस्मिक निधि के विनियोजन को छोड़कर।

चार्ट 2.10: 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार संवितरण (प्रतिशत में)

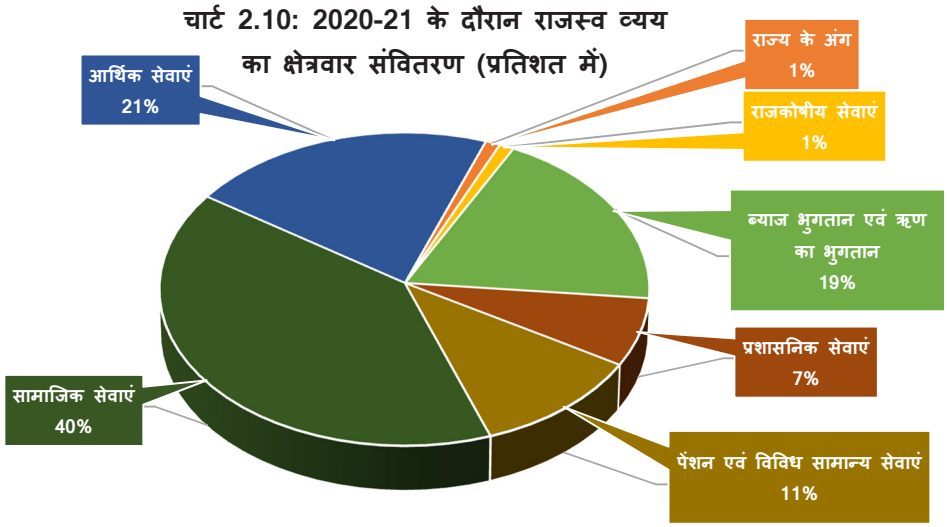

2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख बदलाव

तालिका 2.18: 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय में प्रमुख बदलाव

(₹ करोड़ में)

प्रमुख लेखा शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि (+)/कमी (-)
सामान्य सेवाएं	**31,883.95**	**34,734.17**	**2,850.22**
2049-ब्याज भुगतान	15,588.01	17,114.67	1,526.66
2055-पुलिस	4,423.72	4,618.91	195.19
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	8,832.94	9,712.70	879.76
2075-विविध सामान्य सेवाएं	149.42	383.87	234.45
सामाजिक सेवाएं	**33,726.48**	**36,163.96**	**2,437.48**
2202-सामान्य शिक्षा	13,644.01	13,323.12	(-)320.89
2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	4,249.85	4,857.12	607.27
2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,807.77	2,230.01	422.24
2217-शहरी विकास	3,300.80	3,616.71	315.91
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	7,618.95	8,752.03	1,133.08
आर्थिक सेवाएं	**19,237.78**	**19,048.47**	**(-)189.31**
2401-फसल पालन	969.49	1,772.37	802.88
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	116.13	183.67	67.54
2505-ग्रामीण रोजगार	110.14	313.76	203.62
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3,714.20	3,986.62	272.42
2700-प्रमुख सिंचाई	1,156.86	1,243.78	86.92
2801-विद्युत	6,978.40	5,565.33	(-)1,413.07
3054-सड़कें एवं पुल	1,086.52	814.71	(-)271.81

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि ***तालिका 2.18*** में दर्शाया गया है, सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में ₹ 2,850.22 करोड़ की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण पेंशनों, पुलिस सेवाओं, ब्याज भुगतानों और विविध सामान्य सेवाओं पर अधिक व्यय था। वर्ष के दौरान बाजार ऋणों पर ब्याज भुगतान में ₹ 1,670.58 करोड़ की वृद्धि हुई। गत वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय में ₹ 2,437.48 करोड़ की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, शहरी विकास, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर अधिक व्यय था। मुख्य रूप से फसल पालन, ग्रामीण रोजगार और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों द्वारा ऑफसेट बिजली, सड़कों और पुलों पर व्यय में कमी के कारण आर्थिक सेवाओं पर व्यय में ₹ 189.31 करोड़ की कमी आई।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखा पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी और पेंशनों पर व्यय शामिल हैं। इसका सरकारी संसाधनों पर पहला प्रभार है। प्रतिबद्ध व्यय पर वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार के पास विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलापन है। 2016-21 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को ***तालिका 2.19*** एवं ***चार्ट 2.11*** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.19: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
वेतन एवं मजदूरियां	17,321	18,632	19,763	22,365	22,595[10]
पेंशन पर व्यय	5,659	8,783	8,140	8,833	9,713
ब्याज भुगतान	10,542	11,961	13,551	15,588	17,115
कुल	**33,522**	**39,376**	**41,454**	**46,786**	**49,423**
राजस्व प्राप्तियों (रा.प्रा.) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरियां	32.99	29.72	30.00	32.96	33.44
पेंशन पर व्यय	10.78	14.01	12.35	13.02	14.38
ब्याज भुगतान	20.08	19.08	20.57	22.97	25.33
कुल	**63.85**	**62.81**	**62.92**	**68.95**	**73.15**
राजस्व व्यय (रा.व्य.) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरियां	25.32	25.43	25.62	26.36	25.12
पेंशन पर व्यय	8.28	11.99	10.55	10.41	10.80
ब्याज भुगतान	15.41	16.33	17.56	18.37	19.03
कुल	**49.01**	**53.75**	**53.73**	**55.14**	**54.95**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

[10] इसमें ₹ 634 करोड़ की मजदूरी शामिल है।

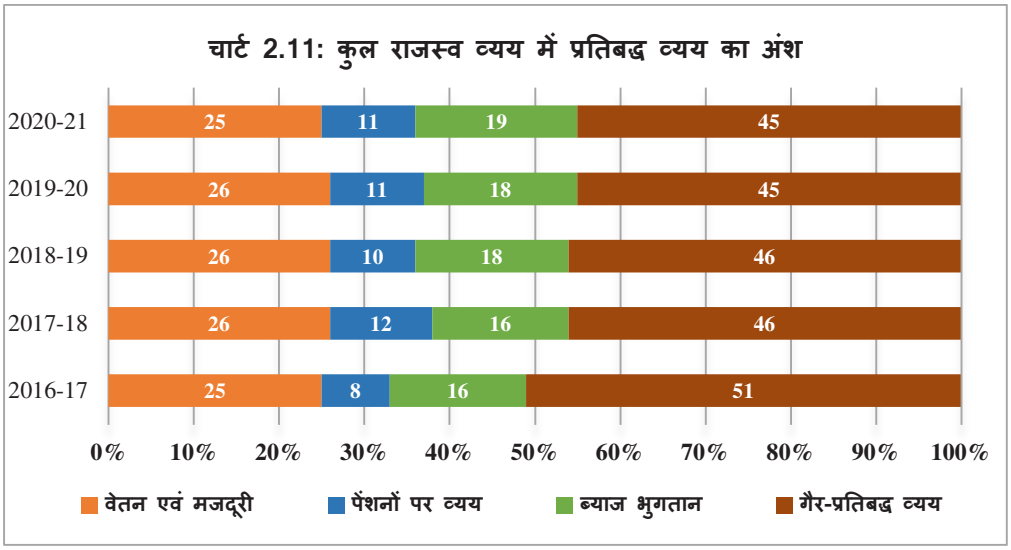

वेतन, ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर किया गया कुल व्यय (₹ 48,789 करोड़), सरकार द्वारा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (₹ 54,150 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 5,361 करोड़ (9.90 प्रतिशत) कम था तथा इन मदों पर राजस्व प्राप्तियों का 72 प्रतिशत उपभोग हुआ था।

2016-17 से 2020-21 के दौरान वेतन एवं मजदूरी, ब्याज तथा पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय के कारण राजस्व व्यय 49 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया।

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अमुक्त देयताएं

1 जनवरी 2006 को या उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारी 'परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना' नामक नई पेंशन योजना के लिए पात्र हैं। योजना के अनुसार कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देता है, राज्य सरकार द्वारा भी बराबर अंशदान दिया जाता है और पूरी राशि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (ने.सि.डि.लि.) के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को हस्तांतरित की जाती है। वर्षों से कर्मचारियों द्वारा देय वास्तविक राशि और उसके अनुकूल सरकार के अंशदान का अनुमान नहीं लगाया गया है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार कोई भी अंशदान खाता शीर्ष '8342-117' अन्य जमा - परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत अस्थाई उपाय के रूप में भी नहीं रखा जाना है। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 43.07 करोड़ की राशि उपर्युक्त प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत 31 मार्च 2021 तक रखी गई थी जैसाकि ***तालिका 2.20*** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.20: नई पेंशन योजना अंशदान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर्मचारी अंशदान	राज्य सरकार द्वारा अंशदान	कुल	कम अंशदान	ने.सि.डि.लि. को कुल अंतरण	ने.सि.डि.लि. को कम अंतरण
1	2	3	4 = (2+3)	5= (2-3)	6	7 = (4-6)
31 मार्च 2016 को राज्य सरकार के पास पड़े पेंशन निधियों के शेष						19.43
2016-17	382.15	378.04	760.19	4.11	729.70	30.49
2017-18	479.94	460.44	940.38	19.50	975.76	(-)35.38
2018-19	565.88	534.30	1,100.18	31.58	1,086.16	14.02
2019-20	717.91	694.20	1,412.11	23.71	1,407.78	4.33
2020-21	778.53	766.83	1,545.36	11.70	1,535.18	10.18
कुल	**2,924.41**	**2,833.81**	**5,758.22**	**90.60**	**5,734.58**	**43.07**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2016-17 से 2020-21 के दौरान ₹ 2,924.41 करोड़ के कर्मचारियों के अंशदान के विरुद्ध राज्य सरकार ने ₹ 2,833.81 करोड़ अर्थात् ₹ 90.60 करोड़ का कम अंशदान दिया। 2016-21 के दौरान ₹ 5,758.22 करोड़ की कुल राशि में से राज्य सरकार ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को ₹ 5,734.58 करोड़ अर्थात् ₹ 23.64 करोड़ कम हस्तांतरित किए। 31 मार्च 2021 तक राज्य सरकार के पास ₹ 43.07 करोड़ की शेष राशि पड़ी थी। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को सरकार के हिस्से के साथ अंशदान का हस्तांतरण न होने के कारण राज्य सरकार की देयता बढ़ गई।

राज्य सरकार को कारणों की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए कि कर्मचारियों का अंशदान और उसके समान सरकारी अंशदान पूरी तरह से समय पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया जाए।

2.4.2.4 सब्सिडीज

सब्सिडीज़ पर व्यय 2016-17 में ₹ 7,654 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 8,549 करोड़ हो गया और 2020-21 में घटकर ₹ 7,650 करोड़ हो गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 11.32 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 8.51 प्रतिशत था जैसा कि ***तालिका 2.21*** में विवरण दिया गया है। विद्युत: ₹ 5,783 करोड़ (75.59 प्रतिशत), कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों: ₹ 1,737 करोड़ (22.71 प्रतिशत), ग्राम और लघु उद्योग: ₹ 76 करोड़ (0.99 प्रतिशत) तथा सामाजिक सेवाएं: ₹ 54 करोड़ (0.71 प्रतिशत) पर सब्सिडीज वितरित की गई। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कुल सब्सिडीज (₹ 5,565 करोड़) मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (₹ 6,360 करोड़) के प्रक्षेपण से कम थी।

तालिका 2.21: 2016-21 के दौरान सब्सिडीज पर व्यय

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सब्सिडीज (₹ करोड़ में)	7,654	8,446	8,549	8,105	7,650
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडीज	14.58	13.47	12.98	11.94	11.32
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडीज	11.19	11.53	11.08	9.55	8.51

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.4.2.5 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

तालिका 2.22: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(क) स्थानीय निकाय					
नगर निगम और नगर पालिकाएं	1,585.77	2,466.82	2,092.31	2,279.46	2,766.64
पंचायती राज संस्थाएं	2,263.80	2,283.43	2,547.17	3,098.12	3,235.92
कुल (क)	**3,849.57**	**4,750.25**	**4,639.48**	**5,377.58**	**6,002.56**
(ख) अन्य					
शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय, आदि)	2,130.56	2,102.96	2,093.14	2,496.64	2,468.29
विकास प्राधिकरण	757.94	868.04	865.54	812.88	1,104.22
चिकित्सालय एवं अन्य धर्मार्थ संस्थान	1,117.68	1,101.14	1,350.08	1,745.08	2,107.65
अन्य संस्थान	4,791.39	1,021.92	1,129.59	905.17	1,329.75
कुल (ख)	**8,797.57**	**5,094.06**	**5,438.35**	**5,959.77**	**7,009.91**
कुल (क+ख)	**12,647.14**	**9,844.31**	**10,077.83**	**11,337.35**	**13,012.47**
राजस्व व्यय	**68,403**	**73,257**	**77,155**	**84,848**	**89,946**
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	**18.49**	**13.44**	**13.06**	**13.36**	**14.47**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.22 इंगित करती है कि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2016-17 में ₹ 12,647.14 करोड़ से 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय का 14.47 प्रतिशत संघटित करते हुए बढ़कर ₹ 13,012.47 करोड़ हो गई। इसमें गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,675.12 करोड़ (14.78 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण नगर निगमों एवं नगरपालिकाओं, विकास प्राधिकरणों तथा अस्पतालों एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाओं और अन्य संस्थानों को अधिक संवितरण था।

2.4.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से स्थायी मूलभूत संरचना परिसंपत्तियों जैसे कि सड़कों, भवनों आदि के सृजन पर किया गया व्यय है। पूंजीगत व्यय और कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत व्यय का विवरण ***चार्ट 2.12*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.12: 2016-21 के दौरान पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियां

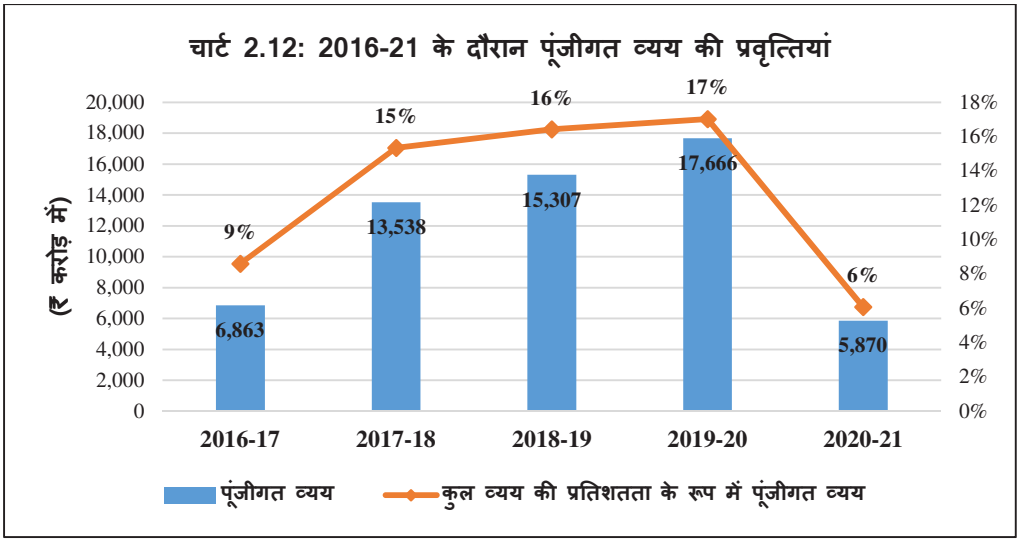

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.4.3.1 पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय में मुख्य रूप से आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत बिजली कंपनियों, प्रमुख सिंचाई, सड़कों एवं पुलों की इक्विटी में निवेश शामिल है। सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, शहरी विकास पर किया गया। गत वर्ष की तुलना में भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्नों की खरीद के कारण अधिक वसूली और ऊर्जा क्षेत्र, जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास, सड़कों एवं पुलों में निवेश पर कम व्यय के कारण पूंजीगत व्यय में बड़ी कमी ***तालिका 2.23*** में दी गई है।

तालिका 2.23: 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय में बदलाव

(₹ करोड़ में)

प्रमुख लेखा शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि (+)/कमी (-)
पूंजीगत व्यय	**17,665.93**	**5,869.70**	**(-)11,796.23**
सामान्य सेवाएं	586.16	387.61	(-)198.55
सामाजिक सेवाएं	3,233.56	2,986.12	(-)247.44
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	2152.86	1,594.50	(-)558.36
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	510.17	766.37	256.20
आर्थिक सेवाएं	13,846.21	2,495.97	(-)11,350.24
खाद्य, भंडार एवं भंडारण*	4,402.31	(-)1,243.04	(-)5,645.35
ऊर्जा	5,829.63	527.09	(-)5,302.54
सड़कें एवं पुल	1,800.07	1,372.03	(-)428.04

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख

* **इस प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत माइनस आंकड़ा राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्नों और दालों की खरीद की गतिविधियों की खरीद गतिविधियों के कारण प्राप्त अधिक वसूली के कारण है।**

2.4.3.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

(i) निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2021 तक सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारिताओं में ₹ 37,566.55 करोड़ निवेशित थे ***(तालिका 2.24)***। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.188 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2016-21 के दौरान अपने उधारों पर 7.94 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर भुगतान किया।

तालिका 2.24: निवेशों पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	11,371.42	17,374.35	30,747.91	36,922.92	37,566.55
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)*	5.89	7.53	56.60	87.01	163.14
प्रतिलाभ (प्रतिशत)*	0.05	0.04	0.18	0.24	0.43
सरकारी उधारों पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.00	8.10	8.81	8.31	6.50
ब्याज दर और प्रतिलाभ के बीच अन्तर (प्रतिशत)	7.95	8.06	8.63	8.07	6.07
सरकारी उधारों पर ब्याज और निवेश पर प्रतिलाभ में अंत (₹ करोड़ में)	904.03	1,400.37	2,653.54	2,979.68	2,280.29

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे (विवरण संख्या 19)

*** ऐतिहासिक लागत पर**

 # (वर्ष के अंत में निवेश X ब्याज दर और प्रतिलाभ के मध्य अंतर)/100

₹ 37,566.55 करोड़ के कुल निवेश में से ₹ 36,027.96 करोड़ (96 प्रतिशत) का निवेश चार विद्युत क्षेत्र की कंपनियों में किया गया था। राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में निवेश करती रहती है।

(ii) कंपनियों के लेखों के साथ सरकारी निवेशों का मिलान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में इक्विटी के रूप में सरकारी निवेश का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आंकड़ों से मिलान होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों और वित्त लेखों में अंतर का पता लगाने के लिए आंकड़ों का मिलान आवश्यक है। दोनों लेखों की संवीक्षा से पता चला कि वित्त लेखों के अनुसार, 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी में सरकारी निवेश ₹ 28,348.13 करोड़ था जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार यह ₹ 36,716.34 करोड़ था। ***परिशिष्ट 2.4*** में वर्णित अनुसार ₹ 8,368.21 करोड़ का अंतर था। अंतरों का पता लगाने के लिए समयबद्ध तरीके से मिलान किया जाना चाहिए।

(iii) सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता

मूलभूत संरचना में पर्याप्त विकास करने के विचार से सामाजिक और भौतिक, जो आर्थिक उन्नति बनाए रखने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है, राज्य सरकार ने मूलभूत संरचना के विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (सा.नि.भा.) माध्यम को अपनाया।

31 मार्च 2021 तक, ₹ 7,922.24 करोड़ की कुल अनुमानित लागत वाली कुल 13 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन थी जैसा कि ***परिशिष्ट 2.5*** में दर्शाया गया है।

(iv) उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) का कार्यान्वयन

भारत सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमज) के वित्तीय बदलाव के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) आरंभ (नवंबर 2015) की थी। यह डिस्कॉमज को सस्ती दरों पर पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने के लिए वित्तीय और परिचालन रूप से सक्षम बनाने हेतु एक पुनरुद्धार पैकेज था। विद्युत मंत्रालय (वि.मं.), हरियाणा सरकार (ह.स.) तथा राज्य के डिस्कॉमज (अर्थात् उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड) के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (स.ज्ञा.) पर हस्ताक्षर (मार्च 2016) किए गए। उदय योजना तथा त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार, हरियाणा में 30 सितंबर 2015 तक दो डिस्कॉमज से संबंधित ₹ 34,600 करोड़ के कुल ऋण में से हरियाणा सरकार द्वारा कुल ऋण का 75 प्रतिशत अर्थात् ₹ 25,950 करोड़ का अधिग्रहण किया जाना था। ***तालिका 2.25*** में दर्शाए अनुसार उदय योजना के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई थी।

तालिका 2.25: उदय योजना का कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अधिगृहीत किया जाने वाला कुल कर्ज	अनुदान के रूप में डिस्कॉमज को हस्तांतरण	ऋण के रूप में डिस्कॉमज को हस्तांतरण	इक्विटी के रूप में डिस्कॉमज को हस्तांतरण
2015-16	17,300	3,892.50	12,110	1,297.50
2016-17	8,650	3,892.50	3,460	1,297.50
कुल (क)	**25,950**	**7,785.00**	**15,570**	**2,595.00**
₹ 34,600 करोड़ के कुल कर्ज की प्रतिशतता	**75 प्रतिशत**	**22.50 प्रतिशत**	**45 प्रतिशत**	**7.5 प्रतिशत**

समझौता ज्ञापन के अनुसार, सरकार ने 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान डिस्कॉमज को ₹ 7,785 करोड़ के अनुदान (₹ 3,892.50 करोड़ प्रत्येक वर्ष), ₹ 2,595 करोड़ की इक्विटी (₹ 1,297.50 करोड़ प्रत्येक वर्ष) तथा शेष ₹ 15,570 करोड़ को ऋण के रूप में प्रदान किया। 2017-18 से 2019-20 के दौरान ₹ 15,570 करोड़ के ऋणों को ₹ 11,677.50 करोड़ (75 प्रतिशत) के अनुदान और ₹ 3,892.50 करोड़ (25 प्रतिशत) की इक्विटी में परिवर्तित किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार ने अधिगृहीत कुल ऋणों को ***तालिका 2.26*** में दर्शाए अनुसार इक्विटी में परिवर्तित कर दिया।

तालिका 2.26: हरियाणा राज्य में उदय योजना का कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल	अनुदान	ऋण	इक्विटी
2015-16	17,300.00	3,892.50	12,110.00	1,297.50
2016-17	8,650.00	3,892.50	3,460.00	1,297.50
कुल	**25,950.00**	**7,785.00**	**15,570.00**	**2,595.00**
2017-18	-		(-)5,190.00	5,190.00
2018-19	-	(-)7,785.00	(-)5,190.00	12,975.00
2019-20	-		(-)5,190.00	5,190.00
कुल (31 मार्च 2020 तक)				**25,950.00**

इस प्रकार, राज्य सरकार ने लिए गए कुल ऋण को डिस्कॉमज की इक्विटी में परिवर्तित कर दिया जो कि योजना दिशानिर्देशों के विरुद्ध था।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, हरियाणा सरकार डिस्कॉमज की आगे की हानियों को श्रेणीबद्ध ढंग से संभालेगी और हानियों को निम्नानुसार निधि देगी:

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
गत वर्ष की डिस्कॉम हानि राज्य द्वारा वहन की जाएगी	2014-15 की हानि का शून्य प्रतिशत	2015-16 की हानि का शून्य प्रतिशत	2016-17 की हानि का पांच प्रतिशत	2017-18 की हानि का दस प्रतिशत	2018-19 की हानि का 25 प्रतिशत	गत वर्ष की हानि का **50** प्रतिशत

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 की हानि के अधिग्रहण के कारण ₹ 10.25 करोड़ की इक्विटी जारी की थी (2016-17 की हानि का पांच प्रतिशत)।

योजना के कार्यान्वयन के बाद दो डिस्कॉमज के वित्तीय परिणाम ***तालिका 2.27*** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.27: 2016-21 के दौरान डिस्कॉम के वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

डिस्कॉम का नाम	लाभ (+)/हानि (-)	उदय के कार्यान्वयन के बाद लाभ (+)/हानि (-)			
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	(-)205.01	278.24	185.71	217.72	397.07
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	11.96	134.12	95.23	113.67	239.61
कुल	**(-)193.05**	**412.36**	**280.94**	**331.39**	**636.68**

स्रोत: डिस्कॉमज के वार्षिक लेखे

(v) राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त सरकार द्वारा अनेक संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान किए गए थे। ***तालिका 2.28*** 31 मार्च 2021 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों और पिछले पांच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.28: पांच वर्षों के दौरान ऋणों की संवितरित एवं वसूल की गई मात्रा

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बकाया ऋणों का आरंभिक शेष	17,494	21,036	16,090	11,474	7,390
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	4,515	1,395	756	1,309	926
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	973	6,341	5,372	5,393	432
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	**21,036**	**16,090**	**11,474**	**7,390**	**7,884**
निवल जोड़	3,542	(-)4,946	(-)4,616	(-)4,084	494
प्राप्त ब्याज	1,213	1,163	720	398	92
सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज दर	6.30	6.27	5.22	4.22	1.20
सरकार की बकाया उधारी पर भुगतान की गई ब्याज दर	7.89	7.71	7.78	7.80	7.46
भुगतान की गई ब्याज दर और प्राप्त ब्याज के मध्य अंतर (प्रतिशत)	1.59	1.44	2.56	3.58	6.26

वर्ष के दौरान सहकारी चीनी मिलों तथा हरियाणा राज्य कृषि एवं विपणन बोर्ड और बिजली कंपनियों को अधिक ऋण देने के कारण 31 मार्च 2021 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों में 6.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सहकारी चीनी मिलों के विरूद्ध वर्ष 2020-21 के प्रारंभ में ₹ 3,418.72 करोड़ की राशि के ऋण बकाया थे। ₹ 3,877.99 करोड़ की बकाया राशि के साथ ₹ 8.13 करोड़ के मूलधन की वसूली हुई थी। सरकार ने इन चीनी मिलों को इन नियमों एवं शर्तों के साथ ऋण संवितरित किए कि ऋणों को संस्वीकृतियों के 12 माह के बाद समान किश्तों में पांच वर्ष में नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर के साथ चुकाया जाएगा और पूर्ववर्ती ऋणों की चुकौती में विफलता के मामले में कोई ऋण संवितरित नहीं किया जाएगा। सहकारी चीनी मिलों को पूर्ववर्ती ऋणों की शर्तों को पूरा किए बिना ₹ 3,418.72 करोड़ की पुरानी राशि सहित 2020-21 के दौरान ₹ 467.40 करोड़ के ऋण संस्वीकृत/संवितरित किए गए थे। इस प्रकार, सहकारी चीनी मिलों को संस्वीकृत ऋणों की शर्तों का उल्लंघन निरंतर जारी है।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एच.एस.सी.ए.आर.डी.बी.) के विरूद्ध वर्ष 2020-21 के आरंभ में ₹ 923.87 करोड़ की राशि के ऋण बकाया थे। इसके अतिरिक्त, इस बैंक को ₹ 70 करोड़ का ऋण दिया गया था। वर्ष के दौरान कोई वसूली प्राप्त नहीं हुई जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2021 के अंत तक बकाया राशि ₹ 993.87 करोड़ हो गई। सरकार ने इस बैंक को इन नियमों एवं शर्तों के साथ ऋण संवितरित किया है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2020-21 के दौरान हरियाणा सरकार को उधार की भारित औसत लागत के आधार पर परिकलित ब्याज दर के साथ सरकार को ब्याज सहित ऋण के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं है। इस प्रकार, वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक को संस्वीकृत ऋण की शर्तों के उल्लंघन में ऋण संस्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान बजट में मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए कोई प्रावधान नहीं किया, जो इन सहकारी चीनी मिलों और हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के विरूद्ध बकाया ऋणों की वसूली के लिए राज्य सरकार के अपर्याप्त प्रयासों का संकेत था।

वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 243.37[11] करोड़ के चार नए ऋण दिए गए थे। 2020-21 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 92 करोड़ (बकाया ऋणों एवं अग्रिमों का 1.20 प्रतिशत) का ब्याज प्राप्त हुआ।

(vi) अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूंजी में प्रवृतियों का आकलन भी पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करेगा। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन, व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य को लंबे समय तक वांछित लाभ से वंचित करता है।

[11] बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण - प्रसारण और वितरण: ₹ 56.15 करोड़ तथा हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण बैंक को ऋण: ₹ 70 करोड़ और हरियाणा राज्य कृषि एवं विपणन बोर्ड को ऋण: ₹ 89.43 करोड़ और भंडारण निगम को ऋण: ₹ 27.79 करोड़।

आगे, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई निधियां ऋण एवं ब्याज देयताओं की अदायगी के मामले में अतिरिक्त बोझ डालती हैं।

31 मार्च 2021 को अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभागवार सूचना ***तालिका 2.29*** में दी गई है। अपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत केवल वे परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं जिनकी पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि 31 मार्च 2021 तक समाप्त हो चुकी थी।

तालिका 2.29: 31 मार्च 2021 को अधूरी परियोजनाओं की विभागवार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	व्यय (₹ करोड़ में)
सिंचाई एवं जल संसाधन	18	197.67	104.16
लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)	30	722.34	442.14
कुल	**48**	**920.01**	**546.30**

स्रोत: वित्त लेखे

विभागों की 48 परियोजनाओं के पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि अप्रैल 2018 और मार्च 2021 के मध्य थीं, परन्तु ये परियोजनाएं 31 मार्च 2021 तक अपूर्ण थीं, परिणामस्वरूप ₹ 546.30 करोड़ के निवेश से वांछित लाभों की प्राप्ति नहीं हुई। 48 अधूरे कार्यों में से 11 कार्य 12 से 35 माह बीत जाने के बाद भी पूर्ण नहीं किए जा सके तथा 31 मार्च 2021 तक अधूरे कार्यों पर कुल व्यय का 21 प्रतिशत सम्मिलित करते हुए ₹ 115.80 करोड़ का व्यय किया गया। परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के कारण न केवल व्यय की गुणवत्ता प्रभावित हुई बल्कि राज्य को अपेक्षित लाभ और आर्थिक विकास से भी वंचित कर दिया।

2.4.4 व्यय प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। कम राजकोषीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के अंतर्गत कुल व्यय के लिए व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी है, यदि आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से नीचे है। कुल व्यय में इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता को भी उतना ही बेहतर माना जाएगा। 2020-21 के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता का विश्लेषण ***तालिका 2.30*** में किया गया है।

तालिका 2.30: स्वास्थ्य, शिक्षा और पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	शिक्षा/ कुल व्यय	स्वास्थ्य/ कुल व्यय
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2016-17	14.21	14.26	13.61	3.82
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य (सा.श्रे.रा.) औसत (अनुपात) 2016-17	17.12	19.77	14.93	5.49
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2020-21	12.75	6.96	14.54	5.99
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य (अनुपात) 2016-17	16.18	13.03	15.00	6.74
कु.व्य: कुल व्यय: पूं.व्य: पूंजीगत व्यय सा.श्रे.रा.: सामान्य श्रेणी राज्य **सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा**				

हरियाणा में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कुल व्यय 2016-17 के साथ-साथ 2020-21 में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के औसत के अलावा अन्य राज्यों की तुलना में कम है। 2016-17 और 2020-21 के दौरान पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा में शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय का अनुपात कम था।

2.4.5 प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय

प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय, व्यय के प्रयोजन/उद्देश्य के बारे में जानकारी ***चार्ट 2.13*** में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.13: प्रयोजन शीर्षवार व्यय (प्रतिशत में)

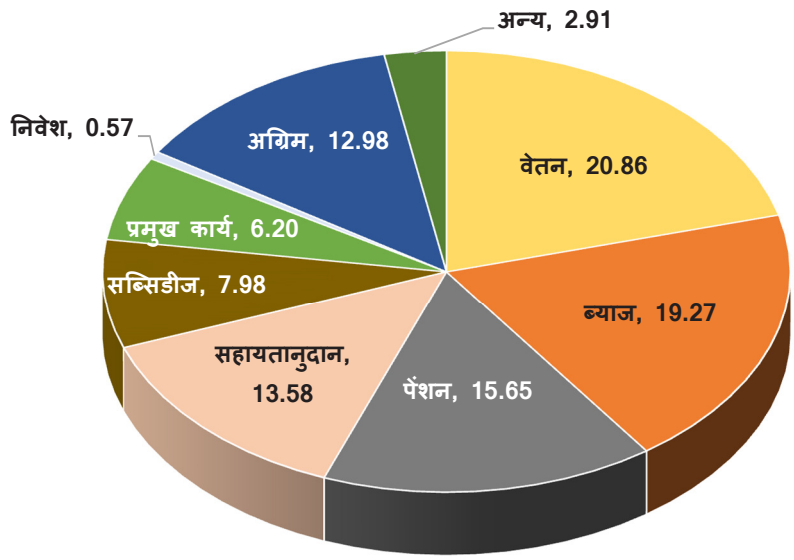

नोट: वी.एल.सी. डाटा से प्राप्त प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय में सभी प्रमुख शीर्षों में वेतन, ब्याज और पेंशन पर प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय होता है जो इन मदों पर प्रतिबद्ध व्यय से भिन्न होता है (जैसा कि पैरा 2.4.2.2 में दिखाई देता है)।

2.5 लोक लेखा

कुछ प्राप्तियां एवं संवितरण, जो समेकित निधि का अंश नहीं होते, जैसे कि लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अनुसार लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है तथा ये राज्य विधानसभा द्वारा वोट के अधीन नहीं है। इनके संबंध में सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि विभिन्न प्रयोजनों हेतु उपयोग के लिए सरकार के पास उपलब्ध रहती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

लोक लेखा के विभिन्न खंडों के अंतर्गत घटक-वार निवल शेष ***तालिका* 2.31** और ***चार्ट 2.14*** में दिए गए हैं।

तालिका 2.31: 31 मार्च 2021 को लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
क. लघु बचतें, भविष्य निधि	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	**13,321.20**	**14,547.52**	**15,715.23**	**16,962.46**	**17,996.91**
ख. आरक्षित निधियां	(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	2,045.23	2,593.33	3,086.92	4,962.35	5,476.92
	(ख) गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां	2,662.21	2,933.75	3,228.68	3,532.00	2,347.00
	कुल	**4,707.44**	**5,527.08**	**6,315.60**	**8,494.35**	**7,823.92**
ग. जमा और अग्रिम	(क) ब्याज वाली जमा	397.00	379.13	403.41	421.76	451.94
	(ख) गैर-ब्याज वाली जमा	6,016.48	6,687.90	8,001.14	7,500.04	9,019.62
	(ग) अग्रिम	(-)0.72	(-)0.72	(-)0.74	(-)0.74	(-)0.74
	कुल	**6,412.76**	**7,066.31**	**8,403.81**	**7,921.06**	**9,470.82**
घ. उचंत तथा विविध	उचंत तथा विविध	**(-)59.15**	**(-)10.80**	**(-)57.23**	**(-)70.49**	**(-)24.24**
ङ. प्रेषण	(क) मनी ऑर्डर और अन्य प्रेषण	199.55	180.34	343.72	306.84	330.58
	(ख) अंतर-राजकीय समायोजन लेखा	(-)17.69	(-)23.57	(-)16.24	(-)33.10	(-)17.73
	कुल	**181.86**	**156.77**	**327.48**	**273.74**	**312.85**
कुल योग		**24,564.11**	**27,286.88**	**30,704.89**	**33,581.12**	**35,580.26**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.14: लोक लेखा शेषों के संघटन में वार्षिक परिवर्तन

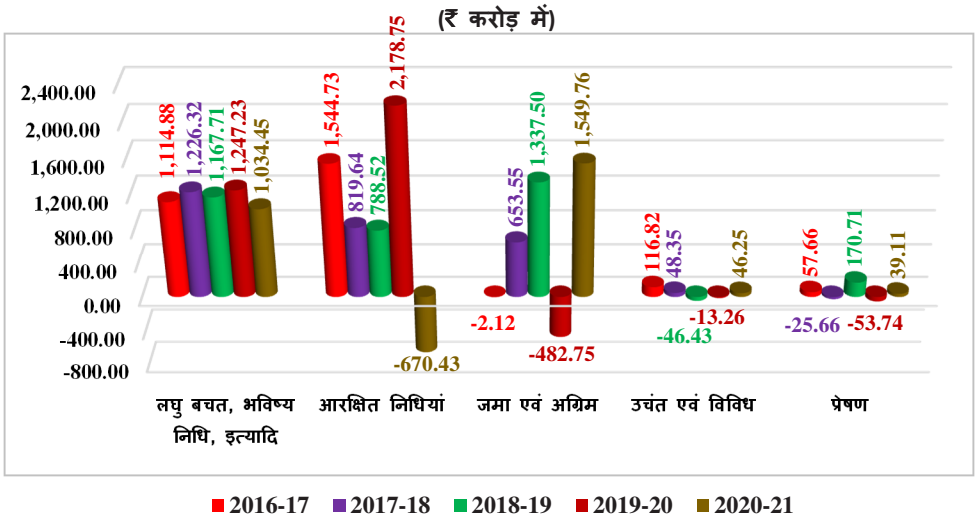

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

मुख्य रूप से लघु बचत, भविष्य निधि, आदि (₹ 1,034 करोड़), जमा (₹ 1,550 करोड़), प्रेषण (₹ 39 करोड़) में वृद्धि को आरक्षित निधियों (₹ 670 करोड़) में कमी द्वारा संतुलित करते हुए निवल लोक लेखा शेषों में गत वर्ष की तुलना में 2020-21 में 5.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.5.2 आरक्षित निधियां

वित्त लेखों की विवरणी 21 और 22 में आरक्षित निधियों का विवरण उपलब्ध है। विशिष्ट प्रयोजनों के लिए 11 आरक्षित निधियां (पांच ब्याज वाली आरक्षित निधियां और छः गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां) रखी गई थीं। ब्याज वाली आरक्षित निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान, यदि इसे निवेश न किया जाए, सरकार द्वारा किया जाता है जबकि गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियों के संबंध में शेष राशि का निवेश भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर के केंद्रीय लेखा अनुभाग के प्रशासन के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों में किया जाता है। 31 मार्च 2021 को विभिन्न आरक्षित निधियों (ब्याज वाली और गैर-ब्याज वाली) में पड़े निधि शेष ***तालिका 2.32*** में दिए गए हैं।

तालिका 2.32: आरक्षित निधि के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2021 को शेष
क	**ब्याज वाली आरक्षित निधियां**	**5,476.92**
1	मूल्यह्रास आरक्षित निधि-मोटर परिवहन	528.69
2	मूल्यह्रास आरक्षित निधि-सरकारी प्रैसें	14.30
3	आरक्षित निधि-मोटर परिवहन दुर्घटना आरक्षित निधि	4.18
4	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	3,859.99
5	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि	1,069.76
ख	**गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां**	**2,347.00**
1	ऋणशोधन निधि	719.39
2	खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि	300.75
3	विकास योजनाओं के लिए निधि	1.41
4	हरिजन उत्थान हेतु ग्राम पुनर्निर्माण के लिए निधि	2.29
5	गारंटी मोचन निधि	1,323.13
6	उपभोक्ता कल्याण निधि	0.03
	कुल योग	**7,823.92**

उपर्युक्त में से, गैर-ब्याज वाली दो आरक्षित निधियां, अर्थात् विकास योजनाओं के लिए निधि और हरिजन उत्थान के लिए ग्राम पुनर्निर्माण हेतु निधि पांच वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय हैं। राज्य सरकार को अभी इन निष्क्रिय आरक्षित निधियों को बंद करना है और राज्य की समेकित निधि में उनके शेष को हस्तांतरित करना है।

2.5.2.1 समेकित ऋणशोधन निधि

राज्य सरकार ने आंतरिक ऋण और लोक लेखा की बकाया देयताओं के मोचन के लिए 8 जून 2020 को 2002 की पूर्ववर्ती समेकित ऋणशोधन निधि (स.ऋ.नि.) योजना के साथ एक नई समेकित ऋणशोधन निधि योजना को प्रतिस्थापित किया। दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार को आंतरिक ऋण और लोक लेखा की पिछली बकाया देयताओं का 0.5 प्रतिशत अंशदान देना आवश्यक था।

राज्य सरकार ने 2020-21 के दौरान कोई अंशदान नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,077.81 करोड़ का कम अंशदान हुआ (31 मार्च 2020 तक आंतरिक ऋण और लोक लेखा ₹ 2,15,561.64 करोड़ की बकाया देयताओं का 0.5 प्रतिशत)।

1 अप्रैल 2020 तक निधि के अंतर्गत शेष राशि ₹ 2,084.06 करोड़ थी। वर्ष के दौरान निधि निवेशित रही और ₹ 151.62 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई छूट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण ₹ 1,516.29 करोड़ की राशि (31 मार्च 2020 को बकाया राशि ₹ 2,021.71 करोड़ के अंकित मूल्य पर 75 प्रतिशत) का विनिवेश किया गया है और निधि को ₹ 719.39 करोड़ पर बंद कर दिया गया था, जिसमें से ₹ 717.26 करोड़ का निवेश किया गया था।

2.5.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

राज्य सरकार ने 2010-11 में आपदा राहत निधि को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) में बदल दिया। निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र और राज्यों को 75:25 के अनुपात में निधि में अंशदान करना अपेक्षित है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 28 सितंबर 2010 और 30 जुलाई 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, निधि के प्रबंधन के लिए गठित राज्य कार्यकारी समिति (रा.का.स.) की सिफारिशों के अनुसार निधि शेषों का निवेश करना अपेक्षित है।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में ₹ 3,172.72 करोड़ का आरंभिक शेष था। 2020-21 के दौरान, केंद्र सरकार ने ₹ 491 करोड़ (2020-21 के लिए केंद्रीय अंश की पहली और दूसरी किश्त) जारी किए। भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 491 करोड़ की तुलना में राज्य का अंश ₹ 163.66 करोड़ था। राज्य सरकार ने निधि में ₹ 900.29 करोड़ की राशि हस्तांतरित की जिसमें ₹ 21.37 करोड़ के अव्ययित शेष और ₹ 224.26 करोड़ के ब्याज शामिल हैं। वर्ष के दौरान निधि से ₹ 213.02 करोड़ का व्यय किया गया था। 31 मार्च 2021 को निधि में ₹ 3,859.99 करोड़ का अंतिम शेष था।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के गठन और प्रशासन पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 18 के अनुसार, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से निवेश रा.का.स. के निर्णय के अनुसार किए जाने थे। हालांकि, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में राज्य सरकार द्वारा कोई राशि निवेशित नहीं की गई थी।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए। ***तालिका 2.33*** में दिए गए विवरण के अनुसार, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को ₹ 213.02 करोड़ का व्यय प्रभारित किया गया था।

तालिका 2.33: राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को प्रभारित व्यय का विवरण

प्रमुख लेखा शीर्ष	लघु लेखा शीर्ष	2020-21 के दौरान व्यय
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 02-खाद्य पदार्थ, चक्रवात आदि	101-नि:शुल्क राहत	154.53
	111-पीड़ित परिवारों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान	0.06
	113-सदनों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता	0.02
	117-पशुधन की खरीद के लिए किसानों को सहायता	0.01
	282-जन स्वास्थ्य	0.75
	800-अन्य	0.05
	उप-कुल	**155.42**
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 80-सामान्य	800-अन्य व्यय	96.12
	उप-कुल	**96.12**
	कुल योग	**251.54**
05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	**901- कटौती - राज्य आपदा से मिली राशि**	**213.02**
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को प्रभारित व्यय (राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वीकार्य व्यय)		154.53

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केवल 2245-02-101 के अंतर्गत दर्ज की गई राशि ही राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से वहन करने के लिए स्वीकार्य व्यय है। अत: राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से मिले ₹ 213.02 करोड़ में से ₹ 58.49 करोड़ का व्यय दिशा-निर्देश का उल्लंघन था। इससे वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 58.49 करोड़ के राजस्व व्यय को कम करके दिखाया गया, जिसका प्रभाव राज्य के राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे पर पड़ा।

2.5.2.3 गारंटी मोचन निधि

राज्य सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्थानीय निकायों की ओर से जारी गारंटियों से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए 2003 की पूर्ववर्ती गारंटी मोचन निधि (गा.मो.नि.) के स्थान पर 8 जून 2020 को नई गारंटी मोचन निधि योजना को प्रतिस्थापित किया। पिछले वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों के न्यूनतम एक प्रतिशत के प्रारंभिक अंशदान के साथ सरकार द्वारा निधि की स्थापना की गई है। निधि के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को निधि में सरकार द्वारा एकत्रित गारंटी फीस और सरकार द्वारा अनुमानित वार्षिक या यथा आवधिक अंशदान को हस्तांतरित करना अपेक्षित है। इस निधि का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 2020 को सरकार की बकाया गारंटियां ₹ 20,737.63 करोड़ थी। भारतीय रिजर्व बैंक के 2013 के दिशानिर्देशों में वर्ष के आरंभ में बकाया गारंटियों का न्यूनतम एक प्रतिशत अंशदान और उसके बाद गत वर्ष की बकाया गारंटियों के अगले पांच वर्षों में न्यूनतम तीन प्रतिशत (पांच प्रतिशत तक बढ़ाने योग्य) के कोष को प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम 0.5 प्रतिशत को इंगित किया गया है। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान निधि में किसी राशि का अंशदान नहीं किया, यद्यपि वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 73.97 करोड़ की गारंटी फीस एकत्र की गई थी।

31 मार्च 2021 को निधि के अंतर्गत शेष राशि ₹ 1,323.13 करोड़ (जो ₹ 20,737.63 करोड़ की बकाया गारंटियों का 6.38 प्रतिशत है) थी जो निवेशित थी।

2.5.2.4 खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि

इस निधि की स्थापना (जुलाई 2015) राज्य में खनन क्षेत्र के पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास, सुरक्षा, संरक्षण, राज्य के खनन स्थलों के पुनर्वास एवं पुनरूद्धार के साथ-साथ क्षेत्र की पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के समग्र हित में अन्य संबंधित कार्यों के लिए की गई थी। यद्यपि निधि को 'ब्याज रहित आरक्षित निधि' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इस पर छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देय रहता है।

निधि के संविधान के अनुसार, राज्य को भुगतान की गई 'डेड रेंट/रॉयल्टी/संविदा धन' के 10 प्रतिशत के बराबर राशि को पुनर्स्थापना और पुनर्वास कार्यों के लिए 'अन्य प्रभारों' के तौर पर खनिज रियायत धारकों से प्रभारित किया जाना और निधि में जमा किया जाना है। इसके साथ ही, एक वित्तीय वर्ष में 'डेड रेंट/रॉयल्टी/संविदा धन' के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि के पांच प्रतिशत के बराबर राशि को निधि में सरकारी अंशदान के रूप में जमा/हस्तांतरित किया जाना है।

1 अप्रैल 2020 को निधि में ₹ 220.43 करोड़ का शेष था। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने डेड रेंट आदि के रूप में ₹ 782.03 करोड़ की राशि और रियायत धारकों से 'अन्य प्रभारों' के रूप में ₹ 72.07 करोड़ की राशि प्राप्त की। ₹ 117.30 करोड़ की राशि (रियायत धारकों का अंशदानः ₹ 78.20 करोड़ अर्थात् डेड रेंट का 10 प्रतिशत जमा राज्य का अंशः ₹ 39.10 करोड़ अर्थात् ₹ 782.03 करोड़ के डेड रेंट का पांच प्रतिशत) का अंशदान निधि में किया जाना अपेक्षित था। हालांकि, वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 85.50 करोड़ (राज्य का अंशदानः ₹ 27.84 करोड़ और रियायत धारकों का अंशदानः ₹ 57.66 करोड़ 'अन्य प्रभार' के विरूद्ध प्राप्त ₹ 72.07 करोड़) की राशि का अंशदान दिया। इस प्रकार ₹ 25.67 करोड़ का कम अंशदान था। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान निधि में शेष राशि पर ब्याज के रूप में ₹ 5.13 करोड़ की अनुमति दी है, जिससे ब्याज के कारण ₹ 8.10 करोड़ की सीमा (₹ 220.43 करोड़ का छः प्रतिशत) तक निधि में कम अंशदान हुआ। वर्ष के दौरान निधि से ₹ 10.31 करोड़ का व्यय वहन किया गया था, जिससे 31 मार्च 2021 को निधि में ₹ 300.75 करोड़ का शेष रह गया।

2.5.2.5 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 5-1/2009-एफ.सी. दिनांक 28 अप्रैल 2009 द्वारा जारी अनुदेशों तथा 2 जुलाई 2009 के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकारों द्वारा राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए। राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण प्राप्त राशि का प्रबंधन करेगा और प्रतिपूरक वनीकरण, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों का संरक्षण एवं सुरक्षा, आधारभूत संरचना का विकास, वन्यजीव संरक्षण एवं सुरक्षा तथा अन्य संबंधित गतिविधियों और इसके साथ जुड़े मामलों के लिए एकत्र राशि का उपयोग करेगा। प्राधिकरण इस प्रयोजन के लिए राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि की स्थापना करेगा। यह ब्याज वाली आरक्षित निधि है, जिसका निवेश किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष के आरंभ में निधि के अंतर्गत शेष राशि ₹ 1,282.65 करोड़ थी। वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार को राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण निधि का राज्य हिस्सा होने के कारण राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण जमा से निधि में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान कोई ब्याज नहीं दिया। वर्ष के दौरान निधि से ₹ 212.89 करोड़ का व्यय किया गया था। राज्य सरकार ने कोई निवेश नहीं किया है जबकि 31 मार्च 2021 तक निधि में ₹ 1,069.76 करोड़ की राशि शेष थी।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, अपेक्षित धनराशि जुटाने, इसके जोखिम एवं लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने, तथा सरकार द्वारा अधिनियम के माध्यम से नियत या किन्हीं अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से किसी भी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार के ऋण के प्रबंधन हेतु एक रणनीति स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है। हरियाणा में 2016-21 के दौरान बकाया ऋण का विवरण ***चार्ट 2.15*** में दिया गया है।

चार्ट 2.15: हरियाणा में 2016-21 के दौरान बकाया ऋण के विवरण

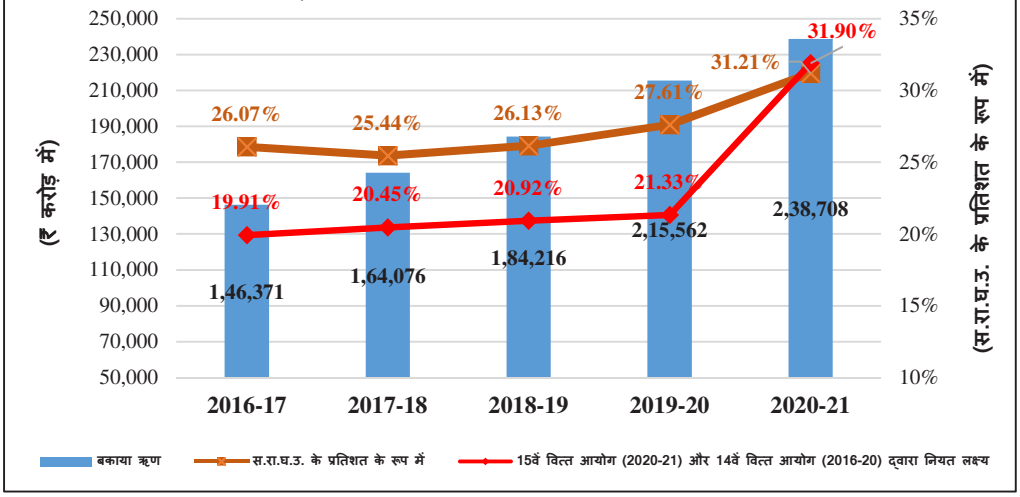

* **वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।**

2.6.1 ऋण प्रोफ़ाइल: घटक

राज्य सरकार के कुल ऋणों में आम तौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थाओं से ऋण, आदि), केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम और लोक लेखा देयताएं होती हैं। 2020-21 के दौरान राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं को ***चार्ट 2.16*** में प्रस्तुत किया गया है। 2016-17 से प्रारंभ होकर पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्य की घटक-वार ऋण प्रवृत्तियों को ***तालिका 2.34*** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.34: घटक वार ऋण प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय देयता के घटक		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
समग्र बकाया ऋण		**1,46,371**	**1,64,076**	**1,84,216**	**2,15,562**	**2,38,708**
लोक ऋण	आंतरिक ऋण	1,22,617	1,37,813	1,54,968	1,83,786	2,03,958
	भारत सरकार से ऋण	1,986	1,941	1,867	1,705	1,500*
लोक लेखा देयताएं		21,768	24,322	27,381	30,071	33,250
बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)		21.25	12.10	12.27	17.02	10.74
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (सकल राज्य घरेलू उत्पाद)		5,61,424	6,44,963	7,04,957	7,80,612	7,64,872
ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)		26.07	25.44	26.13	27.61	31.21
लोक ऋण प्राप्तियां		28,170	21,490	34,265	44,432	49,465*
लोक ऋण पुनर्भुगतान		5,276	6,339	17,184	15,776	29,498
उपलब्ध लोक ऋण		22,894	15,151	17,081	28,656	19,967
लोक-ऋण पुनर्भुगतान/प्राप्तियां (प्रतिशत)		18.73	29.50	50.15	35.51	59.63
निवल लोक लेखा प्राप्तियां		2,759	2,554	3,059	2,690	3,179
उपलब्ध कुल ऋण		25,653	17,705	20,140	31,346	23,146

* **वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।**

चार्ट 2.16: 31 मार्च 2021 के अंत में समग्र बकाया ऋण का विघटन

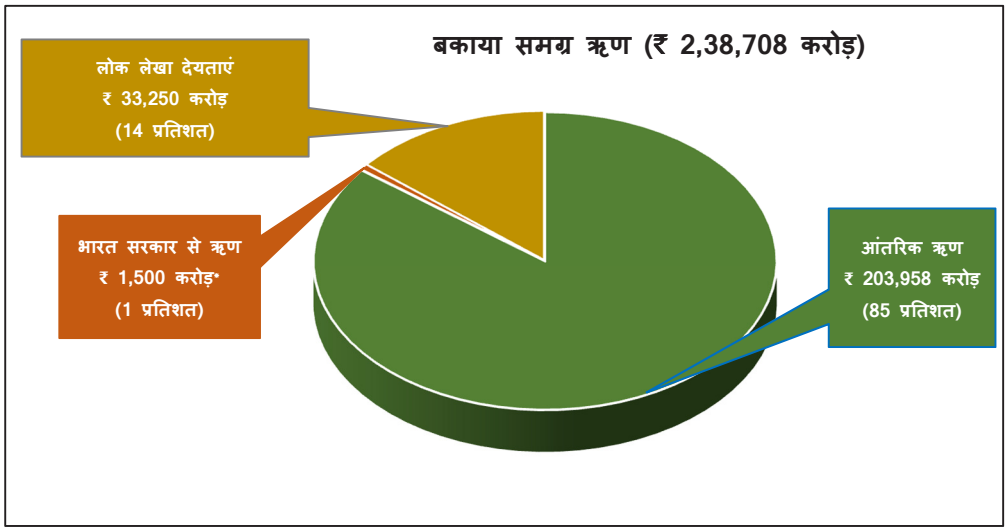

* **वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।**

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2016-17 में ₹ 1,46,371 करोड़ से 63.08 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2020-21 में ₹ 2,38,708 करोड़ हो गई, इसके मुख्य कारण लोक ऋणों (₹ 80,855 करोड़) और लोक लेखा देयताओं (₹ 11,482 करोड़) में बढ़ोतरी थी। गत वर्ष के 17.02 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 में समग्र राजकोषीय देयताओं में 10.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय देयताओं का अनुपात 2016-17 में 26.07 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 31.21[12] प्रतिशत हो गया। ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों

[12] वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

का 3.53 गुणा और राज्य के अपने संसाधनों का 4.88 गुणा थीं। यह देखना महत्वपूर्ण है कि ₹ 2,38,708 करोड़ की राजकोषीय देयताएं वर्ष 2020-21 में मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में प्रक्षेपित ₹ 1,98,700 करोड़ की सीमा से अधिक थीं।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्राम कुटैल (करनाल) में पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय परियोजना हेतु 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्य सरकार को ₹ 91 करोड़ की विशेष सहायता प्रदान की है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजकोषीय देयताएं 31.21 प्रतिशत थी जो 15वें वित्त आयोग के मानकीय निर्धारण 31.90 प्रतिशत की सीमा में थी।

चार्ट 2.17: लिए गए की तुलना में पुनर्भुगतान किए गए आंतरिक ऋण

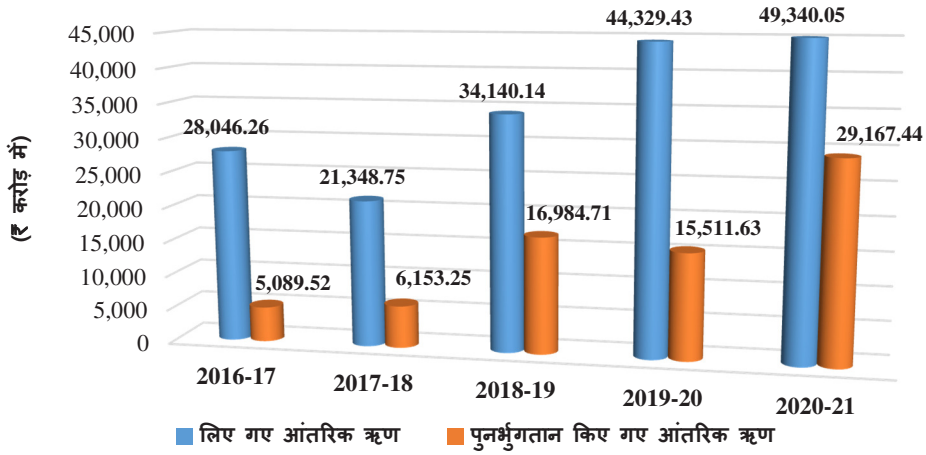

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 2016-17 में ₹ 1,22,617 करोड़ से ₹ 81,341 करोड़ (66.34 प्रतिशत) बढ़कर 2020-21 में ₹ 2,03,958 करोड़ हो गया। ***चार्ट 2.17*** में लिए गए ऋण की तुलना में पुनर्भुगतान किए गए आंतरिक ऋणों की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। जिसमें 2020-21 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 15,444 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था।

राज्य सरकार के आंतरिक ऋणों में एक बड़ा भाग बाजार उधारी का है, जिसमें ब्याज दर 4.40 से 9.89 प्रतिशत के बीच है। 2020-21 में ₹ 49,340 करोड़ की कुल आंतरिक ऋण प्राप्तियों में से ₹ 30,000 करोड़ का बाजार ऋण था। ₹ 29,167 करोड़ के कुल आंतरिक ऋण पुनर्भुगतान में से, बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान ₹ 4,450 करोड़ था। 31 मार्च 2021 को बकाया बाजार उधारी ₹ 1,61,216 करोड़ थी। वर्ष के दौरान बाजार उधार की निवल वृद्धि 18.83 प्रतिशत (₹ 25,550 करोड़) थी।

राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में संरचनागत बदलाव ***चार्ट 2.18*** और ***तालिका 2.35*** में दर्शाया गया है। 2020-21 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण ***तालिका 2.36*** में दिए गए हैं।

तालिका 2.35: राजकोषीय घाटे के घटक और इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजकोषीय घाटे की संरचना		(-)26,285	(-)19,114	(-)21,912	(-)30,519	(-)29,486
1	राजस्व घाटा	(-)15,906	(-)10,562	(-)11,270	(-)16,990	(-)22,385
2	निवल पूंजीगत व्यय	(-)6,837	(-)13,498	(-)15,258	(-)17,612	(-)5,807
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-)3,542	4,946	4,616	4083	(-)494
4	आकस्मिक निधि का विनियोजन	-	-	-	-	(-)800
राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति						
1	बाजार उधार	15,358.98	15,839.49	17970.00	20,676.85	25,550.00
2	भारत सरकार से ऋण	(-)63.06	(-)44.59	(-)74.33	(-)161.49	4,146.52
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	(-)947.05	(-)954.14	(-)980.58	(-)1,004.39	(-)1,004.39
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	8,544.81	310.15	165.99	9,145.34	(-)4,373.00
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,114.88	1,226.32	1,167.71	1,247.23	1,034.45
6	आरक्षित निधि	1,646.31	673.72	553.47	1,925.34	(-)670.44
7	जमा एवं अग्रिम	(-)2.12	653.55	1,337.50	(-)482.75	1,549.76
8	उचंत एवं विविध	1,734.84	518.78	1,296.28	(-)1,623.60	1,562.54
9	प्रेषण	57.66	(-)25.09	170.72	(-)53.74	39.11
10	आकस्मिक निधि का विनियोजन	-		-	-	800.00
11	**समग्र घाटा**	**27,445.25**	**18,198.19**	**21,606.76**	**29,668.79**	**28,634.55**
12	रोकड़ शेष में वृद्धि/कमी	(-)1,160.13	916.30	304.99	849.83	851.53
13	**सकल राजकोषीय घाटा**	**26,285.12**	**19,114.49**	**21,911.75**	**30,518.62**	**29,486.08**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.18: 2016-21 के दौरान राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने की प्रवृत्तियां

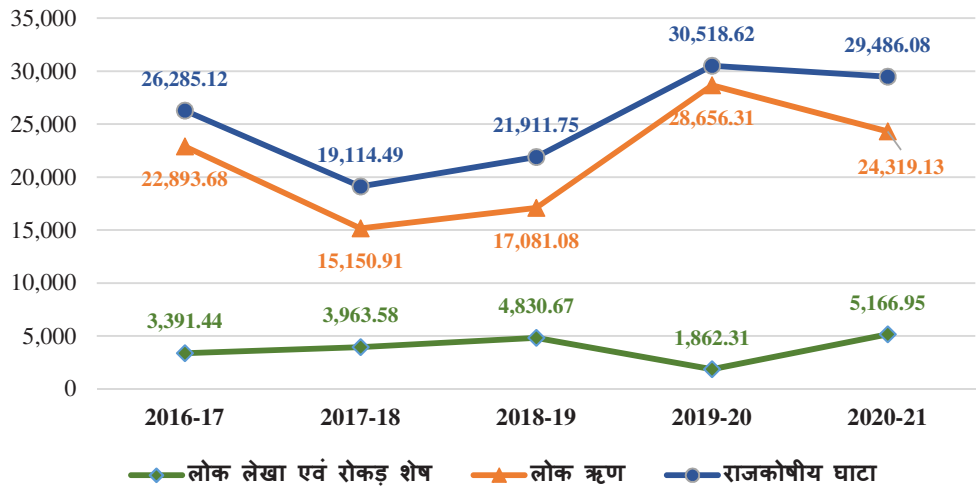

तालिका 2.36: राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने वाले घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		प्राप्ति	संवितरण	निवल
1	बाजार उधार	30,000.00	4,450.00	25,550.00
2	भारत सरकार से ऋण	4,476.68*	330.16	4,146.52
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	शून्य	1,004.39	(-)1,004.39
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	14,362.72	18,735.72	(-)4,373.00
5	आकस्मिक प्राप्तियां	800.00	-	800.00
6	लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	3,604.79	2,570.34	1,034.45
7	जमा एवं अग्रिम	37,408.58	35,858.82	1,549.76
8	आरक्षित निधियां	1,342.32	2,012.76	(-)670.44
9	उचंत और विविध	2,610.02	1,047.48	1,562.54
10	प्रेषण	8,795.19	8,756.08	39.11
11	**समग्र आधिक्य (-) घाटा (+)**	**1,03,400.30**	**74,765.75**	**28,634.55**
12	रोकड़ शेष में वृद्धि(-)/कमी(+)	3,999.47	3,147.94	851.53
13	**सकल राजकोषीय घाटा**	**1,07,399.77**	**77,913.69**	**29,486.08**

* **वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल हैं।**

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, 2016-17 से 2020-21 के दौरान राजकोषीय घाटे को बड़े पैमाने पर लोक ऋण, जिसमें बाजार उधार, भारत सरकार से ऋण आदि शामिल हैं, के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था।

2.6.2 ऋण प्रोफ़ाइल: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

लोक ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान प्रोफ़ाइल सरकार की ऋण पुनर्भुगतान या ऋण सर्विसिंग की प्रतिबद्धता को इंगित करता है।

तालिका 2.37: लोक ऋण परिपक्वता प्रोफ़ाइल

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता (लोक ऋण के संबंध में)
0 - 1	15,585.20	8
1 - 3	39,250.09	19
3 - 5	41,267.62	20
5 - 7	43,539.02	21
7 एवं अधिक	64,329.49	31
अन्य	1,397.63*	1
कुल	**2,05,369.05**[13]	**100**

* **वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।**

[13] लोक ऋण के अंतर्गत परिपक्वता प्रोफ़ाइल और शेष राशि के मध्य ₹ 89.13 करोड़ के अंतर का समाधान किया जा रहा है।

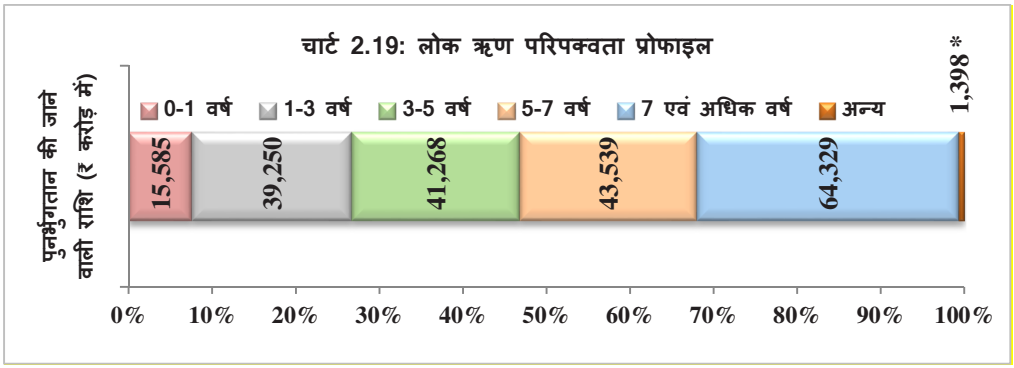

* वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

मार्च 2021 तक कुल बकाया लोक ऋण ₹ 2,05,369.05 करोड़ था। 31 मार्च 2021 को लोक ऋण की बकाया राशियों का परिपक्वता प्रोफ़ाइल यह दर्शाता है कि कुल बकाया ऋण का 68 प्रतिशत (₹ 1,39,641.93 करोड़) सात वर्ष तक की अवधि में परिपक्व होने वाला है और शेष ₹ 64,329.49 करोड़ (31 प्रतिशत) सातवें वर्ष के बाद की अवधि में परिपक्व होगा जैसा कि ***तालिका 2.37*** और ***चार्ट 2.19*** में दर्शाया गया है।

ब्याज सहित बाजार ऋणों की पुनर्भुगतान अनुसूची ***चार्ट 2.20*** में दी गई है।

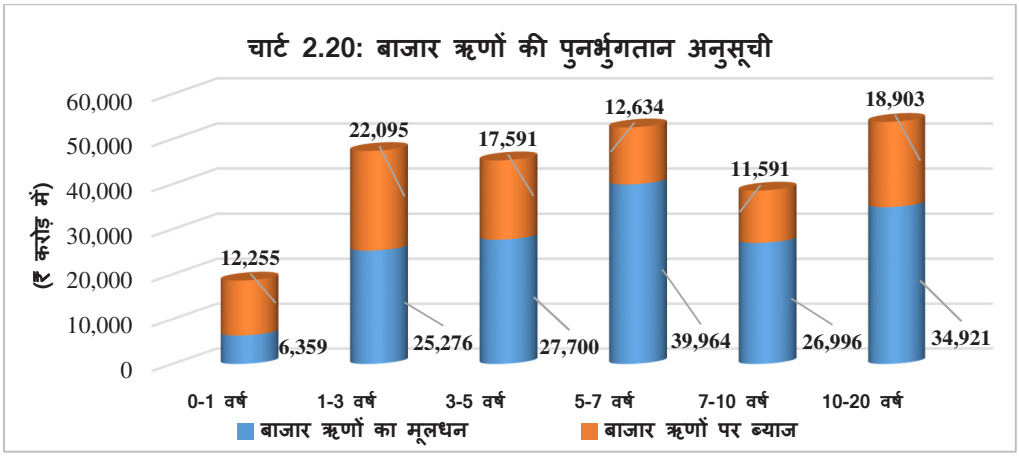

टिप्पणी: 31 मार्च 2021 तक बकाया ऋणों के लिए परिपक्वता प्रोफ़ाइल विकसित किया गया है और ब्याज की गणना ऋण पूर्ण होने वाले वित्तीय वर्ष तक की गई है।

राज्य को बाजार ऋणों के लिए अगले तीन वित्तीय वर्षों में अर्थात् 2023-24 तक ₹ 31,635 करोड़ का पुनर्भुगतान और ₹ 34,350 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना होगा। अगले दो वर्षों, 2025-26 तक, ₹ 27,700 करोड़ का मूलधन और ₹ 17,591 करोड़ का ब्याज देय होगा। अगले पांच वर्षों, 2025-26 तक, ऋण पुनर्भुगतान और ब्याज के रूप में लगभग ₹ 22,255 करोड़ का वार्षिक भुगतान करना होगा।

2026-27 से 2030-31 की अवधि में ₹ 66,960 करोड़ के ऋण और ₹ 24,225 करोड़ के ब्याज देय होंगे। इस प्रकार राज्य को 2026-27 से 2030-31 की अवधि के दौरान लगभग ₹ 18,237 करोड़ का प्रतिवर्ष पुनर्भुगतान करना होगा।

2.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण

सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त, विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं और भविष्य में अपने ऋण दायित्व को पूरा करने के लिए राज्य की क्षमता का आकलन करते हैं। यह खंड बकाया ऋणों की वृद्धि दर; ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्ति का अनुपात; ऋण पुनर्भुगतान तथा ऋण प्राप्ति; राज्य के लिए निवल ऋण की उपलब्धता की गणना से सरकार के ऋण की स्थिरता का आकलन करता है। ***तालिका 2.38*** में 2016-17 से पांच वर्ष की अवधि के लिए इन संकेतकों के आधार पर राज्य की ऋण स्थिरता का विश्लेषण किया गया है।

तालिका 2.38: ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरता संकेतक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बकाया लोक ऋण*	1,24,603	1,39,754	1,56,835	1,85,491	2,05,458*
बकाया लोक ऋण की वृद्धि की दर	22.51	12.16	12.22	18.27	10.76
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	5,61,424	6,44,963	7,04,957	7,80,612	7,64,872
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	13.30	14.88	9.30	10.73	(-)2.02
लोक ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	22.19	21.67	22.25	23.76	26.86
राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता प्रोफ़ाइल - डिफाल्ट इतिहास सहित, यदि कोई हो	2,382.11	2,561.93	5,054.18	5,840.63	12,132.69
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.17	8.08	8.16	8.17	7.94
राजस्व प्राप्ति से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	17.62	17.04	18.37	20.60	22.97
ऋण प्राप्ति से ऋण भुगतान की प्रतिशतता	18.73	29.50	50.15	35.50	59.63
राज्य के पास उपलब्ध निवल ऋण#	13,646.26	4,469.12	4,981.11	14,677.34	4,449.26
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल ऋण	48.44	20.80	14.54	33.03	8.99
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा प्रसार$ + प्राथमिक घाटा)	(-)9,139.04	2,322.32	(-)7,592.51	(-)10,441.12	(-)29,876.02

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* **बकाया लोक ऋण, शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण और 6004-केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत बकाया शेष राशि का योग है। 2020-21 के दौरान, वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।**

\# **राज्य सरकार को उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण पुनर्भुगतान एवं लोक ऋण पर ब्याज भुगतान पर लोक ऋण प्राप्तियों की अधिकता के रूप में की जाती है।**

$ **प्रमात्रा प्रसार = (ऋण X प्रसार दर) जहां प्रसार दर = (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर - ब्याज दर)।**

ऋण स्थिरता के लिए एक अनिवार्य शर्त यह है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लोक ऋण की ब्याज दर से अधिक है, तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के स्थिर होने की संभावना है, बशर्ते कि प्रारंभिक शेष या तो शून्य या धनात्मक हो या मध्यम ऋणात्मक

हो। इस प्रकार, यदि प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात बढ़ जाएगा।

हरियाणा में, प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटे के ऋणात्मक आंकड़े के कारण ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 2016-17 में 22.19 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 26.86 प्रतिशत हो गया। 2016-17 से आरंभ होने वाले पांच वर्षों की ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्तियां ***चार्ट 2.21*** में दर्शाई गई हैं।

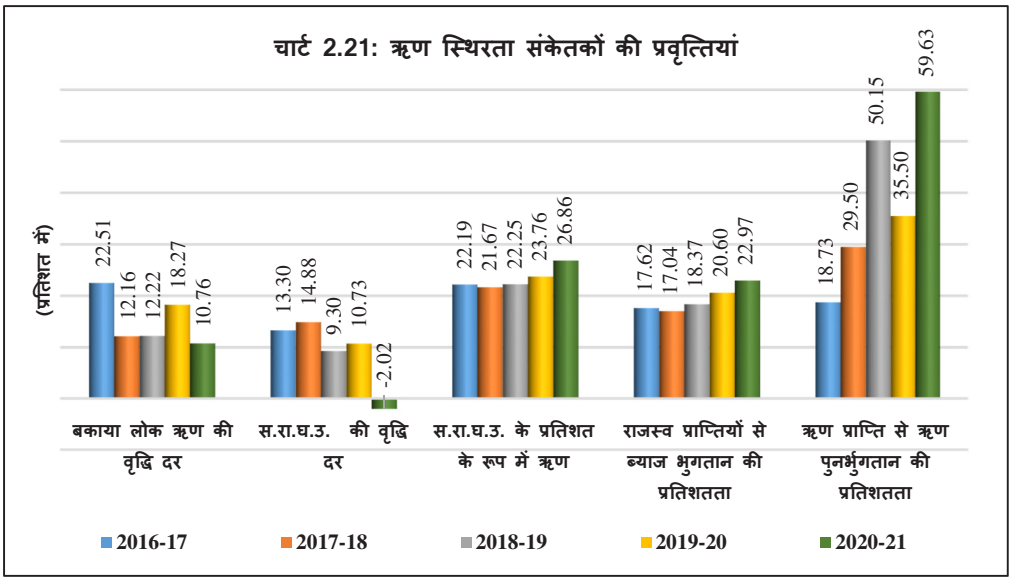

2016-21 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के लोक ऋण 64.89 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2016-17 में ₹ 1,24,603 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 2,05,458 करोड़ हो गए। 2016-17 से 2020-21 की अवधि में वार्षिक वृद्धि दर 10.76 प्रतिशत और 22.51 प्रतिशत के मध्य रही जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2019-20 तक 9.30 और 14.88 प्रतिशत के मध्य रही और 2020-21 के दौरान घटकर (-) 2.02 प्रतिशत रह गई ।

2.7.1 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप से पूंजी सृजन और विकासात्मक गतिविधियों को निधि देने के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग करना टिकाऊ नहीं है। 2016-21 की अवधि के दौरान पूर्ववर्ती उधारों के पुनर्भुगतान, पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय के लिए उधार ली गई निधियों के उपयोग का विवरण ***तालिका 2.39*** में दिया गया है।

तालिका 2.39: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल उधार	28,169.52	21,489.76	34,264.97	44,431.82	49,464.73[14]
पूर्ववर्ती उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (प्रतिशतता)	5,275.84 (19)	6,338.85 (29)	17,183.87 (50)	15,775.51 (36)	29,497.60 (60)
निवल पूंजीगत व्यय (प्रतिशतता)*	6,836.83 (24)	8,308.03 (39)	10,067.59 (29)	12,421.92 (28)	5,806.74 (11)
निवल ऋण एवं अग्रिम*	3,541.68 (13)	243.96 (1)	573.74 (2)	1,106.62 (2)	493.75 (1)
उपलब्ध निवल उधार से किए गए राजस्व व्यय का भाग	12,515.17 (44)	6,598.92 (31)	6,439.77 (19)	15,127.77 (34)	13,666.64 (28)

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

कोष्ठक में कुल उधारों की राशि से प्रतिशतता इंगित की गई है।

* **निवल पूंजीगत व्यय और निवल ऋणों एवं अग्रिमों की गणना वर्ष 2019-20 के राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाई गई है।**

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अत: राजस्व व्यय के लिए भी सरकार उधार पर निर्भर रही। 2020-21 के दौरान, ₹ 13,667 करोड़ (कुल राजस्व व्यय का 15 प्रतिशत) का राजस्व व्यय उधार ली गई निधियों से पूरा किया गया था, जो उधार ली गई धनराशि का 28 प्रतिशत है।

इस प्रकार, 2016-17 से 2020-21 के दौरान 60 प्रतिशत तथा 88 प्रतिशत के मध्य उधार ली गई निधियों का उपयोग पूर्व के ऋणों के पुनर्भुगतान तथा राजस्व व्यय के लिए किया गया था। 2020-21 के दौरान, उधार ली गई निधियों का 88 प्रतिशत पूर्व के ऋणों के पुनर्भुगतान (60 प्रतिशत) तथा राजस्व व्यय (28 प्रतिशत) के लिए उपयोग किया गया था। इसलिए, उधार ली गई निधियों का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नहीं किया गया।

2016-21 की अवधि के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति को ***चार्ट 2.22*** में दर्शाया गया है।

[14] वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

चार्ट 2.22: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियां

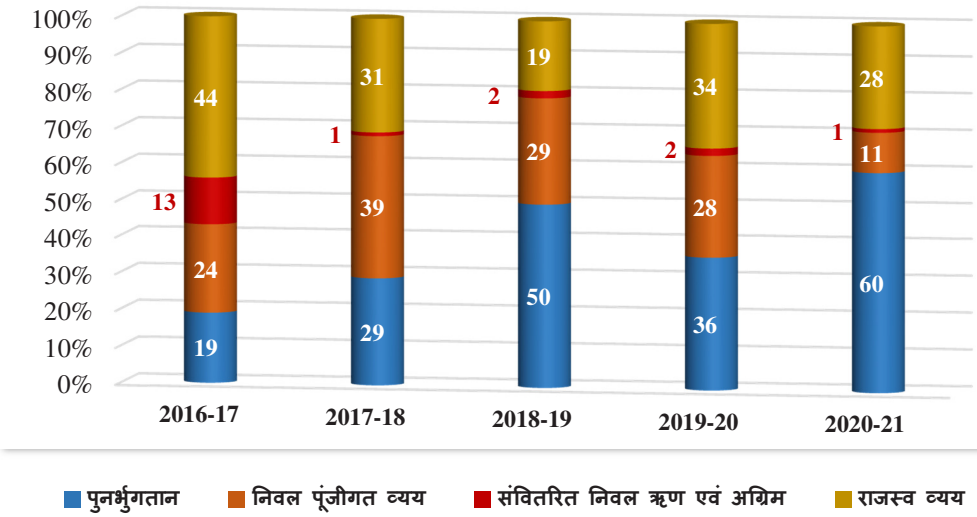

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.7.2 गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां, ऋण लेने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण वापस न करने की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं। राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 293 की अनुपालना में राज्य की समेकित निधि की जमानत पर दी जाने वाली गारंटियों की एक सीमा, जहां तक गारंटी दी जा सकती है, निर्धारित करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया है।

वित्त लेखाओं की विवरणी संख्या 9 के अनुसार पिछले पांच वर्षों की बकाया गारंटियों और बकाया गारंटियों की कुल प्राप्तियों की स्थिति ***चार्ट 2.23*** और ***2.24*** में दी गई है।

चार्ट 2.23: फीस सहित बकाया गारंटियों की स्थिति
(₹ करोड़ में)

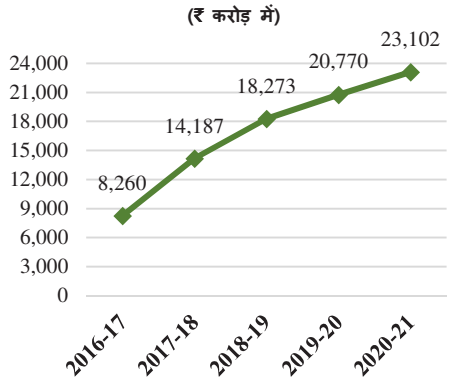

चार्ट 2.24: 31 मार्च 2021 की समाप्ति पर गारंटियों के क्षेत्रवार विवरण
(₹ करोड़ में)

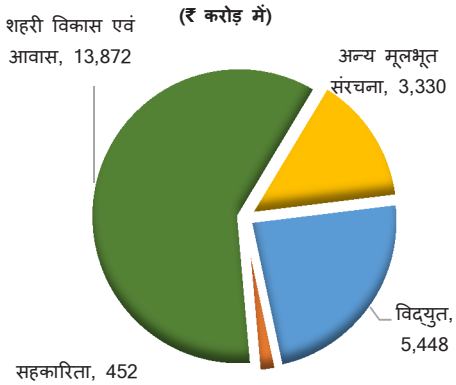

स्रोत: वित्त लेखे

2020-21 के दौरान सरकार द्वारा गारंटियों के विरुद्ध कोई राशि अदा नहीं की गई थी। 31 मार्च 2021 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के संबंध में गारंटी फीस सहित बकाया गारंटियों का विवरण ***तालिका 2.40*** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.40: संस्थाओं को दी गई गारंटी फीस सहित बकाया गारंटियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों का नाम	गारंटी की संख्या	गारंटी फीस सहित बकाया गारंटी
1	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.)	10	13,151.30
2	हरियाणा राज्य औद्योगिक मूलभूत संरचना विकास निगम	5	3,130.84
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	17	3,878.07
4	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	8	778.05
5	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक	1	264.67
6	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2	405.75
7	हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा	6	314.64
8	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	9	757.87
9	हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	1	85.96
10	नगर निगम, फरीदाबाद	2	62.20
11	हरियाणा राज्य भंडारण निगम	4	34.59
12	हरियाणा पावर जनरेशन लिमिटेड, पंचकुला	1	33.91
13	अन्य	8	203.85
	कुल	**74**	**23,101.70**

स्रोत: वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे

31 मार्च 2021 तक गारंटी फीस सहित कुल बकाया गारंटी में से 93.92 प्रतिशत (₹ 21,696.13 करोड़) मुख्य रूप से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (₹ 13,151.30 करोड़), हरियाणा राज्य औद्योगिक मूलभूत संरचना विकास निगम (₹ 3,130.84 करोड़), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 3,878.07 करोड़), हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 778.05 करोड़) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 757.87 करोड़) के संबंध में बकाया थी।

2.7.3 रोकड़ शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के पास न्यूनतम दैनिक रोकड़ शेष बनाए रखना होता है। यदि किसी दिन शेष सहमत न्यूनतम से कम हो जाता है, तो समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम (सा.अ.अ.) एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम (वि.अ.अ.)/ओवरड्राफ्ट (ओ.डी.) लेकर कमी को पूरा किया जाता है।

वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश के तुलनात्मक आंकड़े ***तालिका 2.41*** में दिए गए हैं।

तालिका 2.41: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

	01 अप्रैल 2020 को आरंभिक शेष	31 मार्च 2021 को अंतिम शेष
क. सामान्य रोकड़ शेष		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशि	(-)1,644.93	(-)463.47
ट्रांजिट लोकल में प्रेषण	0.54	0.54
कुल	**(-)1,644.39**	**(-)462.93**
रोकड़ शेष निवेश लेखे में किया गया निवेश	2,332.87	1,564.72
कुल (क)	**688.48**	**1,101.79**
ख. अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों जैसे कि लोक निर्माण, वन अधिकारियों के पास रोकड़	2.83	3.34
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थाई अग्रिम	0.12	0.12
चिह्नित निधियों में निवेश	3,308.04	2,042.69
कुल (ख)	**3,310.99**	**2,046.15**
कुल (क + ख)	**3,999.47**	**3,147.94**
वसूल किया गया ब्याज	**76.54**	**29.49**

स्रोत: वित्त लेखे

तालिका 2.42: रोकड़ शेष निवेश लेखा (प्रमुख शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/कमी (-)	अर्जित ब्याज
2016-17	4,173.12	2,554.85	(-)1,618.27	161.32
2017-18	2,554.85	2,084.53	(-)470.32	94.89
2018-19	2,084.53	721.57	(-)1,362.96	91.54
2019-20	721.57	2,332.87	1,611.30	76.54
2020-21	2,332.87	1,564.72	(-)768.15	29.49

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

रोकड़ शेष में चिह्नित निधियों से ₹ 2,042.69 करोड़ का निवेश था। उक्त निवेश, जिसमें ऋण शोधन निधि निवेश खाता (₹ 717.26 करोड़) तथा गारंटी मोचन निधि निवेश खाता (₹ 1,323.13 करोड़) शामिल हैं, को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था। वर्ष 2020-21 में सरकार 323 दिन के लिए ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखने में समर्थ थी। सरकार द्वारा न्यूनतम रोकड़ को बनाए रखने के लिए 41 दिनों के लिए विशेष अर्थोपाय अग्रिम (वि.अ.अ.) और एक दिन के लिए साधारण अर्थोपाय अग्रिम (सा.अ.अ.) लिया गया था। 2020-21 के दौरान सरकार को अर्थोपाय अग्रिम पर ₹ 1.31 करोड़ ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

2020-21 के दौरान राज्य के पास ₹ 3,999 करोड़ का प्रारंभिक रोकड़ शेष था और सरकार ने अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बाजार से ₹ 30,000 करोड़ उधार लिया था। अंतिम रोकड़ शेष ₹ 3,148 करोड़ था।

चार्ट 2.25: नकद शेष की तुलना में बाजार ऋण
(₹ करोड़ में)

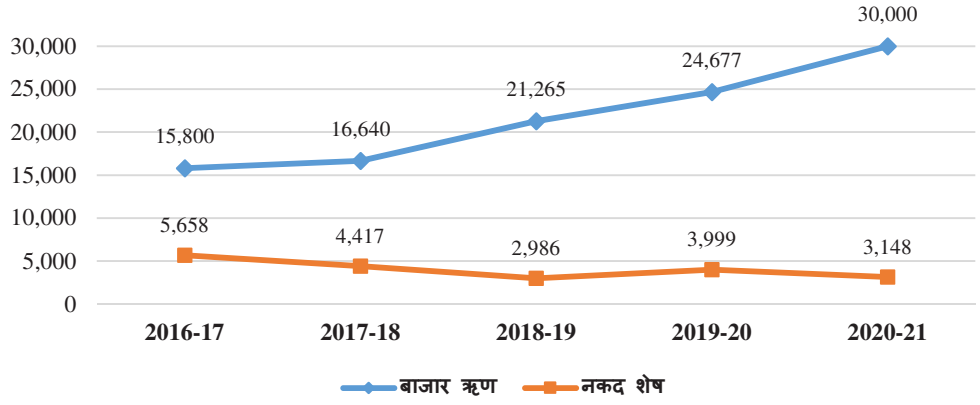

2.8 निष्कर्ष

राजस्व घाटे का प्रगामी उन्मूलन द्वारा विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 पारित किया था। हालांकि, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संसोधन नहीं किया गया है। राज्य राजस्व घाटे वाला राज्य बना हुआ है। 2019-20 में 25 प्रतिशत की तुलना में राजस्व घाटा 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 33.13 प्रतिशत था।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक समय अवधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाती है। राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 की अवधि के दौरान (-) 2.02 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

राजस्व घाटा, जिसे 2011-12 तक शून्य पर लाया जाना था, 2020-21 के दौरान बढ़कर ₹ 22,385 करोड़ हो गया। यह इंगित करता है कि राज्य ने वर्तमान खपत को पूरा करने के लिए निधियां उधार ली थी। 2020-21 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा ₹ 29,486 करोड़ था जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.86 प्रतिशत था और सितंबर 2020 में संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मानक निर्धारण के भीतर था। राजकोषीय घाटे को मुख्यत: बाजार उधार के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था।

वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 49,465[15] करोड़ के कुल उधार में से, राज्य सरकार ने केवल ₹ 5,870 करोड़ (11 प्रतिशत) का पूंजीगत व्यय किया। शेष 89 प्रतिशत उधारों का उपयोग

[15] वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

पूर्ववर्ती ऋणों के पुनर्भुगतान, ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण और राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए किया गया था।

राजस्व प्राप्तियों की वार्षिक वृद्धि दर 2016-17 में 10.39 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में मात्र 2.99 प्रतिशत रह गई और 2020-21 में (-) 0.44 प्रतिशत रह गई, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान खपत को पूरा करने के लिए उधार ली गई निधियों पर अधिक निर्भरता हुई। इसके अतिरिक्त, राज्य के स्वयं के राजस्व ने पिछले वर्ष की तुलना में 2.69 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की, जिससे भारत सरकार के अंशदान पर अधिक निर्भरता हुई।

राज्य ने केवल 45 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र के लिए छोड़ते हुए कुल राजस्व व्यय का 55 प्रतिशत वेतन एवं मजदूरी, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसी प्रतिबद्ध देयताओं पर खर्च किया। हरियाणा में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कुल व्यय का प्रतिशत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत से कम था।

राज्य लेखों के अनुसार तथा 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों के अनुसार इक्विटी निवेश के आंकड़ों में ₹ 8,368 करोड़ का अंतर था। यह अंतर मुख्यत: उदय योजना के अंतर्गत राज्य विद्युत उपयोगिताओं को ₹ 7,785 करोड़ के सहायता अनुदान के कारण है, जिसे 2015-16 और 2016 17 के दौरान राजस्व व्यय के अंतर्गत दर्ज किया गया था और पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से पूर्वव्यापी प्रभाव से 2018-19 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किया गया था।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2021 तक सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कंपनियों और सहकारी समितियों में अपने कुल निवेश (₹ 37,567 करोड़) पर केवल 0.43 प्रतिशत रिटर्न अर्जित किया। इसके अतिरिक्त, कुल निवेश का 86 प्रतिशत हानि उठाने वाली 12 सरकारी कम्पनियों में किया गया था जिनकी संचित हानि ₹ 29,638 करोड़ थी, जिससे उस सीमा तक सरकारी निवेश का ह्रास हुआ।

सहकारी चीनी मिलों के विरूद्ध वर्ष के प्रारंभ में ₹ 3,418.72 करोड़ की राशि के ऋण बकाया थे। इन चीनी मिलों को पूर्ववर्ती ऋणों की वसूली किए बिना ₹ 467.40 करोड़ के और ऋण दिए गए थे।

कुल मिलाकर लोक ऋण और लोक लेखा देयताओं सहित राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 31.21 प्रतिशत थीं (वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है)। गत वर्ष की तुलना में ऋण में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई । राज्य सरकार ने ₹ 49,465 करोड़ का लोक ऋण लिया और ₹ 29,498 करोड़ का ऋण चुकाया। वर्ष के दौरान, ब्याज भुगतान के कारण व्यय राजस्व व्यय के 19 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों के 25 प्रतिशत के बराबर था।

राज्य सरकार ने 2020-21 के दौरान बकाया ऋणों पर ब्याज के रूप में ₹ 91.59 करोड़ (1.20 प्रतिशत) प्राप्त किए, जबकि बकाया ऋण पर 7.46 प्रतिशत पर ब्याज का भुगतान किया। राज्य सरकार ने 2020-21 के दौरान 6.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत ब्याज दर पर ऋण लिया।

राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि और खदान एवं खनिज पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 5,230.50 करोड़ की निधियों का निवेश नहीं किया।

2.9 सिफारिश

सरकार निम्नलिखित पर विचार करे:

- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जो भारी नुकसान उठा रहे हैं, के कार्यचालन की समीक्षा करना और उनके पुनरुद्धार या उन्हें बंद करने, जैसा भी मामला हो, के लिए एक रणनीतिक योजना तैयार करना;
- सहकारी चीनी मिलों, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और अन्य ऋणी संस्थाओं के विरूद्ध बकाया ऋणों की समय पर वसूली की प्रणाली विकसित करना; तथा
- आरक्षित निधियों का निवेश करना ताकि इन निधियों के अभिप्रेत उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके जिसके लिए इन निधियों का सृजन किया गया था।

अध्याय-3

बजटीय प्रबंधन

अध्याय 3: बजटीय प्रबंधन

3.1 बजट प्रक्रिया

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)" कहा जाता है, राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाता है। व्यय के अनुमान 'भारित' और 'दत्तमत' मदों[1] के व्यय को अलग-अलग दर्शाते हैं और अन्य व्यय से राजस्व लेखे पर व्यय के भिन्न करते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पूर्व विधायी प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है।

पंजाब बजट नियमावली, जैसा कि हरियाणा द्वारा अपनाया गया है, के अनुसार वित्त विभाग, विभिन्न विभागों से अनुमान प्राप्त करके वार्षिक बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। प्राप्तियों और व्यय को विभागीय अनुमान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्ष के परामर्श पर तैयार किया जाता है और निर्धारित तिथियों को वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विभाग अनुमानों को समेकित करता है और विस्तृत अनुमान तैयार करता है जिसको 'अनुदानों के लिए मांग' कहते हैं। ***चार्ट 3.1*** में दिए अनुसार राज्य बजट में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं।

चार्ट 3.1: राज्य के बजट दस्तावेजों के विवरण

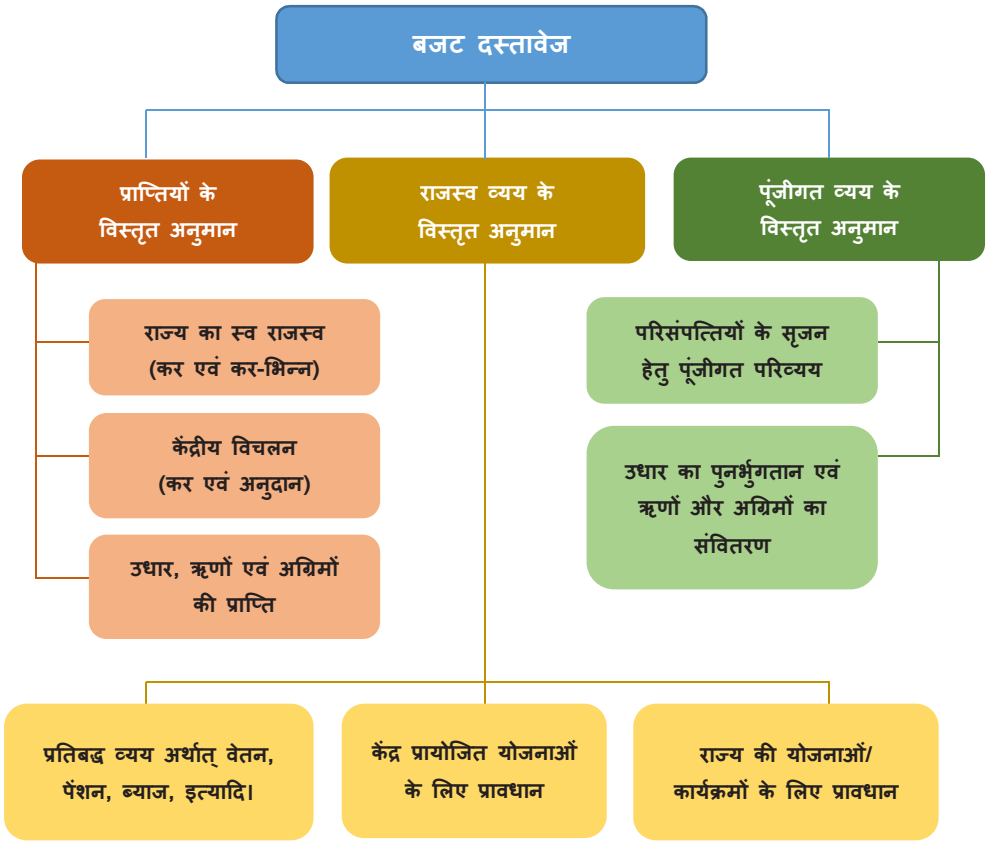

[1] **भारित व्यय:** व्यय की कुछ श्रेणियां (उदाहरण: संवैधानिक अधिकारियों के वेतन, ऋण भुगतान, आदि) राज्य की संचित निधि पर एक प्रभार का गठन करते हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होते हैं। **दत्तमत व्यय:** अन्य सभी प्रकार के व्यय पर विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

बजट के विभिन्न घटकों को ***चार्ट 3.2*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: 2020-21 के दौरान व्यय की तुलना में कुल बजट प्रावधान

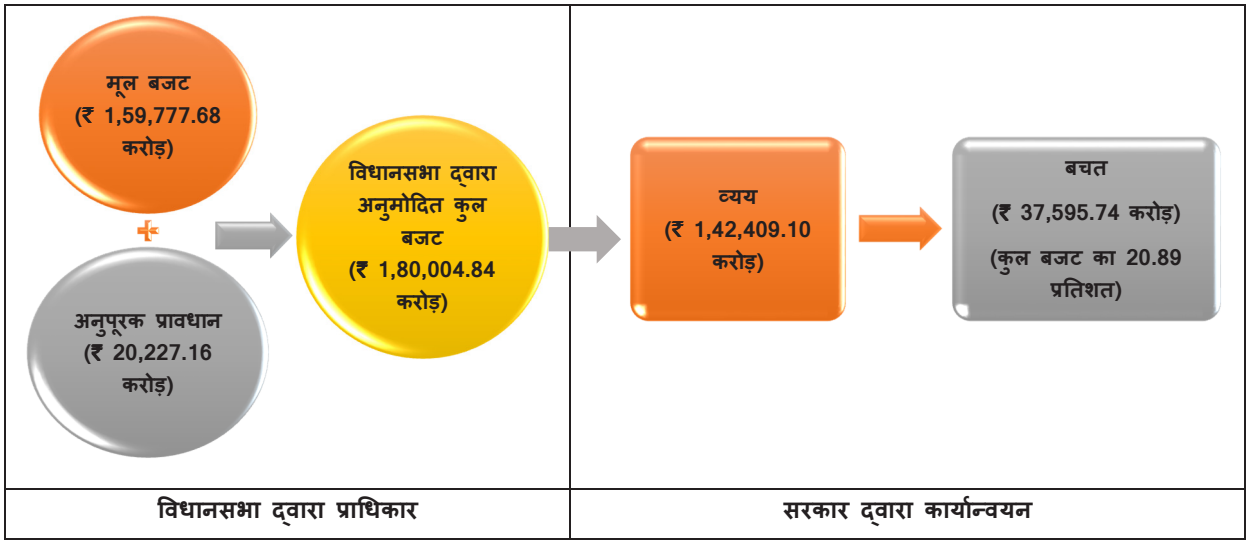

स्रोत: बजट मैनुअल और विनियोजन लेखों में निर्धारित प्रक्रिया पर आधारित

वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत का सारांश

2016-21 के दौरान कुल बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत तथा इसके आगे दत्तमत/भारित में विभाजन की संक्षिप्त स्थिति ***तालिका 3.1*** में दी गई है।

तालिका 3.1: 2016-21 के दौरान संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
2016-17	92,200.76	20,458.70	76,947.96	16,121.70	15,252.80	4,337.00
2017-18	1,02,879.77	22,110.63	84,418.03	18,544.66	18,461.74	3,565.97
2018-19	1,07,759.20	33,973.70	90,304.44	31,058.32	17,454.76	2,915.38
2019-20	1,19,003.62	37,446.09	98,167.61	31,688.66	20,836.01	5,757.43
2020-21	1,27,589.40	52,415.44	95,535.91	46,873.19	32,053.49	5,542.25

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोजन लेखे

3.2 विनियोजन लेखे

विनियोजन लेखे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के अंतर्गत पारित विनियोजन अधिनियम के साथ संलग्न सूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजन के लिए दिए गए भारित और दत्तमत विनियोजन अनुदानों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। विनियोजन लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोजनों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट की दोनों भारित और दत्तमत मदों की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय को इंगित करते हैं। अत:, विनियोजन

लेखे, निधियों के उपयोग वित्त का प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी की समझ की सुविधा प्रदान करते हैं और इस प्रकार, वित्त लेखों के अनुपूरक हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तव में किया गया व्यय विनियोजन अधिनियमों के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप है तथा यह कि संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के अनुसार भारित किए जाने हेतु अपेक्षित व्यय को ही इस प्रकार भारित किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर टिप्पणियां

3.3.1 कानूनी प्राधिकार के बिना किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार विनियोजन अधिनियम पारित किए बिना राज्य की संचित निधि से धन का निकास नहीं किया जाएगा। पंजाब बजट नियमावली के अनुच्छेद 14.1 में प्रावधान है कि राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम या पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान या विनियोजन द्वारा अतिरिक्त निधि प्राप्त करने के अतिरिक्त, निधि के प्रावधान के बिना नई योजना पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि वर्ष 2020-21 के दौरान मूल बजट अनुमानों/अनुपूरक मांगों में बिना किसी प्रावधान के और इस आशय का कोई पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए बिना चार अनुदानों के विभिन्न घटकों के अंतर्गत चार मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) ***(विवरण तालिका 3.2 में दिया गया है)*** में ₹ 147.67 करोड़ का व्यय किया गया।

तालिका 3.2: प्रावधान किए बिना किए गए व्यय का विवरण

क्र. सं.	व्यय का प्रमुख शीर्ष/लघु/उप शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
अनुदान संख्या 8- भवन तथा सड़कें		
1.	3054 - सड़कें और पुल, 80 - सामान्य, 797 - आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अंतरण, 99- आपदा राहत कोष को/से अंतरण - इंटर अकाउंट ट्रांसफर	78.54
अनुदान संख्या 19- अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों (एस.सी. और बी.सी.) का कल्याण		
2.	2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, 01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण, 800 - अन्य व्यय, 85 - क्रूरता के शिकार व्यक्तियों को आर्थिक सहायता	2.19
अनुदान संख्या 34-परिवहन		
3.	5053 - नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 60 - अन्य वैमानिक सेवाएं, 800 - अन्य व्यय, 97 - भवनों का निर्माण और मरम्मत	31.94
अनुदान संख्या 35-पर्यटन		
4.	3452 - पर्यटन, 80 - सामान्य, 190 - नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 99 - हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	35.00
	कुल	**147.67**

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.3.2 अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, वर्ष के लिए विनियोजन अधिनियम द्वारा किए गए प्रावधान पर एक अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान किया जा सकता है लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जा सकता है।

वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या उससे अधिक के 22 मामलों में प्राप्त कुल ₹ 7,099.99 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं पहुंचा। आठ मामलों में, ₹ 12,323.67 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जैसा कि ***परिशिष्ट 3.1*** में वर्णित किया गया है। दूसरी ओर, एक मामले में ₹ 3.50 करोड़ (अनुदान संख्या 35 - पर्यटन) का अनुपूरक अनुदान आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था ***(चार्ट 3.3)***।

चार्ट 3.3: अनावश्यक, अत्यधिक और अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

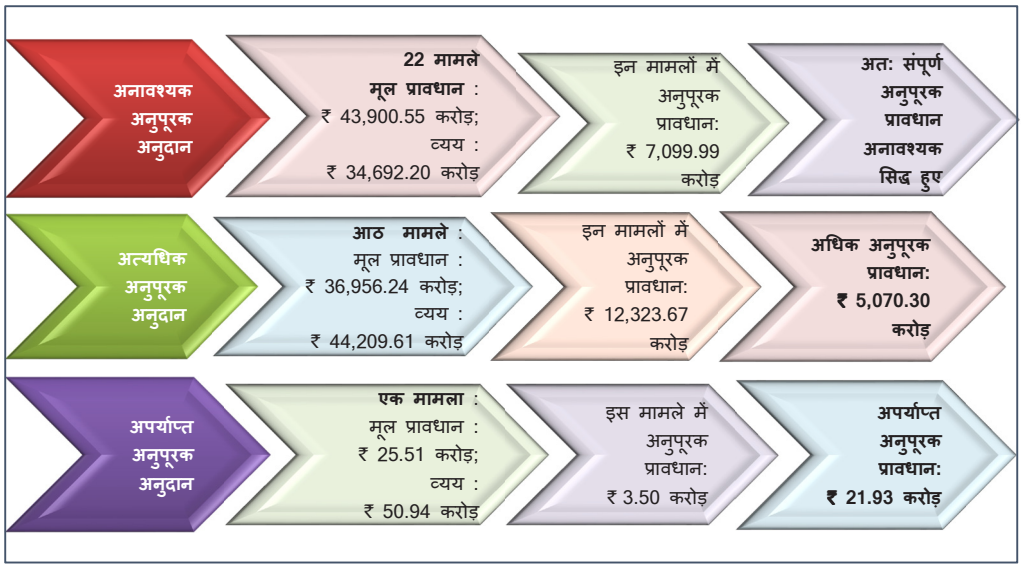

स्रोत: विनियोजन लेखे

इस प्रकार से बड़ी संख्या में मामलों में अनुपूरक प्रावधान या तो अनुचित थे या अत्यधिक थे। सरकार बड़ी बचतों और अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए प्रभावी बजट अनुमान तैयार करने पर विचार करे।

3.3.3 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक यूनिट, जहां बचतें पूर्वानुमानित हैं, से अन्य यूनिट जहां अतिरिक्त निधियों की जरूरत होती है, एक अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है। पुनर्विनियोजन अत्यधिक अभ्यर्पणों या अपर्याप्त वृद्धि के कारण अनुचित सिद्ध हुए और परिणामस्वरूप प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक 71 उप-शीर्षों में ₹ 2,587.99 करोड़ से अधिक के आधिक्य और 45 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 5,500.67 करोड़ से अधिक की बचतें हुई जैसा कि ***परिशिष्ट 3.2*** में वर्णित हैं। 48 उप शीर्षों के अंतर्गत आधिक्य/बचतें ₹ 10 करोड़ से

ज्यादा थी। 10[2] मामलों में, पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधानों में कटौती अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि वास्तविक व्यय मूल और अनुपूरक प्रावधानों से ज्यादा था और 17[3] मामलों में, जहां मूल प्रावधान की संपूर्ण राशि पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित की गई थी, पुनर्विनियोजन के कारण अनुपलब्ध प्रावधान के विरूद्ध व्यय किया गया था। इसी तरह, 16[4] मामलों में निधियों का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल और पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रदान की गई निधियों से अधिक था।

3.3.4 निधियां अभ्यर्पित न करना तथा अधिक अभ्यर्पित करना

वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर, 72 मामलों में प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियां अभ्यर्पित की गई। इन मामलों में, कुल प्रावधान ₹ 1,78,979.29 करोड़ था तथा वास्तविक व्यय ₹ 1,41,422.19 करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 37,557.10 करोड की बचत हुई। इसमें से ₹ 35,380.43 करोड़ अभ्यर्पित किए गए ***(परिशिष्ट 3.3)***, ₹ 2,176.67 करोड़ अभी भी किए गए व्यय से अधिक थे, जो अपर्याप्त बजटीय तथा वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है।

आगे विश्लेषण ने प्रकट किया कि 17 मामलों में ₹ 13,725.15 करोड़ की बचतों के विरूद्ध ₹ 9,478.52 करोड़ की बचतें अभ्यर्पित की गई और ₹ 4,246.63 करोड़ अभ्यर्पित नहीं किए गए थे जो पंजाब बजट मैनुअल (हरियाणा में भी लागू) के पैराग्राफ 13.2 के प्रावधानों के विरूद्ध था। 34 मामलों में ₹ 17,875.12 करोड़ अभ्यर्पित किए गए थे जहां बचत उससे भी कम ₹ 15,805.16 करोड़ थी। 21 मामलों में ₹ 8,026.79 करोड़ की सभी बचतें अभ्यर्पित की गई। निधि के कम अभ्यर्पण या अधिक अभ्यर्पण के कारण राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किए गए।

3.3.5 बचत

अनुमानों की पूर्ण सटीकता हमेशा संभव नहीं हो सकती है; लेकिन जहां चूक या अशुद्धि पूर्वविचार की कमी, स्पष्ट या अवास्तविक अनुमान की उपेक्षा का परिणाम है, यह चिंता का विषय है। सभी आकलन अधिकारियों द्वारा बजट में वह सब कुछ प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए जिसका पूर्वाभास हो और केवल उतना ही प्रावधान किया जाना चाहिए जितना आवश्यक हो। प्रशासनिक एवं वित्त विभागों द्वारा अनुमानों की अंतिम जांच करते समय इस पर विचार करना चाहिए।

---

2 ***परिशिष्ट 3.2*** की क्रम संख्या 4, 8, 19, 26, 33, 34, 50, 79, 92 तथा 97

3 ***परिशिष्ट 3.2*** की क्रम संख्या 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 59, 60, 69, 70, 98, 99, 110, 111 तथा 113

4 ***परिशिष्ट 3.2*** की क्रम संख्या 20, 23, 27, 28, 35, 38, 47, 58, 78, 87, 103, 104, 105, 106, 112 तथा 116

अवास्तविक प्रस्तावों, संसाधन जुटाने की क्षमता का अत्यधिक विस्तार, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/कमजोर आंतरिक नियंत्रणों पर आधारित बजटीय आबंटन वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों के जारी करने को बढ़ावा देते हैं। कुछ शीर्षों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को उन निधियों से वंचित भी करती है जिनका वे उपयोग कर सकते थे।

(i) आबंटनों की तुलना में बचतें

कुल बचत ₹ 37,595.74 करोड़ थी। इनमें से, प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत दर्ज करते हुए 44 मामलों में ₹ 36,450.08 करोड़ की बचत थी ***(परिशिष्ट 3.4)***। इन 44 मामलों में, ₹ 1,74,911.24 करोड़ के कुल प्रावधान के विरूद्ध ₹ 1,38,461.16 करोड़ का वास्तविक व्यय तथा ₹ 36,450.08 करोड़ की बचत थी। जिन मामलों में पर्याप्त बचत हुई थी उन्हें ***तालिका 3.3*** में सूचीबद्ध किया गया है:

तालिका 3.3: ₹ 500 करोड़ से अधिक बचत वाले मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक	बचत
राजस्व (दत्तमत)						
1	9-शिक्षा	17,270.83	शून्य	17,270.83	13,313.41	3,957.42
2	13-स्वास्थ्य	5,567.50	742.35	6,309.85	5,080.95	1,228.90
3	15-स्थानीय शासन	4,978.01	2,336.13	7,314.14	3,548.31	3,765.83
4	24-सिंचाई	2,654.68	शून्य	2,654.68	1,521.67	1,133.01
5	27-कृषि	3,612.63	430.22	4,042.85	2,348.08	1,694.77
6	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	5,973.60	921.70	6,895.30	4,484.00	2,411.30
7	36-गृह	5,356.76	90.00	5,446.76	4,644.54	802.22
8	40-ऊर्जा और विद्युत	6,710.29	997.02	7,707.31	5,810.98	1,896.33
राजस्व भारित						
9	6-वित्त	18,304.58	शून्य	18,304.58	17,114.67	1,189.91
पूंजीगत (दत्तमत)						
10	8-भवन एवं सड़कें	2,477.69	शून्य	2,477.69	1,582.60	895.09
11	9-शिक्षा	1,600.00	शून्य	1,600.00	283.78	1,316.22
12	13-स्वास्थ्य	966.00	319.00	1,285.00	768.29	516.71
13	14-शहरी विकास	1,450.00	शून्य	1,450.00	564.29	885.71
14	23-खाद्य एवं आपूर्ति	16,002.56	शून्य	16,002.56	13,152.68	2,849.88
15	24-सिंचाई	2,155.87	शून्य	2,155.87	1,327.45	828.42
16	38-जन स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति	1,500.51	482.25	1,982.76	949.22	1,033.54
पूंजीगत (भारित)						
17	लोक ऋण	22,591.81	11,072.60	33,664.41	29,497.60	4,166.81

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अनुदानों में बचत की संवीक्षा से पता चला कि 2020-21 के दौरान 47 योजनाओं (वेतन/स्थापनाओं के अतिरिक्त) में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी ***(परिशिष्ट 3.5)***।

इस प्रकार की बड़ी बचतें दोषपूर्ण बजट के साथ-साथ अनुदान अथवा विनियोजन में निष्पादन में कमी का संकेत है।

बजट आबंटन के विरूद्ध बचत की प्रतिशतता के अनुसार अनुदानों/विनियोजनों को ***चार्ट 3.4*** में वर्गीकृत किया गया है।

चार्ट 3.4: प्रत्येक समूह में कुल बचत के साथ बचत की प्रतिशतता द्वारा समूहीकृत अनुदानों/विनियोजनों की संख्या

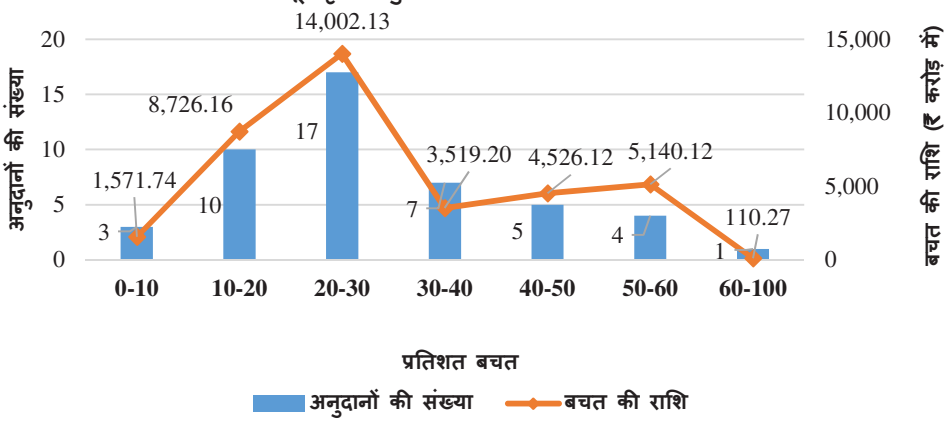

(ii) निरंतर बचतें

इसके अतिरिक्त, अनुदानों और विनियोजन की संवीक्षा से पता चला कि पिछले पांच वर्षों के दौरान, राजस्व दत्तमत में 17 अनुदानों, पूंजीगत दत्तमत के अंतर्गत सात अनुदानों और एक विनियोजन में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें, जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थीं, पाई गईं। वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान बचत के साथ अनुदान/विनियोजन का विवरण ***तालिका 3.4*** में दिया गया है।

तालिका 3.4: निरंतर बचतें दर्शाने वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व (दत्तमत)						
1.	07-आयोजना एवं सांख्यिकी	283.17 (62)	10.76 (26)	22.00 (37)	18.24 (34)	10.02 (22)
2.	11-खेल एवं युवा कल्याण	105.84 (25)	211.20 (46)	114.86 (29)	114.93 (28)	179.97 (60)
3.	14-शहरी विकास	12.47 (13)	53.95 (51)	38.93 (36)	477.33 (82)	53.06 (43)
4.	15-स्थानीय शासन	879.77 (25)	1,462.93 (27)	2,168.63 (43)	2,263.66 (41)	3,765.83 (51)
5.	17-रोजगार	16.12 (23)	56.52 (24)	45.37 (13)	69.75 (15)	243.03 (37)
6.	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	52.67 (19)	122.11 (29)	185.11 (37)	201.65 (31)	350.68 (43)
7.	19-अनुसूचित जातियों तथा पिछडे वर्गों का कल्याण	213.79 (27)	357.63 (47)	325.97 (45)	226.64 (44)	139.49 (27)
8.	21-महिला एवं बाल विकास	368.88 (33)	232.26 (22)	476.58 (34)	409.27 (29)	362.76 (24)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
9.	24-सिंचाई	512.12 (27)	519.63 (27)	214.32 (13)	265.50 (15)	1,133.01 (43)
10.	25-उद्योग	436.29 (62)	234.39 (64)	343.58 (61)	60.84 (19)	69.71 (24)
11.	27-कृषि	826.91 (43)	648.44 (34)	956.78 (35)	1,542.96 (50)	1,694.77 (42)
12.	28-पशुपालन तथा डेयरी विकास	110.83 (15)	88.83 (12)	107.55 (12)	183.11 (18)	291.09 (25)
13.	30-वन एवं वन्य प्राणी	97.95 (26)	142.21 (31)	143.96 (32)	178.39 (35)	66.77 (12)
14.	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	366.90 (10)	1,193.68 (26)	1,261.75 (26)	1,341.36 (25)	2,411.30 (35)
15.	34-परिवहन	283.94 (13)	277.38 (12)	406.76 (16)	387.16 (16)	489.67 (22)
16.	37-निर्वाचन	11.24 (20)	38.15 (53)	30.63 (40)	171.11 (56)	29.76 (33)
17.	43-जेल	26.45 (12)	50.37 (20)	70.49 (25)	60.26 (22)	61.59 (20)
पूंजीगत (दत्तमत)						
18.	8-भवन एवं सड़कें	1,725.37 (46)	1,154.34 (31)	882.13 (24)	1,497.83 (34)	895.09 (36)
19.	13-स्वास्थ्य	326.20 (64)	415.16 (71)	422.80 (75)	371.78 (54)	516.71 (40)
20.	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	16.99 (36)	14.30 (37)	53.33 (78)	32.13 (42)	58.99 (48)
21.	21-महिला एवं बाल विकास	37.37 (34)	110.87 (64)	77.01 (48)	127.84 (88)	114.85 (67)
22.	34-परिवहन	149.58 (57)	45.64 (17)	163.57 (47)	488.07 (88)	224.70 (53)
23.	35-पर्यटन	35.63 (49)	50.48 (75)	23.70 (51)	10.55 (27)	36.88 (57)
24.	38-जन स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति	310.50 (25)	273.98 (19)	294.53 (17)	296.86 (20)	1,033.54 (52)
पूंजीगत (भारित)						
25.	लोक ऋण	4,401.67 (45)	3,606.12 (36)	2,081.88 (11)	4,481.64 (22)	4,166.81 (12)

* **कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।**

इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों के दौरान बचत की संवीक्षा से पता चला कि राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत 56 योजनाओं ने लगातार बचत पाई गई जिनमें बजट प्रावधान ₹ पांच करोड़ या अधिक था और कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक की बचत थी। वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान बचत वाली योजनाओं का विवरण ***परिशिष्ट 3.6*** में दिया गया है।

iii) अप्रयुक्त प्रावधान

पंजाब बजट मैनुअल के अनुच्छेद 5.3, जो हरियाणा राज्य में भी लागू है, में प्रावधान है कि बजट अनुमान यथासंभव सटीक होने चाहिए और प्रत्येक मद के संबंध में शामिल किए जाने का प्रावधान वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान या खर्च किए जाने की उम्मीद पर आधारित होना चाहिए। विनियोजन लेखे की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि 52 योजनाओं के लिए किए गए ₹ 5,731.77 करोड़ (₹ 10 करोड़ से अधिक) का संपूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा जो कि योजनाओं के कार्यान्वयन न होने के कारण अभ्यर्पित कर दिए गए जैसा कि ***परिशिष्ट 3.7*** में वर्णित है। इन 52 योजनाओं में से 16 योजनाएं निष्पादन से जुड़े हुए परिव्यय (पी.एल.ओ.) की अवधारणा के अंतर्गत ₹ 2,529.73 करोड़ के बजटीय प्रावधान के साथ शामिल हैं। निष्पादन से जुड़े हुए परिव्यय को योजना स्तर पर वर्गीकृत किया गया और प्रशासनिक विभागों को बेहतर निष्पादन (वित्तीय व्यय के संदर्भ में) के लिए प्रोत्साहित करने और जहां भी आवश्यक हो, पुनर्विनियोजन के माध्यम से संसाधनों की अतिरिक्त उपलब्धता का लाभ उठाने के लिए अन्य योजनाओं के पुनर्विनियोजन के लिए एक बफर के रूप में प्रदान किया गया था।

3.3.6 अत्यधिक व्यय और इसका नियमितीकरण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार, अनुच्छेद के प्रावधानों की अनुपालना में पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के अतिरिक्त राज्य की संचित निधि से धन का निकास नहीं किया जाएगा। आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकारों के लिए यह जरूरी है कि अनुदानों/विनियोजनों पर आधिक्य राज्य विधायिका से नियमित करवाए जाएं। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखों की चर्चा के पूर्ण होने के बाद अधिक व्यय को विनियमित किया जाता है।

3.3.6.1 अधिक व्यय

कुल बजट प्रावधान ₹ 29.01 करोड़ के विरूद्ध ₹ 50.94 करोड़ का व्यय किया गया था। इस प्रकार, अनुदान संख्या 35-पर्यटन के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के दौरान बजट प्रावधान ₹ 29.01 करोड़ के विरूद्ध ₹ 21.93 करोड़ का अधिक संवितरण हुआ। पर्यटन से संबंधित मुख्य शीर्ष-3452 के अंतर्गत आधिक्य मुख्य रूप से हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड द्वारा बजट प्रावधान के विरूद्ध किए गए ₹ 35 करोड़ के व्यय के कारण हुआ। इस प्रकार अनुदान संख्या 35-पर्यटन के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 21.93 करोड़ का अधिक व्यय किया गया जो कि राज्य विधायिका द्वारा किए गए प्राधिकार से अधिक था और इसे नियमित करने की आवश्यकता थी।

वर्ष 2018-19 से संबंधित तीन विनियोजनों के अंतर्गत ₹ 41.54 करोड़ के अधिक संवितरण और वर्ष 2019-20 से संबंधित दो अनुदानों के अंतर्गत ₹ 153.39 करोड़ के अधिक संवितरण को राज्य विधायिका द्वारा अभी नियमित किया जाना है (अगस्त 2021)। यह संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित है।

3.4 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां

3.4.1 बजट प्रक्षेपण तथा अपेक्षा एवं वास्तविकता के मध्य अंतर

कर प्रबंधन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की प्राप्ति के लिए संतुलन रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आबंटन, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमताएं और कमजोर आंतरिक नियंत्रण के परिणामस्वरूप विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के मध्य उप-इष्टतम आबंटन की ओर ले जाते हैं। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को निधियों से वंचित करती है, जिनका वे उपयोग कर सकते थे।

2020-21 में व्यय का कुल प्रावधान ₹ 1,80,004.84 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक सकल व्यय ₹ 1,42,409.10 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप 2020-21 में ₹ 37,595.74 करोड़ की बचत हुई, जैसा कि ***तालिका 3.5*** में वर्णित है।

तालिका 3.5: वर्ष 2020-21 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	87,610.96	7,501.61	95,112.57	73,367.01	(-)21,745.56
	II पूंजीगत	29,611.36	852.95	30,464.31	20,443.20	(-)10,021.11
	III ऋण एवं अग्रिम	1,212.52	शून्य	1,212.52	925.70	(-)286.82
कुल दत्तमत		**1,18,434.84**	**8,354.56**	**1,26,789.40**	**94,735.91**	**(-)32,053.49**
भारित	IV राजस्व	18,551.03	शून्य	18,551.03	17,304.31	(-)1,246.72
	V पूंजीगत	200.00	शून्य	200.00	71.28	(-)128.72
	VI सार्वजनिक ऋण पुनर्भुगतान	22,591.81	11,072.60	33,664.41	29,497.60	(-)4,166.81
कुल भारित		**41,342.84**	**11,072.60**	**52,415.44**	**46,873.19**	**(-)5,542.25**
आकस्मिक निधि से विनियोजन		-	800.00	800.00	800.00	-
कुल योग		**1,59,777.68**	**20,227.16**	**1,80,004.84**	**1,42,409.10**	**(-)37,595.74**

स्रोत: विनियोजन लेखे

नोटः ऊपर दर्शाए गए व्यय सकल आंकड़े हैं जिनमें लेखों में दर्शाई गई कटौती के रूप में वसूलियों राजस्व शीर्ष (₹ 724.72 करोड़) और पूंजीगत शीर्ष (₹ 14,644.77 करोड़) की परिगणना नहीं की गई।

अनुपूरक प्रावधान द्वारा ₹ 20,227.16 करोड़ के मूल प्रावधान का 13 प्रतिशत संघटित किया गया जो कि गत वर्ष में 6 प्रतिशत था।

चार्ट 3.5: 2016-17 से 2020-21 के दौरान बजट उपयोग

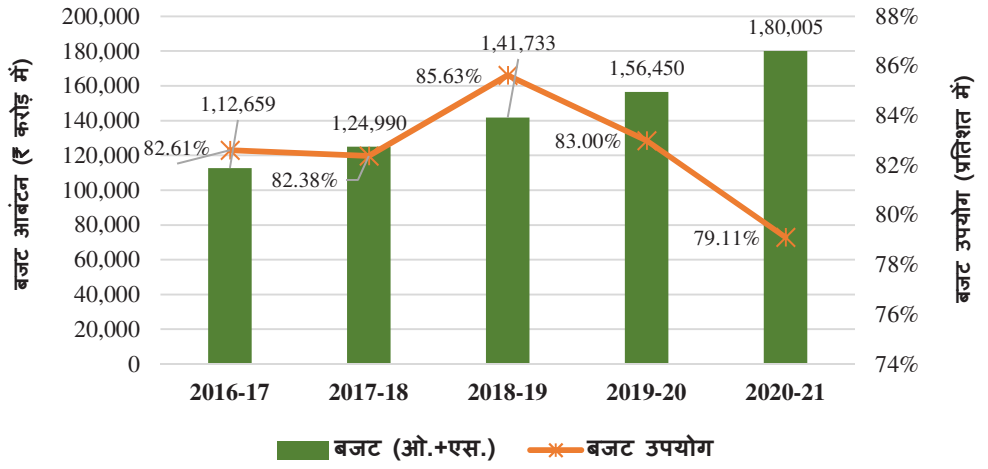

राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण हेतु वर्ष 2020-21 के लिए राज्य सरकार ने ₹ 1,19,751.97[5] करोड़ का मूल बजट तैयार किया और इसे संशोधित कर ₹ 1,03,156.85 करोड़ किया गया, जिसके विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 96,742 करोड़ था। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित अनुमान, वास्तविक व्यय की प्रवृत्तियां ***तालिका 3.6*** में दी गई हैं।

तालिका 3.6: 2016-21 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
मूल बजट	88,781.96	92,384.38	1,02,732.54	1,11,908.84	1,19,751.97
संशोधित अनुमान	84,132.15	93,685.52	1,02,779.09	1,08,203.33	1,03,156.85
वास्तविक व्यय	79,781.44	88,190.15	93,217.78	1,03,823.39	96,742.00
बचत	4,350.71	5,495.37	9,561.31	4,379.94	6,414.85

स्रोत: बजट एक दृष्टि में एवं संबंधित वर्षों के लिए वित्त लेखे

3.4.2 बजट और वास्तविक व्यय में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं

बजट में कुछ प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनके विरुद्ध वास्तविक व्यय ***तालिका 3.7*** में दिया गया हैं:

[5] राजस्व एवं पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत वसूलियों को सकल बजट के आंकड़ों से बाहर रखा गया है।

तालिका 3.7: वर्ष 2020-21 के दौरान बजट और वास्तविक व्यय में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम और वर्गीकरण	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत (+)/ आधिक्य (-)
1	फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए योजना (2401-113-82)	453.50	7.49	(-)446.01
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए योजना (2401-109-80)	340.00	70.97	(-)269.03
3	ग्रामीण सड़कें- हरियाणा राज्य में सड़कों का निर्माण, सड़कों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण और सुधार (5054-03-337-88-99)	150.00	128.04	(-)21.96
4	विधायक आदर्श ग्राम योजना (वि.आ.ग्रा.यो.) (2515-106-99)	180.20	124.59	(-)55.61
5	बुनियादी ढांचे के उन्नयन हेतु हरियाणा ग्राम उदय योजना का नाम बदलकर दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना कर दिया गया (4515-101-99)	100.00	97.06	(-)2.94
6	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (2515-101-89)	925.00	1,021.80	96.80
7	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता के लिए योजना - सामान्य योजना (2515-102-93-99)	245.00	80.77	(-)164.23
8	राज्य में सौर जल पम्पिंग सिस्टम की स्थापना (2810-101-98)	200.00	199.81	(-)0.19
9	आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (2210-80-199-99)	277.75	22.22	(-)255.53
10	निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता (2235-02-102-99)	251.00	278.02	27.02
11	वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना (2235-60-102-98)	4,100.00	3,697.52	(-)402.48
12	अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम (2235-02-101-95)	100.00	167.99	67.99
13	गांव दुधौला जिला पलवल में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (2230-03-001-91)	160.00	105.00	(-)55.00
	कुल	**7,482.45**	**6,001.28**	**(-)1,481.17**

स्रोत: वित्त लेखे और विनियोजन लेखे

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, 2020-21 के दौरान इन योजनाओं पर कुल बजट प्रावधान ₹ 7,482.45 करोड़ के विरुद्ध ₹ 6,001.28 करोड़ (80.20 प्रतिशत) का व्यय किया गया था। 13 में से चार योजनाओं में व्यय बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से कम था। उद्धृत कारणों में भारत सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों से निधियां प्राप्त न होना, परियोजना ले-आउट का अंतिमकरण न होना, आर्थिक उपाय आदि शामिल थे। इससे लाभार्थियों को वांछित लाभ से वंचित होना पड़ा।

3.4.3 व्यय की अधिकता

व्यय की अधिकता विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में वित्तीय औचित्य का उल्लंघन समझा जाना चाहिए और इससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत ***परिशिष्ट 3.8*** में सूचीबद्ध 23 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 32 शीर्षों में वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान ₹ 10 करोड़ से अधिक, जो कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक था, का व्यय किया गया।

ऐसे मामलों में, वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए कुल ₹ 15,611.14 करोड़ के व्यय में से ₹ 5,843.46 करोड़ (37 प्रतिशत) का व्यय माह मार्च 2021 में किया गया। इस प्रकार अंतिम तिमाही में 30 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र एक महीने में 37 प्रतिशत और अंतिम तिमाही में 60 प्रतिशत व्यय कर दिया गया। अंतिम तिमाही के दौरान विशेषतः मार्च माह में व्यय की अधिकता, वित्तीय नियमों का अनुपालन न करना दर्शाता है।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

3.4.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा

दो चयनित अनुदानों अर्थात् 21-महिला एवं बाल विकास तथा 27-कृषि के संबंध में बजटीय प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई थी जिसमें मूल अनुदानों, अनुपूरक मांगों और वास्तविक व्यय में विविधताओं के परिमाण का विश्लेषण किया गया।

3.4.4.1 अनुदान संख्या 21-महिला एवं बाल विकास

अनुदान संख्या 21-महिला एवं बाल विकास में तीन मुख्य शीर्ष, अर्थात् 2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 2236-पोषण और 4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, शामिल हैं जिनमें वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न योजनाओं पर व्यय किया गया था।

(i) बजट एवं व्यय

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए अनुदान के कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय और बचत की समग्र स्थिति ***तालिका 3.8*** में दी गई है।

तालिका 3.8: महिला एवं बाल विकास अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान						व्यय		अप्रयुक्त प्रावधान और उसकी प्रतिशतता	
	राजस्व		कुल	पूंजीगत		कुल				
	मूल	अनुपूरक		मूल	अनुपूरक		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2018-19	1,217.97	197.20	1,415.17	159.76	शून्य	159.76	938.59	82.75	(-)476.58 (34)	(-)77.01 (48)
2019-20	1,352.88	70.50	1,423.38	144.10	1.67	145.77	1,014.11	17.93	(-)409.27 (29)	(-)127.84 (88)
2020-21	1,415.34	100.00	1,515.34	172.02	शून्य*	172.02	1,152.58	57.17	(-)362.76 (24)	(-)114.85 (67)

स्रोत: विनियोजन लेखे

*** नगण्य राशि**

वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधान ₹ 1,515.34 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1,152.58 करोड़ का व्यय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 362.76 करोड़ की बचत हुई, जो कि बजट प्रावधानों के विरूद्ध 24 प्रतिशत थी।

इसी प्रकार, पूंजीगत शीर्ष में ₹ 172.02 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 57.17 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 114.85 करोड़ की बचत हुई जो कि बजटीय प्रावधानों का 67 प्रतिशत था।

इससे पता चलता है कि वित्तीय नियोजन एवं प्रबंधन में विभागीय कार्यवाही कमजोर थी।

(ii) बचत

राजस्व शीर्ष के अंतर्गत, 43 उप-शीर्षों में ₹ 1,431.76 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 1,058.95 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 372.81 करोड़ की बचत हुई। ये बचतें कुल प्रावधान के 12 एवं 100 प्रतिशत के मध्य थीं। पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत, नौ उप-शीर्षों में बजट प्रावधान ₹ 172.01 करोड़ के विरूद्ध ₹ 56.47 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 115.54 करोड़ की बचत हुई। ***परिशिष्ट 3.9*** में दिए गए विवरणानुसार कुल प्रावधान के 15 तथा 100 प्रतिशत के मध्य बचतें थीं।

यह यथार्थवादी वित्तीय विनियोजन की कमी और कमजोर वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है। विभाग ने पंजाब बजट मैनुअल और वित्त विभाग में निर्धारित बजटीय नियंत्रणों की अनदेखी की और राज्य के बजट पर समग्र वित्तीय नियंत्रण का प्रयोग करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अन्य विकास उद्देश्यों के लिए निधियों की कमी हुई।

(iii) सतत् बचतें

38 उप-शीर्षों में वर्ष 2018-21 के दौरान ***परिशिष्ट 3.10*** में दिए गए विवरण के अनुसार कुल प्रावधान के 12 से 100 प्रतिशत के बीच सतत् बचत दर्ज की गई जो संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की अप्राप्ति, अप्रभावी योजना और अवास्तविक आकलन की ओर संकेत कर रही थी।

(iv) बचत अभ्यर्पित नहीं की गई

पंजाब बजट नियमावली, जो कि हरियाणा में लागू है, के पैरा 13.2 के अनुसार खर्च करने वाले विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुदानों/विनियोजनों या उनके हिस्से को, जब भी बचत की उम्मीद हो, वित्त विभाग को सौंप दें।

₹ 233.17 करोड़ की कुल बचत में से 11 योजनाओं में ₹ 108.28 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई थी लेकिन ₹ 124.89 करोड़ की राशि (कुल बचत का 54 प्रतिशत) राजस्व शीर्ष में 2020-21 के दौरान अभ्यर्पित नहीं की गई थी। इसके अलावा, युवतियों/महिलाओं तथा निराश्रित महिलाओं एवं विधवाओं के लिए गृह-सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र योजना के अंतर्गत ₹ दो करोड़ के बजट प्रावधान को ₹ 3.64 करोड़ के पुनर्विनियोजन के माध्यम से ₹ 5.64 करोड़ तक बढ़ाया गया था। तथापि, ₹ 0.63 करोड़ का व्यय ₹ दो करोड़ के मूल प्रावधान से कम था। वर्ष 2020-21 के दौरान पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत योजना में ₹ 5.01 करोड़ की बचत अभ्यर्पित नहीं की गई थी। जिन योजनाओं में बचतों को अभ्यर्पित नहीं किया गया उनका विवरण ***तालिका 3.9*** में दिया गया है।

तालिका 3.9: उन योजनाओं का विवरण जिनमें बचतों को अभ्यर्पित नहीं किया गया था

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार (लेखा शीर्ष)	कुल बजट	व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि	अनभ्यर्पित राशि
I	**राजस्व**					
1	पी-02-21-2235-02-102-74-51-एन-वी-किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (आर.जी.एस.ई.ए.जी.)-सबला	17.60	1.89	15.71	14.77	0.94
2	पी-01-21-2235-02-102-92-51-एन-वी-एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएं (डब्ल्यू.सी.डी.)	75,175.22	63,655.16	11,520.06	शून्य	11,520.06
3	पी-01-21-2235-02-103-76-51-एन-वी-घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा (कक्षों की स्थापना)	150.00	101.28	48.72	48.69	0.03
4	पी-01-21-2235-02-103-79-51-एन-वी-लैंगिक चेतना	4,017.00	1,297.42	2,719.58	2,642.10	77.48
5	पी-02-21-2235-02-789-90-51-एन-वी-अनुसूचित जाति की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ सहायिका को वित्तीय सहायता	9,500.00	3,844.59	5,655.41	5,371.50	283.91
6	पी-01-21-2235-02-789-94-51-एन-वी-हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति परिवारों को वित्तीय सहायता	125.00	100.00	25.00	शून्य	25.00
7	पी-01-21-2235-02-800-86-51-आर-वी-हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को सहायता अनुदान	90.00	72.00	18.00	शून्य	18.00
8	पी-02-21-2236-02-101-89-51-एन-वी-किशोरियों के लिए योजना	89.90	12.38	77.52	66.48	11.04
9	पी-02-21-2236-02-101-95-51-एन-वी-पूरक पोषाहार कार्यक्रम	20,000.00	16,799.38	3,200.62	2,651.03	549.59
10	पी-01-21-2236-02-101-97-51-आर-वी-पंजिरी प्लांट घरौंडा	184.85	161.08	23.77	21.75	2.02
11	पी-01-21-2236-02-101-99-51-आर-वी-मुख्यालय के लिए स्टाफ	26.20	13.50	12.70	12.22	0.48
	कुल राजस्व	**1,09,375.77**	**86,058.68**	**23,317.09**	**10,828.54**	**12,488.55**
II	**पूंजीगत**					
1	पी-01-21-4235-02-103-99-51-सी-वी-युवतियों/महिलाओं तथा परित्यक्त महिलाओं एवं विधवाओं के लिए गृह-सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र	564.23	62.77	501.46	शून्य	501.46
	कुल पूंजीगत	**564.23**	**62.77**	**501.46**	**शून्य**	**501.46**

यह यथार्थवादी वित्तीय विनियोजन की कमी और कमजोर वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है। विभाग ने बजटीय नियंत्रणों का पालन नहीं किया। वित्त विभाग राज्य के बजट पर समग्र वित्तीय नियंत्रण का प्रयोग करने में विफल रहा।

(v) अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की मध्यावधि समीक्षा के बाद अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत अपेक्षित अधिक व्यय के लिए अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए जाते हैं। मुख्य शीर्ष-2236 के अंतर्गत पूरक पोषाहार कार्यक्रम में ₹ 200 करोड़ (मूल: ₹ 100 करोड़ और अनुपूरक: ₹ 100 करोड़) के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 167.99 करोड़ का व्यय किया गया, इसके परिणामस्वरूप ₹ 32.01 करोड़ (16 प्रतिशत) की बचत हुई।

इस प्रकार, उपर्युक्त उप-शीर्ष के अंतर्गत निधियों की वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किए बिना ₹ 100 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय

निष्पादन से जुड़े हुए परिव्यय (पी.एल.ओ.) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार राज्य के विकास गति को बनाए रखने के लिए राजकोषीय दूरदर्शिता को बनाए रखते हुए उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वित्तीय संसाधनों का लाभ उठाने की आवश्यकता को पहचानती है। इसलिए, यह योजना राज्य सरकार द्वारा संसाधनों के कुशल और विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय योजना के कार्यान्वयन से राजकोषीय दूरदर्शिता को प्रोत्साहित करके राज्य के वित्तीय अनुशासन में सुधार होने की संभावना थी। इसका उद्देश्य विभागों को उत्पादक उपयोग के लिए संसाधनों को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना था। इसके अतिरिक्त, इसे निधियों की पार्किंग पर अंकुश लगाने और वर्ष के अंत में निकासी में तेजी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। यह विभागों की अवशोषक और खर्च करने की क्षमता का आकलन करने के बाद बजट को फिर से आवंटित करने के लिए वित्त विभाग की सुविधा के लिए भी था।

अनुदान की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि "निष्पादन से जुड़े हुए परिव्यय", अर्थात् पी.एल.ओ. के अंतर्गत, योजनाओं के लिए किया गया बजट प्रावधान ₹ 10 करोड़ अप्रयुक्त रहा और निधियों की आवश्यकता न होने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया था जैसा कि ***तालिका 3.10*** में वर्णित है।

तालिका 3.10: उन योजनाओं का विवरण जिनमें बजट प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार (लेखा शीर्ष)	बजट प्रावधान (₹ करोड़ में)	कारण
1	पी-01-21-2235-02-001-92-51-आर-वी- महिला एवं बाल विकास के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (डब्ल्यू.सी.डी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.)	5.00	योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण
2	पी-01-21-4235-02-101-90-51-आर-वी- महिला एवं बाल विकास के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (डब्ल्यू.सी.डी.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.)	5.00	नई योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण
	कुल	**10.00**	

(vii) टोकन प्रावधान

महिलाओं को एक छत के नीचे तत्काल आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सेवाओं की सुविधा के लिए आश्रय और अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करने की दिशा में टोकन प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करना है। यह देखा गया था कि वर्ष 2020-21 के दौरान चार योजनाओं को लागू नहीं किया जा सका जैसा कि ***तालिका 3.11*** में वर्णित है।

तालिका 3.11: योजनाएं जो 2020-21 के दौरान लागू नहीं की जा सकीं

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार (लेखा शीर्ष)	बजट	कारण	अभ्युक्तियां
1	ऑनर किलिंग से निपटने के लिए संरक्षण गृह (सुरक्षा गृह) (2235-02-103-65)	0.01	टोकन प्रावधान	टोकन मनी तब प्रदान की जाती है, जब किसी नई योजना पर प्रस्तावित व्यय को पूरा करने के लिए धन पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है, टोकन राशि के अनुदान की मांग सदन के मत के लिए प्रस्तुत की जा सकती है और, यदि सदन मांग पर सहमति देता है, निधियों को उपलब्ध कराया जा सकता है।
2	पी-02-21-2235-02-103-67-51-एन-वी- स्वाधार गृह योजना	1.00	टोकन प्रावधान	
3	पी-02-21-4235-02-103-95-51-एन-वी- सम्मान हेतु हत्या का प्रयास करने वाले का मुकाबला करने के लिए संरक्षण गृह (सुरक्षा गृह) का निर्माण	0.01	टोकन मनी	
4	पी-03-21-4235-02-103-96-51-एन-वी- महिला योजना के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर स्थापित करने के लिए भवन का निर्माण	1.00	टोकन मनी	
	कुल	**2.02**		

आगे, छः जिलों अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल और रोहतक में सुरक्षा गृह के प्रशासनिक व्ययों के लिए प्रत्येक को टोकन प्रावधान के रूप में ₹ 1,000 का प्रावधान किया गया था। 'स्वाधार गृह योजना', 'सुरक्षा गृह' आदि का उद्देश्य महिलाओं को एक छत के नीचे आश्रय और अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करना था ताकि चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहायता सहित सेवाओं की एक श्रृंखला के लिए तत्काल आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच की सुविधा प्रदान की जा सके।

(viii) पुनर्विनियोजित बजट प्रावधान से अधिक व्यय के नियमितीकरण की आवश्यकता

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 (बी) में प्रावधान है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक राशि खर्च की गई है, तो राज्यपाल उस व्यय की अनुमानित राशि या इस तरह के अतिरिक्त व्यय के कारण, जैसा भी मामला हो, को दर्शाने वाले विवरण राज्य विधानमंडल के सदनों के समक्ष रखवाएगा।

अनुदान के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 100 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध ₹ 65.06 करोड़ का व्यय किया गया था ***(तालिका 3.12)***। तथापि, विभाग ने पुनर्विनियोजन आदेशों के द्वारा ₹ 45.34 करोड़ का अभ्यर्पण कर दिया। इसलिए, ₹ 10.41 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण खराब वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।

तालिका 3.12: अभ्यर्पण के बाद मूल प्रावधान से अधिक व्यय के नियमितीकरण की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम और लेखा शीर्ष	मूल बजट	अभ्यर्पित राशि	कुल	व्यय	आधिक्य
	1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4-5)
1	पी-02-21-2236-02-101-88-51-एन-वी-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.)	50.00	(-)33.10	16.90	22.51	5.61
2	रिमांड/निरीक्षण गृह (4235-02-102-97-99)	50.00	(-)12.24	37.76	42.55	4.79
कुल (राजस्व)		**100.00**	**(-)45.34**	**54.66**	**65.06**	**10.40**

3.4.4.2 अनुदान संख्या 27 - कृषि

अनुदान संख्या 27 - कृषि में छः मुख्य शीर्ष अर्थात् 2401-फसल पालन, 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 2415-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, 2435-अन्य कृषि कार्यक्रम, 2702-लघु सिंचाई, 4401-फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय शामिल हैं जिसमें वर्ष 2020-21 के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा उद्यान विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं पर व्यय किया गया।

(i) बजट और व्यय

पिछले तीन वर्षों (2017-18 से 2019-20) के लिए परिचालन शीर्षों के अंतर्गत बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय और बचत की समग्र स्थिति ***तालिका 3.13*** में दी गई है।

तालिका 3.13: अनुदान संख्या 27 - कृषि के अंतर्गत बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	खंड	मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल	व्यय	आधिक्य/बचत
2018-19	राजस्व	2,667.85	65.00	2,732.85	1,776.07	956.78
	पूंजीगत	--	--	--	--	--
2019-20	राजस्व	2,721.80	335.00	3,056.80	1,513.84	1,542.96
	पूंजीगत	--	--	--	--	--
2020-21	राजस्व	3,612.63	430.22	4,042.85	2,348.08	1,694.77
	पूंजीगत	10.00	शून्य*	10.00	1.77	8.23

स्रोत: विनियोजन लेखे

*** नगण्य राशि**

(ii) बचत

29 उप-शीर्षों में बजट प्रावधान ₹ 2,061.37 करोड़ के विरूद्ध ₹ 560.04 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,501.33 करोड़ की बचत हुई। ***परिशिष्ट 3.11*** में दिए गए विवरणानुसार कुल प्रावधान के 29 तथा 100 प्रतिशत के मध्य बचतें थीं।

(iii) सतत् बचतें

वर्ष 2018-21 के दौरान 18 उप-शीर्षों में ***परिशिष्ट 3.12*** में दिए गए विवरण के अनुसार बजट प्रावधान के 25 तथा 100 प्रतिशत के बीच सतत् बचत थी जो संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की अप्राप्ति, अप्रभावी योजना और अवास्तविक आकलन की ओर संकेत कर रही थी।

(iv) बजट का उपयोग न करना

किसी भी योजना में बजट की मांग तब की जानी चाहिए जब यह निश्चित हो कि योजना में खर्च किया जाएगा। अनुदान की संवीक्षा से पता चला कि सात योजनाओं में ₹ 311.06 करोड़ का बजट प्रावधान था लेकिन संबंधित योजनाओं में कोई व्यय नहीं किया गया था जैसा कि ***तालिका 3.14*** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.14: उन योजनाओं की सूची जिनमें बजट प्रावधान के विरूद्ध कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत प्रतिशतता
1	हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के सुदृढ़ीकरण की योजना पी-01-27-2401-51-109-76-51	200.00	शून्य	200.00	100
2	बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना पी-03-27-2401-51-105-94-51	0.10	शून्य	0.10	100
3	अनुसूचित जाति के किसानों के लिए बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना पी-03-27-2401-51-789-86-51	0.10	शून्य	0.10	100
4	राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन (एन.एम.ए.ई.टी.) के अंतर्गत बीज और रोपण सामग्री (एस.एम.एस.पी.) पर प्रस्तुतीकरण पी -03-27-2401-51-190-98-51-एन-वी	0.85	शून्य	0.85	100
5	हरियाणा विश्वविद्यालय में भावांतर भरपाई योजना की योजना 2401-51-190-99-51	10.00	शून्य	10.00	100
6	जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय परियोजना की योजना का नाम बदलकर जैविक खेती और शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पद्धतियां कर दिया गया 2401-51-119-71-51	100.00	शून्य	100.00	100
7	प्लान स्कीम मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (एम.बी.बी.वाई.) 2401-51-119-63-51	0.01	शून्य	0.01	100
	कुल	**311.06**	**शून्य**	**311.06**	**100**

(v) अधिक व्यय

उच्च सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति/सहमति के बिना कोई अधिक व्यय नहीं किया जाना चाहिए। विभिन्न योजनाओं में अधिक व्यय निधियों की आवश्यकता के आकलन में पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि दो योजनाओं में योजनाओं के संशोधित बजट अनुमानों से अधिक व्यय किया गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार	बजट प्रावधान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)
1	4401- कृषि कार्यालय भवन का निर्माण पी-01-08-4401-51-113-97-51	1,000.00	150.00	177.28	27.28
2	हरियाणा राज्य में एकीकृत बागवानी विकास योजना (पी-01-27-2401-51-119-65-51)	3,512.50	6,000.00	6,308.76	308.76
	कुल	**4,512.50**	**6,150.00**	**6,486.04**	**336.04**

(vi) निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय

वित्त विभाग निष्पादन से जुड़े हुए परिव्यय (पी.एल.ओ.) खाते का संचालन करता है। खाते का उद्देश्य अन्य विभिन्न योजनाओं में आवश्यकता के अनुसार निधियां हस्तांतरित करना है। सभी लेनदेन वित्त विभाग के निर्देश के अनुसार किए गए हैं। अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान निष्पादन से जुड़े हुए परिव्यय खाते में ₹ 10 करोड़ की राशि की निधियां आवंटित की गई थी और निष्पादन से जुड़े हुए परिव्यय खाते में ₹ 56.58 करोड़ (कुल ₹ 66.58 करोड़ की राशि) की राशि और प्रदान की गई थी। बजट प्रावधान को शून्य छोड़कर पुनर्विनियोजन के माध्यम से संपूर्ण प्रावधान को अभ्यर्पित कर दिया गया था। तथापि, योजना पर ₹ 3.26 लाख का व्यय किया गया जो खराब वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।

3.5 निष्कर्ष

राज्य सरकार की बजट प्रणाली सही नहीं थी, क्योंकि 2020-21 के दौरान बजट का कुल उपयोग कुल अनुदान और विनियोग का 79 प्रतिशत था। बजटीय आवंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि कुल 47 अनुदानों में से 34 अनुदानों में बचत 20 प्रतिशत से अधिक थी। पिछले पांच वर्षों में 24 अनुदानों और एक विनियोजन में दस प्रतिशत से अधिक की सतत् बचत हुई।

अनुपूरक प्रावधान भी वास्तविक आधार पर नहीं थे क्योंकि 30 मामलों में अनुपूरक प्रावधान या तो अनुचित थे या अत्यधिक थे। वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता थी। 2020-21 के दौरान 22 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 31 शीर्षों में कुल व्यय का 37 प्रतिशत मार्च 2021 के माह में खर्च किया गया था।

अनुदान संख्या 35 - पर्यटन में ₹ 21.93 करोड़ का व्यय राज्य विधानमंडल द्वारा दिए गए प्राधिकार से अधिक था जो बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को खराब करता है। 2018-19 से संबंधित ₹ 41.54 करोड़ और 2019-20 से संबंधित ₹ 153.39 करोड़ के अधिक संवितरण के साथ अतिरिक्त व्यय को राज्य विधानमंडल से नियमित करवाना अपेक्षित है।

ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और बच्चों के पोषण इत्यादि से संबंधित 13 प्रमुख नीतिगत घोषणाओं में ₹ 7,482.45 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 6,001.28 करोड़ (80 प्रतिशत) का व्यय हुआ था जिसने लाभार्थियों को इच्छित लाभों से वंचित किया।

3.6 सिफारिशें

i. सरकार को बड़ी बचत और अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए वास्तविक बजट अनुमान तैयार करने पर विचार करना चाहिए।

ii. सरकार को अनुपूरक प्रावधानों को तैयार करने में बजट नियमावली के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और अवास्तविक अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए, अनुमान में पारदर्शिता पर विचार करना चाहिए।

iii. सरकार को वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता से बचने के लिए वित्तीय निगरानी को सुदृढ़ करने पर विचार करना चाहिए।

iv. सरकार बजटीय अनुमान तैयार करते समय राज्य में प्रमुख नीतिगत निर्णयों और विकास योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए रणनीति तैयार करने पर विचार कर सकती है।

अध्याय-4

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार

अध्याय 4: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार

एक मजबूत आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचनाओं सहित, राज्य सरकार द्वारा कुशल व प्रभावी अभिशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ इस प्रकार की अनुपालनाओं की स्थिति पर रिपोर्टिंग की समयबद्धता व गुणवत्ता सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालना एवं नियंत्रणों पर रिपोर्टस, यदि प्रभावी व परिचालनात्मक हो तो सरकार को कुशल योजना व निर्णय लेने सहित इसकी आधारभूत प्रबंधकीय जिम्मेवारियों को पूरा करने में सहायता करती हैं।

लेखों की पूर्णता से संबंधित मामले

4.1 राज्य की समेकित निधि या सार्वजनिक लेखा से बाहर की निधियां

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन अनुच्छेद 266 (1) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सभी राजस्व, खजाना बिल जारी करके सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों की वसूली में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि के रूप में शामिल होंगे जिसे "राज्य की समेकित निधि" कहा जाएगा। अनुच्छेद 266 (2) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किए गए, जैसा भी मामला हो, सभी अन्य सार्वजनिक धन राज्य के लोक लेखा में जमा किए जाएंगे।

यह देखा गया है कि राज्य की समेकित निधि/लोक लेखा में जमा की जाने वाली निधियों को राज्य की समेकित निधि/लोक लेखा से बाहर रखा गया है जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

4.1.1 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

राज्य सरकार, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर एकत्र करती है। एकत्र किए गए उपकर को निर्माण श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया जाना है। इस प्रयोजन के लिए भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के लेखाओं के अनुसार 31 मार्च 2020 को बोर्ड के पास कुल उपलब्ध निधियां ₹ 3,118.96 करोड़ थीं। बोर्ड ने 2020-21 के दौरान श्रम उपकर, ब्याज, आदि के रूप में ₹ 453.08 करोड़ प्राप्त किए और वर्ष के दौरान श्रमिक कल्याण योजनाओं पर ₹ 388.82 करोड़ खर्च किए। 31 मार्च 2021 को बोर्ड के पास ₹ 3,183.22 करोड़ (2020-21 के आंकड़े अनंतिम हैं और लेखों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है) की निधियां थीं।

4.1.2 हरियाणा ग्रामीण विकास निधि

राज्य सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने तथा इसके विपणन एवं बिक्री में सुधार के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के अंतर्गत हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड का गठन किया। इस अधिनियम की धारा 5(1) के अनुसार, अधिसूचित बाजार क्षेत्र में खरीदे गए अथवा बेचे गए एवं प्रोसेसिंग के लिए लाए गए कृषि उत्पाद के बिक्री मूल्य पर दो प्रतिशत की दर से एड-वेलोरेम आधार पर शुल्क (उपकर) लगाया जाता है। इस प्रकार एकत्रित राशि बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतः सड़कों के विकास, डिस्पेंसरियों की स्थापना, जलापूर्ति एवं स्वच्छता प्रबंधन तथा गोदामों के निर्माण के लिए खर्च की जाती है। 2011-20 के दौरान निधि के अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 5,385.84 करोड़ थीं तथा ₹ 4,749.98 करोड़ का व्यय किया गया था। वर्ष 2020-21 का वार्षिक लेखा अभी तैयार नहीं हुआ था।

4.1.3 हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड

राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य के लाभ के लिए मूलभूत संरचना परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के संबंध में सरकार के प्रयासों का समन्वय करने के लिए हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों का विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 3एए के अंतर्गत हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया, जिसमें राज्य के बजट द्वारा प्रदान किए गए स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों से निजी भागीदारी और वित्त पोषण शामिल है। बोर्ड को विशेष रूप से सरकार द्वारा अपने बजटीय प्रावधानों के माध्यम से शुरू की गई मूलभूत संरचना परियोजनाओं में किसी भी भूमिका को निभाने से बाहर रखा गया है। मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बोर्ड अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता के लिए हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों वाली एक कार्यकारी समिति का गठन कर सकता है। मुख्य प्रशासक, जिसे हरियाणा सरकार द्वारा कार्यालय प्रभारी नियुक्त किया जाना होता है, इसके दिन-प्रतिदिन के कामकाज में सहायता करता है।

हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र नियमन अधिनियम, 1975 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त कालोनाइजर को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर राज्य मूलभूत संरचना विकास प्रभार जमा करवाना अपेक्षित है। निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा निधि का संग्रहण एवं प्रबंधन किया जाएगा तथा इसके आगे उपयोग के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित बोर्ड को हस्तांतरित किया जाएगा। कालोनाइजरों द्वारा जमा करवाए गए राज्य मूलभूत संरचना विकास प्रभारों और मूलभूत संरचना वृद्धि प्रभारों की राशि, केंद्र/राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से ऋण एवं अनुदान या राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण एवं अनुदान और ऐसे स्रोत से कोई अन्य धन, जैसा कि राज्य सरकार निर्णय ले, निधि में जमा किया जाएगा। इस निधि का उपयोग हरियाणा राज्य के लाभ के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास और प्रमुख मूलभूत संरचना परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा। निधि का उपयोग निधि के प्रबंधन की लागत को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है। निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा

राज्य सरकार की समेकित निधि/लोक लेखा के बाहर सीधे बैंक खाते में निधियां प्राप्त की जाती हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड की प्राप्ति ₹ 525.69 करोड़ थी तथा व्यय ₹ 73.36 करोड़ था। वर्ष 2020-21 के अंत में निधि का कुल कोष ₹ 2,981.29 करोड़ था (वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखों के रूप में अनंतिम आंकड़ों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था)।

4.1.4 हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड

शहरी मूलभूत संरचना; नगर नियोजन कार्यान्वयन की तकनीकों के प्रावधान और उन्नयन हेतु संसाधन जुटाने; शहरी प्रबंधन में प्रशिक्षण सुविधाएं/मानव संसाधन विकास प्रदान करने और नगर पालिकाओं की अनुमोदित योजनाओं/परियोजनाओं के समन्वय, योजना एवं कार्यान्वयन के लिए हरियाणा म्युनिसिपल (एच.एम.) अधिनियम, 1973 में संशोधन करके हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (एच.यू.आई.डी.बी.) का गठन (अप्रैल 2002) किया गया था। हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के शासी निकाय में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य प्रशासक, सचिव और नौ अन्य पदेन सदस्य हैं और शहरी स्थानीय निकायों से कोई प्रतिनिधित्व नहीं था।

हरियाणा म्युनिसिपल अधिनियम की धारा 203एल के अनुसार हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड ने एक निधि[1] का गठन किया जिसमें लाइसेंस फीस, संवीक्षा फीस, भूमि उपयोग परिवर्तन प्रभार, निजी डेवलपरों को लाइसेंस देने के लिए कंपोजीशन फीस और राज्य नगरपालिका अधिनियमों के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान, ऋण एवं वित्तीय सहायता तथा सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य फीस/प्रभार शामिल हैं।

2020-21 के दौरान बोर्ड की प्राप्ति ₹ 44.19 करोड़ और व्यय ₹ 49.17 करोड़ था। वर्ष 2020-21 के अंत में निधि का कुल कोष ₹ 182.53 करोड़ था।

ये निधियां राज्य की समेकित निधि/राज्य के लोक लेखा से बाहर हैं और इसलिए इन निधियों में धन के संग्रहण एवं उपयोग पर कोई विधायी निरीक्षण नहीं है। तेरहवें वित्त आयोग ने भी सार्वजनिक व्यय को बजट से नामित निधियों की ओर मोड़ने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की जो विधायिका के प्राधिकार और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के बाहर संचालित होती हैं।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के मामले में, अधिनियम में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान है और निधि की लेखापरीक्षा की जा रही है। हालांकि, हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड

[1] हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड।

और हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान नहीं करते हैं।

4.2 ब्याज वहन करने वाले जमाओं के प्रति ब्याज के संबंध में देयता का निर्वहन न करना

सरकार को 31 मार्च 2021 तक ₹ 43.07 करोड़ की शेष राशि वाले प्रमुख शीर्ष-8342 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना नामक ब्याज वहन करने वाले जमाओं में राशियों पर ब्याज का भुगतान करना था। इस राशि पर ब्याज देयता एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित नहीं की गई; अपने कर्मचारियों से संबंधित निधियों का गलत ढंग से उपयोग किया और लाभार्थियों को निधि पर ब्याज या रिटर्न के अभिप्रेत लाभ से वंचित किया तथा वर्तमान देयताओं को भविष्य के वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया।

4.3 बजट से बाहर उधार

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के पैरा 10(3) के अनुसार, जब भी राज्य सरकार बिना शर्त और पर्याप्त रूप से मूल राशि चुकाने और/या किसी अलग कानूनी इकाई के ब्याज का भुगतान करने का वचन देती है, तो उसे ऐसी देयता को राज्य के उधार के रूप में प्रतिबिंबित करना होगा।

हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड (एच.पी.एच.सी.एल.) ने हरियाणा शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) से ₹ 550 करोड़ (अक्तूबर 2015) और ₹ 300 करोड़ (जनवरी 2011) के दो ऋण लिए। वित्त विभाग, हरियाणा सरकार की सहमति से गृह विभाग द्वारा ऋण गारंटी की संस्वीकृति जारी की गई थी। संस्वीकृतियों की शर्तों के अनुसार मूलधन और ब्याज की अदायगी ऋण अनुबंध के अनुसार की जाएगी। इन शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार हुडको को पुनर्भुगतान करने के लिए ब्याज के साथ ऋण अनुबंध में निर्धारित राशि के अनुसार बजट में निधियों का वार्षिक आवंटन करेगी। तदनुसार, वित्त विभाग मूलधन और ब्याज दोनों के पुनर्भुगतान के लिए हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड को आवश्यक निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार, ये ऑफ बजट उधार की प्रकृति के थे।

गृह विभाग द्वारा जारी संस्वीकृतियों के अनुसार ऋणों के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए जारी की गई राशि को हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उल्लंघन में बजट एवं लेखा में सहायता अनुदान के रूप में दर्शाया गया जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक उधारों को कम करके दर्शाया गया।

वर्ष 2020-21 के दौरान हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड ने वर्ष के आरंभ में अर्थात् 01 अप्रैल 2020 को ₹ 419.50 करोड़ के बकाया ऋणों के विरूद्ध हुडको को इन ऋणों के लिए

₹ 63.75 करोड़ (₹ 22.50 करोड़ जमा ₹ 41.25 करोड़) की राशि का पुनर्भुगतान किया। वर्ष के अंत में अर्थात् 31 मार्च 2021 को ₹ 405.75 करोड़ का बकाया ऋण शेष छोड़ते हुए वर्ष के दौरान ₹ 50 करोड़ के ऋण लिए गए हैं।

4.4 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां

भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को काफी राशियां सीधे तौर पर हस्तांतरित कर रही है। जबकि भारत सरकार ने 2014-15 से राज्य के बजट के माध्यम से इन निधियों को जारी करने का निर्णय लिया था तथापि, 2020-21 के दौरान, राज्य की विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को सीधे तौर पर ₹ 7,118.68 करोड़ हस्तांतरित किए गए, जैसा कि ***तालिका 4.1*** में विवरण दिया गया है।

तालिका 4.1: राज्य में विद्यमान कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन एजेंसी	राशि
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	मनरेगा	614.18
2	दिव्यांगों के लिए योजनाएं	राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम	0.39
3	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	सभी जिलों के उपायुक्त	12.50
4	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम III	हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी	22.98
5	नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन	एन.एच.पी.सी. लिमिटेड	65.31
6	जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास विभाग	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	301.88
7	घनी खान संस्थान सहित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.एस.) को सहायता	एन.आई.टी., कुरुक्षेत्र	103.63
8	बागवानी विकास मिशन	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम, हरियाणा	103.75
9	सीखो और कमाओ - कौशल विकास पहल	मास इन्फोटेक सोसायटी तथा अन्य	17.34
10	स्वायत्त संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता	राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद	20.51
11	खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन सी.एस. (संपदा)	हैफेड तथा अन्य	27.07
12	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान पावर	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान	18.45
13	एकीकृत विद्युत विकास योजना	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	131.68
14	स्वदेश दर्शन-विषय आधारित पर्यटन सर्किटों का एकीकृत विकास	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	13.81
15	यूरिया फ्रेट सब्सिडी के लिए भुगतान	यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	2,823.27
16	आयातित पी. और के. उर्वरकों के लिए भुगतान	मोसेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,104.52
17	नई मंज़िल- एकीकृत शिक्षा एवं आजीविका पहल	कौशल विकास प्राइवेट लिमिटेड का भारतीय संस्थान	1.72
18	सड़क विंग के अंतर्गत निर्माण कार्य	मान बिल्डर्स, के.सी.सी. बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड और अन्य	90.58
19	प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना	महिला एवं बाल विकास विभाग	3.33
20	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड	0.96
21	प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि विभाग, हरियाणा	1,199.35
22	फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना	कृषि एवं किसान कल्याण निदेशालय, हरियाणा	170.00
23	मूलभूत संरचना विकास और क्षमता निर्माण (एम.एस.एम.ई.)	औद्योगिक नीति और संवर्धन ब्यूरो (बी.आई.पी.पी.) और एम.एस.एम.ई. प्रौद्योगिकी केंद्र, रोहतक	9.64
24	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण	जी.जे.यू. हिसार तथा अन्य	3.10

क्र.सं.	भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन एजेंसी	राशि
25	फुट एंड माउथ डिजीज (एफ.एम.डी.) और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम	हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड	10.11
26	कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.पी.एफ.टी.)	कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान	10.50
27	अनुसंधान और विकास (डी.एस.टी.)	भारत-जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र और अन्य विश्वविद्यालय	10.91
28	स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल इनोवेशन मिशन (ए.आई.एम.)	ताइचीजूनो स्पेशलिटी टायर्स प्राईवेट लिमिटेड और अन्य स्कूल	13.13
29	एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत अनाज के अंतर-राज्य आंदोलन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता और एफ.पी.एस. डीलरों का मार्जिन	निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले हरियाणा	19.23
30	अटल भूजल योजना	एस.पी.एम.यू., आई. एंड डब्ल्यू.आर. विभाग हरियाणा	20.80
31	किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान-ऑफ ग्रिड (कुसुम)	हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी	51.33
32	अन्य स्कीमें		122.72
	कुल		**7,118.68**

स्रोत: वित्त लेखा - परिशिष्ट VI

भारत सरकार ने राज्य में मौजूद विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 7,347.62 करोड़ हस्तांतरित किए थे। इसमें से, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 7,118.68 करोड़ जारी किए गए थे जो कि 2019-20 में जारी की गई राशि (₹ 4,351.10 करोड़) से 63.61 प्रतिशत अधिक थे। यह राज्य के बजट के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना के लिए अनुदान सहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा जारी राशि ₹ 3,135.18 करोड़ का 2.27 गुणा है। शेष ₹ 228.94 करोड़ (₹ 7,347.62 करोड़ - ₹ 7,118.68 करोड़) की निधियां केंद्रीय निकायों और अन्य संगठनों को जारी की गई थीं।

4.5 स्थानीय निधियों की जमा राशि

पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत वसूल की गई या वसूली योग्य सभी धनराशि को प्रमुख शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा राशि के अंतर्गत पंचायत निकाय निधि के रूप में रखा जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान निधि के अंतर्गत प्रारंभिक शेष, प्राप्तियों, संवितरणों और अंतिम शेष का विवरण ***तालिका 4.2*** में दिया गया है।

तालिका 4.2: 2016-17 से 2020-21 के दौरान पंचायत निकायों की निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
आरंभिक शेष	10.92	12.07	9.71	7.81	7.34
प्राप्ति	6.52	3.13	2.16	1.66	2.34
संवितरण	5.37	5.49	4.06	2.13	0.91
अंतिम शेष	12.07	9.71	7.81	7.34	8.77

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए वित्त लेखे

पारदर्शिता से संबंधित मामले

4.6 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलंब

पंजाब वित्तीय नियमावली का नियम 8.14, वॉल्यूम-1 (जैसा कि हरियाणा में लागू है) प्रावधान करता है कि जहां अनुदान मंजूर किए जाते हैं और ऐसे मामले जिनमें व्यय की विशेष वस्तुओं के विनिर्देश के रूप में अनुदान की उपयोगिता की शर्तों को जोड़ा जाता है या वह समय जिसके भीतर धन को खर्च किया जाना चाहिए या अन्यथा, विभागीय अधिकारी, जिनके हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर पर सहायता अनुदान बिल तैयार किया गया था, को महालेखाकार को अनुदान से जुड़ी शर्तों की पूर्ति को प्रमाणित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होना चाहिए। विनिर्दिष्ट अवधि के बाद बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) अपेक्षित उद्देश्यों के लिए अनुदान के उपयोग पर आश्वासन के अभाव को दर्शाता है और लेखों में उस सीमा तक दिखाए गए व्यय को अंतिम नहीं माना जा सकता है। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) [ए.जी. (ए. एंड ई.)] के अभिलेखों के अनुसार बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति और बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्ष-वार विवरण ***तालिका 4.3*** *और* ***तालिका 4.4*** में दिया गया है।

तालिका 4.3: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

देय वर्ष[2]	आरंभिक शेष		वृद्धि		निपटान		प्रस्तुतीकरण हेतु देय	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2017-18 तक	1,879	9,062.62	8,083	8,844.56	8,374	10,106.38	1,588	7,800.80
2018-19	1,588	7,800.80	7,709	8,429.14	7,565	7,760.45	1,732	8,469.49
2019-20	1,732	8,469.49	7,892	8,914.81	7,620	6,786.72	2,004	10,597.58
2020-21	2,004	10,597.58	730	6,425.48	292	2,472.28	2,442	14,550.78

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा द्वारा प्रदान की गई सूचना से संकलित।

तालिका 4.4: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्ष-वार विवरण

अनुदानों के संवितरण का वर्ष	31 अगस्त 2021 को प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2009-10	1	10.85
2010-11	7	33.08
2011-12	41	137.00
2012-13	58	305.37
2013-14	87	720.32
2014-15	92	343.56
2015-16	198	478.92
2016-17	321	1,386.13
2017-18	430	1,744.54
2018-19	485	2,969.72
2019-20	722	6,421.29
कुल	**2,442**	**14,550.78**

[2] 2019-20 के दौरान संवितरित सहायता अनुदान के उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2020-21 के दौरान ही देय होंगे।

कुल 2,442 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से ₹ 8,129.49 करोड़ के अनुदान के 1,720 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2009-10 से 2018-19 की अवधि से संबंधित हैं। ₹ 14,550.78 करोड़ की कुल राशि में से, जिसके लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे, 95.17 प्रतिशत चार विभागों (42.94 प्रतिशत - ग्रामीण विकास विभागः ₹ 6,248.51 करोड़, 41.37 प्रतिशत - शहरी विकास विभागः ₹ 6,019.63 करोड़, 5.54 प्रतिशत - स्वास्थ्य विभागः ₹ 805.11 करोड़ एवं 5.32 प्रतिशत - सामान्य शिक्षा विभागः ₹ 774.14 करोड़) से संबंधित हैं जैसा कि ***परिशिष्ट 4.1*** में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास विभाग के कुल देय 1,352 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (प्रमुख शीर्ष 2501 से संबंधित: 208 उपयोगिता प्रमाण-पत्र; प्रमुख शीर्ष 2505 से संबंधित: 40 उपयोगिता प्रमाण-पत्र और प्रमुख शीर्ष 2515 से संबंधित: 1,104 उपयोगिता प्रमाण-पत्र) में से 1,104 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (प्रमुख शीर्ष 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम) की अगस्त 2021 के दौरान ग्रामीण विकास विभाग तथा विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशालय कार्यालय में संवीक्षा की गई थी।

जुलाई 2021 तक, प्रमुख शीर्ष 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति और बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्ष-वार विवरण ***तालिका 4.5*** में दिया गया है।

तालिका 4.5: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाणपत्र-		प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र-		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र-		सामान्य प्रयोजन के लिए अनुदान		परिसंपत्ति सृजन के लिए अनुदान	
	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
2009-10	1	10.85	-	-	1	10.85	-	-	1	10.85
2010-11	8	40.08	1	7.00	7	33.08	-	-	7	33.08
2011-12	41	137.00	-	-	41	137.00	1	2.74	40	134.26
2012-13	39	88.02	-	-	39	88.02	-	-	39	88.02
2013-14	69	368.67	-	-	69	368.67	-	-	69	368.67
2014-15	57	179.90	2	10.56	55	169.34	-	-	55	169.34
2015-16	95	152.75	-	-	95	152.75	7	0.25	88	152.50
2016-17	134	289.35	1	16.67	133	272.68	3	2.66	130	270.02
2017-18	64	205.68	-	-	64	205.68	6	0.19	58	205.49
2018-19	241	1,181.31	4	133.62	237	1,047.69	21	1.02	216	1,046.67
2019-20	355	2,757.15	-	-	355	2,757.15	-	-	355	2,757.15
कुल	**1,104**	**5,410.76**	**8**	**167.85**	**1,096**	**5,242.91**	**38**	**6.86**	**1,058**	**5,236.05**

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा द्वारा प्रदान की गई सूचना से संकलित।

यह अनिवार्य है कि राज्य सरकार इस पहलू की बारीकी से निगरानी करे और समयबद्ध ढंग से उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को जमा करने के लिए एक तंत्र तैयार करे जो व्यय और वांछित आउटपुट/परिणामों के आश्वासन को सक्षम बनाए।

4.6.1 अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान को 'अन्य' के रूप में दर्ज करना

2020-21 के दौरान ₹ 13,012.47 करोड़ के कुल सहायता अनुदान में से ₹ 1,329.75 करोड़ (कुल सहायता अनुदान का 10.22 प्रतिशत) के संबंध में अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों के नाम का उल्लेख 'अन्य' के रूप में किया गया था। इसमें से ₹ 206.23 करोड़ पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए थे। 2016-21 के दौरान 'अन्य' के लिए संवितरित सहायता अनुदान की स्थिति ***तालिका 4.6*** में दिखाई गई है।

तालिका 4.6: 'अन्य' श्रेणी के अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों को सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल सहायता अनुदान राशि	'अन्य' श्रेणी के अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों की राशि	कुल सहायता अनुदान की प्रतिशतता
2016-17	12,647.14	शून्य	शून्य
2017-18	9,844.31	शून्य	शून्य
2018-19	10,077.83	1,129.59	11.21
2019-20	11,337.35	905.17	7.98
2020-21	13,012.47	1,329.75	10.22

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

4.7 सार आकस्मिक बिल

जब अग्रिम रूप से धन की आवश्यकता होती है या जब वे आवश्यक राशि की गणना करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओ.) को सेवा शीर्षों से डेबिट करके सार आकस्मिक (ए.सी.) बिलों के माध्यम से संबंधित दस्तावेजों के बिना धन आहरण की अनुमति होती है और व्यय को सेवा शीर्ष के अंतर्गत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है। विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिलों को एक माह के भीतर राज्य के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को प्रस्तुत करने तक इन राशियों को आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है। विस्तृत आकस्मिक बिलों का देरी से प्रस्तुत करना अथवा लंबी अवधि तक प्रस्तुत न करना लेखाओं की पूर्णता एवं सत्यता को प्रभावित करता है।

31 मार्च 2021 तक आपत्ति, लंबित समायोजन के अंतर्गत सार आकस्मिक बिलों का विवरण ***तालिका 4.7*** में दिया गया है।

तालिका 4.7: 31 मार्च 2021 तक लंबित विस्तृत आकस्मिक बिलों का विवरण

वर्ष	लंबित डी.सी. बिलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2018-19 तक	84	8.40
2019-20	182	214.03
2020-21	453	549.65
कुल	**719**	**772.08**

31 मार्च 2021 तक लंबित विस्तृत आकस्मिक बिलों की 98.21 प्रतिशत राशि, चार विभागों अर्थात् खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (81.59 प्रतिशत - ₹ 629.95 करोड़ के आठ विस्तृत आकस्मिक बिल), स्वास्थ्य विभाग (9.80 प्रतिशत - ₹ 75.62 करोड़ के 16 विस्तृत आकस्मिक बिल), सामान्य शिक्षा विभाग (4.64 प्रतिशत - ₹ 35.84 करोड़ के 462 विस्तृत आकस्मिक बिल) और परिवहन विभाग (2.18 प्रतिशत - ₹ 16.85 करोड़ के 22 विस्तृत आकस्मिक बिल) से संबंधित है।

4.8 व्यक्तिगत जमा खाते

पंजाब वित्तीय नियम वॉल्यूम-I (हरियाणा राज्य में यथा लागू) के नियम 12.16 एवं 12.17 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए समेकित निधि या अन्य निधियों से हस्तांतरण द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अनुमोदन से व्यक्तिगत जमा खाते खोलने के लिए अधिकृत है। निधियों का व्यक्तिगत जमा खातों में हस्तांतरण संबंधित सेवा प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत समेकित निधि से व्यय के रूप में लेखाकृत किया जाता है। वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर अव्ययित शेष राशि को समेकित निधि में वापस हस्तांतरित कर व्यक्तिगत जमा खातों को बंद किया जाना आवश्यक है और यदि आवश्यकता हो तो अगले वर्ष फिर से खोला जा सकता है। 31 मार्च 2021 को समेकित निधि से हस्तांतरण द्वारा खोले गए व्यक्तिगत जमा खातों की संख्या सात थी। आगे, उपर्युक्त नियमों के नियम 12.7 के अनुसार समेकित निधि से अलग निधियों के हस्तांतरण द्वारा खोले गए व्यक्तिगत जमा खातों की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जानी चाहिए और जो खाते तीन से अधिक पूर्ण लेखा वर्षों से निष्क्रिय हैं, उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए तथा ऐसे खातों में पड़ी हुई शेष राशि को सरकारी खातों में जमा किया जाना चाहिए।

व्यक्तिगत जमा खातों की ब्रॉडशीट के अनुसार 31 मार्च 2021 तक सक्रिय व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति ***तालिका 4.8*** में दी गई है।

तालिका 4.8: 31 मार्च 2021 तक व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति

व्यक्तिगत जमा खातों का स्रोत	आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान शामिल किए गए		वर्ष के दौरान बंद किए गए		अंतिम शेष	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
समेकित निधि	2	311.72	5	3,301.06	..	2,044.99[3]	7	1,567.79
समेकित निधि से अलग	152	299.17	5	17.05	..	12.84[3]	157	303.38
कुल	**154**	**610.89**	**10**	**3,318.11**	**..**	**2,057.83[3]**	**164**	**1,871.17**

[3] वर्ष के दौरान कोई भी व्यक्तिगत जमा खाता बंद नहीं किया गया था। यह राशि वर्ष के दौरान सक्रिय व्यक्तिगत जमा खातों में प्रकट माइनस मेमोरेंडा के लेनदेनों का प्रतिनिधित्व करती है।

₹ 0.97 करोड़ की राशि वाले 11 व्यक्तिगत जमा खाते तीन वर्ष से अधिक समय से निष्क्रिय हैं और राज्य सरकार द्वारा नियमों के विचलन में बंद नहीं किए गए हैं।

4.9 लघु शीर्ष-800 का अंधाधुंध उपयोग

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/अन्य व्यय के अंतर्गत बुकिंग तभी की जानी चाहिए जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष नहीं दिया गया हो। लघु शीर्ष-800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे लेखों की पारदर्शिता प्रभावित होती है। वर्ष के दौरान, विभिन्न राजस्व और पूंजीगत प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत ₹ 7,964.58 करोड़ के व्यय, जो ₹ 95,816.30 करोड़ के कुल व्यय का लगभग 8.31 प्रतिशत है और ₹ 3,510.62 करोड़ की प्राप्तियों, जो ₹ 67,561.01 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 5.20 प्रतिशत है, को संबंधित प्रमुख शीर्षों के नीचे लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज किया गया था। ऐसे मामले, जहां व्यय का पर्याप्त अनुपात (75 प्रतिशत से अधिक) लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, ***तालिका 4.9*** में दिए गए हैं।

तालिका 4.9: लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किए गए व्यय का प्रमुख शीर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रमुख शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	प्रतिशतता
1.	2075	विविध सामान्य सेवाएं	383.87	383.69	99.95
2.	2700	मुख्य सिंचाई	1,243.78	959.78	77.17
3.	2701	मध्यम सिंचाई	218.14	181.67	83.28
4.	2801	विद्युत	5,565.33	5,099.93	91.64
		कुल	**7,411.12**	**6,625.07**	**89.39**

2016-21 के दौरान लघु शीर्ष 800 - अन्य व्यय का परिचालन ***चार्ट 4.1*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: 2016-21 के दौरान लघु शीर्ष 800 - अन्य व्यय का परिचालन

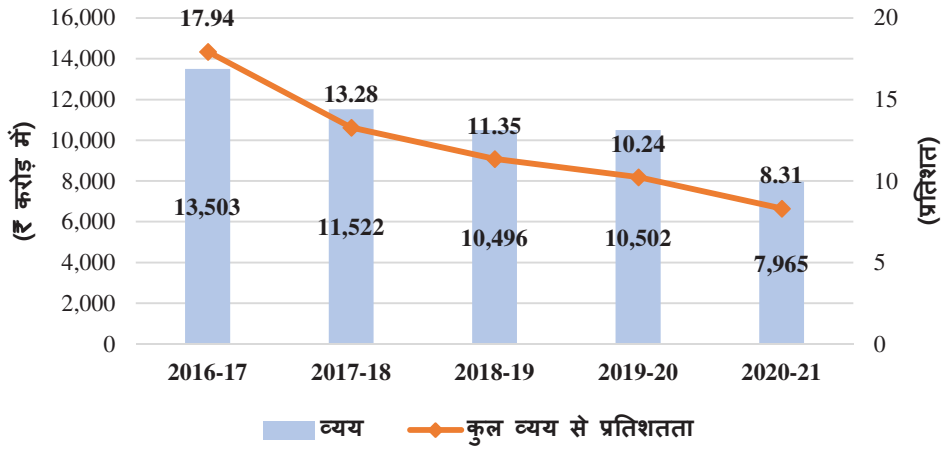

माप से संबंधित मामले

4.10 उचंत एवं प्रेषण के अंतर्गत बकाया शेष

वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अलग से बकाया डेबिट और क्रेडिट शेषों को जोड़ते हुए इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों की गणना की जाती है। महत्वपूर्ण उचंत मदों को पिछले तीन वर्षों के सकल डेबिट और क्रेडिट शेष के रूप में ***तालिका 4.10*** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.10: बकाया उचंत एवं प्रेषण शेषों के विवरण

(₹ करोड़ में)

(क) 8658- उचंत लेखे						
लघु शीर्ष	**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**	
	डेबिट	**क्रेडिट**	**डेबिट**	**क्रेडिट**	**डेबिट**	**क्रेडिट**
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	20.40	0.04	26.69	0.01	30.76	0.01
निवल	**20.36 (डेबिट)**		**26.68 (डेबिट)**		**30.75 (डेबिट)**	
102-उचंत लेखे (सिविल)	14.89	..	109.94	..	15.79	-
निवल	**14.89 (डेबिट)**		**109.94 (डेबिट)**		**15.79 (डेबिट)**	
107-रोकड़ निपटान उचंत लेखा	53.07	..	52.88	..	42.08	-
निवल	**53.07 (डेबिट)**		**52.88 (डेबिट)**		**42.08 (डेबिट)**	
109- रिजर्व बैंक उचंत (मुख्यालय)	(-)10.56	(-)4.65	0.24	0.97	(-)9.86	(-)1.14
निवल	**5.91 (क्रेडिट)**		**0.73 (क्रेडिट)**		**8.72 (क्रेडिट)**	
110-रिजर्व बैंक उचंत-केंद्रीय लेखा कार्यालय	4.67	..	11.58	..	19.95	20.30
निवल	**4.67 (डेबिट)**		**11.58 (डेबिट)**		**0.35 (क्रेडिट)**	
112-स्रोत पर काटा गया कर उचंत	..	29.85	..	129.85	-	55.32
निवल	**29.85 (क्रेडिट)**		**129.85 (क्रेडिट)**		**55.32 (क्रेडिट)**	
(ख) 8782- एक ही लेखा कार्यालय में लेखे भेजने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण और समायोजन						
लघु शीर्ष	**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**	
	डेबिट	**क्रेडिट**	**डेबिट**	**क्रेडिट**	**डेबिट**	**क्रेडिट**
102-लोक निर्माण प्रेषण	90.37	431.89	30.78	333.64	31.05	357.09
निवल	**341.52 (क्रेडिट)**		**302.86 (क्रेडिट)**		**326.04 (क्रेडिट)**	
103-वन प्रेषण	..	1.76	..	3.55	-	4.11
निवल	**1.76 (क्रेडिट)**		**3.55 (क्रेडिट)**		**4.11 (क्रेडिट)**	

स्रोत:वित्त लेखे

4.11 विभागीय आंकड़ों का मिलान

व्यय पर प्रभावी नियंत्रण, उसे बजट अनुदानों के भीतर एवं अपने खातों की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए, सभी मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (मु.नि.अ.)/नियंत्रण अधिकारियों (नि.अ.) को अपने रिकार्ड में दर्ज प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों का प्रत्येक माह महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों के साथ मिलान करना अपेक्षित है। समेकित निधि के अंतर्गत प्राप्तियों और व्यय, दोनों के आंकड़ों का मिलान शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। साइबर खजानों के अंतर्गत आने वाली प्राप्तियों का मिलान कर लिया गया है।

4.12 नकद शेष का मिलान

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के लेखों के अनुसार 2020-21 तक राज्य सरकार का नकद शेष ₹ 463.47 करोड़ था, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसे ₹ 375.01 करोड़ सूचित किया गया था। इस प्रकार, वर्ष 2020-21 तक ₹ 88.46 करोड़ के अंतर का मिलान अभी बाकी था। यह मुख्य रूप से एजेंसी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को लेनदेन की गलत रिपोर्टिंग के कारण है और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकद शेष का मिलान करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

4.12.1 जमा कार्यों के लिए अग्रिमों पर ब्याज का लेखांकन न करना

हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों से संबंधित कार्यों का निष्पादन करता है। इस प्रयोजन के लिए, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निपटान में अग्रिम रूप से निधियां रखी जाती हैं। गृह विभाग, हरियाणा सरकार ने 2004-05 से 2020-21 की अवधि के दौरान हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निपटान में कई अग्रिम रखे हैं। वित्त विभाग द्वारा दिनांक 09 मार्च 2011 के क्रमांक 28/43/2010-1 बी एंड सी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, ऐसे सभी बोर्ड, निगम/समितियां, जिन्हें विभिन्न विभाग कार्य/खरीद के लिए धन उपलब्ध कराते हैं, ऐसे विभागों को अर्धवार्षिक आधार पर छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेंगे, जब तक कि उनके द्वारा निधियों का वास्तव में उपयोग नहीं किया जाता है और प्रशासनिक विभाग इसे वसूलने और सरकार के प्राप्ति शीर्ष में जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बहियों के अनुसार 2019-20 तक ₹ 106.44 करोड़ की राशि और 2020-21 के लिए ₹ 9.75 करोड़ को गृह विभाग द्वारा किए गए अग्रिमों पर अर्जित ब्याज के रूप में लेखाबद्ध किया गया था और बैलेंस शीट के देयता पक्ष के रूप में दिखाया गया था और इसे संबंधित कार्यों के लिए आवंटित किया गया था। तथापि, सरकारी निधियों (अग्रिम) से प्राप्त होने वाली ब्याज राशि को वित्त लेखे में लेखांकित नहीं किया गया था। राज्य सरकार के वित्त लेखों में अर्जित ब्याज के अलेखांकन, जिसे हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लेखा बहियों में सरकार से प्राप्त के रूप में दिखाया गया है, के परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व प्राप्ति को कम बताया गया है। इसके अतिरिक्त, चूंकि निधियों को हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रखा गया था और विभिन्न कार्यों के लिए आवंटित किया गया था, तदनुसार राज्य सरकार की बहियों में व्यय को भी कम बताया गया था।

प्रकटीकरण से संबंधित मामले

4.13 लेखांकन मानकों की अनुपालना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, संघ और राज्यों के लेखों को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित करेंगे। इस प्रावधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक भारत सरकार के तीन लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.) अधिसूचित किए हैं। वर्ष 2020-21 में हरियाणा सरकार द्वारा इन लेखांकन मानकों की अनुपालना और उनमें कमियां ***तालिका 4.11*** में दी गई हैं।

तालिका 4.11: लेखांकन मानकों की अनुपालना

क्र. सं.	लेखांकन मानक	राज्य सरकार द्वारा अनुपालना	अनुपालना/कमियां
1	**आई.जी.ए.एस. 1:** *सरकार द्वारा दी गई गारंटियां - प्रकटीकरण आवश्यकताएं*	अनुपालना की गई (वित्त लेखों की विवरणियां 9 एवं 20)	प्रत्येक संस्थान के लिए विस्तृत जानकारी जैसेकि गारंटियों की संख्या प्रस्तुत की गई है।
2	**आई.जी.ए.एस. 2:** *सहायतानुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण*	अनुपालना की गई (वित्त लेखों की विवरणी 10)	(i) ₹ 5,709.07 करोड़ के सहायता अनुदान को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए आबंटित के रूप में दर्शाया गया है। (ii) राज्य सरकार द्वारा वस्तुरूप में दिए गए सहायतानुदान के संबंध में सूचना प्रस्तुत की गई है।
3	**आई.जी.ए.एस. 3:** *सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम*	अनुपालना नहीं की गई (वित्त लेखों की विवरणी 18)	राज्य सरकार द्वारा विवरण की पुष्टि नहीं की गई है। अतिदेय मूलधन और ब्याज की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी। प्रत्येक ऋणी की शेष राशि की पुष्टि प्रस्तुत नहीं की गई थी।

स्रोत: भारतीय सरकार के लेखांकन मानक तथा वित्त लेखे

4.14 प्रमाणीकरण के लिए स्वायत्त निकायों के लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब

शहरी विकास, आवास, श्रम कल्याण, कृषि और न्याय के क्षेत्रों में सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए गए हैं। राज्य में 37 निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा का कार्यभार सौंपने, लेखे लेखापरीक्षा को भेजने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को जारी करने और विधानसभा में इसके प्रस्तुतीकरण की स्थिति ***परिशिष्ट 4.2*** में दर्शाई गई है।

21 स्वायत्त निकायों के संबंध में एक से चार वर्षों का विलंब रहा। लेखों के अंतिमकरण में विलंब से वित्तीय अनियमितताओं को न खोज पाने का जोखिम बढ़ जाता है तथा इसलिए आवश्यक है कि लेखों का अतिशीघ्र अंतिमकरण किया जाए एवं लेखापरीक्षा को यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

सरकार द्वारा स्वायत्त निकायों तथा विभागीय रूप से चलाए जा रहे उपक्रमों द्वारा उनकी वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए वार्षिक लेखों के संकलन तथा प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए समुचित प्रणाली स्थापित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

4.15 लेखों को प्रस्तुत न करना/प्रस्तुत करने में विलंब

सरकार/विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षित है कि वे प्रत्येक वर्ष विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, सहायता का उद्देश्य और संस्थाओं के कुल व्यय के बारे में विस्तृत सूचना लेखापरीक्षा को प्रदान करें ताकि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) के अधिनियम 1971 [सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971] की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा के लिए पात्र संस्थाओं की पहचान हो सके।

31 जुलाई 2021 तक 97 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के कुल 199 वार्षिक लेखे प्रतीक्षित थे। इन लेखों का विवरण ***परिशिष्ट 4.3*** में दिया गया है और विलंब की आयु-वार स्थिति ***तालिका 4.12*** में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 4.12: निकायों/प्राधिकरणों के लंबित वार्षिक लेखों की आयु-वार स्थिति

क्र.सं.	विलंब वर्षों में	लेखों की संख्या	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
1.	0-1	97	**485.40**
2.	2-3	100	**385.84**
3.	4 एवं अधिक	2	**12.12**
	कुल	**199**	**883.36**

स्रोतः सरकारी विभागों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा से प्राप्त आंकड़े

वार्षिक लेखों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या ये निकाय/प्राधिकरण सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधान के अंतर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित करते हैं या नहीं।

सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थानों से हर वर्ष के अन्त तक लेखों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय अपनाने पर विचार किया जाना चाहिए ताकि सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा को आकर्षित करने वाले संस्थानों की पहचान की जा सके।

4.16 विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

अर्ध-वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियां निष्पादित करने वाले कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वह वित्तीय परिचालनों के कार्यकारी परिणामों को दर्शाते हुए निर्धारित फॉरमेट में प्रतिवर्ष प्रोफार्मा लेखे तैयार करें ताकि सरकार उनकी कार्य-कुशलता का अनुमान लगा सके। अंतिम लेखे उनकी समग्र वित्तीय स्थिति और व्यवसाय को चलाने में दक्षता को प्रदर्शित करते हैं। लेखों के समय पर अंतिमकरण न करने

से, सरकार के निवेश, लेखापरीक्षा/राज्य विधान सभा की जांच से बाहर रहते हैं। परिणामस्वरूप जिम्मेवारी सुनिश्चित करने और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपाय, यदि कोई अपेक्षित हों, समय पर नहीं किए जा सकते। इसके अतिरिक्त, विलंब के कारण सार्वजनिक धन की जालसाजी और दुरुपयोग के जोखिम की संभावना है।

जून 2021 तक, ऐसे पांच[4] उपक्रमों ने वर्ष 1986-87 और 2017-18 के बीच के वर्षों से अपने लेखे तैयार नहीं किए थे। इन उपक्रमों में ₹ 10,272.47 करोड़ की सरकारी निधियां निवेशित थीं। यद्यपि बकाया लेखों को तैयार करने के बारे में बार-बार पूर्ववर्ती राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी टिप्पणियाँ की गई हैं, लेकिन इस संबंध में कोई सुधार नहीं हुआ था। प्रोफार्मा लेखों के तैयार करने में बकायों की विभाग-वार स्थिति और सरकार द्वारा किए गए निवेश का विवरण ***परिशिष्ट 4.4*** में दिया गया है।

4.17 लेखों की समयबद्धता और गुणवत्ता

राज्य सरकार के लेखे राज्य के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा आर.बी.आई. की सलाह के अतिरिक्त जिला कोषागारों, उप-कोषागारों, साइबर कोषागार, लोक निर्माण मंडलों और वन मंडलों द्वारा प्रदान किए गए प्रारंभिक लेखों से संकलित किए जाते हैं।

2020-21 के दौरान, संबंधित राज्य की खाता प्रदान करने वाली इकाइयों द्वारा देरी के कारण महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा मासिक सिविल लेखों से किसी भी लेखे को बाहर नहीं किया गया था।

अन्य मामले

4.18 दुर्विनियोजन, हानियां, चोरी, इत्यादि

पंजाब वित्तीय नियमावली का नियम 2.33, जैसा कि हरियाणा में लागू है, निर्धारित करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, उसके द्वारा की गई धोखाधड़ी या लापरवाही के माध्यम से सरकार को हुई हानि के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगा। किसी अन्य कर्मचारी द्वारा की गई धोखाधड़ी अथवा लापरवाही के कारण हुई हानि के संबंध में भी उस सीमा तक, जितनी हानि उसकी लापरवाही या कमी के कारण हुई, जिम्मेवार ठहराया जाएगा। आगे, नियम 2.34 के अनुसार, दुरुपयोग एवं हानियों के मामले महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सूचित किए जाने अपेक्षित हैं।

[4] (i) 1988-89 से बीज डिपो स्कीम (ii) 1986-87 से कीटनाशकों का क्रय एवं वितरण (iii) 2007-08 से राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम (iv) 2017-18 से अनाज आपूर्ति स्कीम (v) 2014-15 से हरियाणा रोडवेज।

राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए ₹ 1.32 करोड़ के सरकारी धन से संबंधित दुर्विनियोजन के 63 मामलों में जून 2021 तक अंतिम कार्रवाई लंबित थी। लंबित मामलों का विभाग-वार विघटन ***तालिका 4.14*** में दिया गया है।

तालिका 4.14: दुर्विनियोजन, हानियां, चोरी, दुरुपयोग इत्यादि

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	सरकारी सामान के दुर्विनियोजन/ हानियों/चोरी के मामले		दुर्विनियोजन, हानियों, चोरी इत्यादि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलंब के कारण					
				विभागीय जांच की प्रतीक्षा में या न्यायालयों में लंबित		विभागीय कार्रवाई आरंभ की गई परंतु अंतिम रूप नहीं दिया गया		वसूली या बट्टे खाते डालने के लिए आदेशों की प्रतीक्षा में	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	विकास एवं पंचायत	01	6.50	शून्य	शून्य	01	6.50	शून्य	शून्य
2	पशुपालन एवं डेयरी	01	0.08	शून्य	शून्य	01	0.08	शून्य	शून्य
3	शिक्षा	22	41.63	01	0.09	20	41.54	01	शून्य
4	हरियाणा कौशल विकास एवं उद्योग प्रशिक्षण	02	0.87	01	0.47	01	0.40	शून्य	शून्य
5	श्रम एवं रोजगार	02	0.15	शून्य	शून्य	02	0.15	शून्य	शून्य
6	पुलिस	01	3.79	01	3.79	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	03	8.63	शून्य	शून्य	02	5.93	01	2.70
8	खेल एवं युवा कल्याण	01	39.58	शून्य	शून्य	01	39.58	शून्य	शून्य
9	तकनीकी शिक्षा	01	6.52	शून्य	शून्य	01	6.52	शून्य	शून्य
10	नगर एवं ग्राम आयोजना	01	1.44	शून्य	शून्य	01	1.44	शून्य	शून्य
11	परिवहन	02	3.77	02	3.77	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12	खजाना एवं लेखा	01	6.27	01	6.27	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13	महिला एवं बाल विकास	04	10.52	02	10.52	2	शून्य	शून्य	शून्य
14	सिंचाई	19	2.07	शून्य	शून्य	17	1.85	02	0.22
15	जन स्वास्थ्य	02	0.65	शून्य	शून्य	02	0.65	शून्य	शून्य
	कुल	**63**	**132.47**	**8**	**24.91**	**51**	**104.64**	**4**	**2.92**

लम्बित मामलों तथा सरकारी सामान की चोरी और दुर्विनियोजन/हानि की प्रत्येक श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या की आयु-वार रूपरेखा ***तालिका 4.15*** में संक्षेपित की गई हैं।

तालिका 4.15: दुर्विनियोजन, हानियों, दुरुपयोग इत्यादि की रूपरेखा

(₹ लाख में)

लंबित मामलों की आयु-वार रूपरेखा			लंबित मामलों की प्रकृति		
वर्षों में श्रृंखला	मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि		मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि
0-5	33	104.85	चोरी के मामले	54	106.46
5-10	02	3.12			
10-15	03	1.10	सरकारी सामान का दुर्विनियोजन/हानि	9	26.01
15-20	07	17.92			
20-25	05	3.41			
25 एवं अधिक	13	2.07			
कुल	**63**	**132.47**	**जून 2021 को कुल लंबित मामले**	**63**	**132.47**

हानि के सभी मामलों में से ₹ 106.46 लाख के 54 मामले सरकारी धन/भण्डार की चोरी से संबंधित हैं। आगे, हानियों के 51 मामलों (₹ 104.64 लाख) के संबध में, विभागीय कार्रवाई को अंतिम रूप नहीं दिया गया था जबकि चार मामलों में ₹ 2.92 लाख की वसूली अथवा हानियों को बट्टे खाते में डालने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की प्रतीक्षा के कारण बकाया थे। आगे यह भी देखा गया कि चोरी/दुर्विनियोजन के कारण हानियों के 63 मामलों में से ₹ 27.62 लाख के 30 मामले पांच वर्षो से अधिक पुराने थे, इनमें से 18 मामले 20 वर्षों से भी अधिक पुराने थे। इन मामलों को अंतिम रूप देने में विभागों के ढुल-मुल रवैये के कारण न केवल राज्य राजकोष को हानि हुई बल्कि अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय नहीं हुई।

सरकार द्वारा, चोरी, दुर्विनियोजन इत्यादि के मामलों में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए एक समयबद्ध ढांचा तैयार करने पर विचार किया जाना चाहिए।

4.19 राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा अक्तूबर 1995 में जारी और जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किए गए सभी अनुच्छेदों और समीक्षाओं पर स्वत: सकारात्मक और निश्चित कार्रवाई आरंभ करनी चाहिए, बिना यह सोचे कि ये मामले लोक लेखा समिति सहित राज्य विधानमंडल की विधायी समितियों द्वारा जांच हेतु लिए गए थे या नहीं। प्रशासनिक विभागों द्वारा विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के भीतर की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई संबंधी एक्शन टेकन नोट्स संबंधित विधायी समिति को प्रस्तुत करने आवश्यक हैं।

वर्ष 2018-19 के लिए राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 26 अगस्त 2020 को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और यह प्रतिवेदन लोक लेखा समिति की बैठक में चयनात्मक आधार पर चर्चा के अधीन है (अगस्त 2021)। 39 प्रशासनिक विभागों में से 26 प्रशासनिक विभागों द्वारा दो अनुच्छेदों (3.2 और 3.6) पर एक्शन टेकन नोट्स (ए.टी.एन.) प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

4.20 निष्कर्ष

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत 2011-20 के दौरान एकत्र की गई ₹ 5,385.84 करोड़ की प्राप्तियां राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गईं। वर्ष 2020-21 के अंत तक हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत ₹ 2,981.29 करोड़ तथा हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत ₹ 182.53 करोड़ की एकत्र राशियां भी राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गई। इसी प्रकार, सरकारी विभागों ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996 के अंतर्गत एकत्र किए गए उपकर को राज्य

की समेकित निधि/लोक लेखा के माध्यम के बिना रूट किए हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया। 31 मार्च 2021 तक बोर्ड के पास ₹ 3,183.22 करोड़ की निधियां थीं।

वर्ष 2020-21 के दौरान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा किसी भी लेखा को मासिक सिविल लेखा से बाहर नहीं किया गया है।

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में काफी विलंब था, जो प्रशासनिक विभागों के आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है और सरकार द्वारा पूर्व अनुदानों का उचित उपयोग सुनिश्चित किए बिना नए अनुदान वितरित करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। वार्षिक लेखों के अभाव में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधानों को आकृष्ट करने वाले स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों का पता नहीं चल पाया।

बड़ी संख्या में स्वायत्त निकायों और विभागीय तौर पर चलाये जा रहे वाणिज्यिक उपक्रमों ने लंबी अवधि से अंतिम लेखे तैयार नहीं किए। परिणामस्वरूप उनकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

इसके अतिरिक्त, सरकारी धन की चोरी, दुर्विनियोजन, सरकारी सामान की हानि तथा दुरुपयोग के मामलों में विभागीय कार्रवाई दीर्घावधि से लंबित थी। 2020-21 के दौरान कुल व्यय का 8.31 प्रतिशत बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

4.21 सिफारिशें

(i) सरकार को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर, हरियाणा ग्रामीण विकास निधि, हरियाणा आधारभूत संरचना विकास बोर्ड और हरियाणा शहरी आधारभूत संरचना विकास बोर्ड के संग्रहण एवं उपयोग के लिए एक उचित लेखा प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए ताकि संबंधित बोर्डों को राशि का संग्रहण एवं हस्तांतरण राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरणों में शामिल किया जा सके और विधायी निरीक्षण के अधीन हो।

(ii) सरकार, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जारी किए गए अनुदानों के संबंध में विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करे।

(iii) वित्त विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा कर सकता है कि इन व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी सभी राशियों, जहां ऐसा करना अपेक्षित है, को तुरंत समेकित निधि में प्रेषित कर दिया गया है।

(iv) वित्त विभाग को स्वायत्त निकायों और विभागीय उपक्रमों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए उनके द्वारा वार्षिक लेखों के संकलन और प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

(v) सरकार, दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए समयबद्ध रूपरेखा तैयार करने पर विचार करे।

(vi) सरकार को नियमों के अंतर्गत अपेक्षितानुसार निर्धारित अवधि के भीतर सार आकस्मिक बिलों के समायोजन सुनिश्चित करना चाहिए। सार आकस्मिक बिलों के समायोजन के विलंब से प्रस्तुतीकरण को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

(vii) वित्त विभाग, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से, वर्तमान में लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत आने वाली सभी मदों की व्यापक समीक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में इस तरह की सभी प्राप्तियां और व्यय वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उपयुक्त लेखा शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किए जाएं।

अध्याय-5

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

अध्याय 5

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

इस अध्याय में सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय निष्पादन पर चर्चा की गई है। वर्ष 2020-21 (या पूर्व के वर्षों के वित्तीय विवरण जिन्हें वर्तमान वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया था) के दौरान भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निष्पादित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय विवरण की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव की भी इस अध्याय में चर्चा की गई है।

5.1 सरकारी कंपनी की परिभाषा

अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, सरकारी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसमें प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार, या किसी भी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार के द्वारा या आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो एवं इसमें एक कंपनी, जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी हो, भी सम्मिलित है। सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 और 143 में निर्धारित की गई है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) और (7) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) में प्रावधान है कि एक सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में वैधानिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से 180 दिनों की अवधि के भीतर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना होता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(7) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में, पहला लेखापरीक्षक कंपनी के पंजीकरण की तारीख से 60 दिनों के भीतर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना होता है और यदि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उक्त अवधि के भीतर ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है, तो कंपनी के निदेशक मंडल या कंपनी के सदस्यों को ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति करनी होती है।

5.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरण (जैसा कि अधिनियम 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जिन्हें नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया जाता

है। सांविधिक लेखापरीक्षक, अन्य बातों के साथ, अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत कंपनी के वित्तीय विवरण सहित, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण भी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उनके विवेकाधिकार से पूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधान द्वारा शासित होती है। हरियाणा राज्य भंडारण निगम और हरियाणा वित्तीय निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की जाती है और पूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

5.3 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम तथा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका योगदान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार की कंपनियां तथा सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम स्थापित किए जाते हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2021 तक, हरियाणा में 37[1] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे, जिनमें दो[2] सांविधिक निगम और 35 सरकारी कंपनियां (पांच अकार्यरत सरकारी कंपनियों[3] सहित) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत थीं। इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नाम ***परिशिष्ट 5.1*** में वर्णित हैं। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में सरकार नियंत्रित सात अन्य कंपनियां शामिल थीं।

केवल एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यथा हरियाणा वित्तीय निगम स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। 37 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से पांच[4] अकार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे। 31 मार्च 2021 को अकार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का कुल निवेश ₹ 21.87 करोड़ था जिसमें पूंजीगत निवेश (₹ 18.18 करोड़) और दीर्घ अवधि ऋण

---

1 30 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के विवरणों पर चर्चा की गई है क्योंकि दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों अर्थात् फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रथम लेखे उनके गठन के बाद से अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा, पांच अकार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों अर्थात् हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड, सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड, हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड, हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड और हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड के विवरण शामिल नहीं किए गए हैं।

2 हरियाणा वित्तीय निगम और हरियाणा राज्य भंडारण निगम।

3 अकार्यरत सरकारी कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी है जो पिछले दो वित्तीय वर्ष में कोई भी व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही है, या उसने कोई महत्वपूर्ण लेखांकन लेनदेन नहीं किया है या वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है।

4 हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड (2001-02 से निष्क्रिय), सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड (मार्च 2019 से निष्क्रिय), हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड (जुलाई 2002 से निष्क्रिय), हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड (1998-99 से निष्क्रिय) और हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड (2003-04 से निष्क्रिय)।

(₹ 3.69 करोड़) शामिल थे। दो[5] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की परिसमापन प्रक्रिया 17 से 22 वर्षों से चल रही है और पूरा होनी बाकी है। सरकार इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को शीघ्र बंद करने पर विचार कर सकती है क्योंकि ये निवेश राज्य की आर्थिक वृद्धि में कोई योगदान नहीं करते हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) का विवरण ***तालिका 5.1*** में दिया गया है।

तालिका 5.1: हरियाणा के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के टर्नओवर के सापेक्ष सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21
टर्नओवर	41,669	38,077	38,869
हरियाणा का स.रा.घ.उ.	7,04,957	7,80,612	7,64,872
हरियाणा के स.रा.घ.उ. से टर्नओवर का प्रतिशत	5.91	4.88	5.08

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष-दर-वर्ष तुलना के लिए किए गए संबंधित वर्षों की वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के टर्नओवर के आंकड़ों पर आधारित संकलन।

5.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश एवं बजटीय सहायता

5.4.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी होल्डिंग और ऋण

क्षेत्रवार कुल इक्विटी, राज्य सरकार द्वारा इक्विटी अंशदान और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण सहित दीर्घकालिक ऋण का विवरण ***तालिका 5.2*** में नीचे दिया गया है।

तालिका 5.2: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	निवेश (₹ करोड़ में)				
	कुल इक्विटी	राज्य सरकार की पूंजी	कुल दीर्घकालिक ऋण	राज्य सरकार के ऋण	कुल इक्विटी एवं दीर्घकालिक ऋण
ऊर्जा	36,781.25	35,651.99	10,270.16	5.93	47,051.41
वित्त	318.11	301.12	72.74	0.00	390.85
सेवा	117.89	52.57	0.00	0.00	117.89
आधारभूत संरचना	324.34	261.35	6,028.32	283.22	6,352.66
अन्य	17.74	9.78	68.87	8.15	86.61
कुल	**37,559.33**	**36,276.81**	**16,440.09**	**297.30**	**53,999.42**

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नवीनतम वित्तीय विवरण।

[5] हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड और हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के निवेश का जोर मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र पर था। इस क्षेत्र को ₹ 53,999.42 करोड़ के कुल निवेश का 87.13 प्रतिशत (₹ 47,051.41 करोड़) प्राप्त हुआ था।

5.4.2 बजटीय सहायता

हरियाणा सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूप में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2021 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के संबंध में इक्विटी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, चुकाए गए/बट्टे खाते में डाले गए ऋण और इक्विटी में परिवर्तित ऋण के लिए बजटीय व्यय का सारांश विवरण ***तालिका 5.3*** में दिया गया है।

तालिका 5.3: वर्षों के दौरान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को बजटीय सहायता के संबंध में विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19		2019-20		2020-21	
	रा.सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	रा.सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	रा.सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि
(i) इक्विटी कैपिटल आउटगो	9	13,327.92[6]	10	5,838.78	6	631.67
(ii) दिए गए ऋण	3	60.99	1	108.74	5	104.98
(iii) प्रदान किए गए अनुदान/सब्सिडी	10	376.92	9	142.72	7	438.52
कुल आउटगो (i+ii+iii)		**13,765.83**		**6,090.24**		**1,175.17**
ऋण चुकौती/बट्टे खाते में डालना	5	5,710.07	4	487.41	4	254.66
इक्विटी में परिवर्तित ऋण	3	5,531.99	3	5,190.00	शून्य	शून्य
जारी की गई गारंटी	7	2,192.40	5	1,975.62	5	3,793.00
गारंटी प्रतिबद्धता	8	6,117.44	7	8,067.63	8	8,698.72

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से प्राप्त जानकारी पर आधारित संकलन।

5.4.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

केवल एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी हरियाणा वित्तीय निगम स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। यद्यपि हरियाणा वित्तीय निगम एक सूचीबद्ध निगम है परंतु निगम ने मई 2010 से कोई नया ऋण स्वीकृत नहीं किया है और निगम के शेयरों की अंतिम ट्रेडिंग 13 जुलाई 2011 को ₹ 24.65 के मूल्य पर हुई थी।

5.4.4 विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के निजीकरण का कोई मामला नहीं था। राज्य सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में निवेशित राज्य सरकार की इक्विटी के विनिवेश संबंधी कोई नीति तैयार नहीं की है।

[6] इसमें ₹ 7,785 करोड़ का अनुदान भी शामिल है जिसे उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में वर्ष 2018-19 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किया गया था।

5.5 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से रिटर्न

5.5.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ

2019-20 में अपने नवीनतम वित्तीय विवरणों में लाभ दर्ज करने वाले 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की तुलना में 2020-21 के दौरान लाभ दर्ज करने वाले 19 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे। 2019-20 में दर्ज किया गया लाभ ₹ 975.78 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 1,698.89[7] करोड़ हो गया। 2019-20 में लाभ अर्जित करने वाले 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में 9.18 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 में लाभ अर्जित करने वाले 19 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की इक्विटी पर रिटर्न (आर.ओ.ई.) बढ़कर 36.97 प्रतिशत हो गया। नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार 2020-21 में सभी 30 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का इक्विटी पर रिटर्न 10.20 प्रतिशत था।

लाभ में अधिकतम योगदान देने वाले शीर्ष तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का उल्लेख ***तालिका 5.4*** में किया गया है।

तालिका 5.4: शीर्ष तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जिन्होंने वर्ष 2020-21 के दौरान लाभ में योगदान दिया

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में)	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के कुल लाभ से लाभ की प्रतिशतता
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	905.76	53.17
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	397.07	23.31
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	239.61	14.06
कुल	**1,542.44**	**90.54**

5.5.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लाभांश का भुगतान

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने अपने लेखों को अंतिम रूप दिया। इनमें से चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने ₹ 643.98 करोड़ का संचयी लाभ और अन्य पांच ने अपने परिचालन में हानि दर्ज की। वर्ष 2020-21 में लाभ दर्ज करने वाले तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से किसी ने भी लाभांश की घोषणा नहीं की।

हालांकि, दो[8] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने वर्ष 2020-21 के दौरान घोषित अपने परिणामों में ₹ 63.41 करोड़ के निवल लाभ के विरूद्ध ₹ नौ करोड़ का लाभांश घोषित किया था। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के अपने लेखों पर क्रमश: हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

---

7 अन्य व्यापक आय/व्यय के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लाभ के आंकड़े लिए गए हैं।

8 हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य भंडारण निगम।

ने ₹ 0.20 करोड़ (चार प्रतिशत) का और हरियाणा राज्य भंडारण निगम ने ₹ 8.80 करोड़ (150.68 प्रतिशत) का लाभांश घोषित किया।

5.5.3 नियोजित पूंजी पर रिटर्न

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आर.ओ.सी.ई.) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है, जिसमें इसकी पूंजी नियोजित है। नियोजित पूंजी पर रिटर्न की गणना ब्याज और करों (ई.बी.आई.टी.) से पहले कंपनी की आय को नियोजित पूंजी[9] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान 30 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नियोजित पूंजी पर रिटर्न के विवरण ***तालिका 5.5*** में दिए गए हैं।

तालिका 5.5: नियोजित पूंजी पर रिटर्न

वर्ष	ई.बी.आई.टी. (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आर.ओ.सी.ई. (प्रतिशत में)
2018-19	4,728.32	21,376.97	22.12
2019-20	3,533.51	26,933.23	13.12
2020-21	4,457.74	28,917.91	15.42

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के नवीनतम वित्तीय विवरण।

5.5.4 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा इक्विटी पर रिटर्न

इक्विटी पर रिटर्न वित्तीय निष्पादन का एक माप है जिससे यह गणना की जाती है कि लाभ अर्जित करने के लिए किसी कंपनी की संपत्ति का कितने प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है। इक्विटी पर रिटर्न की गणना निवल आय (अर्थात् करों के बाद निवल लाभ) को शेयर धारक निधि से विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशतता के रूप में दर्शाया जाता है एवं यदि निवल आय और शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्या हैं तो इसकी गणना किसी भी कंपनी के लिए की जा सकती है।

शेयरधारकों की निधि या निवल मूल्य की गणना संचित हानियों और आस्थगित राजस्व व्यय घटाकर प्रदत्त पूंजी और मुक्त संचय को जोड़कर की जाती है और यह बताता है कि यदि सभी परिसंपत्तियों को बेच दिया जाए और सभी ऋणों का भुगतान कर दिया जाए तो कंपनी के हितधारकों के लिए क्या कुछ बचेगा। धनात्मक निवल मूल्य (शेयरधारकों की निधि) बताता है कि कंपनी के पास अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्ति है जबकि ऋणात्मक निवल मूल्य का अर्थ है कि देयताएं परिसंपत्ति से अधिक हैं।

30 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से संबंधित शेयर धारकों की निधि और इक्विटी पर रिटर्न का विवरण नीचे ***तालिका 5.6*** में दिया गया है।

[9] नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घ अवधि ऋण - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।

तालिका 5.6: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम से संबंधित इक्विटी पर रिटर्न

वर्ष	निवल आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	इक्विटी पर रिटर्न (प्रतिशत)
2018-19	970.61	3,607.61	26.90
2019-20	937.68	10,630.91	8.82
2020-21	1,273.18	12,477.82	10.20

2018-19 के दौरान इक्विटी पर रिटर्न इसलिए अधिक था क्योंकि दो[10] वितरण कंपनियों का निवल मूल्य ऋणात्मक (₹ 5,448.52 करोड़) था, जो राज्य सरकार द्वारा उदय योजना के अंतर्गत दो वितरण कंपनियों में इक्विटी डालने के कारण 2019-20 में धनात्मक हो गया।

5.6 ऋण सेवा

5.6.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग किसी कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना उसी अवधि के ब्याज खर्चों द्वारा एक कंपनी की ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (ई.बी.आई.टी.) से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, उधार पर ब्याज का भुगतान करने में कंपनी की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात दर्शाता है कि कंपनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व नहीं जुटा पा रही है। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण, जिसमें ब्याज का भार था, नीचे दी गई ***तालिका 5.7*** में दिया गया है।

तालिका 5.7: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर से पूर्व आय (ई.बी.आई.टी.) (₹ करोड़ में)	सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की संख्या	एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या	एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या
2018-19	2,833.45	4,712.37	13	11	2[11]
2019-20	2,293.45	3,509.60	13	11	2[12]
2020-21	2,245.23	4,457.74	14	11	3[13]

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के नवीनतम वित्तीय विवरण।

यह अवलोकित किया गया कि वर्ष 2020-21 में 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था। 2020-21 के दौरान तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों

10 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

11 हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

12 हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

13 हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

का ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था यानी ये तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ब्याज संबंधी अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर पा रहे थे।

5.7 हानि उठाने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम

5.7.1 उठाई गई हानियां

मार्च 2021 के अंत तक अपने नवीनतम अंतिमकृत लेखों के अनुसार हानि वहन करने वाले 11[14] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे। इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा वहन की गई हानि 2019-20 में ₹ 38.10 करोड़ से बढ़कर उनके नवीनतम अंतिमकृत लेखों के अनुसार ₹ 425.71 करोड़ हो गई जैसा कि नीचे ***तालिका 5.8*** में दिया गया है।

तालिका 5.8: 2018-19 से 2020-21 के दौरान हानि उठाने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या

वर्ष	हानि उठाने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	वर्ष के लिए निवल हानि (₹ करोड़ में)	संचित लाभ (₹ करोड़ में)	निवल मूल्य (₹ करोड़ में)
सरकारी कंपनियां				
2018-19	6	37.43	3.60	116.47
2019-20	8	38.10	(-) 2.55	140.21
2020-21	11	425.71	382.71	7,882.78

अपने नवीनतम वित्तीय परिणामों के अनुसार 2020-21 के दौरान 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा उठाई गई ₹ 425.71 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 357.50 करोड़ की हानि (83.98 प्रतिशत) दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से संबंधित है, जो ऊर्जा और बिजली विभाग में कार्यशील हैं। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 195.83 करोड़) और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 161.67 करोड़) वित्तीय वर्ष 2020-21 के अपने नवीनतम अंतिम परिणामों के अनुसार हानि दर्शा रहे हैं।

यह भी अवलोकित किया गया कि तीन[15] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, जिन्होंने 2019-20 के दौरान लाभ कमाया था, उन्हें 2020-21 में घाटा हुआ है। जबकि, एक[16] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, जिसे 2019-20 में घाटा हुआ था, ने 2020-21 के दौरान लाभ दर्ज किया है।

---

14 (i) फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड, (ii) गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड, (iii) हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, (iv) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, (v) हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (vi) हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (vii) पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड, (viii) हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड, (ix) हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (x) हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और (xi) हरियाणा वित्तीय निगम।

15 (i) हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, (ii) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और (iii) हरियाणा वित्तीय निगम।

16 हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

5.7.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में पूंजी का क्षरण

31 मार्च 2021 तक, 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे जिनमें कुल संचित हानि ₹ 28,668.85 करोड़ थी। इन 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में से सात[17] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने अपने उपलब्ध नवीनतम वित्तीय परिणामों के अनुसार ₹ 52.72 करोड़ की हानि उठाई। चार[18] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने हानि नहीं उठाई थी, यद्यपि उनकी संचित हानि उनके अंतिम अंतिमकृत लेखों के अनुसार ₹ 28,495.16 करोड़ थी। इनमें से दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड) की ₹ 28,341.22 करोड़ की संचित हानियां थी। 37 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से पांच[19] समापन/परिसमापन के अधीन/निष्क्रिय थे।

30 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों अर्थात् हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड का निवल मूल्य उनकी संचित हानि से पूरी तरह से नष्ट हो गया था। 31 मार्च 2021 को ₹ 54.14 करोड़ के इक्विटी निवेश के विरूद्ध इन दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की कुल परिसंपत्ति (-) ₹ 157.62 करोड़ थी।

5.8 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर रिटर्न

राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पी.वी.) की गणना 27 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, जहां राज्य सरकार ने इक्विटी/अनुदान/सब्सिडी में निवेश किया है, के संबंध में की गई है ताकि निवेश के ऐतिहासिक मूल्य की तुलना में वर्तमान मूल्य पर रिटर्न/हानि की दर का निर्धारण किया जा सके। 31 मार्च 2021 तक प्रत्येक वर्ष के अंत तक इन निवेशों की ऐतिहासिक लागत को इसके वर्तमान मूल्य तक लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में किए गए पिछले निवेश/वर्ष-वार निधियों को राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर वर्ष-वार भारित औसत ब्याज दर पर चक्रवृद्धित किया गया है जिसे संबंधित वर्ष के लिए सरकार की निधियों की न्यूनतम लागत माना गया है।

---

17 (i) पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड (वर्ष 2020-21 के लिए), (ii) गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड (वर्ष 2019-20 के लिए), (iii) हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वर्ष 2019-20 के लिए), (iv) हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वर्ष 2020-21 के लिए), (v) हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वर्ष 2016-17 के लिए), (vi) हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वर्ष 2020-21 के लिए) और (vii) हरियाणा वित्तीय निगम (वर्ष 2019-20 के लिए)।

18 (i) दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (वर्ष 2020-21 के लिए), (ii) उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (वर्ष 2020-21 के लिए), (iii) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वर्ष 2017-18 के लिए) और (iv) हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड (वर्ष 2017-18 के लिए)।

19 (i) हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड, (ii) सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड, (iii) हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड, (iv) हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड और (v) हरियाणा स्टेट हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई है:

- राज्य सरकार द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में इक्विटी के रूप में दिए गए वास्तविक निवेश के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को दिए गए अनुदान/सब्सिडी (परिचालन और प्रशासनिक खर्चों के लिए) को राज्य सरकार द्वारा निवेश के रूप में माना गया है।

- उन मामलों में जहां राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को बाद में इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से काट लिया गया है और उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ दिया गया है।

- संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए चक्रवृद्धित दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश के प्रति सरकार द्वारा व्यय की गई लागत को प्रदर्शित करते हैं और इसलिए इसे सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर रिटर्न की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना गया है।

राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना के उद्देश्य से 1999-2000 से 2020-21 तक की अवधि को राज्य सरकार के 31 मार्च 2000 के निवेश को 2000-01 के लिए राज्य सरकार का वर्तमान मूल्य पर निवेश माना गया है।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में इक्विटी और अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार के निवेश के विवरण (ब्याज मुक्त ऋण और विनिवेश के कोई मामले नहीं थे) इनके वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति के साथ ***तालिका 5.9*** में इंगित किए गए हैं:

तालिका 5.9: 1999-2000 से 2020-21 तक सरकारी निवेश का वर्तमान मूल्य (वास्तविक प्रतिफल)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	परिचालनात्मक एवं प्रशासनिक खर्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष के लिए कुल अर्जन	निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5=(3+4)	6=2+5	7	8= (6x7/100)+6	9=6x7/100	10	11= 10/8*100
1999-2000		612.33*	49.95	662.28	662.28	12.05	742.09	79.80	-436.59	-
2000-01	742.09	310.48	73.50	383.98	1,126.07	11.40	1,254.44	128.37	-221.85	-
2001-02	1,254.44	59.75	98.18	157.93	1,412.37	10.50	1,560.66	148.30	-174.72	-
2002-03	1,560.66	125.40	77.49	202.89	1,763.55	10.74	1,952.96	189.41	36.7	1.88
2003-04	1,952.96	123.78	80.43	204.21	2,157.17	10.20	2,377.20	220.03	236.76	9.96
2004-05	2,377.20	165.41	22.23	187.64	2,564.84	8.49	2,782.60	217.75	-368.24	-
2005-06	2,782.60	417.07	31.59	448.66	3,231.26	8.95	3,520.46	289.20	-327.89	-
2006-07	3,520.46	789.96	25.90	815.86	4,336.32	9.20	4,735.26	398.94	-442.18	-
2007-08	4,735.26	1,002.23	83.03	1,085.26	5,820.52	7.43	6,252.97	432.46	-730.53	-
2008-09	6,252.97	951.64	67.39	1,019.03	7,272.00	7.82	7,840.68	568.67	-1,070.16	-
2009-10	7,840.68	903.80	41.96	945.76	8,786.44	9.29	9,602.70	816.26	-1,406.59	-
2010-11	9,602.70	888.59	98.80	987.39	10,590.09	9.22	11,566.50	976.41	-453.63	-
2011-12	11,566.50	594.63	167.40	762.03	12,328.53	9.73	13,528.09	1,199.57	-10,096.15	-
2012-13	13,528.09	176.64	61.71	238.35	13,766.44	9.86	15,123.81	1,357.37	-3710.51	-
2013-14	15,123.81	102.93	94.88	197.81	15,321.62	9.83	16,827.74	1,506.12	-3,943.54	-
2014-15	16,827.74	75.76	153.74	229.50	17,057.24	9.33	18,648.69	1,591.44	-2,648.04	-
2015-16	18,648.69	1,638.52	4,076.41	5,714.93	24,363.62	8.64	26,468.64	2,105.02	-1,779.65	-
2016-17	26,468.64	1,931.09	4,199.98	6,131.07	32,599.71	8.00	35,207.68	2,607.98	63.68	0.18
2017-18	35,207.68	5462.30	176.82	5,639.12	40,846.80	8.10	44,155.39	3,308.59	910.95	2.06
2018-19	36,370.39**	13,327.92	350.46	13,678.38	50,048.77	8.81	54,458.07	4,409.30	960.37	1.76
2019-20	54,458.07	5,838.78	11.15	5,849.93	60,308.00	8.31	65,319.59	5,011.59	968.29	1.48
2020-21	65,319.59	631.67	104.78	736.45	66,056.04	6.50	70,349.68	4,293.64	1,273.18	1.81
कुल		**36,130.68**	**2,362.78#**	**38,493.46#**						

* ₹ 844.23 करोड़ की निवेशित इक्विटी में से विद्युत क्षेत्र के रा.सा.क्षे.उ. को हस्तांतरित ₹ 231.90 करोड़ की प्रारंभिक संचित अवशिष्ट हानियों को घटाया गया है। कॉलम संख्या 3, 4 और 10 के संबंध में सूचना को संबंधित वर्षों की मुद्रित लेखापरीक्षा रिपोर्टों से संकलित किया गया है।

** प्रारंभिक शेष में ₹ 7,785 करोड़ का अंतर उदय योजना (2015-16 और 2016-17 के दौरान प्रत्येक वर्ष में ₹ 3,892.50 करोड़) के अंतर्गत प्राप्त अनुदान के कारण था जिसे 2018-19 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किया गया था क्योंकि संबंधित वर्षों के अनुदान में इसका प्रभाव पहले ही पड़ चुका था।

कुल अनुदान में वर्ष 2018-19 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ₹ 7,785 करोड़ शामिल नहीं है।

इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश का शेष 1999-2000 में ₹ 612.33 करोड़ (निवेश की गई इक्विटी ₹ 844.23 करोड़ घटा ₹ 231.90 करोड़ की प्रारंभिक अवशिष्ट संचित हानि) से बढ़कर वर्ष 2020-21 के अंत में ₹ 38,493.46 करोड़ हो गया क्योंकि इस अवधि के दौरान सरकार ने इक्विटी और अनुदान/सब्सिडी के रूप में ₹ 37,881.13 करोड़ का और निवेश किया। 31 मार्च 2021 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 70,349.68 करोड़ परिकलित किया गया।

इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में वर्ष 1999-2000 से 2001-02 और 2004-05 से 2015-16 के लिए कुल आय ऋणात्मक थी जो इंगित करता है कि सरकार अपनी निधियों की लागत की वसूली नहीं कर सकी। हालांकि 2002-03 के दौरान और 2016-17 से 2020-21 के दौरान कुल धनात्मक अर्जन थे, लेकिन वे न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न से काफी कम थे। पिछले चार वर्षों अर्थात् 2017-18 से 2020-21 के लिए निवेश के वर्तमान मूल्य पर रिटर्न 1.48 और 2.06 प्रतिशत के मध्य रहा, जो मुख्य रूप से बिजली वितरण कंपनियों में उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अंतर्गत निधियों के निवेश के कारण था।

5.9 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सरकारी कंपनी और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) और (7) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास पूरक लेखापरीक्षा करने और सांविधिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी करने या पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। विधि शासित कुछ निगमों में यह प्रावधान है कि उनके लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाए और प्रतिवेदन विधायिका को सौंपा जाए।

5.10 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से 180 दिनों की अवधि के भीतर सरकारी कंपनी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाए।

5.11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

5.11.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के अनुसार, किसी सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों की वार्षिक रिपोर्ट उसकी वार्षिक सामान्य बैठक के तीन माह के भीतर तैयार की जानी

चाहिए। वार्षिक रिपोर्ट तैयार होने के तुरंत बाद इसे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और उस पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुपूरक की प्रति के साथ विधायिका के समक्ष रखा जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले लगभग समान प्रावधान संबंधित अधिनियम में अधिनियमित है। यह तंत्र राज्य की संचित निधि से कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों के साथ वार्षिक आम बैठक करने की आवश्यकता होती है। यह भी बताया गया है कि एक वार्षिक आम बैठक की तारीख और अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख के मध्य 15 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। आगे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी को उक्त वार्षिक आम बैठक में उनके विचार के लिए रखा जाना चाहिए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास की सजा का प्रावधान है।

5.11.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखों को तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2021 तक, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 35 सरकारी कंपनियां थी। इनमें से, वर्ष 2020-21 के लिए हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड और हरियाणा स्टेट हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को छोड़कर (परिसमापन के अंतर्गत) 33 कंपनियों (निष्क्रिय मामलों सहित) के लेखे देय थे। हालांकि, केवल नौ सरकारी कंपनियों ने 30 नवंबर 2021[20] तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा हेतु अपने लेखे प्रस्तुत किए थे। 24 सरकारी कंपनियों के एक से चार वर्ष तक के लेखे बकाया थे।

सरकारी कंपनियों के लेखे प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण नीचे ***तालिका 5.10*** में दिया गया है।

[20] कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2020-21 के संबंध में कंपनियों द्वारा वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की देय तिथि को मूल देय तिथि (30 सितंबर 2021) से 2 महीने आगे अर्थात् 30 नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया है।

तालिका 5.10: सरकारी कंपनियों के लेखे प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण

विवरण		राज्य सरकार की कंपनियां
31 मार्च 2021 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कुल कंपनियों की संख्या		35
घटा: परिसमापन के अंतर्गत कंपनियां जिनके 2020-21 के लेखे देय नहीं थे		2
कंपनियों की संख्या जिनके 2020-21 के लेखे देय थे		33
कंपनियों की संख्या जिन्होंने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के लिए 30 नवंबर 2021 तक लेखे प्रस्तुत किए		9
बकाया लेखों वाली कंपनियों की संख्या		24
बकायों का ब्रेक-अप	(i) निष्क्रिय	3
	(ii) प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किए	2
	(iii) अन्य	19
बकायों का आयु-वार विश्लेषण	एक वर्ष	9
	दो वर्ष	8
	तीन साल और चार साल तक	7

5.11.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखों को तैयार करने में समयबद्धता

दो सांविधिक निगमों[21] की लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की जा रही है और पूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। दोनों सांविधिक निगमों में से किसी ने भी 30 नवंबर 2021 से पहले लेखापरीक्षा के लिए अपने वर्ष 2020-21 के लेखे प्रस्तुत नहीं किए। हरियाणा वित्तीय निगम के वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 और हरियाणा राज्य भंडारण निगम लिमिटेड के वर्ष 2020-21 के लेखे 30 नवंबर 2021 तक प्रतीक्षित थे।

5.12 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पर्यवेक्षण - लेखों की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा

5.12.1 वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क

कंपनियों से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में अपनी वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों का पालन करना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों से अपने लेखाओं को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से तैयार किए गए नियमों और ऐसे निगमों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में तैयार करने अपेक्षित हैं।

[21] हरियाणा वित्तीय निगम और हरियाणा राज्य भंडारण निगम।

5.12.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक राज्य सरकार की कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करते हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक इस समग्र उद्देश्य के साथ कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का सही एवं प्रभावी ढंग से निर्वहन कर रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की मॉनीटरिंग द्वारा पर्यवेक्षण की भूमिका निभाता है। इस कार्य का निर्वहन निम्न अधिकारों का उपयोग करके किया जाता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना; और
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर पूरक या टिप्पणी करना।

5.12.3 सरकारी कंपनियों के लेखों की पूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार करना एक इकाई के प्रबंधन का प्रमुख उत्तरदायित्व है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटैंट्स संस्थान की मानक ऑडिटिंग प्रथाओं और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणियों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार की चयनित कंपनियों के प्रमाणित लेखाओं की समीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा द्वारा की जाती है। ऐसी समीक्षा पर आधारित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां, यदि कोई हो, वार्षिक आम बैठक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत प्रतिवेदित की जाती हैं।

5.13 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका का परिणाम

5.13.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2021 के दौरान 23 सरकारी कंपनियों से वर्ष 2020-21 और पिछले वर्षों के 25 वित्तीय विवरण प्राप्त हुए। इन 25 वित्तीय विवरणों में से 18 की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई और सात राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को गैर-समीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया गया। समीक्षा के परिणाम नीचे विस्तृत हैं:

5.13.2 सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के पूरक के रूप में जारी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2020-21 और पिछले वर्षों की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के बाद, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने 16 सरकारी कंपनियों की 18 वित्तीय विवरणियों की पूरक लेखापरीक्षा की। वर्ष 2020-21 के लिए सरकारी कंपनियों की वित्तीय विवरणियों पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां, जिनका वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 328.24 करोड़ और वित्तीय स्थिति पर ₹ 244.50 करोड़ था, का विवरण ***तालिका 5.11*** और ***तालिका 5.12*** में दिया गया है।

तालिका 5.11: सरकारी कंपनियों की लाभप्रदता पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1	वर्ष 2020-21 के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	• परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के पुन: माप से उत्पन्न आय की बुकिंग न होने के कारण लाभ को ₹ 146.55 करोड़ तक कम बताया गया। वर्ष 2020-21 के लिए कुल व्यापक आय को कम करके दिखाया गया था (जिसमें संचित लाभ और हानि शामिल है) और उस सीमा तक की अवधि के लिए टर्मिनल देयताओं को अधिक बताया गया था। • अन्य राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों/सरकारी विभागों से लाए गए कर्मचारियों के अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान की बुकिंग के कारण व्यय को अधिक बताया गया और लाभ को ₹ 3.05 करोड़ तक कम बताया गया।
2	वर्ष 2020-21 के लिए हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	कंपनी ने संयुक्त उद्यम इकाई, अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (ए.पी.सी.पी.एल.) से 2020-21 में प्राप्त ₹ 175 करोड़ (₹ 13.13 करोड़ की टी.डी.एस. कटौती के बाद निवल राशि ₹ 161.87 करोड़) और 2015-16 से 2019-20 तक पिछले वर्षों से संबंधित ₹ 209.25 करोड़ की लाभांश आय को मान्यता नहीं दी। कंपनी ने ₹ 161.87 करोड़ के लाभांश की निवल प्राप्ति राज्य सरकार को हस्तांतरित की तथा ₹ 13.13 करोड़ की शेष राशि को चालू देयताओं के अंतर्गत देय के रूप में दर्शाया। परिणामस्वरूप, वर्ष 2020-21 के लिए लाभ और अन्य इक्विटी को क्रमशः ₹ 175 करोड़ और ₹ 209.25 करोड़ तक कम बताया गया।
3	वर्ष 2016-17 के लिए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	कंपनी ने समूह अवकाश नकदीकरण योजना की नीति के लिए ₹ 77.17 लाख का कम प्रावधान किया जिसके परिणामस्वरूप हानियों को उसी सीमा तक कम बताया गया।

तालिका 5.12: सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1	वर्ष 2020-21 के लिए हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	पानीपत थर्मल पावर स्टेशन यूनिट-V, पानीपत के संबंध में वर्ष 2019-20 के दौरान दो बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) अर्थात् यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. से वसूल की गई अतिरिक्त निश्चित लागत के कारण बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियों में ₹ 32.38 करोड़ शामिल हैं। एच.ई.आर.सी. द्वारा इसे अस्वीकृत (अप्रैल 2020) किया गया था। कंपनी ने बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत अस्वीकृत स्थिर लागत का पूंजीकरण किया और वर्तमान वित्तीय देयताओं के अंतर्गत एक प्रावधान बनाया। परिणामस्वरूप, बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियों और प्रावधानों को ₹ 32.38 करोड़ तक अधिक बताया गया था।
2	वर्ष 2016-17 के लिए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	• कंपनी ने ₹ 2.24 करोड़ की राशि के वैट/ब्याज/जुर्माने के भुगतान के लिए देयता सृजित नहीं की जिसके परिणामस्वरूप अन्य वर्तमान देयताओं के साथ-साथ उसी सीमा तक हानियों को कम करके दिखाया गया। • लेखों में जूट के बोरों की कमी/क्षति का लेखा-जोखा न रखने के परिणामस्वरूप स्टोर एंड स्पेयर्ज को अधिक बताया गया और वर्ष के लिए हानि को ₹ 63 लाख तक कम बताया गया।

5.13.3 सांविधिक निगमों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के पूरक के रूप में जारी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

हरियाणा राज्य भंडारण निगम (सांविधिक निगम) के लेखों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां, जिनका लाभप्रदता पर वित्तीय प्रभाव ₹ 2.86 करोड़ था, का विवरण नीचे दिया गया है:

- निगम ने हिसार में गोदाम के निर्माण पर ₹ 1.19 करोड़ खर्च किए। लेकिन, इससे पहले कि गोदाम पूरी तरह से बन पाता, काम बंद कर दिया गया, इस्तेमाल की गई सामग्री को नष्ट कर दिया गया और गोदाम के लिए दूसरी जमीन आवंटित कर दी गई। निगम ने विघटित सामग्री का निवल वसूली योग्य मूल्य ₹ 23.74 लाख निर्धारित किया। निगम ने ₹ 95.73 लाख की हानि का प्रावधान नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप लाभ को उसी सीमा तक अधिक बताया गया।

- निगम ने ₹ 55.68 लाख की निरीक्षण लागत दर्ज नहीं की जिसके परिणामस्वरूप उतनी राशि तक वर्ष के लाभ को कम बताया गया।

- निगम ने गन्नी बेल्स के कारण हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.ए.आई.सी.) से वसूलनीय के रूप में ₹ 1.34 करोड़ दर्ज किए। तथापि, एच.ए.आई.सी. से कोई राशि वसूलनीय नहीं थी और यह लागत के बिना गन्नी बेल्स के हस्तांतरण के लिए केवल एक बुक एंट्री थी। परिणामस्वरूप लाभ और वसूलनीय को ₹ 1.34 करोड़ तक अधिक बताया गया।

5.14 प्रबंधन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक, लेखापरीक्षक और कॉर्पोरेट इकाई के प्रशासन का उत्तरदायित्व संभालने वालों के मध्य वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले लेखापरीक्षा मामलों पर संचार स्थापित करना है। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित किया गया था। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टों में या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा देखी गई अनियमितताएं या कमियां भी सुधारात्मक कार्रवाई हेतु एक 'प्रबंधन-पत्र' के माध्यम से प्रबंधन को सूचित की गईं थीं। वर्ष के दौरान, आठ सरकारी कंपनियों और एक सांविधिक निगम को प्रबंधन-पत्र जारी किए गए थे। प्रबंधन पत्रों में लेखांकन नीतियों/प्रथाओं के अनुप्रयोग/व्याख्या और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के अपर्याप्त प्रकटीकरण या गैर-प्रकटीकरण से संबंधित कमियों को इंगित किया गया था।

5.15 निष्कर्ष

31 मार्च 2021 तक, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हरियाणा में 37 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे, जिनमें दो सांविधिक निगम और 35 सरकारी कंपनियां (पांच निष्क्रिय सरकारी कंपनियों सहित) शामिल थीं।

- अपने नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार, लाभ की सूचना देने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या 2020-21 में 19 है, जबकि 2019-20 में इनकी संख्या 21 थी। अर्जित लाभ 2019-20 में ₹ 975.78 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 1,698.89 करोड़ हो गया।

- 2020-21 के दौरान 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा उठाई गई ₹ 425.71 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 357.50 करोड़ (83.98 प्रतिशत) की हानि दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से संबंधित है जो ऊर्जा और बिजली विभाग में कार्यशील हैं।

- राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर रहे थे। 31 मार्च 2021 तक 35 सरकारी कंपनियों में से 33 सरकारी कंपनियों (परिसमापन के अंतर्गत दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को छोड़कर) के वर्ष 2020-21 के लेखे देय थे। तथापि, केवल नौ सरकारी कंपनियों ने वर्ष 2020-21 के अपने लेखे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए 30 नवंबर 2021 तक प्रस्तुत किए। 24 सरकारी कंपनियों के लेखे एक से चार वर्ष तक की अवधि के बकाया थे।

5.16 सिफारिशें

(i) राज्य सरकार, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से उनके वित्तीय विवरण समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे क्योंकि उनके वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने के अभाव में ऐसे राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में सरकारी निवेश राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहता है।

(ii) राज्य सरकार को पांच निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के संबंध में परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता है क्योंकि वे न तो राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और न ही उन उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं जिनके लिए उन्हें स्थापित किया गया था।

उपर्युक्त बिंदुओं को टिप्पणियों और उत्तरों के लिए 1 दिसंबर 2021 को हरियाणा सरकार के पास भेजा गया। सरकार से प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (फरवरी 2022)।

विशाल बंसल

चंडीगढ़ **(विशाल बंसल)**

दिनांक: 08 अप्रैल 2022 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

दिनांक: 21 अप्रैल 2022 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

राज्य प्रोफाइल

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य प्रोफाइल			
क.	**सामान्य डाटा**		
क्र.सं.	**विवरण**		**आंकड़े**
1	क्षेत्र		44,212 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या		
	क	2001 की जनगणना के अनुसार	2.11 करोड़
	ख	2011 की जनगणना के अनुसार	2.54 करोड़
3	जनसंख्या घनत्व[1] (2011) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)		573 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा[2] से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत=21.92 प्रतिशत)		11.16 प्रतिशत
5	साक्षरता[3] (2011) (अखिल भारतीय औसत=73 प्रतिशत)		75.60 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु-दर[4] (प्रति 1000 सजीव जन्म) (अखिल भारतीय औसत=30 प्रति 1000 सजीव जन्म)		27
7	जन्म[5] पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=69.4 वर्ष)		69.8 वर्ष
8	गिनी गुणांक[6]		
	क	(अखिल भारतीय=35.70)	ग्रामीण 0.30
	ख		शहरी 0.36
9	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2020-21[7]		₹ 7,64,872 करोड़
10	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. की सी.ए.जी.आर. (2011-12 से 2020-21)	हरियाणा	9.23
11		पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य	उपलब्ध नहीं
12		अखिल भारतीय	8.08
13	स.रा.घ.उ. की सी.ए.जी.आर. (2011-12 से 2020-21)	हरियाणा	11.06
14		अखिल भारतीय	9.48
15	हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि (2011 से 2021)		16.01
16	अखिल भारतीय की जनसंख्या[8] वृद्धि (2011 से 2021)		12.30

ख	**वित्तीय आंकड़े**								
विवरण		**आंकड़े (प्रतिशत में)**							
		2011-12 से 2014-15		**2015-16 से 2018-19**		**2018-19 से 2019-20**		**2019-20 से 2020-21**	
सी.ए.जी.आर		**पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य**	**हरियाणा**	**पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य**	**हरियाणा**	**पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य**	**हरियाणा**	**पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य**	**हरियाणा**
क	राजस्व प्राप्तियों का	13.49	10.10	11.85	11.47	2.08	2.99	(-)4.56	(-)0.44
ख	स्वयं के कर राजस्व का	11.86	10.64	11.04	11.23	2.12	0.57	(-)4.43	(-)2.13
ग	कर-भिन्न राजस्व का	14.75	(-)0.77	10.88	18.81	23.38	(-)7.22	(-)35.60	(-)5.93
घ	कुल व्यय का	14.99	12.18	10.54	5.49	4.16	11.38	4,54	(-)6.05
ङ	पूंजीगत व्यय का	13.26	(-)11.55	3.45	30.34	(-)5.55	15.41	(-)2.36	(-)66.77
च	राजस्व व्यय का	15.32	15.32	12.05	9.20	5.92	9.97	5.63	6.01
छ	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	13.28	13.89	8.89	8.51	11.97	14.26	(-)1.32	(-)3.11
ज	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	19.11	21.95	14.74	13.87	8.27	21.59	14.65	13.62
झ	वेतन एवं मजदूरी का	10.09	12.95	10.33	8.91	9.07	13.17	2.27	1.03
ञ	पेंशन का	12.99	12.81	15.32	14.55	10.46	8.51	6.02	9.96

1 कार्यालय महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त

2 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

3 जनगणना 2011

4 एस.आर.एस. बुलेटिन 2019 (अक्टूबर 2021)

5 एस.आर.एस. आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका 2014-18 (सितंबर 2020)

6 विश्व बैंक, http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data_2312/DatabookDec2014%20106.pdf.

7 सांख्यिकी विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा द्वारा आपूर्ति की गई सूचना।

8 भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट (2011-36), भारत के महापंजीयक

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भः अनुच्छेद 1.4.2; पृष्ठ 8)

31 मार्च 2021 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2020 को	देयताएं			31 मार्च 2021 को
1,83,785.60		**आन्तरिक ऋण**		**2,03,958.21**
	1,35,664.18	ब्याज युक्त बाजार ऋण	1,61,214.18	
	2.26	ब्याज रहित बाजार ऋण	2.26	
	शून्य	जीवन बीमा निगम से ऋण	शून्य	
	38,754.04	अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण	34,381.04	
	9,365.12	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	8,360.73	
1,705.45		**केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम**		**5,851.97**
		1984-85 से पूर्व के ऋण		
	38.64	योजनेत्तर ऋण	37.04	
	1,298.58	राज्य योजना स्कीमों हेतु ऋण	970.02	
	368.23	विधाई स्कीमों सहित राज्यों के अन्य ऋण	4,844.91	
200.00		**आकस्मिक निधि**		**1,000.00**
16,962.46		**लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि**		**17,996.91**
7,921.80		**जमा**		**9,471.56**
8,494.35		**आरक्षित निधियां**		**7,823.91**
		उचंत तथा विविध शेष		
273.74		**प्रेषण शेष**		**312.85**
2,19,343.40				**2,46,415.41**
31 मार्च 2020 को	**परिसम्पत्तियां**			**31 मार्च 2021 को**
1,12,228.40		**स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय**		**1,18,035.14**
	36,922.92	कम्पनियों, निगमों, इत्यादि के शेयरों में निवेश	37,566.55	
	75,305.48	अन्य पूंजीगत परिव्यय	80,468.59	
7,390.30		**ऋण एवं अग्रिम**		**7,884.05**
	1,349.09	बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण	1,179.37	
	5,964.85	अन्य विकास ऋण	6,492.24	
	76.36	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	212.44	
0.74		**अग्रिम**		**0.74**
70.49		**उचन्त एवं विविध शेष**		**24.24**
-		**प्रेषण शेष**		
3,999.47		**नकद**		**3,147.94**
	0.54	कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	0.54	
	(-)1,644.93	रिजर्व बैंक में जमा	(-)463.47	
	2.83	विभागीय नकद शेष	3.34	
	0.12	स्थायी अग्रिम	0.12	
	2,332.87	नकद शेष निवेश	1,564.72	
	3,308.04	आरक्षित निधि निवेश	2,042.69	
95,654.00		**सरकारी लेखाओं पर घाटा**		**1,17,323.30**
	16,990.08	(i) चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य/घाटा	22,385.59	
	78,663.92	(ii) गत वर्ष तक संचित घाटा	95,654.00	
		(iii) विविध सरकारी लेखे	(-)1,516.29	
		(iv) आकस्मिक निधि के लिए विनियोजन	800.00	
2,19,343.40		**कुल**		**2,46,415.41**

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 2.1
(संदर्भः अनुच्छेद 2.2; पृष्ठ 16)
वर्ष 2020-21 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण			
	2019-20		2020-21		2019-20		2020-21
भाग कः राजस्व							
I. राजस्व प्राप्तियां	**67,858.13**		**67,561.01**	**I. राजस्व व्यय**	**84,848.21**		**89,946.60**
कर राजस्व	42,824.95	41,913.80		**सामान्य सेवाएं**	**31,883.95**		**34,734.17**
कर भिन्न राजस्व	7,399.74	6,961.49		**सामाजिक सेवाएं**	**33,726.47**		**36,163.96**
संघीय करों में राज्यांश	7,111.53	6,437.59		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	14,479.34	14,029.47	
नॉन प्लान अनुदान	-	-		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4,472.43	5,081.05	
राज्य प्लान स्कीमों हेतु अनुदान	-	-		जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	5,147.25	5,914.79	
केन्द्रीय एवं केन्द्रीय प्रायोजित प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	-	-		सूचना एवं प्रसारण	228.42	132.81	
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	2,851.99	3,135.18		अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	287.19	376.01	
वित्त आयोग अनुदान	2,005.74	2,364.00		श्रम एवं श्रम कल्याण	909.42	935.17	
राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	5,664.18	6,748.95		समाज कल्याण एवं पोषण	8,186.66	9,686.43	
				अन्य	15.77	8.23	
				आर्थिक सेवाएं	**19,237.78**		**19,048.47**
				कृषि एवं सहायक गतिविधियां	3,201.01	4,205.56	
				ग्रामीण विकास	3,956.62	4,498.67	
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,492.00	1,574.44	
				ऊर्जा	7,015.30	5,788.32	
				उद्योग एवं खनिज	392.19	390.60	
				परिवहन	3,078.58	2,442.29	
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	24.98	31.83	
				अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	77.10	116.76	
				सहायता अनुदान तथा अंशदान	**शून्य**		
II. भाग ख को अग्रनीत राजस्व घाटा	**16,990.08**		**22,385.59**	**II. भाग ख को अग्रनीत राजस्व आधिक्य**			
योग भाग क	**84,848.21**		**89,946.60**		**84,848.21**		**89,946.60**
भाग ख- अन्य							
III. स्थायी अग्रिमों एवं नकद शेष निवेश सहित आरम्भिक नकद शेष	**2,985.55**		**3,999.47**	**III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरम्भिक ओवरड्राफ्ट**			
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	**54.01**		**62.96**	**IV. पूंजीगत परिव्यय**	**17,665.93**		**5,869.70**
				सामान्य सेवाएं	**586.16**		**387.61**
				सामाजिक सेवाएं	**3,233.56**		**2,986.12**
				शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	388.28	409.32	
				स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	510.17	766.37	
				जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	2,152.86	1,594.50	
				सूचना एवं प्रसारण	40.30	80.00	
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2.50	0.48	
				समाज कल्याण एवं पोषण	22.08	64.55	
				अन्य	117.37	70.90	

प्राप्तियां				संवितरण			
	2019-20		2020-21		2019-20		2020-21
				आर्थिक सेवाएं	**13,846.21**		**2,495.97**
				कृषि एवं सहायक गतिविधियां	4,477.27	(-)1,171.85	
				ग्रामीण विकास	28.59	97.06	
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,400.82	1,365.75	
				ऊर्जा	5,829.63	527.09	
				उद्योग एवं खनिज	13.21	4.79	
				परिवहन	1,819.45	1,513.34	
				विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	11.50	23.00	
				सामान्य आर्थिक सेवाएं	265.74	136.79	
V. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	**5,392.63**		**431.95**	**V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम**	**1,309.25**		**925.70**
बिजली परियोजनाओं से	5,282.76	225.87		बिजली परियोजनाओं हेतु	160.63	56.15	
सरकारी कर्मचारियों से	68.62	65.63		सरकारी कर्मचारियों को	68.87	201.71	
अन्य से	41.25	140.45		अन्यों को	1,079.75	667.84	
VI राजस्व आधिक्य भाग क से अग्रनीत	**-**	**-**		**VI. राजस्व घाटा भाग क से अग्रनीत**	**16,990.08**		**22,385.59**
VII. लोक ऋण प्राप्तियां	**44,431.82**		**53,816.73**	**VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान**	**15,775.51**		**29,497.60**
बाह्य ऋण				बाह्य ऋण			
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अतिरिक्त)	43,067.68	44,362.72		आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अतिरिक्त)	14,249.88	24,190.11	
अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन	1,261.75	4,977.33		अर्थोपाय अग्रिमों के अन्तर्गत निवल लेनदेन	1,261.75	4,977.33	
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	102.39	4,476.68[1]		केन्द्रीय सरकार के ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	263.88	330.16	
VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन	**शून्य**		**800**	**VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन**	**शून्य**		**800**
IX. आकस्मिक निधि से अंतरित राशि				**IX. आकस्मिक निधि से व्यय**			
X. लोक लेखा प्राप्तियां	**45,047.46**		**53,760.90**	**X. लोक लेखा संवितरण**	**42,171.23**		**50,245.48**
लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि.	3,670.12	3,604.79		लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि.	2,422.89	2,570.34	
आरक्षित निधियां	2,317.15	1,342.32		आरक्षित निधियां	138.40	2,012.76	
उचन्त एवं विविध	1,029.73	2,610.02		उचन्त एवं विविध	1,042.99	1,047.48	
प्रेषण	8,919.27	8,795.19		प्रेषण	8,973.01	8,756.08	
जमा एवं अग्रिम	29,111.19	37,408.58		जमा एवं अग्रिम	29,593.94	35,858.82	
XI. भारतीय रिजर्व बैंक से संवरण ओवरड्राफ्ट				**XI. अंतिम रोकड़ शेष**	**3,999.47**		**3,147.94**
				कोषालयों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद राशि	0.54	0.54	
				रिजर्व बैंक के साथ जमा	(-)1,644.93	(-)463.47	
				स्थायी अग्रिमों इत्यादि सहित विभागीय नकद शेष	2.95	3.46	
				नकद शेष निवेश	2,332.87	1,564.72	
				चिह्नित निवेश	3,308.04	2,042.69	
योग भाग-ख	**97,911.47**		**1,12,872.01**	**योग**	**97,911.47**		**1,12,872.01**

[1] वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल हैं।

परिशिष्ट 2.2
(संदर्भः अनुच्छेद 2.3.2.1; पृष्ठ 19)
राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम डाटा

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
भाग-क प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	**52,497**	**62,695**	**65,885**	**67,858**	**67,561**
(i) कर राजस्व	**34,026 (65)**	**41,099(66)**	**42,581 (65)**	**42,825 (63)**	**41,914 (62)**
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	23,488 (69)	15,609(38)	8,998 (21)	8,398 (19)	8,660 (21)
राज्य उत्पाद शुल्क	4,613 (13)	4,966(12)	6,042 (14)	6,323 (15)	6,864 (16)
वाहनों पर कर	1,583 (5)	2,778(7)	2,908 (7)	2,916 (7)	2,495 (6)
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	3,283 (10)	4,193(10)	5,636 (13)	6,013 (14)	5,157 (12)
भू-राजस्व	16	18	19	20	17
माल एवं यात्रियों पर कर	595 (2)	2,317 (6)	21	16	4
बिजली पर कर एवं शुल्क	276 (1)	306 (1)	337 (1)	262 (1)	476 (1)
राज्य माल एवं सेवा कर	शून्य	10,833 (26)	18,613 (44)	18,873 (44)	18,236 (44)
अन्य कर	172	79	7	4	5
(ii) कर-भिन्न राजस्व	**6,196 (12)**	**9,113 (14)**	**7,976 (12)**	**7,400 (11)**	**6,961 (10)**
(iii) संघीय करों एवं शुल्को में राज्य का अंश	**6,597 (12)**	**7,298 (12)**	**8,255 (12)**	**7,111 (10)**	**6,438 (10)**
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	**5,678 (11)**	**5,185 (8)**	**7,073 (11)**	**10,522 (16)**	**12,248 (18)**
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	**26**	**40**	**49**	**54**	**63**
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	**973**	**6,341**	**5,372**	**5,393**	**432**
4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	**53,496**	**69,076**	**71,306**	**73,305**	**68,056**
5. लोक ऋण प्राप्तियां	**28,170**	**21,490**	**34,265**	**44,432**	**53,817**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट रहित)	28,047 (100)	21,270 (99)	33,635 (98)	43,068 (97)	44,363 (83)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	शून्य	79	505 (2)	1,262 (3)	4,977 (9)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	123	141 (1)	125	102	4,477* (8)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	**81,666**	**90,566**	**1,05,571**	**1,17,737**	**1,21,873**
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	**80**	**27**	**12**	**शून्य**	**800**
8. लोक लेखे प्राप्तियां	**32,108**	**33,894**	**40,785**	**45,047**	**53,761**
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**1,13,854**	**1,24,487**	**1,46,368**	**1,62,784**	**1,76,434**
भाग- ख व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**68,403**	**73,257**	**77,155**	**84,848**	**89,946**
योजनागत	22,119 (32)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योजनेत्तर	46,284 (68)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	21,631 (32)	26,699(36)	28,169 (36)	31,884 (38)	34,734 (39)
आर्थिक सेवाएं	20,875 (30)	18,107(25)	19,021 (25)	19,238 (22)	19,048 (21)
सामाजिक सेवाएं	25,473 (37)	28,061(38)	29,743(38)	33,726 (40)	36,164 (40)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	424(1)	390(1)	222(1)	शून्य	शून्य
11. पूंजीगत व्यय	**6,863**	**13,538**	**15,307**	**17,666**	**5,870**
योजनागत	6,559 (96)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योजनेत्तर	304 (4)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सामान्य सेवाएं	399 (6)	481(4)	715 (5)	586 (3)	388 (7)
आर्थिक सेवाएं	4,877 (71)	9,884(73)	10,787 (70)	13,846 (79)	2,496 (42)
सामाजिक सेवाएं	1,587 (23)	3,173(23)	3,805 (25)	3,234 (18)	2,986 (51)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण	**4,515**	**1,395**	**756**	**1,309**	**926**
13. कुल (10+11+12)	**79,781**	**88,190**	**93,218**	**1,03,823**	**96,742**
14. लोक ऋण के पुनर्भुगतान	**5,276**	**6,339**	**17,184**	**15,776**	**29,498**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट रहित)	5,090 (96)	6,074(96)	16,480 (96)	14,250 (90)	24,191 (82)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	79(1)	505 (3)	1,262 (8)	4,977 (17)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	186 (4)	186(3)	199 (1)	264 (2)	330 (1)
15. आकस्मिक निधि के विनियोजन	-	-	-	**शून्य**	**800**
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	**85,057**	**94,529**	**1,10,402**	**1,19,599**	**1,27,040**
17. आकस्मिक निधि संवितरण	**80**	**27**	**12**	**शून्य**	**शून्य**
18. लोक लेखा संवितरण	**29,276**	**31,171**	**37,386**	**42,171**	**50,245**

* वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल हैं|

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**1,14,413**	**1,25,727**	**1,47,800**	**1,61,770**	**1,77,285**
भाग ग-घाटा/आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)(1-10)	**(-)15,906**	**(-)10,562**	**(-)11,270**	**(-)16,990**	**(-)22,385**
21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)(4-13)	**(-)26,285**	**(-)19,114**	**(-)21,912**	**(-)30,518**	**(-)29,486**
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (21+23)	**(-)15,743**	**(-)7,153**	**(-)8,361**	**(-)14,930**	**(-)12,371**
भाग-घ अन्य डाटा					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	**10,542**	**11,961**	**13,551**	**15,588**	**17,115**
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	**12,647**	**9,844**	**10,078**	**11,337**	**13,012**
25. अर्थोपाय अग्रिम/प्राप्त ओवरड्राफ्ट(दिनों में)	**शून्य**	**79(2)**	**505(4)**	**1,262 (11)**	**4,977(42)**
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	**शून्य**	**0.02**	**0.29**	**0.42**	**1.31**
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)[2]	**5,61,424**	**6,44,963**	**7,04,957**	**7,80,612**	**7,64,872**
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	**1,46,371**	**1,64,076**	**1,84,216**	**2,15,562**	**2,38,708[3]**
29. बकाया गारंटियां-ब्याज तथा गारंटी फीस सहित (वर्ष के अन्त में)	**8,260**	**14,187**	**18,273**	**20,770**	**23,102**
30. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**14**	**25**	**23**	**26**	**48**
31. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी (₹ करोड़ में)	**199.17**	**167.14**	**127.30**	**221.57**	**546.30**
भाग-ई राजकोषीय स्थिति सूचक					
I संसाधन संघटन					
स्वयं का कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.061	0.064	0.060	0.055	0.055
स्वयं का कर-भिन्न राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.011	0.014	0.011	0.009	0.009
केन्द्रीय अन्तरण/स.रा.घ.उ.	0.012	0.011	0.012	0.009	0.008
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	0.142	0.137	0.132	0.133	0.128
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.520	1.407	1.415	1.530	1.444
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.857	0.831	0.828	0.817	0.922
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.339	0.354	0.360	0.356	0.401
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.323	0.317	0.320	0.319	0.221
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.086	0.154	0.164	0.170	0.060
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.081	0.148	0.157	0.165	0.056
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-)0.028	(-)0.016	(-)0.016	(-)0.022	(-)0.029
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-)0.047	(-)0.030	(-)0.031	(-)0.039	(-)0.039
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-)0.028	(-)0.011	(-)0.011	(-)0.019	(-)0.016
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	0.605	0.553	0.514	0.557	0.759
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ.	0.26	0.25	0.26	0.28	0.31
वित्तीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां	2.788	2.617	2.796	3.177	3.533
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर रिटर्न	5.89	7.53	56.60	87.01	163.14
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.62	0.60	0.58	0.56	0.52

[2] आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा द्वारा यथा संचारित वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. आंकड़े।

[3] वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भः अनुच्छेद 2.3.2.2 (iv); पृष्ठ 23)

राजस्व प्राप्तियों के कुछ प्रमुख शीर्षों में 31 मार्च 2021 तक राजस्व के बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2021 को बकाया राशि	31 मार्च 2021 को पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वसूली की स्थिति											
				कोर्ट द्वारा स्टे	सरकार द्वारा स्टे	दिवालिया डीलर	बट्टे खाते में डाला जाना	संशोधन/ समीक्षा/ अपील	न्यायालय में मामले	अन्य कारण	आधिकारिक परिसमापक/ बी.आई.एफ.आर[4]	अंतर्राज्यीय बकाया	अंतर जिला बकाया	किश्तों में	कार्रवाई के विभिन्न चरणों में
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	32,716.78	4,907.54	1,924.36	1,227.36	96.90	130.44	3,488.17	2,928.87	3,094.25	1,655.15	1,802.87	84.99	0.16	16,283.24
2	राज्य उत्पाद शुल्क	436.39	190.42	9.49	1.43	--	0.89	--	33.84	39.81	--	42.15	68.93	22.27	217.58
3	स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	206.44	197.17	152.86	--	--	--	--	0.11	--	-	--	--	--	53.47
4	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां	11.77	11.77	3.18	--	--	--	--	-	--	--	--		--	8.59
5	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	1,301.27	315.99	0.55	--	--	0.39	--	12.88	486.80	--	14.03	221.85	0.02	564.75
6	बिजली पर कर और शुल्क	364.60	184.75	₹ 363.60 करोड़ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.) उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (उ.ह.बि.वि.नि.लि.) के उपभोक्ताओं से लंबित थे और ₹ 1.00 करोड़ मैसर्ज हरियाणा कंकास्ट, हिसार के विरूद्ध लंबित थे।											
7	पुलिस	128.86	40.91	31 मार्च 2007 तक ₹ 7.38 करोड़ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) से देय थे। हरियाणा राज्य में आई.ओ.सी.एल. से वसूली का मामला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित था। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, फरीदाबाद से ₹ 0.29 करोड़ वसूलनीय थे और अन्य राज्यों में चुनाव ड्यूटी एवं कानून व्यवस्था के लिए अन्य राज्यों से ₹ 121.19 करोड़ वसूलनीय थे।											
कुल		**35,166.11**	**5,848.55**												

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

[4] औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भः अनुच्छेद 2.4.3.2 (ii); पृष्ठ 39)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखे के अनुसार सरकारी निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वित्त लेखे के अनुसार	कंपनी लेखा के अनुसार	अंतर
1	हरियाणा वित्तीय निगम	204.22	202.01	(-)2.21
2	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	9,584.68	13,459.51	3,874.83
3	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, पंचकुला	3,437.95	3,037.76	(-)400.19
4	हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	49.46	48.20	(-)1.26
5	हरियाणा डेयरी विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	4.77	5.57	0.80
6	हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम	33.84	26.14	(-)7.70
7	हरियाणा पुलिस आवास निगम	69.82	25.00	(-)44.82
8	हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड, गुरुग्राम	8.36	6.80	(-)1.56
9	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	2.74	2.76	0.02
10	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	9.90	9.89	(-)0.01
11	हरियाणा राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	2.62	2.65	0.03
12	हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	76.10	72.36	(-)3.74
13	हरियाणा राज्य सड़कें और पुल विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	70.12	122.04	51.92
14	हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	1.40	1.81	0.41
15	हरियाणा टेनरीज लिमिटेड, जींद	0.22	1.17	0.95
16	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	शून्य	37.76	37.76
17	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, पंचकुला	3,638.97	4,303.05	664.08
18	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	14.86	15.51	0.65
19	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, पंचकुला	11,128.04	15,227.63	4,099.59
20	हरियाणा मास रैपिड यातायात निगम	शून्य	14.40	14.40
21	हरियाणा मेडिकल सर्विसिज लिमिटेड	शून्य	5.00	5.00
22	हरियाणा रेल संरचना विकास निगम लिमिटेड	10.00	89.22	79.22
23	हरियाणा राज्य औद्योगिक और संरचना विकास निगम लिमिटेड	0.06	0.10	0.04
	कुल	**28,348.13**	**36,716.34**	**8,368.21**

स्रोत: वित्त लेखे 2020-21

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.3.2 (iii); पृष्ठ 39)

कार्यान्वयनाधीन सार्वजनिक निजी साझेदारी मूलभूत संरचना परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	परियोजना कानाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तिथि	पूर्णता की संभावित तिथि
1	सिकंदरपुर स्टेशन से एन.एच.-8 गुड़गांव तक मेट्रो लिंक	एच.एम.आर.टी.सी.एल. (रैपिड मेट्रो गुड़गांव साउथ लिमिटेड)	1,088.00	बी.ओ.टी.	16 जुलाई 2009	14 नवंबर 2013 राज्य को राजस्व उत्पन्न करना- शून्य। परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव को एच.एम.आर.टी.सी. द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है और 23.10.2019 को लाइसेंसधारक के रूप में डी.एम.आर.सी. को सौंप दिया गया है। मेट्रो परियोजनाओं के संचालन से किराया वसूली डी.एम.आर.सी. के नाम से खोले गए एक अलग खाते में की जाती है।
2	कुंडली मानेसर पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रेस-वे का निर्माण	एच.एस.आई.आई.डी.सी. (मैसर्ज एस्सेल इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड)	1,863.00	बी.ओ.टी.	31 जुलाई 2015 (प्रारंभ करने की तिथि 24 अगस्त 2016)	04 दिसंबर 2018 (राजस्व वित्तीय वर्ष: ₹ 162.73 करोड़)
3	दिल्ली मेट्रो सिकंदरपुर से सेक्टर 56, गुड़गांव तक मेट्रो लिंक	एच.एम.आर.टी.सी.एल.	2,143.00	डी.बी.एफ.ओ.टी.	1 अक्तूबर 2012	मार्च 2017 राज्य को राजस्व सृजन- शून्य। परियोजनाओं के संचालन और रख-रखाव को एच.एम.आर.टी.सी. द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है और 23.10.2019 को लाइसेंसधारक के रूप में डी.एम.आर.सी. को सौंप दिया गया है। मेट्रो परियोजनाओं के संचालन से किराया वसूली डी.एम.आर.सी. के नाम से खोले गए एक अलग खाते में की जाती है
4	हरियाणा विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड की जे.के.टी.पी.एल.	कल्पतरु पावर ट्रांस लिमिटेड और टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीरनियरिंग के संयुक्त उद्यम	382.00	डी.बी.एफ.ओ.टी. (डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर)	14 मई 2010	12 मार्च 2012
5	बस स्टैंड, एन.आई.टी. फरीदाबाद	डी.जी.एस.टी. (मैसर्ज पैसिफिक रिटेल काउंटर्स)	110.94	डी.बी.एफ.ओ.टी.	14 जून 2018	निचले भूतल तक का निर्माण कार्य पूर्ण (मई 2021) किया गया तथा भूतल से द्वितीय तल का निर्माण कार्य प्रगति पर है

क्र. सं.	परियोजना कानाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तिथि	पूर्णता की संभावित तिथि
6	हरियाणा राज्य में फिरोजपुर झिरका भिवानी रोड (0.00 से 14.28 किलोमीटर) पर पक्के फुटपाथ के साथ 2 लेनिंग का विकास	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	94.00	डी.बी.एफ.ओ.टी. (टोल) 23.06.2016		पूरा हुआ
7	गुड़गांव, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ सोहना रोड का रख-रखाव (लंबाई 66.185 किलोमीटर)	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	180.00	बी.ओ.टी.		परियोजना परिचालन चरण में है।
8	1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग	130.00	-	2007-2012	उक्त परियोजना 2007 में शुरू की गई है और जी.आई.टी.आई. को 2007-2012 से 5 चयन चक्रों में चुना गया है। जारी ऋण राशि 10 वर्ष की स्थगन अवधि के बाद 20 वर्षों में वापस की जानी है। तदनुसार, परियोजना को 2042 तक पूरा किया जाएगा। इसके अलावा 31 मार्च 2021 तक ₹ 14.33 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है
9	रेडियोलॉजिकल सर्विसिज	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	जिला अस्पतालों के लिए चरणबद्ध ढंग से जुलाई 2014 से परियोजना शुरू हुई	17 जिलों में 18 केंद्रों पर सीटी स्कैन सेवाएं और पांच जिलों में एम.आर.आई. सुविधाएं कार्यात्मक हैं।
10	हेमोडायलिसिस	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	14 जिला अस्पतालों के लिए चरणबद्ध ढंग से दिसंबर 2015 में परियोजना शुरू हुई	18 जिलों में 18 केंद्रों पर सेवाएं कार्यात्मक हैं और तीन जिलों (कुरुक्षेत्र, मेवात, अंबाला शहर) में प्रगति पर हैं।
11	कैथ लैब सर्विसिज	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	चार जिला अस्पतालों के लिए चरणबद्ध ढंग से मार्च 2016 से परियोजना शुरू हुई	चार जिला अस्पतालों में सेवाएं कार्यात्मक हैं।

क्र. सं.	परियोजना कानाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तिथि	पूर्णता की संभावित तिथि
12	गुड़गांव मनोरंजन पार्क का निर्माण	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	230.00	संयुक्त उद्यम	01 अप्रैल 2004	संयुक्त उद्यम कंपनी-मैसर्स गुड़गांव रिक्रिएशन पार्क लिमिटेड (जी.आर.पी.एल.) ने एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड से लिए गए अपने ऋण के भुगतान में चूक की थी। एच.डी.एफ.सी ने माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जी.आर.पी.एल. की संपत्ति की नीलामी की अनुमति मांगने के लिए एक मामला दायर किया है। उच्च न्यायालय में सुनवाई अभी अक्तूबर 2021 तक होनी है।
13	हरियाणा राज्य में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विकास के लिए 13 परियोजनाएं	शहरी स्थानीय निकाय	1,701.30	बी.ओ.ओ.टी.	-	13 परियोजनाओं में से दो परियोजनाओं को आवंटित किया गया था। दो परियोजनाओं के लिए बोली मूल्यांकन किया जा चुका है और परियोजना को जल्द ही प्रदान किया जाएगा। दो परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया में थीं और शेष परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।
कुल			**7,922.24**			

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.2; पृष्ठ 68)

मामलों के विवरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	व्यय	कुल प्रावधानों में से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
1	1-विधानसभा	87.89	1.35	67.81	21.43
2	2-राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद	161.49	6.00	113.10	54.39
3	3-सामान्य प्रशासन	425.85	69.62	361.88	133.59
4	7-आयोजना और सांख्यिकी	42.73	3.00	35.71	10.02
5	10-तकनीकी शिक्षा	684.04	55.05	562.31	176.78
6	13-स्वास्थ्य	5,567.50	742.35	5,080.95	1,228.90
7	15-स्थानीय शासन	4,978.01	2,336.13	3,548.31	3,765.83
8	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	713.86	100.00	463.18	350.68
9	21-महिला एवं बाल विकास	1,415.34	100.00	1,152.58	362.76
10	23-खाद्य एवं आपूर्ति	651.32	363.22	616.43	398.11
11	27-कृषि	3,612.63	430.22	2,348.08	1,694.77
12	28-पशुपालन एवं डेयरी विकास	1,137.16	19.00	865.07	291.09
13	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	5,973.60	921.70	4,484.00	2,411.30
14	34-परिवहन	2,192.02	0.70	1,703.05	489.67
15	36-गृह	5,356.76	90.00	4,644.54	802.22
16	40-ऊर्जा तथा विद्युत	6,710.29	997.02	5,810.98	1,896.33
17	42-न्याय प्रशासन	987.08	5.75	645.78	347.05
18	43-जेल	291.66	11.27	241.34	61.59
	कुल	**40,989.23**	**6,252.38**	**32,745.10**	**14,496.51**
पूंजीगत (दत्तमत)					
19	13-स्वास्थ्य	966.00	319.00	768.29	516.71
20	34-परिवहन	410.71	15.30	201.31	224.70
21	35-पर्यटन	34.10	31.06	28.28	36.88
22	38-जन स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति	1,500.51	482.25	949.22	1,033.54
	कुल	**2,911.32**	**847.61**	**1,947.10**	**1,811.83**
	सकल योग	**43,900.55**	**7,099.99**	**34,692.20**	**16,308.34**

मामलों के विवरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अत्यधिक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	व्यय	कुल प्रावधानों में से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
1	4-राजस्व	1,539.56	154.19	1,556.12	137.63
2	5-आबकारी एवं कराधान	256.06	43.00	266.07	32.99
3	6-वित्त	9,994.15	394.49	10,178.12	210.52
4	17-रोज़गार	415.03	245.83	417.83	243.03
5	37-निर्वाचन	45.87	43.04	59.15	29.76
6	38-जन स्वास्थ्य और जल आपूर्ति	2,112.76	365.18	2,230.01	247.93
	कुल	**14,363.43**	**1,245.73**	**14,707.30**	**901.86**
पूंजीगत (दत्तमत)					
7	17-रोज़गार	1.00	5.34	4.71	1.63
	कुल	**1.00**	**5.34**	**4.71**	**1.63**
पूंजीगत (भारित)					
8	**सार्वजनिक ऋण**	22,591.81	11,072.60	29,497.60	4,166.81
	कुल	**22,591.81**	**11,072.60**	**29,497.60**	**4,166.81**
	सकल योग	**36,956.24**	**12,323.67**	**44,209.61**	**5,070.30**

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.3; पृष्ठ 68)

प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः अनुपूरक आरः पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
1.	4	राजस्व	2245-प्राकृतिक नियति के कारण राहत 05-राज्य आपदा राहत निधि 101-राज्य आपदा राहत निधि 99-राज्य एवं केंद्र अंशदान	(ओ) 655.00 (एस) 102.62 (आर) (-)331.02 426.60	654.67	228.07
2.			4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 99-जिला प्रशासन	(ओ) 180.00 (आर) (-)94.28 85.72	88.13	2.41
3.			4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी आवासीय भवन 106-सामान्य पूल आवास 99-जिला प्रशासन	(ओ) 35.00 (आर) 14.98 49.98	45.30	(-)4.68
4.	5	आबकारी एवं कराधान	2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 001-निदेशन एवं प्रशासन 98-जिला स्टाफ	(ओ) 69.70 (एस) 5.05 (आर) (-)3.75 71.00	75.52	4.52
5.			2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 001-निदेशन एवं प्रशासन 99-मुख्यालय स्टाफ 98-स्थापना व्यय	(ओ) 35.48 (एस) 36.40 (आर) (-)10.40 61.48	57.00	(-)4.48
6.			4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051-निर्माण 97-आबकारी एवं कराधान	(ओ) 20.00 (आर) (-)13.71 6.29	4.63	(-)1.66
7.	6	वित्त	2049-ब्याज भुगतान 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज 101-बाजार ऋण पर ब्याज 99-ब्याज वाले बाजार ऋणों पर ब्याज	(ओ) 11,978.06 (आर) (-)35.95 11,942.11	11,545.40	(-)396.71
8.			2049-ब्याज भुगतान 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज 200-अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज 97-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	(ओ) 56.60 (आर) (-)44.99 11.61	141.03	129.42
9.			2049-ब्याज भुगतान 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज 305-ऋणों का प्रबंधन 99-नया ऋण आदि जारी करने पर व्यय	(ओ) 35.00 (आर) (-)35.00 शून्य	39.29	39.29
10.			2049-ब्याज भुगतान 03-अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज 104-राज्य भविष्य निधि पर ब्याज 98-ए.आई.एस. (सी.एच.) पर ब्याज	(ओ) 3.77 (आर) (-)3.77 शून्य	3.19	3.19
11.			2049-ब्याज भुगतान 04-केंद्र सरकार से ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज 101-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज 99-ब्लॉक ऋण	(ओ) 73.46 (आर) (-)73.46 शून्य	43.57	43.57
12.			2049-ब्याज भुगतान 04-केंद्र सरकार से ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज 104-गैर-योजनागत योजनाओं के लिए ऋण पर ब्याज 95-पुलिस-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	(ओ) 1.29 (आर) (-)1.29 शून्य	1.31	1.31

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः अनुपूरक आरः पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
13.			2049-ब्याज भुगतान 04-केंद्र सरकार से ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज 109-12वें वित्त आयोग की सिफारिशों की शर्तों के अनुसार समेकित राज्य योजना ऋणों पर ब्याज 99-12वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य योजना ऋण समेकित	(ओ) 29.00 (आर) (-)29.00 शून्य	29.00	29.00
14.			2049-ब्याज भुगतान 05-आरक्षित निधियों पर ब्याज 101-मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि में ब्याज 97-मूल्यह्रास आरक्षित निधि (सरकारी प्रेस)	(ओ) 1.81 (आर) (-) 1.81 शून्य	1.81	1.81
15.			2049-ब्याज भुगतान 05-आरक्षित निधियों पर ब्याज 101-मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि में ब्याज 98-मूल्यह्रास आरक्षित निधि (मोटर परिवहन)	(ओ) 54.00 (आर) (-) 54.00 शून्य	54.00	54.00
16.			2049-ब्याज भुगतान 60-अन्य दायित्वों पर ब्याज 101-जमाओं पर ब्याज 98-रेल मंत्रालय द्वारा अधिग्रहित भूमि के प्रति जमा पर ब्याज	(ओ) 15.00 (आर) (-)15.00 शून्य	14.97	14.97
17.			2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 101-अधिवर्षिता एवं सेवानिवृत्ति भत्ते 51-एन.ए.	(ओ) 5,100.00 (एस) 390.85 (आर) 548.95 6,039.80	5619.57	(-)420.23
18.			2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 102-पेंशन का परिवर्तित मूल्य 51-एन.ए.	(ओ) 1,250.00 (आर) (-)204.40 1,045.60	1056.36	10.76
19.			2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 104-ग्रेज्यूटी 51-एन.ए.	(ओ) 1,078.00 (आर) (-)40.09 1,037.91	1219.91	182.00
20.			2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 105-पारिवारिक पेंशन 51-एन.ए.	(ओ) 700.00 (आर) 227.94 927.94	943.89	15.95
21.			2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 106-उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन प्रभार 51-एन.ए.	(ओ) 103.00 (आर) (-)96.32 6.68	23.13	16.45
22.			2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 111-विधायकों को पेंशन 99-राज्य विधानमंडल के सदस्य	(ओ) 184.50 (आर) (-)155.88 28.62	83.02	54.40
23.			2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 117-परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान 99-हरियाणा विधानमंडल की परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना 99-परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में सरकार का अंशदान	(ओ) 584.50 (आर) 178.82 763.32	766.83	3.51
24.	8	भवन एवं सड़कें	2059-लोक निर्माण कार्य 60-अन्य भवन 053-रख-रखाव एवं मरम्मत 99-रख-रखाव एवं मरम्मत	(ओ) 14.00 (आर) (-)0.89 13.10	8.54	(-)4.56
25.			2059-लोक निर्माण कार्य 80-सामान्य 001-निदेशन एवं प्रशासन 96-कार्यान्वयन	(ओ) 419.26 (आर) (-)86.61 332.65	349.09	16.44

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः अनुपूरक आरः पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
26.			2059-लोक निर्माण कार्य 80-सामान्य 052-मशीनरी और उपकरण 96-मशीनरी	(ओ) 6.25 (आर) (-)2.12 4.13	7.11	2.98
27.			2059-लोक निर्माण कार्य 80-सामान्य 053-रख-रखाव एवं मरम्मत 99-रख-रखाव एवं मरम्मत	(ओ) 89.00 (आर) 15.54 104.54	107.63	3.09
28.			2216-आवास 05-सामान्य पूल आवास 053-रख-रखाव एवं मरम्मत 99-अन्य रख-रखाव व्यय 88-सामान्य रख-रखाव और मरम्मत	(ओ) 25.01 (आर) 9.68 34.69	38.30	3.61
29.			2216-आवास 05-सामान्य पूल आवास 053-रख-रखाव एवं मरम्मत 99-अन्य रख-रखाव व्यय 99-न्याय प्रशासन	(ओ) 2.00 (आर) 0.76 2.76	1.25	(-)1.51
30.			3054-सड़कें और पुल 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 51-एन.ए.	(ओ) 55.00 (आर) (-) 15.58 39.42	27.77	(-)11.65
31.			3054-सड़कें और पुल 04-जिला और अन्य सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 99-जिला सड़कें कार्य	(ओ) 35.00 (आर) (-) 22.42 12.58	16.70	4.12
32.			4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051-निर्माण 99-लोक निर्माण कार्य	(ओ) 60.00 (आर) (-) 37.27 22.73	35.62	12.89
33.			4202-शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 02-तकनीकी शिक्षा 105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज और संस्थान 99-भवन (इंजीनियरिंग कॉलेज)	(ओ) 5.00 (आर) (-) 1.24 3.76	5.93	2.17
34.			4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी आवासीय भवन 106-सामान्य पूल आवास 96-लोक निर्माण कार्य	(ओ) 15.00 (आर) (-) 0.36 14.64	15.82	1.18
35.			5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 03 -राज्य राजमार्ग 101-पुल 81-हरियाणा राज्य में पुलों का निर्माण 99-राज्य योजना के अंतर्गत पुलों और रेलवे ऊपरी पुलों का निर्माण	(ओ) 10.00 (आर) 11.71 21.71	36.26	14.55
36.			5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 03 - राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 87-सी.आर.एफ. के अंतर्गत सड़कों का निर्माण सुदृढ़ीकरण/चौड़ाई और उन्नयन	(ओ) 150.00 (आर) 46.74 196.74	189.05	(-)7.69
37.			5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 88-हरियाणा राज्य में सड़क का निर्माण 99-राज्य योजना के लिए सड़कों का निर्माण सुदृढ़ीकरण/चौड़ाई एवं सुधार योजना	(ओ) 150.00 (आर) (-) 35.08 114.92	128.04	13.12

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः अनुपूरक आरः पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
38.			5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला और अन्य सड़कें 101-पुलों 84-हरियाणा राज्य में पुलों और रेलवे ऊपरी पुलों का निर्माण 97-नाबार्ड योजना के अंतर्गत पुलों और रेलवे ऊपरी पुलों का निर्माण	(ओ) 15.00 (आर) 13.25 28.25	29.44	1.19
39.			5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला और अन्य सड़कें 101-पुलों 84-हरियाणा राज्य में पुलों और रेलवे ऊपरी पुलों का निर्माण 99-राज्य योजना के अंतर्गत पुलों और रेलवे ऊपरी पुलों का निर्माण	(ओ) 125.00 (आर) 34.75 159.75	157.42	(-)2.33
40.			5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला और अन्य सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 98-ग्रामीण सड़कें 97-नाबार्ड योजना के लिए सड़कों का निर्माण सुदृढ़ीकरण/चौड़ाई और बाईपास	(ओ) 170.00 (आर) (-) 41.78 128.22	116.66	(-) 11.56
41.			5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला और अन्य सभी सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 98-ग्रामीण सड़कें 98-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के लिए सड़कों का निर्माण सुदृढ़ीकरण/चौड़ाई और बाईपास बनाना	(ओ) 75.00 (आर) (-) 45.65 29.35	32.49	3.14
42.			5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला और अन्य सभी सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 98-ग्रामीण सड़कें 99-राज्य योजना के अंतर्गत निर्माण सुदृढ़ीकरण/चौड़ाई	(ओ) 800.00 (आर) (-) 302.87 497.13	510.04	12.91
43.			5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला और अन्य सभी सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 99-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अंतर्गत निर्माण सुदृढ़ीकरण/चौड़ाई 99-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण सुदृढ़ीकरण/चौड़ाई और बाईपास	(ओ) 70.00 (आर) (-) 39.00 31.00	33.70	2.70
44.			5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला और अन्य सभी सड़कें 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में सड़कों का निर्माण/चौड़ाई एवं सुदृढ़ीकरण/विशेष मरम्मत 98-नाबार्ड का योगदान	(ओ) 55.00 (आर) (-) 17.36 37.64	31.88	(-)5.76
45.			5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में सड़कों का निर्माण/चौड़ाई एवं सुदृढ़ीकरण/विशेष मरम्मत 99-राज्य योगदान	(ओ) 65.00 (आर) (-) 38.59 26.41	32.76	6.35
46.			5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 98-हरियाणा राज्य में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए राज्य का हिस्सा प्रदान करना	(ओ) 250.00 (आर) (-) 208.11 41.89	75.44	33.55
47.	9	शिक्षा	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 109-सरकारी माध्यमिक विद्यालय 86-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	(ओ) 312.40 (आर) 184.29 496.69	498.69	2.00

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः अनुपूरक आरः पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
48.	9	शिक्षा	2202-सामान्य शिक्षा 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा 001-निदेशन और प्रशासन 99-प्रशासनिक स्टाफ 99-मुख्यालय स्टाफ स्थापना (मुख्यालय)	(ओ) 43.61 (आर) (-)12.85 30.76	28.85	(-)1.91
49.			4202-शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01-सामान्य शिक्षा 202--माध्यमिक शिक्षा 99-माध्यमिक विद्यालय भवन	(ओ) 130.00 (आर) (-)9.13 120.87	124.59	3.72
50.			4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01-सामान्य शिक्षा 203-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा 99-कॉलेज भवन	(ओ) 155.00 (आर) (-)0.78 154.22	159.19	4.97
51.	11	खेल एवं युवा कल्याण	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 03-खेल और युवा सेवाएं 101–युवा हॉस्टल 99-भवन (युवा हॉस्टल)	(ओ) 10.00 (आर) (-)7.93 2.07	0.14	(-)1.93
52.	13	स्वास्थ्य	2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं एलोपैथी 110-अस्पताल और औषधालय 99-ग्रामीण अस्पताल और औषधालय का नाम बदलकर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा जारी रखना	(ओ) 858.95 (आर) (-)129.64 729.31	730.53	1.22
53.			2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 80-सामान्य 199-अन्य गैर-सरकारी संस्थानों को सहायता 99-आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन	(ओ) 276.75 (आर) (-)227.75 50.00	22.22	(-)27.78
54.			2211-परिवार कल्याण 101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं 98-उप-केन्द्रों	(ओ) 195.00 (आर) (-)45.49 149.51	148.48	(-)1.03
55.			4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110-अस्पताल और औषधालय 99-भवनें	(ओ) 300.00 (आर) (-) 29.39 270.61	278.85	8.24
56.	13	स्वास्थ्य	4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय 03-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान 101-आयुर्वेद 91-सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज/अस्पताल के भवन का निर्माण	(ओ) 20.00 (आर) (-)4.03 15.97	17.37	1.40
57.			4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय 03-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान 105-एलोपैथी 92-स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल का निर्माण कार्य 99-भवन का निर्माण	(ओ) 50.00 (एस) 100.00 (आर) 46.05 196.05	153.11	(-)42.94
58.	16	श्रम	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 201-श्रम 96-लेबर कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण	(ओ) 0.10 (आर) 1.70 1.80	5.01	3.21
59.	18	औद्योगिक प्रशिक्षण	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 201-श्रम 94-औद्योगिक प्रशिक्षण के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण	(ओ) 70.00 (आर) (-)70.00 शून्य	52.79	52.79
60.			4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 98-अनुसूचित जाति विंग के लिए प्रशिक्षण भवन	(ओ) 10.00 (आर) (-)10.00 शून्य	7.27	7.27

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः अनुपूरक आरः पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
61.	19	अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग का कल्याण	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 102-आर्थिक विकास 96-अत्याचार पीड़ितों को आर्थिक राहत	(ओ) 18.00 (आर) (-)1.87 16.13	13.94	(-)2.19
62.	21	महिला एवं बाल विकास	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02-सामाजिक कल्याण 102-बाल कल्याण 92-एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएं (डब्ल्यू.सी.डी.)	(ओ) 728.45 (आर) 23.30 751.75	636.55	(-)115.20
63.			2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02-सामाजिक कल्याण 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 90-अनुसूचित जातिः आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को वित्तीय सहायता	(ओ) 95.00 (आर) (-)53.71 41.29	38.45	(-)2.84
64.			2236-पोषण 02-पौष्टिक भोजन और पेय पदार्थों का वितरण 101-विशेष पोषण कार्यक्रम 88-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.)	(ओ) 50.00 (आर) (-)33.11 16.89	22.51	5.62
65.			2236-पोषण 02-पौष्टिक भोजन और पेय पदार्थों का वितरण 101-विशेष पोषण कार्यक्रम 95-पूरक पोषण कार्यक्रम	(ओ) 100.00 (एस) 100.00 (आर) (-)26.51 173.49	167.99	(-)5.50
66.	21	महिला एवं बाल विकास	4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02-सामाजिक कल्याण 102-बाल कल्याण 97-जे.जे. अधिनियम का कार्यान्वयन कार्य 99-रिमांड/ऑब्जर्वेशन होम	(ओ) 50.00 (आर) (-)12.24 37.76	42.55	4.79
67.			4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजी परिव्यय 02-सामाजिक कल्याण 103-महिला कल्याण 99-युवा लड़कियों/महिलाओं और परित्यक्त महिलाओं और विधवाओं के लिए गृह-सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र	(ओ) 2.00 (आर) 3.64 5.64	0.63	(-)5.01
68.	23	खाद्य और आपूर्ति	2408-खाद्य भंडार और भंडारण 01-खाद्य 001-निदेशन एवं प्रशासन 98-फील्ड स्टाफ	(ओ) 278.99 (एस) 190.00 (आर) 9.15 478.14	275.08	(-)203.06
69.	23	खाद्य और आपूर्ति	4408-खाद्य भंडारण और भंडारण पर पूंजीगत परिव्यय 01-खाद्य 101-खरीद और आपूर्ति 97-पूंजी पर ब्याज	(ओ) 900.00 (आर) (-)900.00 शून्य	505.44	505.44
70.			4408-खाद्य भंडारण और भंडारण पर पूंजीगत परिव्यय 01-खाद्य 101-खरीद और आपूर्ति 98-स्थापना लागत प्रभार्य	(ओ) 292.55 (आर) (-)292.55 शून्य	288.22	288.22
71.			4408-खाद्य भंडार और भंडारण पर पूंजीगत परिव्यय 01-खाद्य 101-खरीद और आपूर्ति 99-अनाज आपूर्ति योजना	(ओ) 14,730.00 (आर) (-)2,687.19 12,042.81	12,333.59	290.78
72.	24	सिंचाई	2700-प्रमुख सिंचाई 01-बहुउद्देश्यीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन और प्रशासन 89-विशेष राजस्व	(ओ) 28.09 (आर) (-)3.46 24.63	0.83	(-)23.80

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः अनुपूरक आरः पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
73.			2700-प्रमुख सिंचाई 01-बहुउद्देश्यीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन और प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 114.85 (आर) (-)14.55 100.30	4.92	(-)95.38
74.			2700-प्रमुख सिंचाई 01-बहुउद्देश्यीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 92-अधीक्षक अभियंता	(ओ) 4.00 (आर) (-)0.95 3.05	0.22	(-)2.83
75.			2700-प्रमुख सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 89-विशेष राजस्व	(ओ) 45.00 (आर) (-)3.37 41.63	2.46	(-)39.17
76.			2700-प्रमुख सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 427.95 (आर) (-)26.61 401.34	22.84	(-)378.50
77.			2700-प्रमुख सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 92-अधीक्षक अभियंता	(ओ) 25.90 (आर) (-)4.65 21.25	1.12	(-)20.13
78.	24		2700-प्रमुख सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 101-रख-रखाव एवं मरम्मत 97-ऊर्जा प्रभार	(ओ) 50.00 (आर) 17.22 67.22	68.30	1.08
79.			2700-प्रमुख सिंचाई 04-लोहारू नहर परियोजना 101-रख-रखाव एवं मरम्मत 98-अन्य रख-रखाव कार्य	(ओ) 2.50 (आर) (-)0.05 2.45	3.79	1.34
80.			2700-प्रमुख सिंचाई 05-जवाहर लाल नेहरू नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 800-अन्य व्यय 98-ऊर्जा प्रभार	(ओ) 150.00 (आर) 12.55 162.55	161.34	(-)1.21
81.			2700-प्रमुख सिंचाई 18-गैर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001-निदेशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 79.25 (आर) (-)27.92 51.33	12.10	(-)39.23
82.	24	सिंचाई	2700-प्रमुख सिंचाई 18-गैर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001-निदेशन एवं प्रशासन 92-अधीक्षक अभियंता	(ओ) 6.50 (आर) (-)2.81 3.69	0.45	(-)3.24
83.			2700-प्रमुख सिंचाई 18-गैर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001-निदेशन एवं प्रशासन 93-मुख्य अभियन्ता	(ओ) 7.76 (आर) (-)3.97 3.79	0.96	(-)2.83
84.			2700-प्रमुख सिंचाई 80-सामान्य 001-निदेशन एवं प्रशासन 93-मुख्य अभियन्ता	(ओ) 63.74 (आर) (-)11.41 52.33	11.48	(-)40.85
85.			2700-प्रमुख सिंचाई 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 98-सुधार, उन्नयन, संचालन और रख-रखाव	(ओ) 75.00 (आर) (-)21.86 53.14	50.03	(-)3.11

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः अनुपूरक आरः पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
86.			4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13-नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण और लाइनिंग 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-नहर नेटवर्क का पुनरूद्धार राज्य में अनुसूचित जाति आबादी में खालों की प्रणाली के पुनरूद्धार में सुधार	(ओ) 100.00 (आर) (-)28.52 71.48	73.14	1.66
87.			4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13-नहर प्रणाली की आधुनिकीकरण और लाइनिंग 800-अन्य व्यय 97-पश्चिमी जमुना नहर (डब्ल्यू.जे.सी.) और जवाहर लाल नेहरू (जे.एल.एन.) नहर प्रणाली की क्षमता में सुधार	(ओ) 70.00 (आर) 11.60 81.60	83.19	1.59
88.			4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13-नहर प्रणाली की आधुनिकीकरण और लाइनिंग 800-अन्य व्यय 98-नहर का निर्माण-नहर नेटवर्क का पुनरूद्धार	(ओ) 200.00 (आर) (-)53.15 146.84	143.94	(-)2.90
89.			4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06-पानी के समान वितरण के लिए नया माइनर 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-राज्य के अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र में जल वितरण के लिए नए मानइन सुधार हेतु योजना	(ओ) 15.00 (आर) (-)8.93 6.07	4.67	(-)1.40
90.			4701-माध्यिका सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06-पानी के समान वितरण के लिए नया माइनर 800-अन्य व्यय 98-नहर का निर्माण-नए माइनर का निर्माण	(ओ) 15.00 (आर) (-)5.15 9.85	7.57	(-)2.28
91.	24	सिंचाई	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी के लिए आर.आई.डी.एफ. (नाबार्ड) के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों का सुधार	(ओ) 100.00 (आर) (-)11.93 88.07	72.83	(-)15.24
92.			4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार 800-अन्य व्यय 98-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार	(ओ) 100.00 (आर) (-)9.80 90.20	102.16	11.96
93.			4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 98-न्यायालय के आदेश के अंतर्गत बढ़ी हुई भूमि मुआवजे का भुगतान	(ओ) 150.00 (आर) (-)118.74 31.26	33.20	1.94
94.	27	कृषि	2401-फसल पालन 108-वाणिज्यिक फसलें 94-हरियाणा में गन्ना विकास	(ओ) 10.59 (आर) (-)1.06 9.53	10.55	1.02
95.	30	वन एवं वन्य जीवन	2406-वानिकी और वन्य जीवन 01-वानिकी 070-संचार और भवन 97-भवन	(ओ) 3.20 (आर) (-)1.84 1.36	2.85	1.49
96.			2406-वानिकी और वन्य जीवन 01-वानिकी 101-वन संरक्षण, विकास और संपोषण 98-अवक्रमित वनों का पुनर्वास	(ओ) 6.49 (आर) (-)3.47 3.02	4.57	1.55
97.			2406-वानिकी और वन्य जीवन 01-वानिकी 102-सामाजिक और कृषि वानिकी 78-कृषि वानिकी क्लोनल और गैर क्लोनल का विकास	(ओ) 58.00 (आर) (-)36.92 21.08	60.70	39.62

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः अनुपूरक आरः पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
98.	33	सहकारिता	2425-सहकारिता 108-अन्य सहकारी समितियों को सहायता 95-दुग्ध सहकारी समितियां 99-प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां	(ओ) 2.00 (आर) (-)2.00 शून्य	1.40	1.40
99.	34	परिवहन	3055-सड़क परिवहन 201-हरियाणा रोडवेज 96-एफ-अन्य व्यय	(ओ) 82.77 (आर) (-)82.77 शून्य	82.75	82.75
100			3055-सड़क परिवहन 201-हरियाणा रोडवेज 98-बी-संचालन	(ओ) 1,542.52 (आर) (-)347.12 1,195.40	1,200.99	5.59
101			5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य वैमानिकी सेवाएं 102-नेविगेशन और हवाई मार्ग सेवाएं 99-हवाई अड्डा का रख-रखाव	(ओ) 50.00 (आर) (-)16.75 33.25	1.21	(-)32.04
102	36	गृह	2055-पुलिस 109-जिला पुलिस 99-जिला पुलिस बल	(ओ) 3,888.81 (आर) (-)397.38 3,491.43	3,492.49	1.06
103	38	जन स्वास्थ्य और जल आपूर्ति	2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता 01-जल आपूर्ति 101-शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम 99-शहरी जल सेवाएं और सीवरेज का रख-रखाव 97-नहरी जल प्रभार	(ओ) 1.00 (आर) 14.08 15.08	18.75	3.67
104			2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता 01-जल आपूर्ति 101-शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम 99-शहरी जल सेवाएं और सीवरेज का रख-रखाव 98-रख-रखाव शुल्क	(ओ) 140.00 (आर) 29.29 169.29	174.67	5.38
105			2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता 01-जल आपूर्ति 101-शहरी जल सेवाएं कार्यक्रम 99-शहरी डब्ल्यू/एस और सीवरेज का रख-रखाव 99-ऊर्जा प्रभार	(ओ) 280.00 (आर) 51.81 331.81	340.18	8.37
106			2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता 01-जल आपूर्ति 102-ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 97-ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	(ओ) 761.10 (आर) 244.97 1,006.07	1,022.41	16.34
107			4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जल आपूर्ति 102-ग्रामीण जल आपूर्ति 98-त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति 99-राष्ट्रीय गामीण पेयजल योजना अधिकृत (केंद्रीय)	(ओ) 241.80 (एस) 475.14 (आर) (-)482.85 234.09	232.64	(-)1.45
108			4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 02-सीवरेज और स्वच्छता 102-ग्रामीण स्वच्छता सेवाएं 98-ग्रामीण स्वच्छता 97-गांव में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए महाग्राम योजना	(ओ) 12.00 (आर) 14.20 26.20	24.60	(-)1.60
109			4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01-बाढ़ नियंत्रण 201-जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण परियोजना 98-शहरी बरसाती पानी निकासी नाले का कार्य	(ओ) 15.00 (आर) (-)8.32 6.68	5.11	(-)1.57
110	42	न्याय प्रशासन	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051-निर्माण 98-न्याय प्रशासन	(ओ) 100.00 (आर) (-)100.00 शून्य	21.18	21.18

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः अनुपूरक आरः पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाइनल आधिक्य (+) बचत (-)
111	42	न्याय प्रशासन	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी आवासीय भवन 106-सामान्य पूल आवास 99-न्याय प्रशासन	(ओ) 50.00 (आर) (-)50.00 शून्य	9.39	9.39
112	45	राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम	7610-सरकारी कर्मचारी को ऋण आदि 800-अन्य अग्रिम 96-डिफ़ॉल्ट राशि के लिए भुगतान/वसूली	(ओ) 7.00 (आर) 4.47 11.47	21.13	9.66
113			7610-सरकारी कर्मचारी को ऋण आदि 800-अन्य अग्रिम 98-त्योहार अग्रिम	(ओ) 18.00 (आर) (-)18.00 शून्य	172.67	172.67
114	पी.डी.	सार्वजनिक ऋण	6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 107-भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण 99-भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	(ओ) 14,800.00 (आर) (-)2,980.00 11,820.00	9,808.79	(-)2,011.21
115			6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 108-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण 99-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	(ओ) 548.18 (एस) 7,011.00 (आर) 2,269.12 9,828.30	8,329.81	(-)1,498.49
116			6004-केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम 02-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीम के लिए ऋण 101-ब्लॉक ऋण 51-एन.ए.	(ओ) 171.14 (आर) 21.76 192.90	231.89	38.99
कुल				**70,095.46**	**67,182.78**	**(-)5,500.67** **(+)2,587.99**

सार	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
विनियोजन पर अतिरिक्त व्यय (+)	71	(+)2,587.99
विनियोजन में से बचत (-)	45	(-)5,500.67
कुल	**116**	

₹ 10 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 25 करोड़ से कम के आधिक्य के मामले	**मामलों की संख्या**	**राशि (₹ करोड़ में)**
क्र.सं. 16, 18, 20, 21, 25, 32, 35, 37, 42, 92, 106 तथा 110	12	177.52
₹ 10 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 25 करोड़ से कम की बचत के मामले		
क्र.सं. 30, 40, 72, 77 तथा 91	5	82.38
कुल	**17**	

₹ 25 करोड़ से अधिक के आधिक्य के मामले	**मामलों की संख्या**	**राशि (₹ करोड़ में)**
क्र.सं.1, 8, 9, 11, 13, 15, 19, 22, 46, 59, 69, 70, 71, 97, 99, 113 तथा 116	17	2,264.56
₹ 25 करोड़ से अधिक के बचत के मामले		
क्र.सं.7, 17, 53, 57, 62, 68, 73, 75, 76, 81, 84, 101, 114 तथा 115	14	5,340.79
कुल	**31**	

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.4; पृष्ठ 69)

मार्च 2021 के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत/ अतिरिक्त	अभ्यर्पित की गई राशि
ऐसे मामले जिनमें वास्तविक बचतों के प्रति राशि कम अभ्यर्पित की गई थी							
राजस्व (दत्तमत)							
1	6-वित्त	9,994.15	394.49	10,388.64	10,178.12	(-)210.52	71.97
2	9-शिक्षा	17,270.83	शून्य	17,270.83	13,313.41	(-)3,957.42	3,956.85
3	13-स्वास्थ्य	5,567.50	742.35	6,309.85	5,080.95	(-)1,228.90	1,227.66
4	21-महिला एवं बाल विकास	1,415.34	100.00	1,515.34	1,152.58	(-)362.76	243.50
5	23-खाद्य एवं आपूर्ति	651.32	363.22	1,014.54	616.43	(-)398.11	195.04
6	26-खान और भू-विज्ञान	139.62	शून्य	139.62	114.71	(-)24.91	24.90
7	28-पशुपालन एवं डेयरी विकास	1,137.16	19.00	1,156.16	865.07	(-)291.09	291.07
8	29-मत्स्य पालन	122.42	शून्य	122.42	66.32	(-)56.10	56.05
कुल		**36,298.34**	**1,619.06**	**37,917.40**	**31,387.59**	**(-)6,529.81**	**6,067.04**
राजस्व भारित							
9	6-वित्त	18,304.58	शून्य	18,304.58	17,114.67	(-)1,189.91	952.16
		18,304.58	**शून्य**	**18,304.58**	**17,114.67**	**(-)1,189.91**	**952.16**
पूंजीगत दत्तमत							
10	4-राजस्व	215.00	शून्य	215.00	133.44	(-)81.56	79.30
11	5-आबकारी एवं कराधान	20.00	शून्य	20.00	4.63	(-)15.37	13.71
12	19-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण	130.00	शून्य	130.00	89.97	(-)40.03	38.10
13	11-खेल और युवा कल्याण	515.50	शून्य	515.50	376.01	(-)139.49	139.48
14	13-स्वास्थ्य	966.00	319.00	1,285.00	768.29	(-)516.71	463.24
15	38-जन स्वास्थ्य और जल आपूर्ति	1,500.51	482.25	1,982.76	949.22	(-)1,033.54	1,030.69
कुल		**3,347.01**	**801.25**	**4,148.26**	**2,321.56**	**(-)1,826.70**	**1,764.52**
पूंजीगत भारित							
16	8-भवन एवं सड़कें	50.00	शून्य	50.00	38.08	(-)11.92	11.72
17	सार्वजनिक ऋण	22,591.81	11,072.60	33,664.41	29,497.60	(-)4,166.81	683.08
कुल		**22,641.81**	**11,072.60**	**33,714.41**	**29,535.68**	**(-)4,178.73**	**694.80**
		80,591.74	**13,492.91**	**94,084.65**	**80,359.50**	**(-)13,725.15**	**9,478.52**
ऐसे मामले जिनमें वास्तविक बचतों के प्रति अधिक राशि अभ्यर्पित की गई थी							
राजस्व (दत्तमत)							
1	2-राज्यपाल और मंत्रिपरिषद	161.49	6.00	167.49	113.10	(-)54.39	54.87
2	3-सामान्य प्रशासन	425.85	69.62	495.47	361.88	(-)133.59	133.80
3	4-राजस्व	1,539.56	154.19	1,693.75	1,556.12	(-)137.63	367.76
4	5-आबकारी एवं कराधान	256.06	43.00	299.06	266.07	(-)32.99	33.08
5	8-भवन एवं सड़कें	1,196.85	शून्य	1,196.85	1,089.89	(-)106.96	182.05
6	11-खेल और युवा कल्याण	301.17	शून्य	301.17	121.20	(-)179.97	180.01
7	17-रोज़गार	415.03	245.83	660.86	417.83	(-)243.03	243.06
8	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	713.86	100.00	813.86	463.18	(-)350.68	351.09
9	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	7,847.03	शून्य	7,847.03	7,702.37	(-)144.66	144.89
10	22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	164.10	शून्य	164.10	132.40	(-)31.70	31.71
11	24-सिंचाई	2,654.68	शून्य	2,654.68	1,521.67	(-)1,133.01	1,149.39
12	27-कृषि	3,612.63	430.22	4,042.85	2,348.08	(-)1,694.77	1,695.96
13	30-वन एवं वन्य जीवन	548.50	शून्य	548.50	481.73	(-)66.77	110.43
14	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	5,973.60	921.70	6,895.30	4,484.00	(-)2,411.30	2,411.43
15	33-सहकारिता	506.89	शून्य	506.89	340.54	(-)166.35	167.76
16	34-परिवहन	2,192.02	0.70	2,192.72	1,703.05	(-)489.67	578.40
17	36-गृह	5,356.76	90.00	5,446.76	4,644.54	(-)802.22	803.59
18	38-जन स्वास्थ्य और जल आपूर्ति	2,112.76	365.18	2,477.94	2,230.01	(-)247.93	282.57
19	39-सूचना एवं प्रचार	206.34	शून्य	206.34	132.81	(-)73.53	73.55

क्र. सं.	अनुदान की संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत/ अतिरिक्त	अभ्यर्पित की गई राशि
20	42-न्याय प्रशासन	987.08	5.75	992.83	645.78	(-)347.05	347.11
21	43-जेल	291.66	11.27	302.93	241.34	(-)61.59	61.66
22	44-मुद्रण एवं लेखन सामग्री	36.27	शून्य	36.27	23.78	(-)12.49	12.92
कुल		**37,500.19**	**2,443.46**	**39,943.65**	**31,021.37**	**-8,922.28**	**9,417.09**
पूंजीगत दत्तमत							
23	8-भवन एवं सड़कें	2,477.69	शून्य	2,477.69	1,582.60	(-)895.09	972.71
24	9-शिक्षा	1,600.00	शून्य	1,600.00	283.78	(-)1,316.22	1,324.90
25	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	124.11	शून्य	124.11	65.12	(-)58.99	119.05
26	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	33.92	शून्य	33.92	7.37	(-)26.55	27.64
27	21-महिला एवं बाल विकास	172.02	शून्य	172.02	57.17	(-)114.85	115.31
28	23-खाद्य एवं आपूर्ति	16,002.56	शून्य	16,002.56	13,152.68	(-)2,849.88	3,934.32
29	24-सिंचाई	2,155.87	शून्य	2,155.87	1,327.45	(-)828.42	955.87
30	34-परिवहन	410.71	15.30	426.01	201.31	(-)224.70	224.74
31	42-न्याय प्रशासन	150.00	शून्य	150.00	30.58	(-)119.42	150.00
32	43-जेल	120.00	शून्य	120.00	74.86	(-)45.14	45.34
33	45-राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम	1,212.52	शून्य	1,212.52	925.70	(-)286.82	469.41
कुल		**24,459.40**	**15.30**	**24,474.70**	**17,708.62**	**(-)6,766.08**	**8,339.29**
पूंजीगत भारित							
34	24-सिंचाई	150.00	शून्य	150.00	33.20	(-)116.80	118.74
कुल		**150.00**	**शून्य**	**150.00**	**33.20**	**(-)116.80**	**118.74**
		62,109.59	**2,458.76**	**64,568.35**	**48,763.19**	**(-)15,805.16**	**17,875.12**
ऐसे मामले जिनमें राशि को वास्तविक बचत के रूप में अभ्यर्पित किया गया था							
राजस्व (दत्तमत)							
1	1-विधानसभा	87.89	1.35	89.24	67.81	(-)21.43	21.43
2	7-आयोजना और सांख्यिकी	42.73	3.00	45.73	35.71	(-)10.02	10.02
3	10-तकनीकी शिक्षा	684.04	55.05	739.09	562.31	(-)176.78	176.78
4	12-कला और संस्कृति	133.11	शून्य	133.11	22.84	(-)110.27	110.27
5	14-शहरी विकास	122.91	शून्य	122.91	69.84	(-)53.07	53.07
6	15-स्थानीय शासन	4,978.01	2,336.13	7,314.14	3,548.31	(-)3,765.83	3,765.83
7	25-उद्योग	288.64	शून्य	288.64	218.93	(-)69.71	69.71
8	37-चुनाव	45.87	43.04	88.91	59.15	(-)29.76	29.76
9	40-ऊर्जा एवं विद्युत	6,710.29	997.02	7,707.31	5,810.98	(-)1,896.33	1,896.33
10	41-इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	103.46	शून्य	103.46	71.86	(-)31.60	31.60
कुल		**13,196.95**	**3,435.59**	**16,632.54**	**10,467.74**	**(-)6,164.80**	**6,164.80**
राजस्व भारित							
11	3-सामान्य प्रशासन	42.92	शून्य	42.92	24.43	(-)18.49	18.49
12	42-न्याय प्रशासन	176.30	शून्य	176.30	148.92	(-)27.38	27.38
कुल		**219.22**	**219.22**	**शून्य**	**219.22**	**173.35**	**-45.87**
पूंजीगत दत्तमत							
13	7-आयोजना और सांख्यिकी	309.00	शून्य	309.00	108.52	(-)200.48	200.48
14	14-शहरी विकास	1,450.00	शून्य	1,450.00	564.29	(-)885.71	885.71
15	28-पशुपालन एवं डेयरी विकास	20.00	शून्य	20.00	10.00	(-)10.00	10.00
16	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	327.00	शून्य	327.00	97.06	(-)229.94	229.94
17	33-सहकारिता	172.50	शून्य	172.50	59.80	(-)112.70	112.70
18	35-पर्यटन	34.10	31.06	65.16	28.28	(-)36.88	36.88
19	36-गृह	255.01	शून्य	255.01	160.37	(-)94.64	94.64
20	39-सूचना एवं प्रचार	90.01	शून्य	90.01	80.00	(-)10.01	10.01
21	40-ऊर्जा एवं विद्युत	785.85	शून्य	785.85	550.09	(-)235.76	235.76
	कुल	**3,443.47**	**31.06**	**3,474.53**	**1,658.41**	**(-)1,816.12**	**1,816.12**
		16,859.64	**3,466.65**	**20,326.29**	**12,299.50**	**(-)8,026.79**	**8,026.79**
72	**सकल योग**	**1,59,560.97**	**19,418.32**	**1,78,979.29**	**1,41,422.19**	**(-)37,557.10**	**35,380.43**

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.5 (i); पृष्ठ 70)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक	बचत
राजस्व (दत्तमत)						
1	3-सामान्य प्रशासन	425.85	69.62	495.47	361.88	133.59
2	4-राजस्व	1,539.56	154.19	1,693.75	1,556.12	137.63
3	6-वित्त	9,994.15	394.49	10,388.64	10,178.12	210.52
4	8-भवन एवं सड़कें	1,196.85	शून्य	1,196.85	1,089.89	106.96
5	9-शिक्षा	17,270.83	शून्य	17,270.83	13,313.41	3,957.42
6	10-तकनीकी शिक्षा	684.04	55.05	739.09	562.31	176.78
7	11-खेलकूद एवं युवा कल्याण	301.17	शून्य	301.17	121.20	179.97
8	12-कला और संस्कृति	133.11	शून्य	133.11	22.84	110.27
9	13-स्वास्थ्य	5,567.50	742.35	6,309.85	5,080.95	1,228.90
10	15-स्थानीय शासन	4,978.01	2,336.13	7,314.14	3,548.31	3,765.83
11	17-रोज़गार	415.03	245.83	660.86	417.83	243.03
12	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	713.86	100.00	813.86	463.18	350.68
13	19-अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग का कल्याण	515.50	शून्य	515.50	376.01	139.49
14	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	7847.03	शून्य	7847.03	7702.37	144.66
15	21-महिला एवं बाल विकास	1,415.34	100.00	1,515.34	1,152.58	362.76
16	23-खाद्य एवं आपूर्ति	651.32	363.22	1,014.54	616.43	398.11
17	24-सिंचाई	2,654.68	शून्य	2,654.68	1,521.67	1,133.01
18	27-कृषि	3,612.63	430.22	4,042.85	2,348.08	1,694.77
19	28-पशुपालन एवं डेयरी विकास	1,137.16	19.00	1,156.16	865.07	291.09
20	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	5,973.60	921.70	6,895.30	4,484.00	2,411.30
21	33-सहकारिता	506.89	शून्य	506.89	340.54	166.35
22	34-परिवहन	2,192.02	0.70	2,192.72	1,703.05	489.67
23	36-गृह	5,356.76	90.00	5,446.76	4,644.54	802.22
24	38-जन स्वास्थ्य और जल आपूर्ति	2,112.76	365.18	2,477.94	2,230.01	247.93
25	40-ऊर्जा और विद्युत	6,710.29	997.02	7,707.31	5,810.98	1,896.33
26	42-न्याय प्रशासन	987.08	5.75	992.83	645.78	347.05
	कुल	**84,893.02**	**7,390.45**	**92,283.47**	**71,157.15**	**21,126.32**
राजस्व भारित						
27	6-वित्त	18,304.58	शून्य	18,304.58	17,114.67	1,189.91
	कुल	**18,304.58**	**शून्य**	**18,304.58**	**17,114.67**	**1,189.91**
पूंजीगत दत्तमत						
28	7-आयोजना और सांख्यिकी	309.00	शून्य	309.00	108.52	200.48
29	8-भवन एवं सड़कें	2,477.69	शून्य	2,477.69	1,582.60	895.09
30	9-शिक्षा	1,600.00	शून्य	1,600.00	283.78	1,316.22
31	13-स्वास्थ्य	966.00	319.00	1,285.00	768.29	516.71
32	14-शहरी विकास	1,450.00	शून्य	1,450.00	564.29	885.71
33	21-महिला एवं बाल विकास	172.02	शून्य	172.02	57.17	114.85
34	23-खाद्य एवं आपूर्ति	16,002.56	शून्य	16,002.56	13,152.68	2,849.88
35	24-सिंचाई	2,155.87	शून्य	2,155.87	1,327.45	828.42
36	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	327.00	शून्य	327.00	97.06	229.94
37	33-सहकारिता	172.50	शून्य	172.50	59.80	112.70

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक	बचत
38	34-परिवहन	410.71	15.30	426.01	201.31	224.70
39	38-जन स्वास्थ्य और जल आपूर्ति	1,500.51	482.25	1,982.76	949.22	1,033.54
40	40-ऊर्जा और विद्युत	785.85	शून्य	785.85	550.09	235.76
41	42-न्याय प्रशासन	150.00	शून्य	150.00	30.58	119.42
42	45-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,212.52	शून्य	1,212.52	925.70	286.82
	कुल	**29,692.23**	**816.55**	**30,508.78**	**20,658.54**	**9,850.24**
पूंजीगत (भारित)						
43	24-सिंचाई	150.00	शून्य	150.00	33.20	116.80
44	सार्वजनिक ऋण	22,591.81	11,072.60	33,664.41	29,497.60	4,166.81
	कुल	**22,741.81**	**11,072.60**	**33,814.41**	**29,530.80**	**4,283.61**
	सकल योग	**1,55,631.64**	**19,279.60**	**1,74,911.24**	**1,38,461.16**	**36,450.08**

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.5 (i); पृष्ठ 70)

₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाली योजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम और योजना का नाम	बजट अनुमान	व्यय	बचत	बजट से बचत प्रतिशतता
राजस्व (दत्तमत)					
1	**9-शिक्षा**				
(i)	2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 97-कक्षा I से VIII तक के सभी अनुसूचित जाति के छात्रों को मासिक वजीफा	150.00	15.99	134.01	89.34
(ii)	2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा, 053-भवनों का रखरखाव, 99-सरकारी स्कूलों में विस्तार तथा बदलाव	280.00	64.23	215.77	77.06
(iii)	2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, 001-निदेशन और प्रशासन, 96-उच्चतर शिक्षा विभाग (ई.डी.एच.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) के लिए निष्पादन से जुड़े परिव्यय (पी.एल.ओ.)	122.87	शून्य	122.87	100.00
2	**13-स्वास्थ्य**				
(i)	2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, 80-सामान्य, 199-अन्य गैर सरकारी संस्थानों को सहायता, 99-आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन	276.75	22.22	255.53	92.00
3	**15-स्थानीय सरकार**				
(i)	2217-शहरी विकास,05-अन्य शहरी विकास योजना,191-स्थानीय निकाय निगम, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्ड आदि को सहायता, 98-मेरा शहर सर्वोत्तम शहर	500.00	शून्य	500.00	100.00
(ii)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 001-निदेशन और प्रशासन., 91-शहरी स्थानीय निकाय विभाग (डी.एल.बी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.)	247.40	शून्य	247.40	100.00
(iii)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 191-स्थानीय निकायों, निगमों,शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता,95-नगर निगम में सीवेज जल आपूर्ति एवं ड्रेनेज की सेवाएं	168.00	53.15	114.85	68.36
(iv)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता, 96-नगर निगमों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को योगदान	1,606.40	202.87	1,403.53	87.37
(v)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता,86-नया शहरी नवीकरण मिशन (ए.एम.आर.यू.टी.)	1,010.00	369.19	640.81	63.45
(vi)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 88-स्वच्छ भारत मिशन	248.12	57.77	190.35	76.72
(vii)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 92-स्टाम्प शुल्क की आय से नगरपालिका समितियों/परिषदों को स्थानीय निकायों को अंशदान	403.00	70.51	332.49	82.50
(viii)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 94-प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पी.एम.ए.वाई.-यू)	155.00	54.99	100.01	64.52
(ix)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 97-राजीव गांधी शहरी भागीदारी योजना	134.98	7.06	127.92	94.77

क्र. सं.	अनुदान का नाम और योजना का नाम	बजट अनुमान	व्यय	बचत	बजट से बचत प्रतिशतता
4	**24-सिंचाई**				
(i)	2700-प्रमुख सिंचाई, 80-सामान्य, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता, 96-ग्राम तालाबों का विकास	1,002.00	6.46	995.54	99.36
5	**27-कृषि**				
(i)	2401-फसल पालन, 108-वाणिज्यिक फसलें, 79-हैफेड को मूल्य समर्थन प्रणाली के अंतर्गत जी.एस.टी. प्लस बाजार शुल्क की प्रतिपूर्ति	404.13	शून्य	404.13	100.00
(ii)	2401-फसल पालन, 109-विस्तार और किसान प्रशिक्षण, 78-कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन	200.00	76.36	123.64	61.82
(iii)	2401-फसल पालन, 109-विस्तार और किसान प्रशिक्षण, 80-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए योजना	340.00	70.97	269.03	79.13
(iv)	2401-फसल पालन,113-कृषि इंजीनियरिंग, 82-फसल अवशेष प्रबंधन योजना	453.50	7.49	446.01	98.35
(v)	2401-फसल पालन, 119-बागवानी और सब्जी फसलें, 71-जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय परियोजना के लिए योजना का नाम बदलकर जैविक खेती और शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के रूप में किया गया	100.00	शून्य	100.00	100.00
(vi)	2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा, 01-फसल पालन, 277-शिक्षा, 99-हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	635.00	471.08	163.92	25.81
6	**32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास**				
(i)	2505-ग्रामीण रोजगार, 02-ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, 99-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा)	400.00	255.58	144.42	36.11
(ii)	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 101-पंचायती राज, 89-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,460.00	1,021.80	438.20	30.01
(iii)	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 102-सामुदायिक विकास, 94-हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एच.जी.वी.वाई.)	556.00	315.32	240.68	43.29
(iv)	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता, 99-पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों के मानदेय के भुगतान तथा जिला परिषद कर्मचारियों के वेतन की योजना	668.92	161.48	507.44	75.86
(v)	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 87-राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता	365.00	255.50	109.50	30.00
(vi)	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 97-अनुसूचित जातियों के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एच.जी.वी.वाई.) के लिए योजना	304.00	44.71	259.29	85.29
7	**40 ऊर्जा और विद्युत**				
(i)	2801-विद्युत, 05-संचरण और वितरण, 800-अन्य व्यय, 99-एच.वी.पी.एन.एल./ एच.पी.जी.सी.एल. को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सहायता	6,649.93	5,099.93	1,,550.00	23.31
(ii)	2801- विद्युत, 80-सामान्य, 001-निदेशन और प्रशासन, 98-बिजली के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (पी.ओ.डब्ल्यू.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.)	242.16	शून्य	242.16	100.00

क्र. सं.	अनुदान का नाम और योजना का नाम	बजट अनुमान	व्यय	बचत	बजट से बचत प्रतिशतता
राजस्व (भारित)					
1	**6-वित्त**				
(i)	2049-ब्याज भुगतान, 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज, 200-अन्य आंतरिक ऋण पर ब्याज, 95-भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	900.00	505.44	394.56	43.84
(ii)	2075-विविध सामान्य सेवाएं, 797-आरक्षित निधि/जमा खातों में स्थानांतरण, 99-गारंटी रिडेंम्शन निधि आरक्षित निधि और जमा खातों में अंतरण (मुख्य शीर्ष-8235)	167.00	शून्य	167.00	100.00
पूंजीगत (दत्तमत)					
1	**8-भवन एवं सड़कें**				
(i)	4401-फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 113-कृषि इंजीनियरिंग, 96-पी.डब्ल्यू.डी. (भवन और सड़क) (बी.ए.आर.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.) द्वारा ए.जी.आर.-कृषि और किसान कल्याण विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.)	100.00	शून्य	100.00	100.00
(ii)	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय, 04-जिला और अन्य सड़कें, 337-सड़क निर्माण कार्य, 49-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क. .99-अंबाला क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों का उन्नयनकरण	100.00	शून्य	100.00	100.00
(iii)	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय,04-जिला और अन्य सड़कें, 337-सड़क निर्माण कार्य, 98-ग्रामीण सड़कें, 99-राज्य योजना के लिए सड़कों का निर्माण सुदृढ़ीकरण/चौड़ाई एवं बाय पास	800.00	510.04	289.96	36.25
(iv)	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 98-हरियाणा राज्य में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए राज्य का हिस्सों को उपलघ कराना	250.00	75.44	174.56	69.82
2	**09-शिक्षा**				
(i)	4202-शिक्षा खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01-सामान्य शिक्षा, 202-माध्यमिक शिक्षा, 96-ई.डी.एस. शिक्षा (माध्यमिक) (ई.डी.एस.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.) के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.)	1,195.00	शून्य	1,195.00	100.00
(ii)	4202-शिक्षा खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01-सामान्य शिक्षा, 202-माध्यमिक शिक्षा, 97-नाबार्ड के अंतर्गत वरिष्ठ माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों के भवनों का निर्माण	100.00	शून्य	100.00	100.00
3	**13-स्वास्थ्य**				
(i)	4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान, 105-एलोपैथी, 86-चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (एम.ई.आर.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.)	158.00	शून्य	158.00	100.00
4	**14-शहरी विकास**				
	4217-शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय, 60-अन्य शहरी विकास योजना, 051-निर्माण, 89-मंगल नगर विकास योजनाएं	1,450.00	564.29	885.71	61.08
5	**23-खाद्य एवं आपूर्ति**				
(i)	4408-खाद्य भंडारण और भंडारण पर पूंजीगत परिव्यय, 01-खाद्य,101-खरीद और आपूर्ति, 97-पूंजी पर ब्याज	900.00	505.44	394.56	43.84
(ii)	4408-खाद्य भंडार और भंडारण पर पूंजीगत परिव्यय, 01-खाद्य,101-खरीद और आपूर्ति, 99-खाद्य वितरण योजना	14,730.00	12,333.59	2,396.41	16.27

क्र. सं.	अनुदान का नाम और योजना का नाम	बजट अनुमान	व्यय	बचत	बजट से बचत प्रतिशतता
6	**24-सिंचाई**				
(i)	4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 07-सतलुज यमुना लिंक परियोजना, 800-अन्य व्यय, 98-नहर का निर्माण (एस.वाई.एल.)	100.00	शून्य	100.00	100.00
(ii)	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार, 800-अन्य व्यय, 97-नाबार्ड के तहत सिंचाई दक्षता योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई	170.00	शून्य	170.00	100.00
(iii)	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 22-मेवात फीडर नहर, 800-अन्य व्यय, 98 नहरों का निर्माण (मेवात)	200.00	शून्य	200.00	100.00
7	**38-जन स्वास्थ्य और जल आपूर्ति**				
(i)	4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 01-जल आपूर्ति, 102-ग्रामीण जल आपूर्ति, 93-ग्रामीण जल आपूर्ति (एस.पी.), 93-नाबार्ड	276.00	118.79	157.21	56.96
(ii)	4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 01-जल आपूर्ति, 102-ग्रामीण जल आपूर्ति, 93-ग्रामीण जल आपूर्ति (एस.पी.), 94-संवर्द्धन जल आपूर्ति	280.00	174.68	105.32	37.61
(iii)	4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 01-जल आपूर्ति, 102-ग्रामीण जल आपूर्ति, 98-त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति, 99-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना अधिकृत (केंद्रीय)	716.94	232.64	484.30	67.55
पूंजीगत भारित					
1	**सार्वजनिक ऋण**				
(i)	6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण, 107-भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण, 99-भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	14,800.00	9,808.79	4,991.21	33.72

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.5 (ii); पृष्ठ 72)

उन योजनाओं का विवरण जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रावधान ₹ पांच करोड़ तथा बचत कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम	वर्ष	बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	उपमंडल स्तर पर आवासीय परिसर/ट्रांजिट फ्लैटों के लिए स्वर्ण जयंती योजना (4216-01-106-76)	2018-19	20.00	1.00	19.00	95.00
		2019-20	10.00	0.49	9.51	95.10
		2020-21	10.00	0.80	9.20	92.00
2	निदेशालय (स्वर्ण जयंती) के भवन निर्माण हेतु संस्थागत भूखण्ड की खरीद (4235-02-101-93)	2018-19	5.00	0.21	4.79	95.80
		2019-20	15.00	0.24	14.76	98.40
		2020-21	5.00	0.04	4.96	99.20
3	युवा लड़कियों/महिलाओं और परित्यक्त महिलाओं और विधवाओं के लिए गृह-सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र (4235-02-103-99)	2018-19	8.00	0.03	7.97	99.63
		2019-20	8.00	0.06	7.94	99.25
		2020-21	5.64	0.63	5.01	88.83
4	कृषि कार्यालय भवन का निर्माण (4401-51-113-97)	2018-19	10.44	2.09	8.35	79.98
		2019-20	10.00	2.70	7.30	73.00
		2020-21	10.00	1.77	8.23	82.30
5	सुगम शिक्षा -सभी विद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध कराना (2202-01-800-91-98)	2018-19	50.00	16.16	33.84	67.68
		2019-20	30.00	6.51	23.49	78.30
		2020-21	8.80	2.60	6.20	70.45
6	स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल (2210-05-105-74)	2018-19	10.50	शून्य	10.50	100.00
		2019-20	10.00	0.50	9.50	95.00
		2020-21	10.00	1.00	9.00	90.00
7	भिवानी में नवीन राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य (4210-03-105-93)	2018-19	108.50	1.13	107.37	98.96
		2019-20	100.00	शून्य	100.00	100.00
		2020-21	165.00	शून्य	165.00	100.00
8	भवन निर्माण (राज्य अंशदान) (4210-03-105-98-97)	2018-19	70.00	15.38	54.62	78.03
		2019-20	70.00	12.80	57.20	81.71
		2020-21	71.00	30.00	41.00	57.75
9	दिल्ली के आसपास एन.सी.आर. उपग्रह के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान. (2217-80-800-87)	2018-19	42.00	11.65	30.35	72.26
		2019-20	520.00	43.06	476.94	91.72
		2020-21	50.00	0.04	49.96	99.92
10	दीन दयाल उपाध्याय सेवा बस्ती उत्थान (2217-80-789-94)	2018-19	66.00	27.66	38.34	58.09
		2019-20	50.00	22.50	27.50	55.00
		2020-21	35.00	15.43	19.57	55.91
11	हरियाणा कौशल विकास मिशन की स्थापना (2230-03-001-92)	2018-19	17.00	शून्य	17.00	100.00
		2019-20	17.00	3.40	13.60	80.00
		2020-21	10.20	4.50	5.70	55.88
12	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक विकास योजना (2235-02-800-73)	2018-19	50.00	1.90	48.10	96.20
		2019-20	30.00	5.39	24.61	82.03
		2020-21	30.00	2.51	27.49	91.63
13	अनुसूचित जातियों के लिए अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम (2236-02-789-98)	2018-19	59.61	17.33	42.28	70.93
		2019-20	59.60	11.52	48.08	80.67
		2020-21	59.60	13.74	45.86	76.95

क्र. सं.	स्कीम	वर्ष	बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
14	आतंकवादियों के साथ वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के आश्रितों को अनुग्रह राशि (2235-60-200-77)	2018-19	10.00	2.22	7.78	77.80
		2019-20	7.62	1.11	6.51	85.43
		2020-21	7.00	0.40	6.60	94.29
15	विशेष राजस्व (2700-01-001-89)	2018-19	23.09	0.91	22.18	96.06
		2019-20	24.70	1.05	23.65	95.75
		2020-21	28.09	0.85	27.26	97.05
16	कार्यकारी अभियंता (2700-01-001-91)	2018-19	98.06	4.16	93.90	95.76
		2019-20	121.70	4.60	117.10	96.22
		2020-21	114.85	4.91	109.94	95.72
17	विशेष राजस्व (2700-02-001-89)	2018-19	45.43	3.82	41.61	91.59
		2019-20	46.02	3.10	42.92	93.26
		2020-21	45.00	2.46	42.54	94.53
18	कार्यकारी अभियंता (2700-02-001-91)	2018-19	375.47	25.71	349.76	93.15
		2019-20	393.05	26.68	366.37	93.21
		2020-21	427.95	22.84	405.11	94.66
19	अधीक्षक अभियंता (2700-02-001-92)	2018-19	23.52	1.15	22.37	95.11
		2019-20	23.55	1.58	21.97	93.29
		2020-21	25.90	1.12	24.78	95.68
20	मुख्य अभियंता (2700-18-001-93)	2018-19	7.87	1.07	6.80	86.40
		2019-20	7.00	1.48	5.52	78.86
		2020-21	7.76	0.96	6.80	87.63
21	कार्यकारी अभियंता (2700-18-001-91)	2018-19	63.56	12.51	51.05	80.32
		2019-20	63.56	12.24	51.32	80.74
		2020-21	79.25	12.11	67.14	84.72
22	अधीक्षक अभियंता (2700-18-001-92)	2018-19	6.55	0.53	6.02	91.91
		2019-20	5.96	0.61	5.35	89.77
		2020-21	6.50	0.45	6.05	93.08
23	मुख्य अभियंता (2700-80-001-93)	2018-19	38.26	9.02	29.24	76.42
		2019-20	50.68	11.46	39.22	77.39
		2020-21	63.74	11.48	52.26	81.99
24	राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में निर्माण कार्यों में सुधार एवं जल मार्गों का पुनरूद्धार (4700-16-789-99)	2018-19	15.00	5.90	9.10	60.67
		2019-20	18.00	3.32	14.68	81.56
		2020-21	20.00	4.33	15.67	78.35
25	नहर का निर्माण-जल मार्गों का पुनरूद्धार (4700-16-800-98)	2018-19	22.00	9.38	12.62	57.36
		2019-20	40.00	9.67	30.33	75.83
		2020-21	40.00	12.44	27.56	68.90
26	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (2401-51-109-77)	2018-19	32.00	8.65	23.35	72.97
		2019-20	35.50	8.65	26.85	75.63
		2020-21	21.15	9.48	11.67	55.18
27	कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (2401-51-109-78)	2018-19	215.71	72.73	142.98	66.28
		2019-20	200.00	36.69	163.31	81.66
		2020-21	200.00	76.36	123.64	61.82
28	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए योजना (2401-51-109-80)	2018-19	400.00	113.09	286.91	71.73
		2019-20	350.00	92.37	257.63	73.61
		2020-21	340.00	70.97	269.03	79.13

क्र. सं.	स्कीम	वर्ष	बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
29	हरियाणा राज्य में भावांतर भरपाई योजना (2401-51-190-99)	2018-19	25.00	5.00	20.00	80.00
		2019-20	25.00	5.00	20.00	80.00
		2020-21	10.00	शून्य	10.00	100.00
30	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (2401-51-789-85)	2018-19	8.00	1.15	6.85	85.63
		2019-20	8.80	0.34	8.46	96.14
		2020-21	8.00	0.33	7.67	95.88
31	स्थाई कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (2402-51-102-77)	2018-19	30.00	0.85	29.15	97.17
		2019-20	160.26	0.80	159.46	99.50
		2020-21	19.50	0.82	18.68	95.79
32	एकीकृत बंजर भूमि विकास प्रबंधन परियोजना (2501-05-789-99)	2018-19	10.00	शून्य	10.00	100.00
		2019-20	10.00	4.25	5.75	57.50
		2020-21	10.00	4.40	5.60	56.00
33	हरियाणा रोडवेज डिपो (5055-51-102-77)	2018-19	100.00	22.17	77.83	77.83
		2019-20	100.00	4.08	95.92	95.92
		2020-21	100.00	25.47	74.53	74.53
34	हरियाणा कैडेट कोर (2055-51-109-96)	2018-19	6.69	2.93	3.77	56.35
		2019-20	6.68	1.91	4.77	71.41
		2020-21	6.68	शून्य	6.68	100.00
35	सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा (2220-60-800-97)	2018-19	34.50	7.56	26.94	78.09
		2019-20	15.64	3.73	11.91	76.15
		2020-21	12.00	4.37	7.63	63.58
36	ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप एस.पी.वी. पावर प्लांट प्रोग्राम (2810-51-101-99)	2018-19	193.60	52.98	140.62	72.63
		2019-20	50.00	16.02	33.98	67.96
		2020-21	10.00	3.71	6.29	62.90
37	इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का संगठन और प्रशासन-स्थापना व्यय (2852-07-202-95-98)	2018-19	6.08	3.00	3.08	50.66
		2019-20	11.77	5.39	6.38	54.21
		2020-21	11.96	5.73	6.23	52.09
38	जेलों का आधुनिकीकरण (2056-51-800-99)	2018-19	35.00	1.48	33.52	95.77
		2019-20	35.00	2.05	32.95	94.14
		2020-21	27.29	7.81	19.48	71.38
39	एकीकृत सहकारी विकास कार्यक्रम (6425-51-108-99)	2018-19	18.80	4.11	14.69	78.14
		2019-20	6.00	2.51	3.49	58.17
		2020-21	12.00	शून्य	12.00	100.00
40	मंत्रियों को मंत्रियों,उप मंत्रियो/ राज्य मंत्रियों, पीठासीन अधिकारियों तथा राज्य विधायकों को गृह निमार्ण के लिए अग्रिम (7610-51-201-98)	2018-19	15.00	2.10	12.90	86.00
		2019-20	15.00	1.59	13.41	89.40
		2020-21	15.00	4.38	10.62	70.80
41	बीज, उर्वरक और कृषि उपकरणों की आपूर्ति (2245-01-101-98)	2018-19	20.00	शून्य	20.00	100.00
		2019-20	6.00	शून्य	6.00	100.00
		2020-21	6.00	शून्य	6.00	100.00
42	स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन के लिए स्वर्ण जयंती हरियाणा संस्थान (5475-51-115-98)	2018-19	10.00	शून्य	10.00	100.00
		2019-20	9.28	शून्य	9.28	100.00
		2020-21	5.00	शून्य	5.00	100.00

क्र. सं.	स्कीम	वर्ष	बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
43	झज्जर में एक स्वायत्त राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (2202-02-105-93)	2018-19	25.00	11.33	13.67	54.68
		2019-20	13.00	शून्य	13.00	100.00
		2020-21	5.00	शून्य	5.00	100.00
44	नाबार्ड के अंतर्गत वरिष्ठ माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों के भवन का निर्माण (4202-01-202-97)	2018-19	100.00	शून्य	100.00	100.00
		2019-20	100.00	शून्य	100.00	100.00
		2020-21	100.00	शून्य	100.00	100.00
45	नलहार में डेंटल कॉलेज का निर्माण कार्य-भवन का निर्माण (4210-03-105-90-99)	2018-19	5.00	शून्य	5.00	100.00
		2019-20	5.00	शून्य	5.00	100.00
		2020-21	30.00	0.17	29.83	99.43
46	स्वच्छ भारत मिशन (2217-80-192-88)	2018-19	128.00	5.65	122.35	95.59
		2019-20	60.00	शून्य	60.00	100.00
		2020-21	248.12	57.77	190.35	76.72
47	किसी भी आपदा के कारण छोटे दुकानदारों की व्यावसायिक संपत्ति के नुकसान के मुआवजे की योजना (2217-80-192-90)	2018-19	5.00	0.08	4.92	98.40
		2019-20	5.00	शून्य	5.00	100.00
		2020-21	5.00	शून्य	5.00	100.00
48	अग्निशमन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण (2217-80-192-98)	2018-19	35.00	8.78	26.22	74.91
		2019-20	25.00	शून्य	25.00	100.00
		2020-21	60.00	शून्य	60.00	100.00
49	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पूर्वी मीट्रिक छात्रवृत्ति योजना (2225-01-277-68)	2018-19	35.00	शून्य	35.00	100.00
		2019-20	20.00	शून्य	20.00	100.00
		2020-21	5.00	शून्य	5.00	100.00
50	आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण (नाबार्ड अंशदान) (4235-02-102-99-99)	2018-19	20.00	4.97	15.03	75.15
		2019-20	15.00	शून्य	15.00	100.00
		2020-21	20.00	शून्य	20.00	100.00
51	नहर का निर्माण (एस.वाई.एल.) (4700-07-800-98)	2018-19	100.00	शून्य	100.00	100.00
		2019-20	100.00	शून्य	100.00	100.00
		2020-21	100.00	शून्य	100.00	100.00
52	बी.एम.एल. की बहाली क्षमता (4700-15-800-98)	2018-19	7.00	शून्य	7.00	100.00
		2019-20	7.00	शून्य	7.00	100.00
		2020-21	7.00	3.72	3.28	46.86
53	हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना (2403-51-102-81)	2018-19	50.00	25.00	25.00	50.00
		2019-20	40.00	शून्य	40.00	100.00
		2020-21	30.00	शून्य	30.00	100.00
54	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (2505-02-789-99)	2018-19	55.00	शून्य	55.00	100.00
		2019-20	53.50	शून्य	53.50	100.00
		2020-21	15.00	शून्य	15.00	100.00
55	पंचकूला में सूचना भवन निर्माण हेतु भूखंड का भुगतान (4220-60-101-97)	2018-19	10.00	0.42	9.58	95.80
		2019-20	10.00	शून्य	10.00	100.00
		2020-21	10.00	शून्य	10.00	100.00
56	सोनीपत में साइंस सिटी की स्थापना (5425-51-600-99)	2018-19	20.00	शून्य	20.00	100.00
		2019-20	20.00	शून्य	20.00	100.00
		2020-21	10.00	शून्य	10.00	100.00

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.5(iii); पृष्ठ 73)

उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए बजट अनुमान में ₹ 10 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	योजना का नाम	बजट अनुमान	व्यय
1	3-सामान्य प्रशासन	मुख्य सचिव कार्यालय/स्थापना के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (सी.एस.ई.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) (2052-51-090-90-51)	20.46	-
2	6-वित्त	गारंटी मोचन निधि-आरक्षित निधि और जमा खाते में अंतरण (मुख्य शीर्ष-8235) (2075-51-797-99-51)	167.00	-
3	7-आयोजना और सांख्यिकी	आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (ई.एस.ए.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.) (5475-51-115-97-51)	104.00	-
4	8-भवन एवं सड़क	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क (5054-04-337-49-99)	166.66	-
5		पी.डब्ल्यू.डी. (भवन और सड़कें) द्वारा ए.जी.आर.-कृषि और किसान कल्याण विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (बी.ए.आर.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.) (4401-51-113-96-51)	100.00	-
6	9-शिक्षा	अनुसूचित जाति के कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए नकद पुरस्कार योजना (2202-02-789-97-51)	30.00	-
7		चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद की स्थापना (2202-03-102-87-51)	25.00	-
8		डॉ. बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, की हरियाणा सोनीपत में स्थापना (2202-03-102-89-51)	45.00	-
9		महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक को सहायता (2202-03-102-96-51)	53.00	-
10		नाबार्ड के अंतर्गत वरिष्ठ माध्यमिक एवं उच्चतर विद्यालयों के भवन का निर्माण (4202-01-202-97-51)	100.00	-
11		उच्च शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (ई.डी.एच.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) (2202-03-001-96-51)	122.87	-
12		ई.डी.एस.-शिक्षा (माध्यमिक) का निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (ई.डी.एस.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.) (4202-01-202-96-51)	1,195.00	-
13		गुरुग्राम विश्वविद्यालय, गुरुग्राम की स्थापना (2202-03-190-99-51)	24.00	-
14		स्कूल भवनों का निर्माण (4202-01-201-99-51)	20.00	-
15	11-खेल एवं युवा कल्याण	खेल और युवा कल्याण के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (एस.वाई.डब्ल्यू.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.) (4202-03-102-98-51)	20.00	-
16	13-स्वास्थ्य	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (एम.ई.आर.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.) (4210-03-105-86-51)	158.00	-
17		भिवानी में नवीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य (4210-03-105-93-51)	165.00	-
18		बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय रोहतक का निर्माण (4210-03-105-91-99)	30.00	-
19	15-स्थानीय शासन	.शहरी स्थानीय निकाय विभाग (डी.एल.बी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (2217-80-001-91-51)	54.40	-
20		अग्निशमन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण (2217-80-192-98-51)	60.00	-
21		मेरा शहर सर्वोत्तम शहर (2217-05-191-98-51)	500.00	-
22		जगमग शहर (2217-05-191-99-51)	50.00	-
23		मुख्यमंत्री आवास योजना (2217-80-800-73-51)	100.00	-
24	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण (आई.टी.वी.-पी.एल.ओ.-आरईवी) के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) .(2230-03-001-90-51)	50.00	-
25	19-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण	अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (डब्लू.एस.बी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) (2225-01-001-92-51)	30.00	-

क्र. सं.	अनुदान संख्या	योजना का नाम	बजट अनुमान	व्यय
26	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	सामाजिक न्याय और अधिकारिता के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (एस.जे.ई.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) (2235-02-001-93-51)	50.00	-
27	24-सिंचाई	नहर का निर्माण (एसवाईएल) 4700-07-800-98-51	100.00	-
28		सिंचाई और जल संसाधन विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (आई.आर.आर.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.) (4700-80-800-98-51)	60.00	-
29		नाबार्ड के अंतर्गत सिंचाई दक्षता योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई (4701-07-800-97-51)	170.00	-
30		नहरों का निर्माण (मेवात) (4701-22-800-98-51)	200.00	-
31		शाखाएं-सिंचाई प्रयोजनों के लिए शोधित अपशिष्ट जल की आपूर्ति (4701-25-800-99-51)	75.00	-
32	27-कृषि	हैफेड को मूल्य समर्थन प्रणाली के अंतर्गत जी.एस.टी. प्लस बाजार शुल्क की प्रतिपूर्ति (2401-51-108-79-51)	404.13	-
33		हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के सुदृढ़ीकरण की योजना (2401-51-109-76-51)	200.00	-
34		जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय परियोजना के लिए योजना का नाम बदलकर जैविक खेती और शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के रूप में किया गया (2401-51-119-71-51)	100.00	-
35	28-पशुपालन एवं डेयरी विकास	गौ सेवा आयोग की स्थापना हेतु योजना (2403-51-102-69-51)	30.00	-
36		हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना (2403-51-102-81-51)	30.00	-
37	29-मत्स्य पालन	मछली पालने के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (एफ.आई.एस.-पी.एल.ओ.आर.ई.वी.) (2405-51-001-95-51)	38.00	-
38	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	ग्रामीण विकास के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (आर.यू.डी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) (2501-03-001-97-51)	50.00	-
39		अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (2505-02-789-99-51)	15.00	-
40		विकास और पंचायत विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (डी.ई.वी.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.) (4515-51-101-98-51)	227.00	-
41		हरियाणा राज्य ग्रामीण स्वच्छता पुरस्कार योजना (2515-51-102-82-51)	26.00	-
42		हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की योजना सहायता (2515-51-102-90-51)	30.00	-
43		स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एस.एम.ए.जी.वाई.) के लिए योजना (2515-51-102-96-99)	30.00	-
44		हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता योजना (2515-51-789-91-51)	20.00	-
45		अनुसूचित जातियों के लिए स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एस.एम.ए.जी.वाई.) की योजना (2515-51-789-99-51)	20.00	-
46	33-सहकारिता	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (4425-51-108-94-51)	12.00	-
47	36-गृह	विशेष महिला पुलिस स्वयंसेवक (2055-51-109-97-51)	12.72	-
48	40- ऊर्जा एवं विद्युत	5 सितारा पंप सेट की स्थापना के लिए अनुदान (2801-05-190-97-51)	61.82	-
49	40- ऊर्जा एवं विद्युत	भवन और अन्य क्षेत्रों में 11 के.वी. और 33 के.वी. खतरनाक लाइनों की शिफ्टिंग (2801-05-190-99-99)	17.71	-
50	42-न्याय प्रशासन	पी.एच.सी.-उच्च न्यायालय के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (पी.एच.सी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.) (2014-51-102-96-51)	250.00	-
51	45-राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम	एकीकृत सहकारी विकास कार्यक्रम (6425-51-108-99-51)	12.00	-
52		हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास (एच.आर.अई.डी.सी.) को ऋण (7055-51-190-99-51)	100.00	-
		कुल	**5,731.77**	**-**

स्रोत: वर्ष 2020-21 के लिए विस्तृत विनियोजन लेखे

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.3; पृष्ठ 76)

वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता को दर्शाने वाले विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2021 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय का प्रतिशत	राशि	कुल व्यय का प्रतिशत
1.	2-राज्यपाल और मंत्रिपरिषद	2013-मंत्री-परिषद्	113.10	62.29	55.08	42.27	37.37
2.	3-सामान्य प्रशासन	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	10.00	10.00	100.00	8.00	80.00
3.	4-राजस्व	3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	11.69	10.26	87.77	9.94	85.03
4.		4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	88.14	86.10	97.69	9.70	11.01
5.		4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	45.30	45.28	99.96	37.15	82.01
6.	7-आयोजना और सांख्यिकी	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	108.52	108.52	100.00	65.28	60.15
7.	8-भवन एवं सड़कें	3054-सड़कें और पुल	814.71	502.19	61.64	430.24	52.81
8.		2216-आवास	68.07	47.53	69.83	34.35	50.46
9.	9-शिक्षा	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	283.78	283.78	100.00	207.38	73.08
10.	10-तकनीकी शिक्षा	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	14.64	14.64	100.00	2.40	16.39
11.	11-खेल एवं युवा कल्याण	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	89.97	73.79	82.02	39.54	43.95
12.	13-स्वास्थ्य	4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	766.37	551.64	71.98	269.54	35.17
13.	14-शहरी विकास	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	564.29	339.28	60.13	शून्य	शून्य
14.	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	65.12	59.48	91.34	53.75	82.54
15.	19-अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	376.01	191.00	50.80	72.22	19.21
16.	21-महिला एवं बाल विकास	2236-पोषण	238.64	120.41	50.46	39.19	16.42
17.		4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजी परिव्यय	57.17	40.23	70.39	23.13	40.46

क्र. स.	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2021 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय का प्रतिशत	राशि	कुल व्यय का प्रतिशत
18.	24-सिंचाई	2701-मध्यम सिंचाई	218.14	196.12	89.91	186.97	85.71
19.		4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	412.52	226.81	54.98	196.57	47.65
20.		4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	690.03	420.72	60.97	343.56	59.79
21.		4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	258.09	143.42	55.97	125.78	48.93
22.	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3,986.62	2,209.50	55.42	1,619.62	40.63
23.		4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	97.06	63.82	65.75	28.55	29.41
24.	33-सहकारिता	4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	59.42	55.42	93.27	55.42	93.27
25.	34-परिवहन	5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	93.77	93.67	99.89	53.10	56.63
26.	35-पर्यटन	3452-पर्यटन	50.94	45.61	89.54	41.89	82.23
27.	36-गृह	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	160.37	101.93	63.56	41.48	25.87
28.	37-चुनाव	2015-चुनाव	59.15	32.35	54.69	16.24	27.46
29.	40- ऊर्जा एवं विद्युत	2801-विद्युत	5,565.33	2,968.54	53.34	1,679.78	30.18
30.		2810-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	223.00	172.49	77.35	101.90	45.70
31.	42-न्याय प्रशासन	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	21.18	21.18	100	8.52	40.23
		कुल	**15,611.14**	**9,298.00**	**59.56**	**5,843.46**	**37.43**

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.4.1(ii); पृष्ठ 78)

उन योजनाओं का विवरण जिनमें बचत की गई

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार (लेखा शीर्ष)	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	पी-01-21-2235-02-001-92-51-आर-वी-महिला एवं बाल विकास के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (डब्ल्यू.सी.डी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.)	500.00	शून्य	500.00	100.00
2	पी-01-21-2235-02-001-97-98-आर-वी-मुख्यालय के लिए स्टाफ (डब्ल्यू.सी.डी.) -स्थापना व्यय	725.00	561.69	163.31	22.53
3	पी-02-21-2235-02-102-69-51-एन-वी-राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना	1,800.00	131.12	1,668.88	92.72
4	पी-02-21-2235-02-102-70-51-एन-वी-बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना	25.00	शून्य	25.00	100.00
5	पी-02-21-2235-02-102-73-51-एन-वी-एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	4,,000.00	3,021.97	978.03	24.45
6	पी-02-21-2235-02-102-74-51-एन-वी-किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (आर.जी.एस.ई.ए.जी.)-सबला	17.60	1.89	15.71	89.26
7	पी-01-21-2235-02-102-76-51-एन-वी-आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका के लिए बीमा की भविष्य सुरक्षा योजना	500.00	315.09	184.91	36.98
8	पी-01-21-2235-02-102-78-51-एन-वी-अपनी बेटीयां अपना धन का नाम बदलकर आपकी बेटी हमारी बेटी (लाड़ली)	8,500.00	7,460.86	1,039.14	12.23
9	पी-01-21-2235-02-102-79-51-एन-वी-स्वर्ण जयंती पुरस्कार योजना	178.00	151.44	26.56	14.92
10	पी-01-21-2235-02-102-80-51-एन-वी-शिशुओं और छोटे बच्चों के आहार में सुधार	16.00	4.98	11.02	68.88
11	पी-02-21-2235-02-102-88-51-एन-वी-आंगनबाडी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना (उदिशा परियोजना)	120.00	30.85	89.15	74.29
12	पी-01-21-2235-02-102-92-51-एन-वी-एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएं (डब्ल्यू.सी.डी.)	72,844.95	63,655.16	9,189.79	12.62
13	पी-01-21-2235-02-102-98-96-आर-वी-निराश्रित बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता अनुदान-एस.ओ.एस चिल्ड्रन विलेज	35.00	15.75	19.25	55.00
14	पी-01-21-2235-02-102-98-98-आर-वी-निराश्रितों के बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन को सहायता अनुदान-निराश्रित बच्चों की देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता हेतु कल्याण	27.00	11.28	15.72	58.22
15	पी-02-2235-02-103-65-51-एन-वी-ऑनर किलिंग का मुकाबला करने के लिए संरक्षण गृह (सुरक्षा गृह)	0.01	शून्य	0.01	100.00
16	पी-03-21-2235-02-103-66-51-एन-वी-महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण	1.00	शून्य	1.00	100.00
17	पी-02-21-2235-02-103-67-51-एन-वी-स्वाधार गृह योजना	1.00	शून्य	1.00	100.00
18	पी-01-21-2235-02-103-73-51-एन-वी-एसिड पीड़ितों की राहत एवं पुनर्वास योजना	30.00	15.13	14.87	49.57
19	पी-02-21-2235-02-103-74-51-एन-वी-महिला शक्ति केंद्र	560.00	61.76	498.24	88.97
20	पी-01-21-2235-02-103-76-51-एन-वी-घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा (कक्षों की स्थापना)	150.00	101.28	48.72	32.48

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार (लेखा शीर्ष)	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
21	पी-01-21-2235-02-103-79-51-एन-वी-लैंगिक चेतना	4,017.00	1,297.42	2,719.58	67.70
22	पी-01-21-2235-02-103-91-51-आर-वी-कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण	1.00	शून्य	1.00	100.00
23	पी-01-21-2235-02-103-97-51-आर-वी-लोक निर्माण विभाग (बी. एवं आर.) द्वारा गृहों का रखरखाव	1.00	शून्य	1.00	100.00
24	पी-02-21-2235-02-199-99-51-एन-वी-उज्ज्वला योजना	20.00	शून्य	20.00	100.00
25	पी-02-21-2235-02-789-90-51-एन-वी-अनुसूचित जाति आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका को वित्तीय सहायता	9,500.00	3,844.59	5,655.41	59.53
26	पी-01-21-2235-02-789-92-51-एन-वी-अनुसूचित जाति के परिवारों को शिशुओं तथा छोटे बच्चों की खुराक में सुधार हेतु वित्तीय सहायता	4.00	शून्य	4.00	100.00
27	पी-01-21-2235-02-789-94-51-एन-वी-हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति परिवारों को वित्तीय सहायता	125.00	100.00	25.00	20.00
28	पी-01-21-2235-02-789-96-51-एन-वी-लैंगिक चेतना याजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को वित्तीय सहायताण	3.50	0.87	2.63	75.14
29	पी-01-21-2235-02-789-98-51-एन-वी-आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के लिए भविष्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को वित्तीय सहायता	250.00	201.27	48.73	19.49
30	पी-01-21-2235-02-800-81-95-आर-वी- जेजे अधिनियम का कार्यान्वयन, जे.जे. अधिनियम के अंतर्गत किशोर/निरीक्षण गृहों की स्थापना के लिए स्वयंसेवी संगठन को सहायता अनुदान	20.00	14.80	5.20	26.00
31	पी-01-21-2235-02-800-81-98-आर-वी-जे.जे.अधिनियम का कार्यान्वयन रिमान्ड/ निरीक्षण गृह	334.20	285.12	49.08	14.69
32	पी-01-21-2235-02-800-82-98-एन-वी-हरियाणा राज्य महिला आयोग -महिला जागरूकता और प्रबंधन अकादमी को वित्तीय सहायता (डग्ल्यू.ए.एम.ए.)	40.00	16.00	24.00	60.00
33	पी-01-21-2235-02-800-86-51-आर-वी-हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को सहायता अनुदान	90.00	72.00	18.00	20.00
34	पी-01-21-2235-02-800-87-51-आर-वी-हरियाणा महिला विकास निगम	770.00	659.00	111.00	14.42
35	पी-02-21-2236-02-101-88-51-एन-वी-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.)	5,000.00	2,251.42	2,748.58	54.97
36	पी-02-21-2236-02-101-89-51-एन-वी-किशोरियों के लिए योजना	89.90	12.38	77.52	86.23
37	पी-02-21-2236-02-101-95-51-एन-वी-पूरक पोषण कार्यक्रम	20,000.00	16,799.38	3,200.62	16.00
38	पी-01-21-2236-02-101-97-51-आर-वी-पंजिरी प्लांट घरौंडा	184.85	161.08	23.77	12.86
39	पी-01-21-2236-02-101-99-51-आर-वी-मुख्यालय के लिए स्टॉफ	26.20	13.50	12.70	48.47
40	पी-02-21-2236-02-789-96-51-एन-वी-अनुसूचित जाति की महिलाओं को वित्तीय सहायता (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना)	1,500.00	1,204.44	295.56	19.70
41	पी-02-21-2236-02-789-97-51-एन-वी- किशोरियों के लिए राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना (सबला) के अंतर्गत अनुसूचित जाति की किशोरियों को वित्तीय सहायता	9.70	शून्य	9.70	100.00
42	पी-02-21-2236-02-789-98-51-एन-वी-अनुसूचित जातियों के लिए अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम	5,960.00	1,373.77	4,586.23	76.95

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार (लेखा शीर्ष)	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
43	पी-02-21-2236-80-102-99-51-एन-वी-पोषण अभियान के लिए योजना	5,198.96	2,047.72	3,151.24	60.61
	कुल राजस्व	**1,43,175.87**	**1,05,895.01**	**37,280.86**	**26.04**
1	पी-01-21-4235-02-101-90-51-आर-वी-महिला और बाल विकास (डब्ल्यू.सी.डी.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.) के निष्पादन से जुड़े हुए परिव्यय (पी.एल.ओ.)	500.00	शून्य	500.00	100.00
2	पी-01-21-4235-02-102-97-99-एन-वी-जे.जे. अधिनियम का कार्यान्वयन -रिमांड/निरीक्षण गृह	5,000.00	4,255.14	744.86	14.90
3	पी-01-21-4235-02-102-99-98-एन-वी-आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण-राज्य का योगदान	6,000.00	670.17	5,329.83	88.83
4	पी-01-21-4235-02-102-99-99-एन-वी-आंगनबाडी केंद्रों का निर्माण-नाबार्ड का योगदान	2,000.00	403.47	1,596.53	79.83
5	पी-02-21-4235-02-102-99-51-एन-वी-आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण	2,000.00	205.67	1,794.33	89.72
6	पी-02-21-4235-02-103-95-51-एन-वी-ऑनर किलिंग का मुकाबला करने के लिए संरक्षण गृह (सुरक्षा गृह) का निर्माण	0.01	शून्य	0.01	100.00
7	पी-03-21-4235-02-103-96-51-एन-वी-महिला योजना के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर की स्थापना हेतु भवन निर्माण योजना	1.00	शून्य	1.00	100.00
8	पी-01-21-4235-02-103-99-51-एन-वी-युवा लड़कियों/महिलाओं और परित्यक्त महिलाओं और विधवाओं के लिए गृह-सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र	200.00	62.77	137.23	68.62
9	पी-01-21-4235-02-789-99-51-एन-वी-आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण	1,500.00	50.26	1,449.74	96.65
	कुल पूंजी	**17,201.01**	**5,647.48**	**11,553.53**	**67.17**

परिशिष्ट 3.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.4.1(iii); पृष्ठ 78)

पिछले तीन वर्षों से लगातार बचत के संबंध में शीर्ष-वार विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार (लेखा शीर्ष)	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	पी-01-21-2235-02-001-92-51-आर-वी-महिला एवं बाल विकास के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (डब्ल्यू.सी.डी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.)	2018-19	0.01	शून्य	0.01	100.00
		2019-20	0.01	शून्य	0.01	100.00
		2020-21	500.00	शून्य	500.00	100.00
2	पी-02-21-2235-02-102-69-51-एन-वी-राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना	2018-19	145.00	73.72	71.28	49.16
		2019-20	214.00	170.42	43.58	20.36
		2020-21	1,800.00	131.12	1,668.88	92.72
3	पी-02-21-2235-02-102-70-51-एन-वी-बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना	2018-19	25.00	शून्य	25.00	100.00
		2019-20	25.00	शून्य	25.00	100.00
		2020-21	25.00	शून्य	25.00	100.00
4	पी-02-21-2235-02-102-74-51-एन-वी-किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (आर.जी.एस.ई.ए.जी.)-सबला	2018-19	170.00	25.95	144.05	84.74
		2019-20	73.70	15.51	58.19	78.96
		2020-21	17.60	1.89	15.71	89.26
5	पी-01-21-2235-02-102-76-51-एन-वी-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के लिए भविष्य सुरक्षा बीमा योजना	2018-19	530.00	429.44	100.56	18.97
		2019-20	530.00	323.91	206.09	38.88
		2020-21	500.00	315.09	184.91	36.98
6	पी-01-21-2235-02-102-80-51-एन-वी-शिशुओं और छोटे बच्चों के आहार में सुधार	2018-19	16.00	14.06	1.94	12.13
		2019-20	16.00	13.40	2.60	16.25
		2020-21	16.00	4.98	11.02	68.88
7	पी-02-21-2235-02-102-88-51-एन-वी-आंगनबाडी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना (उड़ीशा परियोजना)	2018-19	500.00	100.00	400.00	80.00
		2019-20	500.00	शून्य	500.00	100.00
		2020-21	120.00	30.85	89.15	74.29
8	पी-01-21-2235-02-102-92-51-एन-वी-एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएं (डब्ल्यू.सी.डी.)	2018-19	66,900.00	52,781.09	14,118.91	21.10
		2019-20	68,250.00	56,672.86	11,577.14	16.96
		2020-21	72,844.95	63,655.16	9,189.79	12.62
9	पी-01-21-2235-02-102-98-98-आर-वी-निराश्रित बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता निराश्रितों के स्वैच्छिक संगठन को अनुदान-निराश्रित बच्चों की देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता हेतु कल्याण	2018-19	27.00	21.66	5.34	19.78
		2019-20	27.00	9.60	17.40	64.44
		2020-21	27.00	11.28	15.72	58.22
10	पी-02-21-2235-02-103-67-51-एन-वी-स्वाधार गृह योजना	2018-19	30.00	1.55	28.45	94.83
		2019-20	30.00	शून्य	30.00	100.00
		2020-21	1.00	शून्य	1.00	100.00
11	पी-01-21-2235-02-103-73-51-एन-वी-एसिड पीड़ितों की राहत एवं पुनर्वास योजना	2018-19	30.00	5.20	24.80	82.67
		2019-20	30.00	6.55	23.45	78.17
		2020-21	30.00	15.13	14.87	49.57
12	पी-02-21-2235-02-103-74-51-एन-वी-महिला शक्ति केंद्र	2018-19	38.00	शून्य	38.00	100.00
		2019-20	560.00	25.46	534.54	95.45
		2020-21	560.00	61.76	498.24	88.97
13	पी-01-21-2235-02-103-76-51-एन-वी-घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा (कक्षों की स्थापना)	2018-19	150.00	120.91	29.09	19.39
		2019-20	150.00	106.63	43.37	28.91
		2020-21	150.00	101.28	48.72	32.48

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार (लेखा शीर्ष)	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
14	पी-01-21-2235-02-103-79-51-एन-वी-लैंगिक चेतना	2018-19	17.00	8.04	8.96	52.71
		2019-20	17.00	9.79	7.21	42.41
		2020-21	4,017.00	1,297.42	2,719.58	67.70
15	पी-01-21-2235-02-103-91-51-आर-वी-कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण	2018-19	5.00	शून्य	5.00	100.00
		2019-20	5.00	शून्य	5.00	100.00
		2020-21	1.00	शून्य	1.00	100.00
16	पी-01-21-2235-02-103-97-51-आर-वी-लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) द्वारा घर का रख-रखाव	2018-19	4.00	1.00	3.00	75.00
		2019-20	4.00	शून्य	4.00	100.00
		2020-21	1.00	शून्य	1.00	100.00
17	पी-02-21-2235-02-199-99-51-एन-वी-उज्ज्वला योजना	2018-19	20.00	शून्य	20.00	100.00
		2019-20	20.00	शून्य	20.00	100.00
		2020-21	20.00	शून्य	20.00	100.00
18	पी-01-21-2235-02-789-92-51-एन-वी- अनुसूचित जाति के परिवारों को शिशुओं तथा छोटे बच्चों की खुराक में सुधार हेतु वित्तीय सहायता	2018-19	4.00	2.28	1.72	43.00
		2019-20	4.00	3.10	0.90	22.50
		2020-21	4.00	शून्य	4.00	100.00
19	पी-01-21-2235-02-789-96-51-एन-वी- लैंगिक चेतना योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को वित्तीय सहायताण	2018-19	3.50	शून्य	3.50	100.00
		2019-20	3.50	शून्य	3.50	100.00
		2020-21	3.50	0.87	2.63	75.14
20	पी-01-21-2235-02-800-81-95-आर-वी- जेजे अधिनियम का कार्यान्वयन जे.जे. अधिनियम के अंतर्गत किशोर/निरीक्षण गृहों की स्थापना के लिए स्वयंसेवी संगठन को सहायता अनुदान-	2018-19	22.00	18.90	3.10	14.09
		2019-20	22.00	शून्य	22.00	100.00
		2020-21	20.00	14.80	5.20	26.00
21	पी-01-21-2235-02-800-81-98-आर-वी-जे.जे. अधिनियम का कार्यान्वयन -रिमांड/निरीक्षण गृह	2018-19	307.70	249.45	58.25	18.93
		2019-20	332.70	212.16	120.54	36.23
		2020-21	334.20	285.12	49.08	14.69
22	पी-01-21-2235-02-800-82-98-एन-वी-हरियाणा राज्य महिला आयोग-महिला जागरूकता और प्रबंधन अकादमी को वित्तीय सहायता (डब्ल्यू.ए.एम.ए.)	2018-19	40.00	20.00	20.00	50.00
		2019-20	40.00	16.00	24.00	60.00
		2020-21	40.00	16.00	24.00	60.00
23	पी-01-21-2235-02-800-86-51-आर-वी-हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को सहायता अनुदान	2018-19	20.00	14.00	6.00	30.00
		2019-20	20.00	8.00	12.00	60.00
		2020-21	90.00	72.00	18.00	20.00
24	पी-01-21-2235-02-800-87-51-आर-वी-हरियाणा महिला विकास निगम	2018-19	650.00	455.00	195.00	30.00
		2019-20	650.00	382.00	268.00	41.23
		2020-21	770.00	659.00	111.00	14.42
25	पी-02-21-2236-02-101-88-51-एन-वी-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.)	2018-19	7,845.00	1,410.39	6,443.61	82.14
		2019-20	5,000.00	2,752.39	2,247.61	44.95
		2020-21	5,000.00	2,251.42	2,748.58	54.97
26	पी-02-21-2236-02-101-89-51-एन-वी-किशोरियों के लिए योजना	2018-19	1,825.50	48.52	1,776.98	97.34
		2019-20	121.50	25.75	95.75	78.81
		2020-21	89.90	12.38	77.52	86.23
27	पी-02-21-2236-02-101-95-51-एन-वी-पूरक पोषण कार्यक्रम	2018-19	23,844.00	6,831.54	1,7012.46	71.35
		2019-20	15,000.00	7,422.82	7,577.18	50.51
		2020-21	20,000.00	16,799.38	3,200.62	16.00
28	पी-01-21-2236-02-101-97-51-आर-वी-पजिरी प्लांट घरौंडा	2018-19	95.85	73.68	22.17	23.13
		2019-20	96.85	60.11	36.74	37.93
		2020-21	184.85	161.08	23.77	12.86

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार (लेखा शीर्ष)	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
29	पी-02-21-2236-02-789-96-51-एन-वी-अनुसूचित जाति की महिलाओं को वित्तीय सहायता (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना)	2018-19	1,800.00	228.97	1,571.03	87.28
		2019-20	1,500.00	636.90	863.10	57.54
		2020-21	1,500.00	1,204.44	295.56	19.70
30	पी-02-21-2236-02-789-97-51-एन-वी- किशोरियों के लिए राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना (सबला) के अंतर्गत अनुसूचित जाति की किशोरियों को वित्तीय सहायता	2018-19	1,000.00	3.95	996.05	99.61
		2019-20	30.00	0.02	29.98	99.93
		2020-21	9.70	शून्य	9.70	100.00
31	पी-02-21-2236-02-789-98-51-एन-वी-अनुसूचित जातियों के लिए अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम	2018-19	5,961.00	1,732.60	4,228.40	70.93
		2019-20	5,960.00	1,151.75	4,808.25	80.68
		2020-21	5,960.00	1,373.77	4,586.23	76.95
32	पी-01-21-4235-02-101-90-51-आर-वी-महिला और बाल विकास (डब्ल्यू.सी.डी.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.) के निष्पादन से जुड़े परिव्यय (पी.एल.ओ.)	2018-19	0.01	शून्य	0.01	100.00
		2019-20	0.01	शून्य	0.01	100.00
		2020-21	500.00	शून्य	500.00	100.00
33	पी-01-21-4235-02-102-97-99-एन-वी-जे.जे. अधिनियम का कार्यान्वयन-रिमांड/ निरीक्षण गृह	2018-19	1,350.00	747.31	602.69	44.64
		2019-20	1,350.00	999.68	350.32	25.95
		2020-21	5,000.00	4,255.14	744.86	14.90
34	पी-01-21-4235-02-102-99-98-एन-वी-आंगनबाडी केंद्रों का निर्माण-राज्य का योगदान	2018-19	8,116.15	4,391.81	3,724.34	45.89
		2019-20	8,100.00	642.14	7,457.86	92.07
		2020-21	6,000.00	670.17	5,329.83	88.83
35	पी-01-21-4235-02-102-99-99-एन-वी-आंगनबाडी केंद्रों का निर्माण-नाबार्ड का योगदान	2018-19	2,000.00	497.38	1,502.62	75.13
		2019-20	1,500.00	शून्य	1,500.00	100.00
		2020-21	2,000.00	403.47	1,596.53	79.83
36	पी-02-21-4235-02-102-99-51-एन-वी-आंगनबाडी केंद्रों का निर्माण-	2018-19	2,850.00	1,674.96	1,175.04	41.23
		2019-20	2,000.00	शून्य	2,000.00	100.00
		2020-21	2,000.00	205.67	1,794.33	89.72
37	पी-03-21-4235-02-103-96-51-एन-वी- महिला योजना के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर की स्थापना हेतु भवन निर्माण	2018-19	60.00	शून्य	60.00	100.00
		2019-20	60.00	शून्य	60.00	100.00
		2020-21	1.00	शून्य	1.00	100.00
38	पी-01-21-4235-02-789-99-51-एन-वी-आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण	2018-19	1,600.00	963.90	636.10	39.76
		2019-20	1,568.00	150.64	1,417.36	90.39
		2020-21	1,500.00	50.26	1,449.74	96.65

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.4.2 (ii); पृष्ठ 82)

उन योजनाओं का विवरण जिनमें 2020-21 के दौरान बचत की गई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार (लेखा शीर्ष)	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
	2401-फसल पालन				
1	मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना के लिए योजना पी-02-27-2401-51-105-84-51	1.74	1.07	0.67	39
2	कृषि आदानों पर गुणवत्ता नियंत्रण के लिए योजना पी-01-27-2401-51-105-96-51	27.75	11.23	16.52	60
3	हरियाणा राज्य में कपास की खेती को बढ़ावा देने की योजना पी-01-27-2401-51-108-80-51	5.00	1.25	3.75	75
4	हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना (नई योजना) पी-01-27-2401-51-109-76-51	200.00	शून्य	200.00	100
5	हरियाणा किसान आयोग के गठन की योजना पी-01-27-2401-51-109-79-51	3.00	1.59	1.41	47
6	सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए योजना - सामरिक पहल और किसान कल्याण कोष पी-01-27-2401-51-109-81-51	13.40	5.91	7.49	56
7	फसल अवशेष प्रबंधन योजना पी-01-27-2401-51-113-82-51	453.50	7.49	446.01	98
8	कृषि इंजीनियरिंग सेवा योजना पी-01-27-2401-51-113-96-51	8.00	4.52	3.48	44
	2402-मृदा और जल संरक्षण				
9	राज्य-लवणीय मिट्टी और जल भराव के सुधार के लिए पायलट परियोजना की योजना पी-02-27-2402-51-102-86-99- सामान्य योजना	4.50	2.40	2.10	47
	केंद्र प्रायोजित योजनाएं (साझाकरण आधार)				
10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए योजना (आर.के.वी.वाई.) (60:40) पी-02-27-2401-51-109-80-51	340.00	70.97	269.03	79
11	अनुसूचित जाति के किसानों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की योजना (आर.के.वी.वाई.) (60:40) पी-02-27-2401-51-789-97-51	20.00	11.73	8.27	41
12	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) (60:40) पी-02-27-2401-51-109-77-51	21.15	9.48	11.67	55
13	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) (60:40) पी-02-27-2401-51-789-85-51	8.00	0.33	7.67	96
14	कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (एस.एम.ए.एम.) (60:40) पी-02-27-2401-51-109-78-51	200.00	76.36	123.64	62
	2402-मृदा और जल संरक्षण (40:60)				
15	सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन पी-02-27-2402-51-102-77-51	19.50	0.82	18.68	96
16	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पी-02-27-2402-51-101-95-51	14.00	4.20	9.80	70
17	अनुसूचित जाति के किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पी-02-27-2402-51-789-98-51	3.12	0.72	2.40	77
	केंद्र क्षेत्र स्कीम				
18	हरियाणा में प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के अनुमानों की समय पर रिपोर्टिंग के लिए योजना पी-03-27-2401-51-111-97-51	0.80	0.50	0.30	38
19	फसल सांख्यिकी में सुधार के लिए योजना पी-03-27-2401-51-111-96-51	0.95	0.55	0.40	42
20	राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन (एन.एम.ए.ई.टी.) के अंतर्गत बीज और रोपण सामग्री (एस.एम.एस.पी.) पर उप मिशन पी-03-27-2401-51-190-98-51-एन-वी	0.85	शून्य	0.85	100
21	4401-कृषि/बागवानी कार्यालय भवन का निर्माण पी-01-08-4401-51-113-97-51	10.00	1.77	8.23	82

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार (लेखा शीर्ष)	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय				
22	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान-सामान्य योजना पी-01-27-2415-01-277-99-99-एन-वी	485.00	339.50	145.50	30
23	कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों को प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्रदान करने की योजना पी-01-27-2415-01-789-99-51-एन-वी	6.37	4.50	1.87	29
	बागवानी				
24	कृषि मानव संसाधन विकास योजना 2401-51-119-92-98	3.59	1.76	1.83	51
25	हरियाणा में सह-खाद्य प्रसंस्करण प्रदर्शन/पैकेजिंग प्रौद्योगिकी के लिए योजना 2401-51-119-70-51	100.00	0.79	99.21	99
26	हरियाणा राज्य में भावांतर भरपाई योजना के लिए योजना 2401-51-190-99-51	10.00	शून्य	10.00	100
27	जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय परियोजना के लिए योजना का नाम बदलकर जैविक खेती और शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के रूप में किया गया 2401-51-119-71-51	100.00	शून्य	100.00	100
28	'सिल्क समग्र'-सिल्क उद्योग के विकास हेतु एकीकृत योजना 2401-51-119-50-51	0.55	0.38	0.17	31
29	'सिल्क समग्र' अनुसूचित जाति के लिए सिल्क उद्योग के विकास हेतु एकीकृत योजना 2401-51-789-84-51	0.60	0.23	0.37	62
		2,061.37	**560.05**	**1,501.32**	73

परिशिष्ट 3.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.4.2 (iii); पृष्ठ 82)

पिछले तीन वर्षों से लगातार बचत के संबंध में शीर्ष-वार विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार (लेखा शीर्ष)	वर्ष	बजट प्रावधान/ संशोधित बजट	व्यय	बचत	प्रतिशत
1	हरियाणा किसान आयोग के गठन की योजना (पी-01-27-2401-51-109-79-51)	2018-19	500.00	214.84	285.16	57.03
		2019-20	500.00	170.19	329.81	65.96
		2020-21	300.00	159.21	140.79	46.93
2	सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए योजना-सामरिक पहल और किसान कल्याण कोष (पी-01-27-2401-51-109-81-51)	2018-19	50,286.00	7,383.47	42,902.53	85.32
		2019-20	2,000.00	1,309.00	691.00	34.55
		2020-21	1,340.00	590.80	749.20	55.91
3	प्रदर्शनी और प्रचार (पी-01-27-2401-51-109-99-51-आर-सी)	2018-19	4.00	शून्य	4.00	100.00
		2019-20	2.00	0.40	1.60	80.00
		2020-21	2.00	0.31	1.69	84.50
4	कृषि इंजीनियरिंग सेवा के लिए स्कीम (पी-01-27-2401-51-113-96-51)	2018-19	500.00	329.02	170.98	34.20
		2019-20	6,361.32	369.30	5,975.26	94.18
		2020-21	800.00	451.90	348.10	43.51
5	किसानों के समूह और अनुसूचित जाति के किसानों को सब्सिडी पर उपकरण/ मशीनरी उपलब्ध कराने की स्कीम (पी-01-27-2401-51-789-89-51)	2018-19	50.00	14.25	35.75	71.50
		2019-20	50.00	1.94	48.07	96.14
		2020-21	5.00	3.38	1.62	32.40
6	राज्य-लवणीय मिट्टी और जलभराव के सुधार के लिए पायलट परियोजना की योजना-सामान्य योजना (पी-01-27-2402-51-102-86-99)	2018-19	1,000.00	214.39	785.61	78.56
		2019-20	500.00	347.77	442.88	56.01
		2020-21	450.00	240.33	209.67	46.59
7	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (पी-02-27-2401-51-109-77-51)	2018-19	3,200.00	864.99	2,335.01	72.97
		2019-20	3,550.00	864.97	2,685.03	75.63
		2020-21	2,115.00	948.43	1,166.58	55.16
8	कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (पी-02-27-2401-51-109-78-51)	2018-19	21,571.00	7,272.91	12,396.09	63.02
		2019-20	20,000.00	3,669.04	16,330.96	81.65
		2020-21	20,000.00	7,636.25	12,363.75	61.82
9	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पी-02-27-2401-51-109-80-51)	2018-19	40,000.00	11,309.19	28,690.81	71.73
		2019-20	35,000.00	9,236.64	25,763.46	73.61
		2020-21	34,000.00	7,097.05	26,902.95	79.13
10	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (पी-02-27-2401-51-789-85-51)	2018-19	800.00	115.37	684.63	85.58
		2019-20	880.00	115.00	765.00	86.93
		2020-21	800.00	32.55	767.45	95.93
11	सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (पी-02-27-2402-51-102-77-51)	2018-19	3,000.00	84.28	2915.72	97.19
		2019-20	16,025.00	79.60	15,945.40	99.50
		2020-21	1,950.00	81.67	1,868.33	95.81
12	अनुसूचित जाति के किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (पी-02-27-2402-51-789-98-51)	2018-19	400.00	169.92	230.08	57.52
		2019-20	316.52	186.79	129.73	40.99
		2020-21	312.00	71.81	240.19	76.98
13	अनुसूचित जाति के किसानों के लिए स्थाई कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (पी-02-27-2402-51-789-99-51)	2018-19	5.00	शून्य	5.00	100.00
		2019-20	3,000.00	शून्य	3,000.00	100.00
		2020-21	1.00	शून्य	1.00	100.00
14	बायोगैस संयंत्र की स्थापना (पी-03-27-2401-51-105-94-51)	2018-19	600.00	शून्य	600.00	100.00
		2019-20	150.00	शून्य	150.00	100.00
		2020-21	10.00	शून्य	10.00	100.00

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार (लेखा शीर्ष)	वर्ष	बजट प्रावधान/ संशोधित बजट	व्यय	बचत	प्रतिशत
15	फसल सांख्यिकी में सुधार के लिए योजना (पी-03-27-2401-51-111-96-51)	2018-19	90.00	53.74	36.26	40.29
		2019-20	90.00	54.76	35.24	39.16
		2020-21	95.00	55.14	39.86	41.96
16	अनुसूचित जाति के किसानों के लिए बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की स्कीम (पी-03-27-2401-51-789-86-51)	2018-19	1.00	शून्य	1.00	100.00
		2019-20	10.00	शून्य	10.00	100.00
		2020-21	10.00	शून्य	10.00	100.00
17	कृषि मानव संसाधन विकास स्कीम (पी-01-27-2401-51-119-92-98)	2018-19	336.00	220.42	115.58	34.40
		2019-20	423.00	212.91	210.09	49.67
		2020-21	358.80	176.46	182.34	50.82
18	हरियाणा राज्य में भावांतर भरपाई योजना के लिए योजना (पी-01-27-2401-51-190-99-51)	2018-19	2,500.00	500.00	2,000.00	80.00
		2019-20	2,500.00	500.00	2,000.00	80.00
		2020-21	1,000.00	शून्य	1,000.00	100.00

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भः अनुच्छेद 4.6; पृष्ठ 92)

31 अगस्त 2021 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
1.	पुलिस (2055)	2017-18	3	71.22	2	53.07	2	53.07	शून्य	शून्य
		2018-19	3	128.05	3	128.05	3	128.05	शून्य	शून्य
		2019-20	1	34.33	1	34.33	शून्य	शून्य	1	34.33
2.	सामान्य शिक्षा (2202)	2014-15	739	1,382.54	8	1.02	शून्य	शून्य	8	1.02
		2015-16	1,063	1,542.62	25	4.82	5	0.96	20	3.86
		2016-17	1,332	1,618.88	21	2.74	शून्य	शून्य	21	2.74
		2017-18	1,385	1,656.36	4	31.10	शून्य	शून्य	4	31.10
		2018-19	866	1,560.24	12	223.59	5	33.79	7	189.80
		2019-20	47	545.79	47	545.79	3	0.16	44	545.63
3.	तकनीकी शिक्षा (2203)	2016-17	102	227.06	3	16.50	2	6.50	1	10.00
		2017-18	90	218.18	5	16.65	2	4.00	3	12.65
		2018-19	109	252.21	2	0.87	1	0.86	1	0.01
4.	खेल एवं युवा सेवाएं (2204)	2015-16	130	124.02	14	0.72	शून्य	शून्य	14	0.72
		2016-17	56	90.69	18	6.80	शून्य	शून्य	18	6.80
		2017-18	229	73.14	11	12.39	शून्य	शून्य	11	12.39
		2018-19	544	79.62	10	0.04	शून्य	शून्य	10	0.04
		2019-20	1	0.19	1	0.19	शून्य	शून्य	1	0.19
5.	कला एवं संस्कृति (2205)	2015-16	7	3.51	1	0.30	शून्य	शून्य	1	0.30
		2018-19	3	12.73	3	12.73	1	0.05	2	12.68
		2019-20	1	2.00	1	2.00	शून्य	शून्य	1	2.00
6.	चिकित्सा (2210)	2017-18	82	1,031.67	3	1.45	2	0.53	1	0.92
		2018-19	86	1,229.21	39	619.06	34	610.90	5	8.16
		2019-20	54	796.03	54	796.03	शून्य	शून्य	54	796.03
7.	शहरी विकास (2217)	2012-13	96	1,274.01	22	337.24	3	119.89	19	217.35
		2013-14	73	1,120.80	18	351.65	शून्य	शून्य	18	351.65
		2014-15	87	1,115.43	26	180.20	2	19.79	24	160.41
		2015-16	122	1,478.70	51	391.69	1	87.60	50	304.09
		2016-17	219	2,227.25	130	1,076.99	10	150.94	120	926.05
		2017-18	395	2,781.01	286	1,286.42	36	207.53	250	1,078.89
		2018-19	105	1,841.76	92	1,647.01	16	416.36	76	1,230.65
		2019-20	52	1,750.54	52	1,750.54	शून्य	शून्य	52	1,750.54
8.	सूचना एवं प्रचार (2220)	2017-18	70	16.25	22	10.27	16	8.48	6	1.79
		2018-19	29	15.36	29	15.36	18	10.06	11	5.30
		2019-20	15	7.73	15	7.73	शून्य	शून्य	15	7.73
9.	श्रम एवं रोजगार (2230)	2017-18	4	23.07	1	6.47	1	6.47	शून्य	शून्य
		2019-20	5	62.85	5	62.85	शून्य	शून्य	5	62.85
10.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (2235)	2014-15	33	43.71	2	11.53	शून्य	शून्य	2	11.53
		2015-16	355	50.55	6	3.36	1	0.02	5	3.34
		2017-18	38	34.20	19	14.68	4	0.59	15	14.09
		2018-19	208	87.41	22	17.08	11	11.73	11	5.35
		2019-20	27	12.77	27	12.77	शून्य	शून्य	27	12.77
11.	फसल पालन (2401)	2018-19	14	199.46	14	199.46	9	143.58	5	55.88
		2019-20	2	13.79	2	13.79	शून्य	शून्य	2	13.79

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
12.	मृदा एवं जल संरक्षण (2402)	2016-17	2	59.40	2	0.59	2	0.59	शून्य	शून्य
		2017-18	84	1.20	11	0.20	8	0.14	3	0.06
		2018-19	19	0.85	3	0.11	1	0.09	2	0.02
		2019-20	11	0.49	11	0.49	शून्य	शून्य	11	0.49
13.	पशुपालन (2403)	2017-18	86	74.08	2	0.04	1	0.02	1	0.02
		2018-19	94	113.85	28	1.23	15	0.72	13	0.51
		2019-20	37	124.01	37	124.01	शून्य	शून्य	37	124.01
14.	मत्स्य पालन (2405)	2019-20	6	0.42	6	0.42	शून्य	शून्य	6	0.42
15.	वानिकी एवं वन्यजीवन (2406)	2017-18	3	10.71	3	10.71	शून्य	शून्य	3	10.71
		2019-20	3	3.09	3	3.09	शून्य	शून्य	3	3.09
16.	सहकारिता (2425)	2017-18	5	155.80	5	155.80	5	155.80	शून्य	शून्य
		2018-19	6	84.24	2	48.98	2	48.98	शून्य	शून्य
17.	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम (2501)	2015-16	103	64.19	4	1.10	शून्य	शून्य	4	1.10
		2016-17	87	69.16	20	47.09	शून्य	शून्य	20	47.09
		2017-18	112	135.06	49	103.28	शून्य	शून्य	49	103.28
		2018-19	123	154.60	75	144.14	शून्य	शून्य	75	144.14
		2019-20	60	102.02	60	102.02	शून्य	शून्य	60	102.02
18.	ग्रामीण रोजगार (2505)	2014-15	165	333.36	2	1.16	शून्य	शून्य	2	1.16
		2015-16	48	285.52	9	12.76	शून्य	शून्य	9	12.76
		2016-17	7	218.78	2	119.22	शून्य	शून्य	2	119.22
		2017-18	15	211.07	15	211.07	शून्य	शून्य	15	211.07
		2018-19	9	201.78	8	201.78	शून्य	शून्य	8	201.78
		2019-20	4	61.97	4	61.97	शून्य	शून्य	4	61.97
19.	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2515)	2009-10	68	366.26	1	10.85	शून्य	शून्य	1	10.85
		2010-11	48	267.83	8	40.08	1	7.00	7	33.08
		2011-12	222	722.40	41	137.00	शून्य	शून्य	41	137.00
		2012-13	266	882.65	39	88.02	शून्य	शून्य	39	88.02
		2013-14	249	1,263.49	69	368.67	शून्य	शून्य	69	368.67
		2014-15	3,871	1,191.66	57	179.90	2	10.56	55	169.34
		2015-16	3,845	1,261.94	95	152.75	शून्य	शून्य	95	152.75
		2016-17	4,166	2,262.96	134	289.35	1	16.67	133	272.68
		2017-18	3,652	1,127.58	64	205.68	शून्य	शून्य	64	205.68
		2018-19	4,015	2,228.45	241	1,181.31	4	133.62	237	1,047.69
		2019-20	355	2,757.15	355	2,757.15	शून्य	शून्य	355	2,757.15
20.	कमांड एरिया डेवलपमेंट (2705)	2018-19	19	70.70	13	53.26	10	42.46	3	10.80
		2019-20	16	104.25	16	104.25	शून्य	शून्य	16	104.25
21.	ग्राम एवं लघु उद्योग (2851)	2018-19	18	17.30	2	2.03	2	2.03	शून्य	शून्य
		2019-20	1	0.13	1	0.13	शून्य	शून्य	1	0.13
22.	उद्योग (2852)	2015-16	28	31.02	1	3.69	1	3.69	शून्य	शून्य
		2016-17	36	61.70	8	10.46	3	9.21	5	1.25
		2017-18	23	126.50	5	61.89	शून्य	शून्य	5	61.89
		2018-19	25	78.49	11	49.82	शून्य	शून्य	11	49.82
		2019-20	7	16.30	7	16.30	शून्य	शून्य	7	16.30
23.	नागर विमानन (3053)	2018-19	2	0.80	2	0.80	2	0.80	शून्य	शून्य
		2019-20	1	0.17	1	0.17	शून्य	शून्य	1	0.17

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
24.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (3425)	2015-16	52	21.94	2	3.32	2	3.32	शून्य	शून्य
		2017-18	31	14.13	3	2.96	3	2.96	शून्य	शून्य
		2018-19	39	19.03	8	7.29	7	7.14	1	0.15
		2019-20	6	4.07	6	4.07	6	4.07	शून्य	शून्य
25.	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण (3435)	2014-15	12	2.17	1	0.10	शून्य	शून्य	1	0.10
		2016-17	4	1.62	1	0.30	शून्य	शून्य	1	0.30
		2018-19	3	1.37	2	0.35	शून्य	शून्य	2	0.35
		2019-20	2	1.61	2	1.61	शून्य	शून्य	2	1.61
26.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं (2070)	2018-19	5	23.72	3	6.40	शून्य	शून्य	3	6.40
		2019-20	5	22.75	5	22.75	शून्य	शून्य	5	22.75
27.	विविध सामान्य सेवाएं (2075)	2018-19	1	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य
28.	अन्य सामाजिक सेवाएं (2250)	2018-19	1	0.19	1	0.19	शून्य	शून्य	1	0.19
		2019-20	1	0.13	1	0.13	शून्य	शून्य	1	0.13
29.	पर्यटन (3452)	2018-19	11	0.49	6	0.34	6	0.34	शून्य	शून्य
		2019-20	10	0.84	10	0.84	शून्य	शून्य	10	0.84
30	नागरिक आपूर्ति (3456)	2015-16	28	8.22	17	0.05	17	0.05	शून्य	शून्य
		2017-18	14	0.04	1	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य
31	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (3475)	2019-20	1	0.10	1	0.10	शून्य	शून्य	1	0.10
कुल			**31,267**	**44,210.77**	**2,734**	**17,023.07**	**292**	**2,472.29**	**2,442**	**14,550.78**

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा द्वारा प्रदान की गई सूचना

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.14; पृष्ठ 98)

स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतीकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2021 तक)
1.	हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचकुला	2012-13 से 2021-22	2018-19	2017-18	2015-16	2019-20 एव 2020-21	14 माह एवं 2 माह (07-09-2021)
2.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़	2018-19 से 2022-23	2018-19 (18-12-2019)	2018-19 (10-08-2020)	2017-18	2019-20	एक वर्ष
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.), पंचकुला	नि.म.ले.प. के अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा का प्रावधान राज्य विधानमंडल के अधिनियम में दिया गया है	2019-20	2017-18	2015-16	2020-21	दो माह
4.	हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, पंचकुला	2019-20 से 2023-24	2019-20	2018-19	2016-17	2020-21	दो माह
5.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला	2020-21 से 2024-25	2019-20	2019-20 (08-07-2021)	2018-19 (05-03-2021)	2020-21	--
6.	हरियाणा वक्फ बोर्ड, अंबाला छावनी	2018-19 से 2022-23	2017-18	2017-18	प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं	2018-19 से 2020-21	दो वर्ष
7.	गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (गु.म.वि.प्रा.)	2017-18 से 2020-21	2019-20	--	--	2020-21	दो माह (07-09-2021)
8.	हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पंचकुला	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं क्योंकि लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. के अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2015-16	2015-16	2013-14	2016-17 से 2020-21	चार वर्ष
9.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा.), भिवानी	-सम-	2019-20	2018-19	1996-97	2020-21	--
10.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., फरीदाबाद	-सम-	2018-19	2017-18	1996-97	2019-20 से 2020-21	एक वर्ष
11.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., फतेहाबाद	-सम-	2020-21	2017-18	1996-97		--
12.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., गुरूग्राम	-सम-	2016-17	2016-17	1999-2000	2017-18 एवं 2020-21	तीन वर्ष
13.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., झज्जर	-सम-	2018-19	2014-15	2011-12	2019-20 से 2020-21	एक वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2021 तक)
14.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., कैथल	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं क्योंकि लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. के अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2019-20	2017-18	1996-97	2020-21	--
15.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पंचकुला	-सम-	2018-19	2017-18	1999-2000	2019-20 से 2020-21	एक वर्ष
16.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पानीपत	-सम-	2018-19	2016-17	1996-97	2019-20 से 2020-21	एक वर्ष
17.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., रेवाड़ी	-सम-	2020-21	2017-18	1996-97	--	--
18.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., रोहतक	-सम-	2018-19	2018-19	1996-97	2019-20 से 2020-21	एक वर्ष
19.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., सोनीपत	-सम-	2020-21	2017-18	1996-97	--	--
20.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., यमुनानगर	-सम-	2015-16	2015-16	1996-97	2016-17 एवं 2020-21	चार वर्ष
21.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., हिसार	-सम-	2017-18	2015-16	1996-97	2018-19 से 2020-21	दो वर्ष
22.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., नारनौल	-सम-	2018-19	2017-18	1996-97	2019-20 से 2020-21	एक वर्ष
23.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., सिरसा	-सम-	2018-19	2017-18	2012-13	2019-20 से 2020-21	एक वर्ष
24.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., अंबाला	-सम-	2019-20	2018-19	2013-14	2020-21	-
25.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., जींद	-सम-	2016-17	2016-17	1996-97	2017-18 से 2020-21	तीन वर्ष
26.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., करनाल	-सम-	2019-20	2017-18	2009-10	2020-21	--
27.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., कुरूक्षेत्र	-सम-	2019-20	2017-18	1996-97	2020-21	--
28.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., मेवात (नूंह)	-सम-	2017-18	2014-15	2009-10	2018-19 से 2020-21	दो वर्ष
29.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पलवल	-सम-	2019-20	2018-19	2012-13	2020-21	--
30.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., चरखी दादरी	-सम-	2019-20	2018-19	--	2020-21	--
31.	हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़	-सम-	2018-19 (15-06-2020)	2018-19 (11-08-2021)	2009-10 (आगे से) अभी तक रखा जाना है	2019-20 से 2020-21	एक वर्ष
32.	हरियाणा विद्युत नियामक आयोग	2019-20	2019-20	2019-20	2018-19	2020-21	2 माह (07-09-2021)

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2021 तक)
33.	हरियाणा मानवाधिकार आयोग, चंडीगढ़	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षा की गई	2018-19	2012-13	2012-13	2019-20 से 2020-21	एक वर्ष
34.	हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	-सम-	अभी तक लेखे प्राप्त नहीं हुए	--	--	2013-14 से 2020-21	सात वर्ष
35.	हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (ह.रि.ए.नि.प्रा.) पंचकुला	2017-18 से 2019-20	2019-20	--	--	2020-21	2 माह (07-09-2021)
36.	हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (ह.रि.ए.नि.प्र.) गुरूग्राम	2017-18 एवं 2018-19	2018-19	--	--	2019-20 से 2020-21	14 माह एवं 2 माह (07-09-2021)
37.	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण सी.ए.एम.पी.ए., हरियाणा	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षा की गई	अभी तक लेखे प्राप्त नहीं हुए	--	--	2018-19 से 2019-20	दो वर्ष

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.15; पृष्ठ 99)

निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम सहायता प्राप्त निजी कॉलेज	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
1.	जी.एम.एन. कॉलेज, अंबाला कैंट	2018-19	8.11
		2019-20	10.80
2.	एस.डी. कॉलेज, अंबाला कैंट	2017-18	10.31
		2018-19	8.35
		2019-20	12.68
3.	आर्य गर्ल्स कॉलेज, अंबाला कैंट	2018-19	3.23
		2019-20	4.06
4.	डी.ए.वी. कॉलेज, अंबाला शहर	2018-19	8.95
		2019-20	11.60
5.	एस.ए. जैन कॉलेज, अंबाला शहर	2017-18	6.94
		2018-19	6.32
		2019-20	9.70
6.	एम.डी.एस.डी. कॉलेज, अंबाला शहर	2017-18	2.57
		2018-19	2.50
		2019-20	4.00
7.	एस.एल.डी.ए.वी. शिक्षा कॉलेज, अंबाला शहर	2017-18	1.87
		2018-19	2.02
		2019-20	2.01
8.	एस.एम. लुबाना खालसा गर्ल्स कॉलेज, बरारा, अंबाला	2017-18	2.94
		2018-19	3.53
		2019-20	3.19
9.	डी.ए.वी. कॉलेज, नैनौला, अंबाला	2017-18	1.07
		2018-19	2.14
		2019-20	1.47
10.	एम.पी.एन. कॉलेज, मुलाना (अंबाला)	2017-18	3.17
		2018-19	4.80
		2019-20	3.69
11.	डी.ए.वी. कॉलेज, करनाल	2018-19	2.90
		2019-20	4.72
12.	डॉ. गणेश दास डी.ए.वी. शिक्षा कॉलेज, करनाल	2018-19	0.87
		2019-20	1.08
13.	के.वी.डी.ए.वी. महिला कॉलेज, करनाल	2016-17	5.00
		2018-19	4.82
		2019-20	6.75
14.	दयाल सिंह कॉलेज, करनाल	2018-19	9.76
		2019-20	9.19
15.	गुरु नानक खालसा कॉलेज, करनाल	2018-19	4.01
		2019-20	2.62
16.	आई.बी. कॉलेज, पानीपत	2018-19	5.63
		2019-20	6.29
17.	एस.डी. कॉलेज, पानीपत	2019-20	10.53
18.	आर्य कॉलेज, पानीपत	2018-19	5.44
		2019-20	6.78

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम सहायता प्राप्त निजी कॉलेज	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
19.	गांधी आदर्श कॉलेज, समालखा, पानीपत	2018-19	0.05
		2019-20	0.80
20.	वैश्य गर्ल्स कॉलेज, समालखा (पानीपत)	2018-19	1.34
		2019-20	2.26
21.	सी.आर. किसान कॉलेज, जींद	2018-19	4.30
		2019-20	5.34
22.	हिंदू कन्या महाविद्यालय, जींद	2018-19	3.45
		2019-20	4.23
23.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, नरवाना, जींद	2018-19	1.91
		2019-20	1.39
24.	गुरू नानक खालसा कॉलेज, यमुनानगर	2019-20	15.42
25.	गुरू नानक गर्ल्स कॉलेज, यमुनानगर	2018-19	8.25
		2019-20	11.37
26.	एम.एल.एन. कॉलेज, यमुनानगर	2018-19	8.68
		2019-20	12.52
27.	डी.ए.वी. गर्ल्स कॉलेज, यमुनानगर	2018-19	5.74
		2019-20	7.81
28.	हिंदू गर्ल्स कॉलेज, जगाधरी, यमुनानगर	2018-19	3.80
		2019-20	5.82
29.	महाराजा अग्रसेन कॉलेज, जगाधरी	2018-19	1.83
		2019-20	2.89
30.	एम.एल.एन. कॉलेज, रादौर	2018-19	1.84
		2019-20	1.75
31.	डी.ए.वी. कॉलेज, सढ़ौरा	2018-19	2.47
		2019-20	2.86
32.	डी.एन. महिला महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र	2018-19	4.33
		2019-20	6.36
33.	आई.जी. नेशनल कॉलेज, लाडवा, कुरुक्षेत्र	2018-19	3.51
		2019-20	5.73
34.	भगवान परशुराम कॉलेज, कुरुक्षेत्र	2018-19	4.97
		2019-20	6.49
35.	एम.एन. कॉलेज, शाहबाद, कुरुक्षेत्र	2018-19	3.32
		2019-20	5.09
36.	आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहबाद, कुरुक्षेत्र	2018-19	4.85
		2019-20	6.58
37.	डी.ए.वी. कॉलेज, पिहोवा	2018-19	4.05
		2019-20	6.29
38.	एस.एन.आर.एल. जय राम गर्ल्स कॉलेज, लोहार माजरा, कुरुक्षेत्र	2018-19	1.62
		2019-20	1.89
39.	आर.के.एस.डी. कॉलेज, कैथल	2018-19	6.85
		2019-20	8.99
40.	आई.जी. महिला महाविद्यालय, कैथल	2018-19	1.23
		2019-20	0.63
41.	डी.ए.वी. कॉलेज, पुंडरी	2018-19	2.68
		2019-20	2.58
42.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, फतेहपुर पुंडरी	2018-19	3.85
		2019-20	5.54

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम सहायता प्राप्त निजी कॉलेज	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
43.	बी.ए.आर. जनता कॉलेज, कौल, कैथल	2018-19	2.55
		2019-20	4.70
44.	डी.ए.वी. कॉलेज, चीका	2018-19	3.62
		2019-20	4.59
45.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, ढांड डडवान, कैथल	2018-19	3.94
		2019-20	5.23
46.	एम.एम. कॉलेज, फतेहाबाद	2017-18	3.28
		2018-19	3.45
		2019-20	5.30
47.	सी.एम.के. नेशनल गर्ल्स कॉलेज, सिरसा	2018-19	3.49
		2019-20	4.08
48.	गुरु हरि सिंह महाविद्यालय, जीवन नगर, सिरसा	2018-19	2.08
		2019-20	1.75
49.	एम.पी. गर्ल्स कॉलेज, डबवाली	2018-19	2.28
		2019-20	3.67
50.	बी.एस.के. शिक्षा कॉलेज, मंडी डबवाली	2018-19	0.76
		2019-20	1.25
51.	सी.आर.एम. जाट कॉलेज, हिसार	2018-19	6.90
		2019-20	6.84
52.	डी.एन. कॉलेज, हिसार	2018-19	7.49
		2019-20	9.91
53.	एफ.सी. कॉलेज फॉर विमेन, हिसार	2018-19	3.25
		2019-20	4.21
54.	सी.आर. शिक्षा कॉलेज, हिसार	2018-19	2.33
		2019-20	1.46
55.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, हांसी	2018-19	1.18
		2019-20	1.20
56.	सी.आर.ए. कॉलेज, सोनीपत	2018-19	4.43
		2019-20	6.04
57.	हिंदू कॉलेज, सोनीपत	2016-17	7.12
		2017-18	6.80
		2018-19	6.08
		2019-20	10.00
58.	हिंदू शिक्षा कॉलेज, सोनीपत	2019-20	2.54
59.	हिंदू गर्ल्स कॉलेज, सोनीपत	2018-19	5.64
		2019-20	10.63
60.	टी.आर. शिक्षा कॉलेज, सोनीपत	2019-20	1.06
61.	गीता विद्या मंदिर के.एम.वी., सोनीपत	2018-19	8.26
		2019-20	11.33
62.	टी.आर. गर्ल्स कॉलेज, सोनीपत	2018-19	2.80
		2019-20	2.79
63.	कन्या महाविद्यालय, खरखौदा, सोनीपत	2018-19	2.73
		2019-20	2.75
64.	वैश्य कॉलेज, भिवानी	2018-19	5.25
		2019-20	7.41
65.	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी	2018-19	4.17
		2019-20	5.64

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम सहायता प्राप्त निजी कॉलेज	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
66.	के.एम. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, भिवानी	2018-19	1.14
		2019-20	0.89
67.	जे.वी.एम. जी.आर.आर. कॉलेज, चरखी दादरी	2018-19	6.80
		2019-20	6.11
68.	ए.पी.जे. सरस्वती कन्या महाविद्यालय, चरखी दादरी	2018-19	1.54
		2019-20	1.32
69.	एम.एल.आर.एस. शिक्षा कॉलेज, चरखी दादरी	2018-19	1.10
		2019-20	1.01
70.	बी.एल.जे. सुईवाला कॉलेज, तोशाम	2018-19	2.86
		2019-20	3.08
71.	महिला महाविद्यालय, झोझू कलां, भिवानी	2018-19	1.22
		2019-20	1.17
72.	वाई.एम. डिग्री कॉलेज, नूंह	2018-19	1.85
		2019-20	2.57
73.	निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज, सोहना, गुरुग्राम	2018-19	1.92
		2019-20	2.34
74.	आर.एस.एल. शिक्षा कॉलेज, सिधरावाली, गुरुग्राम	2018-19	1.79
		2019-20	2.05
75.	वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय, बहादुरगढ़	2018-19	1.22
		2019-20	1.94
76.	एम.ए. महिला कॉलेज, झज्जर	2018-19	4.48
		2019-20	3.80
77.	जी.जी.डी.एस.डी. कॉलेज, पलवल	2018-19	6.89
		2019-20	8.53
78.	अग्रवाल कॉलेज, बल्लभगढ़	2018-19	5.07
		2019-20	6.76
79.	के.एल. मेहता डी.एन. कॉलेज फॉर विमेन, फरीदाबाद	2018-19	4.02
		2019-20	6.41
80.	डी.ए.वी. सैंटेनरी कॉलेज, फरीदाबाद	2018-19	3.55
		2019-20	5.02
81.	सरस्वती महिला महाविद्यालय, पलवल	2018-19	2.65
		2019-20	3.95
82.	के.एल.पी. कॉलेज, रेवाड़ी	2019-20	9.49
83.	एस.पी. शिक्षा कॉलेज, रेवाड़ी	2018-19	0.98
		2019-20	1.26
84.	अहीर कॉलेज, रेवाड़ी	2018-19	3.70
		2019-20	6.43
85.	आर.बी.एस. शिक्षा कॉलेज, रेवाड़ी	2018-19	0.81
		2019-20	0.71
86.	आर.डी.एस. पब्लिक गर्ल्स कॉलेज, रेवाड़ी	2019-20	0.47
87.	डी.ए.वी. गर्ल्स कॉलेज, कोसली, रेवाड़ी	2018-19	0.48
		2019-20	1.12
88.	ऑल इंडिया जाट हीरो मेमोरियल कॉलेज, रोहतक	2018-19	13.70
		2019-20	16.02
89.	जी.बी. डिग्री कॉलेज, रोहतक	2018-19	2.50
		2019-20	3.34

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम सहायता प्राप्त निजी कॉलेज	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
90.	श्री एल.एन. हिंदू कॉलेज, रोहतक	2018-19	4.58
		2019-20	4.95
91.	वैश्य कॉलेज, रोहतक	2018-19	5.00
		2019-20	6.44
92.	जी.बी. शिक्षा कॉलेज, रोहतक	2018-19	1.22
		2019-20	2.14
93.	वैश्य शिक्षा कॉलेज, रोहतक	2018-19	0.79
		2019-20	0.92
94.	वैश्य गर्ल्स कॉलेज, रोहतक	2018-19	4.04
		2019-20	5.85
95.	एस.जे.के. कॉलेज, कलानौर, रोहतक	2018-19	3.63
		2019-20	4.78
96.	सी.आर. शिक्षा कॉलेज, रोहतक	2018-19	1.87
		2019-20	2.41
97.	एम.के. जाट कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2018-19	4.51
		2019-20	5.95
कुल			**883.36**

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.16; पृष्ठ 100)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखों के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	विभाग	विभाग के अधीन उपक्रम/स्कीमों के नाम	तक लेखे अन्तिमकृत किए गए	पिछले अन्तिमकृत लेखों के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखों को तैयार करने में विलम्ब हेतु टिप्पणियां/कारण
1.	कृषि	बीज डिपो स्कीम[1]	1988-89	-	1988-89 के पश्चात् कोई लेखे तैयार नहीं किए गए हैं।
2.	कृषि	कीटनाशकों का क्रय एवं वितरण	1986-87	0.01	विभाग द्वारा 1986-87 के पश्चात् कीटनाशकों/ खरपतवारनाशक का कोई क्रय नहीं किया गया था।
3.	मुद्रण एवं स्टेशनरी	राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम	2007-08	17.97	-
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	अनाज आपूर्ति स्कीम	2017-18	9,098.50	-
5.	परिवहन	हरियाणा रोडवेज	2014-15	1,155.99	स्टॉफ की कमी के कारण विलम्ब हुआ
		कुल		**10,272.47**	

[1] ये स्कीमें 1986-87 (कीटनाशिकों का क्रय एवं वितरण) तथा 1984-85 (बीज डिपो स्कीम) से बंद हैं।

परिशिष्ट 5.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.3; पृष्ठ 106)

हरियाणा में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम/क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र	
1.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
2.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
3.	हरियाणा विद्युत परसरण निगम लिमिटेड
4.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
5.	सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड
वित्त क्षेत्र	
6.	हरियाणा वित्तीय निगम
7.	हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड
8.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
9.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड
10.	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड
11.	हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड*
सेवा क्षेत्र	
12.	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड
13.	हार्ट्रॉन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड
14.	गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड
15.	पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड
16.	गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड
17.	हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन
18.	हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड
19.	हरियाणा पर्यटन लिमिटेड
20.	फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड[$$]
आधारभूत संरचना क्षेत्र	
21.	हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड
22.	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड
23.	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
24.	हरियाणा राज्य सड़क और पुल विकास निगम लिमिटेड
25.	हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
26.	हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
27.	हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
28.	करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड[$$]
अन्य क्षेत्र	
29.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड
30.	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड
31.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड
32.	हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम लिमिटेड
33.	हरियाणा राज्य भंडारण निगम
34.	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड
35.	हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड*
36.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड
37.	हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड*

नोट: * निष्क्रिय राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम।

[$$] राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिनके संबंध में प्रथम लेखे प्रतीक्षित हैं।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

www.cag.gov.in/ag/haryana/hi